लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[दसवां सत्र
Tenth Session]

Fumigated
On 3..2..84
Parliament Library

[खंड 39 में अंक 31 से 40 तक हैं
Vol. XXXIX Contains Nos. 31 to 40]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 33, गुरुवार, 9 अप्रैल, 1970/19 चैत्र, 1892 (शक)

No. 33, Thursday, April 9, 1970 Chaitra 19, 1892 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर — ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
903	फ्रैंकफर्ट में एशियाई चलचित्रों के पांचवें अन्तर्राष्ट्रीय चलचित्र मेले में भारत द्वारा भाग लिया जाना	India's participation in fifth international Film Festival of Asian Films in Frankfurt	1-4
904	टेलीफोन उपकरणों की कमी	Shortage of Telephone Equipment	4–9
905	बम्बई, कोचीन, मद्रास, विशाखापत्तनम और ट्यूटीकोरिन में मछली पकड़ने के पत्तन	Fishing Harbour at Bombay, Cochin, Madras, Visakhapatnam and Tuticorin	9–14
907	चौथी योजना के अन्तर्गत छोटे भू-स्वामियों तथा कृषि मजदूरों के लिये पैकेज कार्यक्रम	Package programme for Small Land Holders and Agricultural Labour under Fourth Plan	14–18
909	संचार उपग्रहों से सम्पर्क बनाने हेतु प्रयोग के लिये भूमि पर नये केन्द्रों की स्थापना	Establishment of new ground stations to be used as links with Communication Satellites	18–19
16	दिल्ली के बड़े डाक घर से जाली पोस्टकार्ड लिफाफों आदि की बिक्री	Sale of forged postal Stationery from G. P O., Delhi	19–24

प्रश्नों के लिखित उत्तर — WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

तारांकित प्रश्न			
901	मनीपुर प्रशासन द्वारा भारतीय खाद्य निगम को धान बेचना	Sale of Paddy by Manipur administration to Food Corporation of India	24–25
902	मध्य प्रदेश में अपना टेलीफोन लगाओ योजना के अधीन टेलीफोन कनेक्शनों के लिये विचाराधीन आवेदन पत्र	Applications for Telephone Connections under 'Own Your Telephone' Pending in M. P.	25
906	संसद् सदस्यों से पत्राचार	Correspondence with Members of Parliament	25
908	तीन योजनाओं के अन्तर्गत रोजगार की योजनाएं	Employment schemes in three plans	25–26

---

* किसी नाम पर अंकित यह † इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign† marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० सं० S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
910	चीनी उद्योग सम्बन्धी दूसरे मजूरी बोर्ड का प्रतिवेदन / Report of Second Wage Board for Sugar Industry	26
911	उर्वरकों की खपत में कमी / Fall in consumption of fertilizer	26-27
912	कृषि मूल्य आयोग का प्रतिवेदन / Report of Agricultural prices commission	27–28
913	दिल्ली टेलीविजन के संचरण क्षेत्र का विस्तार / Extension of Delhi T. V. Range	29
914	केन्द्रीय सरकार के अधीन औद्योगिक उपक्रमों पर बोनस अधिनियम लागू करने की मांग / Demand for application of Bonus Act to Industrial Undertakings under Central Government	29
915	श्रमिक अशांति में वृद्धि / Increase in Labour Unrest	29–30
916	विज्ञापनों में अश्लीलता / Obscenity in Advertisements	30
917	पंजाब और हरयाणा राज्यों में पुनर्वास विभाग का समाप्त किया जाना / Winding up of Rehabilitation Department in Punjab and Haryana States	30–31
918	वनस्पति घी को रंग देना / Colourisation of Vanaspati Ghee	31
919	उर्वरकों का वितरण करने की प्रणाली में सुधार करने के लिये कार्यवाही / Measures to Improve Distribution system of Fertilisers	31–32
920	पूर्वी पाकिस्तान से दिल्ली स्टेशन पर आये हुए मछुए परिवारों को फिर से बसाना / Rehabilitation of Fishermen families of East Pakistan Camping of at Delhi Station	32
921	टेलीफोन सेवा के विस्तार के लिये टेलीफोन केबल का उत्पादन बढ़ाने के लिये कार्यवाही / Steps to increase production of Telephone Cables for Extension of Telephone Services	32
922	भारतीय और विदेशी फिल्मों के लिये सेंसर सम्बन्धी नीति / Censorship policy for Indian and Foreign Pictures	33
923	पिछड़े क्षेत्रों में प्रेस सूचना ब्यूरो के कार्यालय / P I B offices in Backward Areas	33
924	खालों और चमड़े का निर्यात / Export of Skins and leather	33-34
925	चलचित्र उद्योग में आर्थिक संकट / Economic crisis in Film Industry	34
926	केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा चलचित्रों का कथित अंधाधुंध अनुमोदन किया जाना / Alleged Indiscriminate approval of Films by Central Board of Film Censor	35–36
927	केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड बम्बई को अन्यत्र ले जाना / Shifting of Central Board of Film Censors, Bombay	36
928	नई दिल्ली सहकारी बैंक, दिल्ली में कथित कुप्रबन्ध / Alleged Mis-management in New Delhi Co-operative Bank, Delhi	36–37

विषय Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० सं० S. Q. Nos,	
929 गेहूं, सरसों और रबी की फसलों का अनुमानित उत्पादन — Estimated production of Wheat, Mustard seeds and Rabi crops	37-38
930 राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में भूमिगत जल संसाधन — Under Ground Water Resources in Rajasthan Deserts	38
अतारांकित प्रश्न संख्या	
5686 मज़दूर संघों में प्रतिद्वन्द्विता के कारण मजदूरों में संघर्ष — Clashes among workers due to trade Union Rivalry	38–39
5687 खांड का निर्यात — Export of Raw sugar	39
5688 टेलीविजन पर प्रदर्शन की उचित तकनीक की कमी — Lack of proper technique of Telecasting	39–40
5689 डाकघरों में हिन्दी से भिन्न भाषाओं में तार फार्मों की उपलब्धता — Availability of Telegraph form in Post offices in languages other than Hindi	40
5690 कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, पटना के क्षेत्रीय आयुक्त द्वारा कथित भ्रष्टाचार — Alleged malpractices by Regional Commissioner, Employees Provident Fund Organisation, Patna	40–41
5691 लखनऊ स्थित पुनर्वास कार्यालय बन्द किया जाना — Closing of Rehabilitation Office at Lucknow	41
5692 तमिलनाडु में येनमार समुद्री इंजन निर्माण कारखाने की स्थापना — Location of factory in manufacture of Yenmar Marine Engines in Tamil Nadu	41–42
5693 राजस्थान में बिजली से चलने वाले नलकूप — Number of tube wells energised in Rajasthan	42
5694 हरियाना के किसानों की बाजरे के मिलावटी बीजों के बारे में शिकायत — Complaints from Farmers of Haryana against adulterated Bajra Seeds	42–43
5695 सिंह संरक्षित पशु के रूप में — Lion as protected animal	43–44
5696 आंध्र प्रदेश को स्वीडन के छिद्रण उपकरण एककों का आवंटन — Allotment of units of Swedish Drilling equipment to Andhra Pradesh	44
5698 संसद् भवन में स्थित दिल्ली दुग्ध योजना के बिक्री काउन्टर पर उसके उत्पादों की बिक्री — Sale of Products of DMS at their Sale counter in Parliament House	44–45
5699 संसद भवन में दिल्ली दुग्ध योजना केन्द्र का कार्यकरण — Working of DMS Booth in Parliament House	45–46
5700 नासिक, महाराष्ट्र में सहकारी चीनी कारखाने — Co-operative Sugar Factories in Nasik Maharashtra	46–47
5701 गुड़ के मूल्यों का निर्धारण — Fixation of price of Gur	47–48

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० सं० S. Q. Nos.		
5702 महाराष्ट्र में नासिक जिले की टेलीफोन लाइनों की मरम्मत	Repairs of Telephone Lines of Nasik Distt. in Maharashtra	48
5703 खानों में दुर्घटनाएं	Accident in Mines	48
5704 सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों को परेशान करना	Victimisation of Employees who participated in Septembee 1968 strike	49
5705 अहमदाबाद के लिये टेलीविजन	T. V. for Ahmedabad	49
5706 पलना कोयला खान में छंटनी के कथित गैर कानूनी नोटिसों का जारी किया जाना	Alleged issue of illegal retrenchment Notices in Palana Colliery	49–50
5707 दिल्ली में आवारा और दुधारन पशुओं के लिये गो-सदन की स्थापना	Setting up of Gosadans for Stray and Milch cattles in Delhi	50–51
5708 ट्रैक्टर चलाने का प्रशिक्षण देने के लिये केन्द्र	Centres for training in Tractor Driving	51
5709 सरकार द्वारा हाल में घोषित रियायत के बाद कोचीन क्षेत्र में डाक व तार कर्मचारियों की बहाली	Reinstatement of P & T Employees after recent relaxation announced by Government in Cochin Area	51–52
5710 दिल्ली में अनाज के व्यापारियों के विरुद्ध मामले	Cases against foodgrain dealers in Delhi	52–53
5712 औद्योगिक श्रमिकों के लिये पेंशन योजना	Pension Scheme for Industrial Workers	53
5713 खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में विक्रय सहायकों की नियुक्ति	Appointment of Sales Assistant in the Ministry of Food and Agriculture Community Development and Co-Peration	53
5714 वनस्पति घी का उत्पादन तथा मूल्य	Production and price of Vanaspati Ghee	53–54
5715 बंगाल की खाड़ी में मत्स्य क्षेत्र के विकास के लिये रूसी अनुसंधान जहाज	Soviet Research ship in Bay of Bengal for Development of Fisheries	54
5716 सवाई माधोपुर तथा जयपुर और गंगापुर जयपुर के बीच सीधी टेलीफोन लाइन	Direct Telephone line between Swai Madhopur Jaipur and Gangapur Jaipur	54–55
5718 मनीपुर में अनारक्षित मत्स्य पालन भूमि का बन्दोबस्त	Settlement of De-Reserved Fishery Land in Manipur	55
5719 पहाड़ी क्षेत्र में शीतकाल तथा अन्य भत्ते देने के सम्बन्ध में मनीपुर के डाक व तार कर्मचारियों से ज्ञापन	Memorandum from P & T Employees of Manipur for Grant of hill, winter and other allowances	55–56
5720 क्षेत्रीय प्रचार अनुभाग के कर्मचारियों की नियुक्ति	Posting of Employees of Field Publicity Section	56

अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
5721	मनीपुर की एलगखांगपोकपी फार्मिंग सोसायटी को भूमि का आवंटन	Allotment of land to Elangkhang-pokpi Farming society of Manipur	56-57
5722	मध्य प्रदेश को कृषि औद्योगिक निगम की स्थापना के लिये केन्द्रीय सहायता	Central Assistance for setting up Agricultural industrial corporation in Madhya Pradesh	57
5723	केन्द्रीय सरकार में पंजीकृत मध्य प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिकाओं की बिक्री	Circulation of M. P. Weeklies Registered with Central Government	57
5724	मध्य प्रदेश में कम्पनियों द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि में अंशदान	Employees provident fund contributions by companies in Madhya Pradesh	57-58
5726	खाद्यान्नों का उत्पादन लक्ष्य तथा आत्म-निर्भरता	Target and self sufficiency in food-grains	58
5727	पश्चिम बंगाल में पूर्व पाकिस्तान से आये शरणार्थियों के पुनर्वास के प्रश्न पर विचार	Review of Rehabilitation of East Pakistan Refugees in West Bengal	58-59
5728	आन्ध्र प्रदेश के अर्ध शुष्क खण्डों (जोन्स) के विकास के लिये फ्रांस के साथ करार	Agreement with France for the development of Semi arid zones of Andhra Pradesh	59-60
5729	साम्प्रदायिक तनाव रोकने के लिये आकाशवाणी के सिलीगुड़ी केन्द्र द्वारा प्रसारण	A. I. R. Siliguri coverage to counter Communal Tension	60
5730	सुपर बाजार, दिल्ली द्वारा इमारत के भागों को आगे किराये पर दिया जाना	Sub-letting of portions of buildings by super Bazars, Delhi	61
5731	आकाशवाणी विज्ञापन प्रसारणों में अशिष्ट भाषा का प्रयोग	Vulgar Expression used in AIR commercial Advertisement	61-62
5732	ग्रामीण क्षेत्रों में मनीआर्डरों के वितरण में कदाचार	Corrupt practices indulged in disbursing money orders in Rural areas	62
5733	दण्डकारण्य परियोजना में कर्मचारिय्रों की पदावनति तथा छंटनी	Reversions and Retrenchments in Dandakaranya Project	62-63
5734	मत्स्य नौकाओं की कमी तथा उनका निर्माण	Shortage of Trawlers and their manufacture	63
5735	भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि के आवंटन के लिये आयोग की स्थापना	Setting up of a commission for allot ment of land to landless persons	63-64
5736	पंजाब में भूमि पर दोहरी फसल उगाने का प्रभाव	Effect of double cropping on land in Punjab	64
5737	धान उगाने वाले क्षेत्रों में अधिक उपज देने वाली फसलों की खेती करना	Bringing of Rice Growing areas under High Yielding Varieties	64-65

अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
5738	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का विस्तार Expansion of industrial training Institutes	65
5739	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा पिछड़े वर्गों द्वारा प्रशिक्षण अवसरों का लाभ उठाना Availing of Training opportunities by S. C. S. T & Backward Classes	65–67
5740	गत तीन वर्षों में जारी किये गये स्मृति डाक टिकट Commemorative stamps issued during the last three years	67
5741	गेहूं के अधिक मूल्य निर्धारित किये जाने पर राजस्थान सरकार द्वारा आपत्ति Objection by Rajasthan Government to fixation of High prices of wheat	68
5742	आकाशवाणी के कर्मचारियों का ज्ञापन AIR Employees memorandum	68–69
5743	भूमि अर्जन समिति का प्रतिवेदन Report of land Acquisition committee	69
5744	पंजाब में खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिये नलकूपों, उर्वरकों और ट्रैक्टरों की सप्लाई Supply of Tube wells, Fertilisers and Tractors to step up food production in Punjab	69
5745	श्रीनगर में टेलीविजन केन्द्र पर व्यय Expenditure involved in T. V. Centre for Srinagar	70
5746	स्थापित किये जाने वाले नये टेलीविजन केन्द्रों पर व्यय Expenditure on new T. V. Stations	70
5747	उद्योगों में स्वचालित मशीनों के प्रयोग से अतिरिक्त लाभ Additional profits due to Automation in industries	70–71
5748	फसल बीमा चालू करना Introduction of crop insurance	71
5749	सुपर बाजार दिल्ली द्वारा खुले में एक रेस्तरां खोलना Opening of an open air restaurant by Super Bazar, Delhi	71–72
5751	लेह में आकाशवाणी केन्द्र A. I. R. Station for Leh	72
5752	खाद्य क्षेत्रों में परिवर्तन Alteration of Food Zones	72–73
5753	आकाशवाणी के अस्थायी स्टाफ आर्टिस्टों का स्थायीकरण Permanency of Staff Artistes of AIR against Temporary Strength	73
5754	नेफा और आसाम, मनीपुर और त्रिपुरा के पहाड़ी क्षेत्रों में भेड़ पालन का विकास Development of sheep Breeding in Nefa and Hilly Areas of Assam Manipur and Tripura	73
5755	मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ क्षेत्र में आकाशवाणी के नये केन्द्रों की संख्या New Radio Stations in Chattisgarh Region of Madhya Pradesh	73–74
5756	मार्च, 1970 में ओलावृष्टि के परिणामस्वरूप फसल को हुई क्षति के कारण मध्य प्रदेश तथा दिल्ली प्रशासन को अनुदान Grant to Madhya Pradesh and Delhi Administration due to Damage to Crops as a result of Hailstorm in March, 1970	74–75

अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
5757	लद्दाख में वनों का संरक्षण	Protection of forests it Ladakh 75
5758	भारत तथा पाकिस्तान टेलीविजन विकास के बारे में तुलनात्मक अध्ययन	Comparative study on T. V. Developments in India and Pakistan 75
5759	वर्ष 1969-70 में लघु सिंचाई योजनाओं के लिये राजस्थान को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Rajasthan for minor Irrigation Schemes during 1969–70 76
5760	राजस्थान में रेगिस्तान क्षेत्र के विकास के लिये योजना	Scheme for Developments of Desert Area of Rajasthan 76–78
5761	कोयला खनन के बारे में औद्योगिक समिति की बैठक	Industraial committee meeting on coal mining 78
5762	गेहूं की वसूली और बिक्री की दर	Rate of procurement and selling of Wheat 78
5763	सरकारी सस्ता अनाज व्यापारी संघ, पटना द्वारा ज्ञापन	Memorandum by Government cheap foodgrain dealers Association, Patna 78–79
5764	केन्द्रीय आलू अनुसन्धान संस्थान, पटना के अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच समझौता	Agreement between officers and workers of Central Potato Research Institute, Patna 79–80
5765	पटना में रेलवे डाक सेवा के लिये नया भवन	New Buildidg for R M S at Patna 80
5766	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के प्रादेशिक कार्यालय	Regional offices of the Employees Provident Fund Organisation 80–81
5767	सामुदायिक विकास के सम्बन्धित कर्मचारियों को सामयिक प्रशिक्षण की आवश्यकता	Need for periodical training of officials of Community Development 81
5768	भूमि की 20 मानक एकड़ की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार का राज्यों को सुझाव	Suggestion from Centre to States regarding fixing of land ceilling of 20 standard Acres 81–82
5769	खाद्यान्नों के लाभ मूल्य तथा मूल्य स्थिरीकरण के लिये पंजाब सरकार द्वारा निवेदन	Punjab Government request for remunerative prices of foodgrains and Price freeze 82
5770	टेलीप्रिंटरों का निर्माण	Manufacture of Teleprinters 82
5771	दण्डकारण्य परियोजना के अधिकारियों के कर्तव्य, कार्य तथा दौरे आदि	Duti es functions and tours etc. of Dandakaranya project officers 83
5772	पंजाब में पंचायत समितियों का समाप्त किया जाना	Abolition of Panchayat Samities in Punjab 83–84

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.		
5773 पंजाब और हरियाणा में टेलीफोन कनेक्शनों के लिये अनिर्णीत पड़े आवेदन पत्र	Applications pending for telephone connections in Punjab and Haryana	84
5774 सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय द्वारा संसद सदस्यों के पत्रों का उत्तर न दिया जाना	M, Ps. letters not replied to promptly by Infomnation and Broadcasting Ministry	84–85
5775 संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों का निपटारा	Disposal of letters received from M. Ps.	85
5776 अक्तूबर-नवम्बर 1969 के फिल्म|समारोह में फिल्मों का वर्गीकरण	Classification of films in Film Festival Novermber, 1969	85
5777 विश्व खाद्य संगठन द्वारा मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ तथा छत्तरपुर जिलों को खाद्यान्नों की सप्लाई	Supply of foodgrains to Tikamgarh and Chhatarpur Districts of Madhya Pradesh by World Food Organisation	86
5778 खरीफ की फसल (1970) के दौरान सोयाबीन की खेती	Cultivation of Soyabean during Kharif Season (1970)	86
5779 गेहूं के मूल्य का निर्धारण	Fixation of prices of wheat	86–87
5781 वनस्पति तेलों के उत्पादन में वृद्धि	Increase in production of Vegetable Oils	87
5782 मेरठ टेलीफोन एक्सचेंज का दिल्ली टेलीफोन एक्सचेंज से सीधा सम्पर्क	Direct linking of Meerut Telephone Exchange with Delhi Telephone Exchange	87–88
5783 गुड़ के मूल्य में वृद्धि	Increase in Gur price	88
5784 सोयाबीन की वसूली और उसका प्रयोग	Procurement of Soyabeans and its use	88
5785 मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से संलग्न डाकू ग्रस्त क्षेत्रों में संचार सुविधायें	Commuuication facilities in dacoit infested areas contiguous to M. P, Rajasthan and U. P.	89
5786 सवाई माधोपुर में पिछड़े क्षेत्र के नाते डाकघर तथा टेलीफोन की सुविधाएं देना	Post office and Telephone facilities in Swai Madhopur as backward area	89–90
5787 राजस्थान में जिला टेलीफोन परामर्शदात्री समितियां	District Telephone Advisory committee in Rajasthan	90
5788 राजस्थान में चौथी पंचवर्षीय योजना में डाकघर की इमारतों का निर्माण	Construction of Post office Buildings in Rajasthan during Fourth Five Year Plan	91
5789 अखबारी कागज का नियतन	Allotment of Newsprint	91–92
5790 वर्षा पर निर्भर क्षेत्रों को खाद्य उत्पादन के लिये सहायता	Help for food production in Area dependent upon rain	93

विषय	Subject	पृष्ठ/Page
अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos		
5791 जेनेबा में हुए अन्तर्राष्ट्रीय करार के अन्तर्गत चीनी की बिक्री के कारण विदेशी मुद्रा की हानि	Loss of foreign exchange due to sale of sugar under international Agreement arrived at Geneva	93
5792 बालासरे, उड़ीसा में मछली पकड़ने की बन्दरगाह	Fishing Harbour at Balasore, Orissa	93–94
5793 महाराष्ट्र के एक कृषक द्वारा गन्ने के अधिकतम उत्पादन के तरीकों को लोकप्रिय बनाने के लिए कार्यवाही	Steps to popularise methods of record production of Sugarcane by a Maharashtrian Farmer	94–95
5794 सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय के लिये अधिक धन राशि का नियतन	Increase in Fund Allocation for Information and Broadcasing Ministry	95
5595 मोहनसिंह प्लेस मार्किट, नई दिल्ली में दुकानों का किराया	Shop rents in Mohan Singh Place Market, New Delhi	95–96
5796 औषध निर्माण फर्मों के औषधीय प्रतिनिधियों को श्रमजीवी कर्मचारी की श्रेणी में शामिल करने के लिये औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन	Amendment of Industrial Disputes Act to include medical representatives of Pharmaceutical concerns as workmen	96
5797 भारतीय फसलों का विकास	Development of Indian Crops	96–97
5798 दरभंगा (बिहार) के बेलहावाड़ डाकघर का कार्यकरण	Working of Belhawar Post Office Darbhanga (Bihar)	97
5799 लोक सभा में सामान्य आय-व्यय पर हुई चर्चा का आकाशवाणी द्वारा पर्याप्त प्रसारण न किया जाना	Inadequate coverage by AIR of debate on General Budget in Lok Sabha	97-98
5800 नगरीय तथा देहाती क्षेत्रों में रेडियो सेटों का अनुपात	Ratio of Radio Receiving sets between Urban and Rural Areas	98
5801 मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी के पर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्रों में बोने के लिये गेहूं चना और तिलहन की अधिक उपज वाली किस्में	High yielding varieties of wheat gram and oil seeds for sowing in rainfed areas of Narmada Valley of Madhya Pradesh	98
5802 सहकारी बैंकों द्वारा किसानों को वित्तीय सहायता	Financial assistance to agriculturists by cooperative banks	99
5803 मध्य प्रदेश में लघु सिंचाई परियोजनाएं	Minor irrigation projects in Madhya Pradesh	99-100
5804 मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर तथा होशंगाबाद जिलों में डाकघर	Post offices in Narsinghpur and Hoshangabad districts of Madhya Pradesh	100

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.		
5805 उर्वरक और बीजों के मूल्यों और कृषि मजदूरों की मजदूरी में वृद्धि	Increase in price of fertiliser, seeds and wages of agricultural labour	100–101
5806 प्रोग्राम स्टाफ संवर्ग (नियमित) के लिये पदोन्नति	Promotion to programme staff cadre (Regular)	101
5807 डाक तथा तार निदेशालय सिविल विंग में ड्राफ्टसमैन ग्रेड दो और तीन की अनुभाग अधिकारियों के पद पर पदोन्नति	Avenues of Promotion of Draftsmen Grade II and III as section officers in Civil Wing of P & T Directorate	101–102
5808 डाक तथा तार विभाग के सिविल विंग के अराजपत्रित कर्मचारियों को वेतन वृद्धि न दी जाना	Non-payment of increments to the non-gazetted staff of civil wings of post and telegraphs department	102–103
5809 देश में वर्ष 1969 में औद्योगिक विवाद	Industrial disputes in the country during 1969	103–104
5810 फिल्म सैंसर बोर्ड द्वारा पास की गई प्रेम पुजारी फिल्म में आपत्तिजनक दृश्य	Objectionable scenes in Prem Pujari Passed by Board of Film Censors	105
5811 चलचित्र वित्त निगम के आय साधन	Sources of Income of Film Finance Corporation	105
5812 डाक तथा तार विभाग के सिविल विंग के स्थापत्य कार्यालयों के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को सामान्य भविष्य निधि की पास बुक जारी करना	Issue of pass book of General Provident Fund to Class IV Staff of Agricultural offices of Civil wing of P & T Department	105–106
5813 जम्मू पुनर्वास संघ के नेता की अनशन की धमकी	Fast threat by leader of Jammu Rehabilitation association	106
5814 दिल्ली की यमुना पार बस्तियों में चलते-फिरते डाकघरों की मांग	Demand for mobile post offices in Trans-Jamuna colonies of Delhi	106–107
5815 आकाशवाणी से देशभक्तिपूर्ण गीत	Patriotic Songs over AIR	107
5816 केरल में कृषि विकास पर व्यय	Expenditure on Development of Agriculture in Kerala	108
5820 सिंगिया दरभंगा (बिहार) में सार्वजनिक टेलीफोन	Public call office at Singla, Darbhanga (Bihar)	108–109
5821 गेहूं का वसूली मूल्य बढ़ाने के लिये गेहूं, पैदा करने वाले राज्यों की मांग	Demand of wheat producing States to increase procurement prices of wheat	109
5822 टेलीग्राफ सहायक इंजीनियर के रूप में पदोन्नति के लिये इन्जीनियरिंग सुपरवाइजरों का नया चयन	Fresh selection of Engineering supervisors for promotion to Telegraph Assistant Engineers	109–110

अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
5823	दक्षिण अफ्रीका तथा आस्ट्रेलिया के बीच क्रिकेट मैच का रेडियो से प्रसारण	Broadcast of cricket match between south Africa and Australia	110
5824	फरीदाबाद जूता फैक्टरी कर्मचारियों की प्रधान मन्त्री से भेंट	Faridabad Shoe Factories Workers meeting with Prime Minister	110
5825	नई दिल्ली कोआपरेटिव लिमिटेड, दिल्ली	New Delhi Co-operative Ltd. Delhi	111-112
5826	दिल्ली में छविगृहों द्वारा मनोरंजन कर दिया जाना	Payment of Entertainment tax by cinemas in Delhi	112-113
5827	मारिशस को डाक भेजने में होने वाले विलम्ब को समाप्त करने के लिये कार्य-वाही	Steps to avoid delay in Transmission of dak to Mauritius	113
5828	औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत रेलवे कर्मचारियों के मामलों के बारे में श्रम आयुक्त को गोपनीय आदेश	Confidential instructions to labour commissioners regarding cases of Railway Employees under industrial Disputes Act	113-114
	अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to matter of urgent Public Importance	114
	आसाम में नक्सलपंथियों की कथित गतिविधियां	Reported Naxalite activities in Assam	114-117
	सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	117-118
	राज्य-सभा से संदेश	Message from Rajya Sabha	118
	पश्चिमी बंगाल राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में	West Bengal State Legislature (Delegation of Powers) Bill as passed by Rajya Sabha	118
	सदस्य का त्याग पत्र (श्री श्रीपत मिश्र)	Resignation of Member (Shri Shripat Misra)	118-119
	सभा पटल पर रखे गये पत्रों के बारे में	Re. Papers Laid on the Table	119
	लोक लेखा समिति	Public Accounts Committee	119
	99वां प्रतिवेदन	Ninety-ninth Report	119
	सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति	Committee on Public Undertakings	119
	60वां प्रतिवेदन	Sixtieth Report	119
	समिति के लिये निर्वाचन	Election to Committee	120
	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति	Committee on Welfare of Scheduled castes and Scheduled Tribes	120

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं० S. Q. Nos.		
अनुदानों की मांगें—1970-71	Demands for Grants–1970-71	121
सिंचाई मन्त्रालय	Ministry of Irrigation	121
श्री सेझियान	Shri Sezhiyan	
श्री नि० रं० लास्कर	Shri N. R. Laskar	
श्री क० मि० मधुकर	Shri K. M. Madhukar	
श्री ब० ना० भार्गव	Shri B. N. Bhargava	
श्री पी० पी० एस्थोस	Shri P. P. Esthose	
श्री नीतिराज सिंह चौधरी	Shri Nitiraj Singh Chaudhary	
श्री महाराज सिंह चौधरी	Shri Maharaj Singh Bharati	
श्री चन्द्रिका प्रसाद	Shri Chandrika Prasad	
श्री मोहन स्वरूप	Shri Mohan Swarup	
श्री ऊ० श्री० कस्तूरे	Shri A. S. Kasture	
श्री राम चरण	Shri Ram Charan	
श्री न० प्र० यादव	Shri N. P. Yadab.	
श्री फ० गो० सेन	Shri P. G. Sen	
श्री गा० शं० मिश्र	Shri G- S. mishra	
श्री लोबो प्रभु	Shri Lobo Prabhu	
श्री मुद्रिका सिंह	Shri mudrika Sinha	
श्री छ० म० केदरिया	Shri C. M. Kedaria	
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	Shri Chintamani Panigrahi	
डा० कु० ल० राव	Dr. K. L. Rao	
वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय	ministry of Foreign Trade	
श्री कमल नयन बजाज	Shri Kamalnayan Bajaj	
श्री एम० सुदर्शनम	Shri m. Sudarsanam	
श्री सु० कु० तापड़िया	Shri S. K. Tapuriah	

लोक-सभा

LOK-SABHA

गुरुवार, 9 अप्रैल, 1970/19 चैत्र, 1892 (शक)
Thursday, April 9, 1970/ Chaitra 19, 1892 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. SPEAKER IN THE CHAIR]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

फ्रैंकफर्ट में एशियाई चलचित्रों के पांचवें अन्तर्राष्ट्रीय चलचित्र मेले में भारत द्वारा भाग लिया जाना

+

*903. **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री मयाबन :
श्री सामिनाथन :
श्री दंड पाणि :
श्री चेंगलराया नायडू :

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत भी फ्रैंकफर्ट (पश्चिमी जर्मनी) में मई, 1970 में होने वाले पांचवें अन्तर्राष्ट्रीय एशियाई चलचित्रों के मेले में भाग ले रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए कौन से चलचित्र चुने गये हैं; और

(ग) क्या पहले भारतीय चलचित्रों की दर्शकों ने प्रशंसा नहीं की है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी हां ।

(ख) निम्नलिखित चलचित्र चुने गये हैं :

1. दि हाउस दैट आनन्द बिल्ट
2. आइ एम ट्वेण्टी
3. एक्सप्लोरर
4. अमृता शेर गिल
5. दैन दि रेन्स
6. ग्लिम्पासेज ऑफ इन्डिया (डब्ल्यू० आर०)
7. क्रॉस करेंट्स
8. क्यौस
9. रेन्स
10. यात्रिक
11. अपनजन

(ग) भारतीय चलचित्रों की प्रायः प्रशंसा की गई, चलचित्र "यादें" को वर्ष 1967 में "ग्रांड प्रिक्स" प्राप्त हुआ था। 1963 के दूसरे उत्सव में कुछ गैर-सरकारी प्रविष्टियां, कुछ तकनीकी कमियों के कारण अधिक लोकप्रिय नहीं सिद्ध हुईं।

श्री नि० रं० लास्कर : यह अच्छी बात है कि हम अपनी कुछ फिल्मों का विदेशों में प्रदर्शन करते हैं जिससे हमारे देश के बारे में उन्हें जानकारी मिलती है। इस संदर्भ में क्या मैं यह जान सकता हूं कि विदेशों में प्रदर्शन के लिये सर्वोत्तम फिल्मों के चुनाव के लिये आपके पास कौन-सी विशेषज्ञ-व्यवस्था है ?

श्री इ० कु० गुजराल : इस समय हमारी छः फिल्म आलोचकों की तदर्भ सलाहकार समिति है जो अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में फिल्मों को भेजने के बारे में सलाह देती है। इस बारे में खोसला समिति ने भी यह सिफारिश की है कि सेंसर बोर्ड को भी इसका इंचार्ज बनाना चाहिए। इसके साथ-साथ फिल्म परिषद् की स्थापना करने पर भी विचार कर रहे हैं। चूंकि इन दोनों की स्थापना में समय लगेगा, अतः इस बात के निदेश जारी किये गये हैं कि हमें प्रादेशिक तालिका और केन्द्रीय तालिका के ढांचे में पुनरीक्षण करना चाहिये जिससे अधिक ध्यानपूर्वक चयन किया जा सके। दूसरे, हम यह सोच रहे हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में फिल्में भेजने का भार निर्माताओं पर न डालकर इसकी जिम्मेदारी सरकार को संभालनी चाहिये।

श्री नि० रं० लास्कर : एशियाई फिल्मों का अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह फ्रेंकफर्ट में हुआ है। मुझे यह विदित नहीं कि ऐसा क्यों हुआ। क्या भारतीय फिल्मों को यूरोपीय देशों में प्रदर्शित करने के लिये भी कोई प्रयास किये गये हैं ? भारत अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में भाग लेने वाला मुख्य देश था। उदाहरण के तौर पर वर्ष 1969 में विश्व में 58 अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह हुए और भारत ने 51 फिल्म समारोहों में भाग लिया। सामान्यता हमारी फिल्में काफी आकर्षक रहीं। गत वर्ष हमारे वृत चित्र और फीचर फिल्मों की अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में बहुत प्रशंसा हुई।

श्री जी० विश्वनाथन : फिल्मों को, विशेषकर दक्षिण की फिल्मों को अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म

समारोह में भेजने के बारे में चयन करने में भेदभाव किया जाता है। क्या माननीय मंत्री को विदित है कि दक्षिण भारतीय फिल्म चैम्बर और फिल्म संघ ने इस बारे में घोर विरोध किया है और यहां तक कि अन्य निर्माताओं का मत है कि दक्षिण की फिल्मों की ओर उपयुक्त ध्यान नहीं दिया जाता है। उक्त भावना को दूर करने के लिये मंत्री महोदय का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री इ० कु० गुजराल : मैं सर्वप्रथम इस धारणा को दूर करना चाहता हूं कि किसी क्षेत्र या प्रदेश के विरुद्ध भेदभाव किया जाता है। हम यथासम्भव सर्वोत्तम फिल्में भेजने का प्रयास करते हैं। दक्षिण में निर्मित फिल्में अच्छी हैं और हम यह चाहते हैं कि दक्षिण भारत में निर्मित फिल्मों को न केवल भारत में बल्कि विश्व में उचित स्थान मिले। अतः नई योजना में मैंने यह सुझाव दिया है कि तीन प्रादेशिक समितियों की स्थापना की जाय और इस प्रकार की एक समिति की मद्रास में भी स्थापना की गई है जिससे कि फिल्म निर्माण करने वाले तीनों मुख्य क्षेत्रों की ओर उचित ध्यान दे सकें।

Shri Om Prakash Tyagi : I want to know the main criteria for selecting the films to be sent abroad and whether attention will be paid to this aspect that the films to be sent abroad should represent real Indian culture and there should not be artificiality in them ?

श्री इ० कु० गुजराल : माननीय सदस्य की फिल्मों के बारे में बहुत अच्छी भावनाएं हैं। स्वभावतया भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली हम ऐसी ही फिल्में विदेशों में भेजते हैं। भारतीय फिल्में अधिकांश भारतीय जीवन का प्रतिनिधित्व करती हैं। फिल्मों का चयन करते समय इस बात की ओर ध्यान दिया जाता है कि फिल्में कलात्मक हों जिससे वे अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में अपना स्थान बना सकें।

श्री लीलाधर कुटकी : प्रश्न के भाग (क) का उत्तर माननीय मंत्री ने 'हां' में दिया है। यह स्पष्ट नहीं है कि माननीय मंत्री का क्या अभिप्राय है। यदि माननीय मंत्री का इससे अभिप्राय एशियाई फिल्म समारोह आयोजित करने से है तो इसका आयोजन किसी एशियाई देश की राजधानी में न कर पश्चिम जर्मनी में क्यों किया जा रहा है ? यदि विश्व के समस्त देशों में फिल्म समारोह करने का इरादा है तो यह अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह हुआ। क्या माननीय मंत्री इस बारे में उल्लेख करेंगे ?

श्री इ० कु० गुजराल : वर्ष 1960 से फ्रैंकफर्ट में एशियाई फिल्मों का समारोह हो रहा है और एशियाई देश इसमें भाग लेते रहे हैं। यूरोपीय देशों में फिल्म समारोह आयोजित करना अनुचित नहीं है क्योंकि ऐसा करने से एशियाई फिल्मों का बाजार बढ़ जायेगा। जहां तक एशियाई समारोहों का सम्बन्ध है, कुछ एशियाई देशों में भी ये समारोह आयोजित किये गये हैं।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : माननीय मंत्री ने अनुपूरक प्रश्न का उत्तर देते समय यह बताया था कि फिल्मों का चयन करते समय, फिल्मों की लोकप्रियता के अनुसार प्रत्येक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व दिया जाता है। इस विशेष समारोह में किन-किन फिल्मों का चयन किया गया और प्रादेशिकता के आधार पर फिल्मों का चयन किस अनुपात में किया गया ?

अध्यक्ष महोदय : वह पहले ही उन फिल्मों के नाम बता चुके हैं।

श्री इ० कु० गुजराल : मेरे माननीय मित्र एक विद्वान व्यक्ति हैं। मैं इन फिल्मों का पहले

ही नाम ले चुका हूं । मुझे विश्वास है माननीय मंत्री इस बात को ध्यान में रखेंगे कि ललित कला विज्ञान और बौद्धिक दृष्टि से समूचा भारत एक है ।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : उन्होंने यह कैसे कल्पना की कि मैं एक विद्वान व्यक्ति हूं ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य तर्क में न पड़ें । आप विद्वान व्यक्ति हैं ।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : मेरा प्रश्न चुनी जाने वाली फिल्मों के बारे में था । क्या माननीय मंत्री प्रदेशवार चुनी गई फिल्मों का ब्यौरा दे सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से आपने उनसे फिल्मों के बारे में पूछा था जिसका उन्होंने उत्तर दे दिया था । यदि वह उनका ब्यौरा देने में समर्थ हैं तो ऐसा कर सकते हैं ।

श्री इ० कु० गुजराल : मेरे पास इस बारे में ब्यौरा उपलब्ध नहीं है । लेकिन उन्हें इस बात से धोखा नहीं खाना चाहिये कि यदि एक हिन्दी फिल्म है तो वह उत्तर भारत की होगी क्योंकि दक्षिण भारत में भी अब बहुत सी हिन्दी फिल्में बनाई जा रही हैं ।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : वह यह कैसे कल्पना करते हैं कि मुझे गलतफहमी हुई है ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति । शान्ति । अगला प्रश्न ।

टेलीफोन उपकरणों की कमी

\+

*904. **श्री जय सिंह** : **श्री यज्ञदत्त शर्मा** :
श्री हरदयाल देवगुण :

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूरे देश की मांग की अपेक्षा टेलीफोनों की सप्लाई पांच वर्ष से भी अधिक पीछे है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि टेलीफोनों की मांग और सप्लाई से बीच का अन्तर बढ़ता जा रहा है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि टेलीफोन संचार देश की आन्तरिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है ; और

(घ) क्या यह भी सच है कि आई० टी० आई० बंगलौर काफी बड़ी मात्रा में टेलीफोन उपकरणों का निर्यात कर रहा है ; और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं जबकि देश में इन उपकरणों की काफी कमी है ?

The Minister of state in the Ministry of Information & Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) The average waiting period for installation of a new telephone connection is of the order of 4 - 6 years in the country as a whole. Thus the gap between demand and supply is about 5 years.

(b) Yes, Sir. The total waiting list which was about 2.6 lakhs in 1964 has gradually increased to about 4.4 lakhs on 30th Sept., 1969 for new telephone connections.

(c) Yes, Sir.

(d) Yes, but not in large quantities; only about 3.84 per cent of ITI's total out-turn has been exported to earn valuable exchange.

श्री जय सिंह : चौथी पंचवर्षीय योजना में इसका क्या लक्ष्य है और क्या सरकार को यह विश्वास है कि वह अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सफल होगी ?

श्री शेर सिंह : चौथी पंचवर्षीय योजना में 6 लाख टेलीफोन सेट बनाने का लक्ष्य है और देश में इसका निर्माण संख्या 7.6 लाख तक पहुंच जायेगा ।

श्री जय सिंह : क्या आपको विश्वास है की आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे ?

श्री शेर सिंह : जी हां, हमें पूर्ण विश्वास है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप सन्तुष्ट हो गये हैं ? श्री देवगुण अनुपस्थित हैं । श्री यज्ञ दत्त शर्मा ।

Shri Yajna Datt Sharma : The Hon. Minister is aware that due to shortage of telephone equipment, the country has to face several difficulties. There is no automatic exchange system in Ludhiana. As a result of which there has been a great loss of time, resources and power.

People have been facing great difficulty due to the existing operating system. These difficulties are there because they are very busy.

Mr. Speaker : Please ask a direct question.

Shri Yajna Datt Sharma : I assure you that I am not wasting the precious time of the house. There has been general complaints against the operations. They are said to be irresponsible persons. They do not work efficiently. They are over worked. After all there is limit to manual labour. Therefore, it is necessary to establish automatic exchange system to remove that difficulty. I also want to know what steps Government is going to take for establishing small exchanges in the villages. I want to know when are you going to establish automatic exchange system in industrial centres like Batala, Ludhiana and Patiala ?

Shri Sher Singh : It is correct that there are some difficulties. But we are trying to import all the necessary telephone equipment to remove those difficulties. Efforts are also being made to manufacture telephone equipment in the country.

There is one difficulty in this regard that we have to import telephone equipment from outside and for that we require 20 per cent foreign exchange. The work is now going on satisfactorily.

We are establishing more automatic exchanges at those places where the number of telephones has increased.

When the number of telephones increases to 1000 we must establish automatic telephone exchanges. In small villages and towns we first instal small P B connections and when the number of the telephones rises to 1000 we establish automatic telephone exchanges there.

It is true that there are some complaints about the operators. But it is not due to over pressure of work. Sometimes a large number of them remain absent. We try to make up the shortage of staff wherever it is felt necessary to do so.

Shri Yajna Datt Sharma : The Hon. Minister has not replied to my specific question regarding Ludhiana. Ludhiana is a big industrial centre.

Shri Sher Singh : We are going to set up a big automatic Exchange at Ludhiana. Equipments have already reached there and a building for the purpose has already been constructed. We will try to take immediate steps in this direction.

Shri Yajna Datt Sharma : How much time it will take ?

Shri Sher Singh : It is very difficult to tell the exact date ? But it will start functioning six months after equipment have reached there.

Shri G. C. Dixit : I want to know the number of applications for telephone connections pending, particularly on OYT basis in Madhya Pradesh.

Mr. Speaker : He has just told the position.

Shri Sher Singh : The Hon. Member was not present in the House at the time of a question regarding pending applications under own your Telephone Scheme in Madhya Pradesh. 4 applications are pending so far. Three of them in Raipur and one in Jabalpur.

Shri Shiv Charan Lal : This question is particularly related to me. I had written for a telephone connections many years back. No telephone connection has been given to the Post Offic Chawli in Chawli village in Agra, although the former Minister, Dr. Ram Subhag Singh and the present Minister had also given an assurance. But nothing has been done in this regard. Should I hope that this will be done without any further delay ?

Shri Sher Singh : The assurance which had been given will be fulfilled.

So far as the question of providing telephone connections to the Hon. members living in villages is concerned, there is a difficulty in providing long distance connection. There is a condition in the rule framed recently for providing telephone connection to the Hon. members on Government expense that where telephones are available, there is no provision for Government to bear expenses on providing telephone connections outside the local areas. If that is arranged then we can provide long distance connections also.

Shri Meetha Lal Meena : I want to draw the attention of the Hon. Minister to the area of Rajasthan situated between Bharatpur—Agra and Bhyana—Agra where copper-wires are stolen twenty days in a month. When this question is raised in the house for the attention of the Hon. Minister then he replies that arrangments are being made and the Police have been asked to be vigilant there. But still the same situation is there.

When telephone connections are provided then the big cities are always given priority in that regard and the connections are not provided in the villages and small towns, These small towns also must be considered by the Government.

Shri Sher Singh : Previously there was no demand for telephone connections from the villages. Now there are demands from villages also. Now the small towns and villages are being considered in this regard and we try to provide telephone connections there.

So far as the theft of copper wire is concerned, it is true that, they are being stolen almost daily though we warned the State Government to check thefts and used vigilance but inspite of that thefts have not been checked. We are now trying to replace copper-wire by aluminium-wire so that these thefts could not take place; and the work could continue properly.

श्री स० कुण्डू : तार तथा टेलीफोन सामग्री के संघटकों को बहुत बड़ी तादाद में विदेशों से आयात किया जाता है । चूंकि आयातित सामान ठीक समय पर नहीं पहुंच पाता है अत: टेलीफोन तथा टेलीफोन केन्द्रों को स्थापित करने में विलम्ब हो जाता है । क्या मंत्रालय के पास ऐसा

कोई निश्चित कार्यक्रम है जिसके अनुसार तार-टेलीफोन सामग्री के सभी संघटकों के क्षेत्र में आत्म-निर्भरता प्राप्त हो जाय ?

श्री शेर सिंह : हमारी कठिनाई यही है कि हमें थोड़ा कच्चा माल आयात करना पड़ता है जो हमारे देश में प्राप्य नहीं है । हम अधिक संघटक आयात नहीं करते हैं । केवल उन्हीं संघटकों को आयात करना पड़ता है जिन्हें यदि हमारे देश में निर्मित भी किया जाये तो आयातित संघटकों से अधिक कीमत के पड़ जाते हैं । अन्यथा हम साधारणतया कच्चा माल, तांबे के तार, निकल आदि ही आयात करते हैं । अब हमें विश्व बैंक और कनाडा बैंक से टेलीफोन का और अधिक सामान निर्मित करने के लिये तथा नये टेलीफोन केन्द्र प्रारम्भ करने के लिये ऋण मिल गया है । जितने सामान का हम उत्पादन कर सकते हैं उसका उत्पादन तो हो रहा है—हमारी कठिनाई तो कच्चे माल की है—संघटकों की कठिनाई नहीं है ।

Shri B. D. Deshmukh : Though the telephone facility in residential headquarters of the Hon. members have been provided to them, 80 per cent of members come from villages and there is not exchange facility in village. Will the Government consider to give them priority for telephone exchanges ?

Shri Sher Singh : This department is ready to provide exchange-service to them but if any arrangement can be made for the extra service-charges which will be incurred while providing connections to the places which are at some distance from the telephone exchanges then we have no objection.

Shri Deorao Patil : What is meant by the distant ?

Shri Sher Singh : The distance upto five kilometer is within the local exchange area. The area which is beyond this limit is a distant area.

Shri Yogendra Sharma : The Hon—Minister has just said that the members of Parliament have been facilitated with the telephone connection in their respective constituencies and telephone connections have been given accordingly, provided that the telephone connections have been installed near their constituencies. Does the Hon. Minister know that I submitted an application for telephone connection for office in my constituency ? Telephone connections have been installed just at one or one and a half furlong away from my office but no telephone connection is being provided in my office and lame excuses are made and it seems.....

Mr. Speaker : You may give in writing about individual case. Why do you place individual case here?

Mr. Yogendra Sharma : Though the Hon.—Minister belongs to Bihar, that State has been left in the dark. The average number of telephone on All-India basis is the lowest in Bihar. Will the Government make any special effort so that Bihar can have the average number of telephones ?

The Minister of Information and Broadcasting and Communication (Shri Satya Narayan Sinha) : Efforts are being made for each and every backward area and not especially for Bihar. We wonder that telephone connection has not been provided in your office. If you give me in writing about this, that would be looked into.

Shri Prem Chand Verma : The Hon. Minister has said that there is a list of 4.4 lakh people io whom telephone connections have not been provided. How many persons come from rural areas and how many from urban areas out of this list of 4.4 lakh people ? When

the connections will be given, they will not be given to the people of rural areas because there is a majority of the people of urban areas and the Government allots a high percentage of connections to the people of urban areas and the people of rural areas are deprived of the connections.

Do the Government propose to implement any such scheme of installing P. C. Os. within the area of five kilometers so that the people of rural areas who are 80 per cent of the total population can get the facility ? If there is any such scheme what are its details ? If there is no scheme will the Government consider over it?

Shri Sher Singh : The number of the people of villages will definitely be less than the number of the urban people in the waiting list of 4.4 lakh people because the demand is mostly from the cities. The village farmers have now been demanding telephone connections and we have given such facilities, at certain places. We are trying to give more telephones in villages. As soon as the demand increases we will try to give more telephones.

There is no such scheme, at present, of installing P. C. Os., everywhere within the area of five kilometers, as has been asked by the Hon. Member.

श्री मु० न० नाघनूर : यह गर्व की बात है कि तकनीकी क्षेत्र में हम आत्म-निर्भर हैं तथा देश की मांग को पूरा करने के लिये कोई बड़ा उत्पादन नहीं करना चाहते हैं। टेलीफोन सामग्री की लगभग कमी है। अतः सरकार को कुछ सक्रिय कदम उठाने चाहियें। टेलीफोन उत्पादन में बंगलौर उद्योग ने बड़ा अच्छा कार्य कर दिखाया है। यदि आवश्यक हो तो देश की मांग को पूरा करने के लिये क्या सरकार गैर-सरकारी उद्योगों के सहयोग से और अधिक सामग्री का उत्पादन नहीं करनी चाहिये ?

श्री शेर सिंह : विदेशी मुद्रा की कमी के कारण ही और अधिक सामग्री का उत्पादन नहीं किया जा सकता है। हमें कच्चा माल आयात करना पड़ता है। टेलीफोन उद्योग से जितना उत्पादन होता है उसकी कीमत का लगभग 20 प्रतिशत भाग विदेशी मुद्रा में होता है। जब तक हम इस उद्योग को गैर-सरकारी क्षेत्र को नहीं सौंप देंगे तब तक यह कठिनाई रहेगी। उत्पादन कम होने का कारण कारखाने की क्षमता की कमी नहीं है। हमारी कठिनाई विदेशों से कच्चा माल प्राप्त करने के संसाधनों की कमी की है।

श्री जी० एस० रेड्डी : टेलीफोन सामग्री की कमी को ध्यान में रखते हुये, बंगलौर स्थित कारखाने के अतिरिक्त क्या कोई दूसरा कारखाना खोले जाने की योजना है ?

श्री शेर सिंह : जी हां। हम नैनी में एक कारखाना बनाने जा रहे हैं जिसके लिए वित्तीय स्वीकृति संबंधी प्रशासनिक अनुमोदन मिल गया है। हमारा अन्य यंत्रों का कारखाना खोलने का भी विचार है। इस प्रकार हमारा दो और कारखाने खोलने का विचार है।

श्री हेम बरुआ : चूंकि टेलीफोन कुछ लोगों के सम्मान का द्योतक बन गया है तथा कुछ लोगों की आवश्यकता की वस्तु है तो क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि लोगों को जो टेलीफोन वितरित किये जाते हैं उसमें बहुत बड़ा आर्थिक भ्रष्टाचार होता है; और यदि हां, तो इस भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री शेर सिंह : टेलीफोन तो अब आवश्यक वस्तु बन गया है—सम्मान का द्योतक तो नहीं रहा.....

श्री हेम बरुआ : कुछ लोगों के लिये तो यह सम्मान का ही द्योतक है जब कि कुछ लोगों के लिये यह आवश्यकता की वस्तु है । मैंने इतना ही कहा है ।

श्री शेर सिंह : अब यह सम्मान का द्योतक होना तो बन्द हो गया है । यह तो आवश्यकता की वस्तु ही हो गयी है । यदि माननीय सदस्य के पास किसी भ्रष्टाचार के कोई उदाहरण हैं तो वह मुझे सूचित करें । उसकी जांच की जायेगी ।

श्री सत्य नारायण सिंह : माननीय सदस्य को यह मालूम होना चाहिये कि टेलीफोन का वितरण टेलीफोन परामर्श समिति करती है । छोटे जिलों में भी कार्यरूप में टेलीफोन परामर्श समितियां बनाई हुई हैं । टेलीफोन के वितरण का काम उन्हीं का है ।

श्री हेम बरुआ : ये समितियां कार्य नहीं करती हैं । कार्यालयों में पदों पर पदासीन नौकरशाह टेलीफोन वितरण का फैसला करते हैं ।

Shri Randhir Singh : The Hon. Minister and the Hon. Deputy Minister are farmers, but inspite of there being farmers, out of 4.5 lakh villages they talk of providing telephones in only those villages which are having a population of ten thousand.

Will the Government give some relaxation in the matter of installation of P. C. Os while they propose to instal one P. C. O. for a population of five thousand ? Do they propose to allot P. C. Os. for a population of one thousand because big farmers, officers, M.A., B. T. persons live there among those one thousand persons ? If they strictly propose to allot P. C. Os. on the basis of population, will they consider villages having a population of five thousand as one unit and allot one P. C. O. for each such village. When they never impose any such bar on urban area, why do they impose it on rural area ?

Shri Sher Singh : The demand for telephones in the villages is increasing but if a telephone is installed in a very small village, it brings loss to the Government. We have to face difficulty with such an installation. Unless we find any way of compensating the loss, we cannot undertake this work. But if the house decides it and allows us to provide telephones to people irrespective of any loss, we will do that. If the money can be arranged by the House, it can be done.

Shri Randhir Singh : The Hon. Minister is going to relax the limit of population of 5,000 or not ?

बम्बई, कोचीन, मद्रास, बिशाखापत्तनम और ट्यूटीकोरिन में मछली पकड़ने के पत्तन

*905. **श्री प० गोपालन** :
श्री विश्वनाथ मेनन :
श्री नम्बियार :
श्री अ० कु० गोपालन :
श्रीमती सुशीला गोपालन :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में मछली पकड़ने के कितने पत्तन हैं और उनके नाम क्या हैं ;

(ख) क्या सरकार ने बम्बई, कोचीन, मद्रास, बिशाखापत्तनम और ट्यूटीकोरिन में मछली पकड़ने के बड़े पत्तन बनाने की कोई ब्यौरेवार योजनाएं बनाई थीं ;

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) 30 बन्दरगाहों पर मत्स्य पोतों के लिए मूल सुविधाओं की व्यवस्था की गई है, जिनका ब्यौरा संलग्न सूची में दिया गया है ।

(ख), (ग) और (घ) विस्तृत योजनायें और अनुमान तैयार कर लिए गये हैं और बम्बई, मद्रास और तुतिकोरिन में मत्स्य बन्दरगाहों के लिये वित्तीय संस्वीकृति जारी कर दी गई है । कोचीन के लिये पोर्ट ट्रस्ट से योजनायें और अनुमान प्राप्त हो गये हैं और उन पर विचार किया जा रहा है । विशाखापत्तनम के सम्बन्ध में योजनायें और अनुमान तैयार किये जा रहे हैं । स्वीकृत बन्दरगाहों का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

		बम्बई	मद्रास	तुतिकोरिन
1.	बन्दरगाह निर्माण की लागत	453 लाख रुपये	389 लाख रुपये	210 लाख रुपये
2.	घाट की लम्बाई	800 मीटर	575 मीटर	824 मीटर
3.	ठहरने वाले पोतों की संख्या	14 मीटर से कम लम्बाई वाले 250 पोत तथा 15 से 37 मीटर तक की लम्बाई वाले 65 पोत ।	14 मीटर से कम लम्बाई वाले 500 पोत तथा 15 से 37 मीटर तक की लम्बाई वाले 50 पोत ।	15 मीटर से कम लम्बाई वाले 250 पोत तथा 15 और 37 मीटर तक की लम्बाई वाले 65 पोत ।
4.	पकड़ी जाने वाली मछलियों की अनुमानित अतिरिक्त मात्रा	40,000 मीटरी टन	40,000 मीटरी टन	22,500 मीटरी टन

सूची 1

उन बन्दरगाहों के नाम जहां मत्स्य पोतों के लिए मूल सुविधाओं की व्यवस्था की गई है

तमिलनाडु

1. कुडालौर
2. नागापट्टिनम्
3. रामेश्वरम्
4. मंडपम्

महाराष्ट्र

1. बोरली मनोले
2. मंडगांव
3. मुराद
4. अमाला
5. अद्यूत्तमहन
6. समून डौक

गजरात

1. वेरावल
2. नवबन्दर
3. जफराबाद
4. उम्बरगांव
5. पोरबन्दर
6. कांडला

आन्ध्र प्रदेश

1. काकिनाडा
2. विशाखापत्तनम

मैसूर

1. कारवार
2. कुन्डापुर
3. होन्नावर
4. भटकल
5. कोगल हिनि
6. टाडरी
7 मंगलौर

केरल

1. बालिपत्तनम्
2. कैनानूर
3. बेपोर
4. पोन्नानी
5. विजिनगांव

श्री प० गोपालन : अन्य मामलों की तरह केरल के मछली पकड़ने के पत्तनों के विकास के सम्बन्ध में भी उपेक्षा की गई है । मंत्री महोदय ने विवरण में इस बात का उल्लेख किया है कि मद्रास, बम्बई और तूतीकोरिन में मछली पकड़ने के पत्तनों के लिये व्यौरेवार योजना तैयार कर ली गई है तथा उनके लिये वित्तीय सहायता मंजूर कर ली गई है । विशाखापत्तनम के सम्बन्ध में योजनाएं और अनुमान तैयार किये जा रहे हैं तथा कोचीन के मछली पकड़ने के पत्तन के सम्बन्ध में पत्तन-न्यास से योजनाएं और अनुमान प्राप्त हो गये हैं तथा उन पर विचार किया जा रहा है ।

मैं नहीं समझता कि कोचीन के मछली पकड़ने के पत्तन के लिए वित्त की मंजूरी न देने के क्या कारण हैं तथा इस सम्बन्ध में क्यों देरी की जा रही है। क्या यह सच है कि केरल सरकार ने मछली पालन केन्द्रों के विकास के लिये 20 वर्ष की अवधि के लिये एक बृहद् योजना (मास्टर प्लान) बनाई है जिसे चरणवार पूरा किया जाना है तथा जिस पर 300 करोड रुपये लगाने हैं ? क्या सरकार ने इस योजना पर विचार किया है तथा क्या सरकार इस योजना से सहमत है ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : माननीय सदस्य का यह कहना सच नहीं है कि मछली पालन केन्द्रों और मछली पालन पत्तनों के विकास के सम्बन्ध में केरल की उपेक्षा की गई है। वास्तव में, यदि विभिन्न क्षेत्रों को दी गई धनराशि के आंकड़ों को देखा जाय तो ज्ञात होगा कि केरल को बहुत अधिक धनराशि प्राप्त हुई है। यह प्रसन्नता की बात है कि मछली पालन केन्द्रों के विकास के सम्बन्ध में केरल अच्छी रुचि ले रहा है तथा निर्यात में भी उसका बड़ा योगदान है।

जहां तक कोचीन पत्तन का सम्बध है, पत्तन न्यास के अधिकारियों ने योजना तथा अनुमान तैयार किये हैं। फरवरी, 1970 में भी योजना तथा अनुमान प्रस्तुत किये हैं तथा उन पर परिवहन मंत्रालय की सलाह से विचार किया जा रहा है।

केरल के मछली पालन केन्द्रों के विकास के लिये बृहद् योजना के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि मैंने स्वयं केरल के मछली पालन केन्द्रों के मंत्री को पत्र लिखा था कि साधन जुटाने होंगे और कि राज्य की ओर से तथा गैर सरकारी क्षेत्र की ओर से कितना धन लगाना है। मोटे रूप से मेरा निवेदन है कि हम केरल के मछली पालन केन्द्रों के विकास के लिये प्रयत्न करेंगे।

श्री प० गोपालन : केरल का तटीय भाग देश के कुल तटीय भाग का 10वां हिस्सा है किन्तु वहां से कुल मात्रा की 40 प्रतिशत मछली पकड़ी जाती हैं। यह सच है कि देश से मछली के कुल निर्यात में केरल से 80 प्रतिशत मछली का निर्यात किया जाता है। अत: केरल में बढ़ते हुए मछली उद्योग को ध्यान में रखकर क्या केरल सरकार ने केन्द्र सरकार के समक्ष कोई योजना रखी थी जिसमें कुछ छोटे पत्तनों के विकास के लिये तथा वर्थ और जहाजों को खड़े करने की सुविधाओं का उल्लेख किया गया है जिससे कि इन कार्यों को चौथी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कर दिया जाये तथा केरल में इस उद्योग का विकास किया जा सके ? क्या ये बातें चौथी योजना में सम्मिलित की जायेंगी ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : जहां तक छोटे पत्तनों के विकास का सम्बन्ध है केरल सरकार ने इसके लिये कुछ योजनाएं प्रस्तुत की हैं तथा उनमें से कुछ योजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में देश के लिये चौथी योजना में 7.5 करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गई है किन्तु केरल की योजनाओं के सम्बन्ध में छोटे पत्तनों के विकास के लिये केरल सरकार हर कार्यवाही कर रही है।

श्री को० सूर्यनारायण : क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने काकीनाडा और विशाखापत्तनम के अतिरिक्त मछली पालन उद्योग के विकास के लिये कोई विस्तृत योजना भेजी है ? क्या मछली पकड़ने वाले जहाजों और जालों को खरीदने तथा इन्हें खरीदने के लिए वित्तीय सहायता देने के लिये कोई योजना बनाई गयी है; और यदि हां, तो कितने जहाज खरीदे गये हैं ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : यह प्रश्न मूल प्रश्न के अन्तर्गत नहीं आता है। राज्य सरकार इस

सम्बन्ध में कुछ भी कदम उठा सकती है। यदि राज्य सरकार को केन्द्र से कोई सहायता लेनी है तो सरकार इसे सहायता देने के लिये तैयार है।

श्री कमलनाथन् : क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि मद्रास और तूतीकोरन के दोनों पत्तन कब तक बनकर तैयार हो जायेंगे ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : तूतीकोरन के पत्तन का निर्माण वास्तव में प्रारम्भ हो गया है। गत वर्ष ही में 40 लाख रुपयों की मंजूरी दी गई थी तथा चालू वर्ष के लिये भी अतिरिक्त धन-राशि मंजूर की गई है।

जहां तक मद्रास पत्तन का सम्बन्ध है इसकी स्वीकृति नवम्बर, 1968 में दी गई थी। पत्तन व्यास अधिकारी निर्माण सम्बन्धी तथा अन्य विस्तृत योजना तैयार कर रहे हैं।

श्री जी० विश्वनाथन् : विवरण से पता चलता है कि केवल चार केन्द्रों पर मछली पकड़ने के जहाजों की मूल सुविधा प्रदान की गई है। इस बात को ध्यान में रखते हुये कि तमिलनाडु में 500 मील लम्बा तट है, क्या इस पर इन चार पत्तनों के अतिरिक्त अन्य अधिक केन्द्र स्थापित किये जायेंगे ? साथ ही क्या कुड्डालोर और नागापट्टिनम पत्तन पर गहरे पानी में से मछली पकड़ने का कार्य किया जायेगा ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : कुड्डालोर, नागापट्टिनम, रामेश्वरम् और मण्डायम, इन चार छोटे पत्तनों को भी छोटे पत्तनों के विकास के लिये सम्मिलित किया गया है। तूतीकोरन और मद्रास पत्तन वास्तव में बड़े पत्तन हैं जहां ट्रालरों के खड़े होने की सुविधाएं भी दी गई हैं।

श्री जी० विश्वनाथन् : क्या कुड्डलोर और नागापट्टिनम का गहरे पानी से मछली पकड़ने के लिये उपयोग किया जायगा ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मैं इसका उल्लेख कर चुका हूं।

श्री बेदव्रत बरुआ : मछलियों के भारी भण्डार का पता लगाने के लिये बहुत कम निधि नियत की गई है। अन्दमान का कहीं उल्लेख नहीं किया गया यद्यपि यह सम्भावना है कि भारत में वहां से सबसे अधिक मात्रा में मछली उपलब्ध हो सकती है। क्या गहरे समुद्र से मछली पकड़ने के लिये ट्रालर प्राप्त किये गये हैं अथवा किए जा रहे हैं ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : पोर्ट ब्लेयर की उपेक्षा नहीं की जा रही है। मछली पालन केन्द्रों के विकास के सम्बंध में हमें अन्दमान का पूरा ध्यान है। वर्तमान संकेतों के अनुसार पोर्ट ब्लेयर मछली पत्तन के विकास के लिये पर्याप्त गुंजायश है तथा इसका विकास किया जा रहा है। जहां तक पत्तन निर्माण सम्बंधी गतिविधियों का प्रश्न है वहां पर काफी प्रगति हुई है।

Shri Jharkhande Rai : May I know whether certain dogmatic Hindu organisations such as Hindu Mahasabha, Sanatan Dharma Sabha or Ram Rajya Parishad have protested against the way in which the development of fisheries is done at Bombay, Cochin, Madras, Vishakhapatnam, Tuticorin and at other such places ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं।

श्री स० कुण्डू : मंत्री महोदय ने विवरण में छः राज्यों के 30 मछली पत्तनों का उल्लेख

किया है। किन्तु उड़ीसा के समुद्र तट पर जिसकी लम्बाई 300 मील है एक भी मछली पकड़ने का पत्तन नहीं है। उड़ीसा से पड़ोसी राज्यों को तथा बाहर भी लगभग 10 लाख रुपयों के मूल्य की मछली का निर्यात किया जाता है। क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि वहां पर कोई मछली पत्तन क्यों नहीं बनाया गया है तथा क्या चौथी याजना में वहां कोई पत्तन बनाया जायेगा ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : उड़ीसा में पारादीप एक ऐसा महत्वपूर्ण स्थान है जहां मछली पकड़ने के उद्योग का विकास किया जा सकता है। इस समय यह बात सरकार के विचाराधीन है। इस सम्बन्ध में उड़ीसा के मुख्य मंत्री ने भी सरकार को पत्र लिखा है।

चौथी योजना के अन्तर्गत छोटे भू-स्वामियों तथा कृषि मजदूरों के लिये पैकेज कार्यक्रम

*907. **श्री रवि राय** : क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छोटे भू-स्वामियों तथा कृषि मजदूरों की कठिनाईयों पर काबू पाने के लिए योजना आयोग का विचार चौथी पंचवर्षीय योजना में पैकेज योजना आरम्भ करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) विस्तृत ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

Shri Rabi Say : The Hon. Minister did not reply to the question whether the Government are formulating a package plan for small land holders and agriculture labour. May I know whether the Government have written to the State Governments to implement the land reform law passed by the State Governments regarding the small land holders, and if so, the details thereof ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : सरकार के विचाराधीन दो महत्वपूर्ण योजनायें हैं। छोटे स्तर की कृषि के विभाग के लिये पहले हमने दो जिलों में कार्य आरम्भ करने के लिये सोचा था। किन्तु चूंकि इसका सम्बन्ध ग्रामीण क्षेत्रों के विकास से था तथा ग्रामीण क्षेत्रों के बहुत से छोटे किसानों से सम्बन्ध था अत: इस कार्य को बहुत महत्वपूर्ण समझा गया। अत: यह निर्णय किया गया कि इसमें देश के 40 जिलों को सम्मिलित किया जाये। योजना के अन्तर्गत लगभग 67.5 करोड़ रुपए खर्च करने की व्यवस्था की गई है जिससे छोटे किसानों का विकास करना है। इस योजना के अन्तर्गत लगभग 50,000 किसानों को सम्मिलित किया जाना है। किन्तु इसके पश्चात् यह समझा गया कि यह योजना भी अपर्याप्त रहेगी तथा जिन किसानों के पास 2.5 एकड़ भूमि से कम भूमि है तथा जो भूमिहीन मजदूर हैं उनको इससे कोई लाभ नहीं होगा। अत: सरकार और योजना आयोग ने सीमान्त कृषकों और भूमिहीन मजदूरों के लिये तैयार की गई इस योजना पर पर्याप्त विचार किया तथा उन्होंने अन्य 40 जिलों में लागू की जाने वाली एक नई योजना बनाई। ऐसे जिलों का चयन किया जायेगा जिसमें भूमिहीन मजदूरों तथा सीमान्त कृषकों की संख्या अधिक है। यह नई योजना तैयार की जा रही है तथा दोनों योजनाओं के अन्तर्गत देश का भारी क्षेत्र ले लिया जायेगा। लगभग 80 जिलों में ये योजनाएं

लागू होगी तथा सीमान्त कृषकों (छोटे किसानों) और भूमिहीन मजदूरों के विकास के लिये लगभग 45.5 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। यह व्यवस्था केवल कुछ सहायता के रूप में तथा जोखिम निधि के रूप में है तथा एक ढांचा खड़ा करने के लिये है। इस योजना के लिये शेष निधि संस्थागत संसाधनों से प्राप्त होगी तथा इन संस्थाओं से प्राप्त होने वाले संसाधनों की मात्रा इस सहायता से लगभग तीन या चार गुनी होगी।

Shri Rabi Ray : The Hon. Minister has stated that a programme for the small farmers is being implemented which will cover 40 districts. Another programme is also being implemented for the benefit of landless labourers of another 40 districts. May I know the nature of the criterion laid down by the Government for the package plan proposed to be undertaken in these districts ? May I know whether it is economic backwardness or the large number of landless labours of the particular districts which will be taken into account for selecting the districts in connection with the package plan ? I also want to know the names of the States to which these districts belong.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : यह स्वाभाविक है कि ऐसे जिलों का चयन राज्य सरकारों के परामर्श से किया जायेगा। यद्यपि राज्य सरकारों का इस सम्बन्ध में मोटे तौर पर मार्ग दर्शन किया गया है तथापि उनसे अभी और भी परामर्श करना है। जहां तक छोटे किसानों का सम्बन्ध है मैंने पहले जिस मूल योजना का उल्लेख किया था उसके अन्तर्गत 2.5 एकड़ भूमि वाले सामर्थ्यवान किसान आते हैं। किन्तु उनके पास इससे कम भूमि है उनके सम्बन्ध में इस बात को ध्यान में रखा जायेगा कि किसी क्षेत्र में उनकी बाहुलता है या नहीं। जब तक किसी क्षेत्र में बाजार की तथा अन्य बातों की सुविधा नहीं होगी, यह योजना वहां सुचारु रूप से नहीं चल सकती। अत: इस बात को ध्यान में रखा जायेगा। फिर भी यह प्रारम्भिक स्थिति की बात है। राज्य सरकारों से अभी विस्तृत विचार विमर्श किया जायेगा तथा उसके आधार पर, योजना आयोग के विचारों के आधार पर तथा व्यापक मार्गदर्शी सिद्धांतों के आधार पर ब्यौरा तैयार किया जायगा।

Shri Rabi Ray : May I know the time by which the State Governments would be consulted and the scheme would be implemented ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : आशा है इस योजना को इसी वर्ष कार्यान्वित कर दिया जायेगा, अत: एक या दो महीने के अन्दर ही राज्यों से परामर्श किया जायेगा।

Shri M. A. Khan : During the Third Five Year Plan the implementation of Package plan was started in certain districts and that was completed too. The plan was to be implemented in certain other districts. The papers relating to the package plan were completed in two districts, namely Banaras and Etah in Uttar Pradesh but due to certain reasons the plan could not be implemented there. It might be dropped because of decision pending with the World Bank. May I know whether the districts pertaining to which all requisite formalities were already completed and the decision was already taken by the concerned State Governements will now be taken up and included under this plan ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : इस नई योजना को आरम्भ करने का मुख्य कारण यह है कि देश में यह भावना उदय हुई थी कि विकास योजनाओं से केवल बड़े किसानों को ही लाभ हो रहा है। अत: यह सुझाव दिया गया था कि एक ऐसी योजना बनाई जाये जिससे छोटे किसानों तथा भूमिहीन कृषकों को भी लाभ हो। इस योजना का उद्देश्य यह है कि यदि किसी जिले में पैकेज कार्यक्रम लागू भी है किन्तु वहां छोटे किसानों और भूमिहीन मजदूरों की संख्या अधिक है तो उस क्षेत्र को भी इस

योजना के अन्तर्गत ले लिया जाये । किन्तु इस मामले में राज्य सरकारों को सिफारिश करनी होगी । जहां तक भी संभव हो उन जिलों को सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिये जो पहले ही लाभ उठा चुके हैं । वस्तुतः राज्य सरकारों को मुख्यतः यही दिशा-निर्देश दिए जाएंगे ।

Shri M. A. Khan : This has nothing to do with those districts which have already received benefit. I wish to know whether those districts for which the package plan had been prepared but was not for certain reason implemented will be given preference ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मैं पहले ही कह चुका हूं कि इस विषय में राज्य सरकारों से परामर्श किया जाए । हम किसी जिले के प्रति भेदभाव का दृष्टिकोण नहीं रखते हैं ।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं इस योजना की प्रशंसा करता हू । मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या चौथी योजना में भूमिहीन मजदूरों को भूमि देने के लिये कुछ निश्चित कदम उठाए गए हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल में संयुक्त मोर्चा सरकार के नेतृत्व में वास्तविक कृषकों को भूमि मिली है । केरल में यही कुछ हुआ है । आंध्र और उत्तर प्रदेश में भी भूमिहीन किसानों ने भूमि प्राप्त कर ली है । हमारा नारा यही है जो लोग भूमि को वास्तव में जोतते हैं, उन्हीं को भूमि मिलनी चाहिए । क्या चौथी योजना में ऐसा कोई प्रबन्ध किया गया है जिससे भूमिहीनों को भूमि मिल सके और यदि हां तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : माननीय सदस्य ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है और मैं इससे पूर्णतया सहमत हूं । किन्तु यह इस विशिष्ट प्रश्न के अन्तर्गत नहीं आता ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या इसे पैकेज योजना में सम्मिलित किया जायगा ? आप इसका उत्तर दीजिए **(व्यवधान)** इस पर वैधानिक और नैतिक रूप से कब्जा किया गया था ।

अध्यक्ष महोदय : कब्जा वैधानिक है अथवा नहीं, इनका प्रश्न इस प्रकार स्पष्ट हो जायगा ।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : वह इस योजना के अन्तर्गत नहीं आएगा । किन्तु हमने राज्य सरकारों को परामर्श दिया है कि जहां कहीं भी भूमि उपलब्ध है उसे भूमिहीन मजदूरों अथवा छोटे किसानों को दिया जाए और साथ ही भूमि सुधारों को प्रभावशाली ढंग से लागू करके भूमिहीन मजदूरों को भूमि उपलब्ध कराई जाए । यही हमारा मुख्य उद्देश्य है ।

Shri Yajna Datt Sharma : Will the Government accord priority to providing means such as tractors to small farmers on cooperative basis ? What is happening today is this that the big landlords got the tractors allotted in their names by exercising influence and establishing contacts with the authorities and distributing agencies. I want to know whether in such a situation Government proposes to make certain regulations for allotment of tractors to small farmers on priority basis so that their difficulties may be removed and they could make use of the new means ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : सामान्यतः छोटे किसान अपने धन से ट्रैक्टर खरीदने की स्थिति में नहीं होंगे । हमने राज्य सरकारों को कृषि औद्योगिक निगम बनाने का परामर्श दिया है । उन्हें व्यापार सेवा केन्द्र खोलने के लिए कहा जायगा जहां निगम के ट्रैक्टरों को किराये पर छोटे किसानों के लिये उपलब्ध कराया जायगा । मैंने राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों को परामर्श दिया है कि यदि वे छोटे किसानों अथवा किसानों के बड़े समुदाय के लिये व्यापार सेवा केन्द्र खोलना चाहते हैं तो उन्हें आवंटन में वरीयता दी जायगी ।

Shri Deorao Patil : Is it a fact that among the rural families 32 per cent are those of small farmers and 24 percent are those of agricultural labourers. I wish to know the number of such persons and how many five year plans will have to be implemented to bring these people under this scheme ?

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न को अधिक बढ़ाये जा रहे हैं ।

श्री मनुभाई पटेल : चौथी योजना की इस पैकेज योजना में कुछ चुने हुये जिलों में बारानी खेती और पशु पालन पर विशेष बल दिया जा रहा है । क्या मैं जान सकता हूं कि इसमें भूमिदारों द्वारा श्री विनोबा भावे को दान की गई भूमि का कुछ क्षेत्र भी चुना गया है जहां यह योजना सरलता से लागू की जा सकती है ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : बारानी खेती के विकास का कार्यक्रम इसके अन्तर्गत नहीं आता । वह एक अलग योजना है । किन्तु जहां तक माननीय सदस्य के सुझाव का सम्बन्ध है राज्य सरकारें इस पर विचार कर सकती हैं और हमें ऐसे विशिष्ट क्षेत्रों के लिये प्रस्ताव भेज सकती हैं जो इस योजना के अन्तर्गत लिए जा सकते हैं ।

श्री त्रिदिन कुमार चौधरी : क्या मैं जान सकता हूं कि कुछ समय पहले केन्द्रीय खाद्य और कृषि मंत्रालय द्वारा पहले से बनाए गए कुछ कार्यक्रमों के अतिरिक्त कोई विशिष्ट पैकेज योजना बनाई गई थी जिससे कि छोटे किसानों को लाभ पहुंचता । इस सम्मेलन में विशेषता इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अभी तक पैकेज जिलों का लाभ अधिकांशतः बड़े किसानों को ही पहुंचा है, इस समस्या पर चर्चा हुई थी । ऐसे छोटे किसानों के लिए जिनके पास अलाभकर भूमि है क्या उर्वरक, ऋण अथवा ऐसी ही अन्य प्रकार की सहायता सम्बन्धी कोई निश्चित पैकेज योजना है ? क्या कोई ऐसी योजना बनाई गई है ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : इस योजना में माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए कुछ प्रश्नों पर विचार किया गया है । इस योजना के अन्तर्गत छोटे किसानों, अलाभकारी खेती वाले किसानों और भूमिहीन किसानों के सर्वांग विकास की आशा है । साथ ही मंडी की सुविधा दिलाने किसानों के लिए ऋण जुटाने, अलाभकारी किसानों द्वारा सूखते हुए छोटे कुओं पर किए गये निष्फल व्यय पर सहायता देने तथा पशु-पालन की सभी आवश्यक व्यवस्था कर दी गई है । इस योजना का उद्देश्य ही यही है । राज्य स्तर पर साधनों का अभाव किसी भी प्रकार से इसमें कठिनाई उत्पन्न नहीं करेगा । इस योजना की व्यवस्था राज्य सरकारों की अपनी योजना से पृथक है और इसमें माननीय सदस्य द्वारा उठाई गई बातें समाविष्ट हो जाती हैं ।

श्री रा० ने० भण्डारे : माननीय मंत्री द्वारा जिस प्रकार योजना की महत्ता पर प्रकाश डाला गया है वह सराहनीय है और यह एक अच्छा सुझाव है किन्तु क्या वह कृपया सदन को यह बतलाएंगे कि इस पैकेज योजना द्वारा कितने प्रतिशत भूमिहीन किसानों और अलाभकारी खेती वाले किसानों को लाभ पहुंचेगा ।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : छोटे किसानों की विकास योजना के अन्तर्गत प्रत्येक जिले में लगभग 50,000 किसानों को लाभ पहुंचेगा । जहां तक अलाभकारी खेती वाले किसानों और भूमिहीन

किसानों की दूसरी योजना का सम्बन्ध है प्रत्येक जिले के लगभग 20,000 परिवारों को लाभ पहुंचने की आशा है।

Shri Sarjoo Pandey : Keeping in view the speed with which this work is going on, it will take hundreds of years to complete the plan. Because of it there is unrest in the country. May I know whether the Government will implement in the fourth Five Year Plan the land reforms in a revolutionary way so that landless labourers may also get land ?

अध्यक्ष महोदय : यही प्रश्न श्री बनर्जी ने भी किया था। आप उसे दोहरा रहे हैं। श्री गोपालन आप कृपया संक्षिप्त रूप में पूछें क्योंकि समय कम है।

श्री प० गोपालन : महोदय, माननीय मंत्री भूमिहीन कृषकों के लिए बनाई गई पैकेज योजना के सम्बन्ध में जोरदार ढंग से बोल रहे हैं। वस्तुत: देश में, विशेषत: मेरे राज्य में जो हो रहा है, वह यह है कि भूमिहीन मजदूरों को जो जंगल की भूमि और बंजर भूमि पर बैठे हैं उन्हें वहां से हटाया जा रहा है। कल ही एक आदिवासी महिला की जो बम्बई में जंगल की भूमि से हटाए जाने के विरोध में सत्याग्रह कर रही थी, मृत्यु हुई है। क्या सरकार इस बात का ध्यान रखेगी कि राज्य सरकारों को इस बात के स्पष्ट निर्देश दिए जाएं कि कोई भी आदिवासी लोग उस जंगल की भूमि अथवा किसी अन्य भूमि से नहीं हटाए जायें जहां वे लम्बे समय से रह रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह संगत नहीं है।

संचार उपग्रहों से सम्पर्क बनाने हेतु प्रयोग के लिये भूमि पर नये केन्द्रों की स्थापना

*909. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संचार उपग्रहों से सम्पर्क बनाने हेतु भूमि पर नये केन्द्र बनाने की सरकार की कोई योजनाएं हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन केन्द्रों को किस प्रकार स्थापित किया जायेगा तथा इन पर कितनी लागत आयेगी ; और

(ग) उपग्रह छोड़ने वाले देश को कुछ किराया दिया जायेगा ?

सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क), (ख) और (ग) अपेक्षित सूचना प्रदान करने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) जी हां। पूना के निकट आर्वी में स्थापित हो रहे उपग्रह संचार भूमि केन्द्र के अति-

रिक्त चौथे पंचवर्षीय आयोजन की अवधि में उत्तरी क्षेत्र में एक और भूमि-केन्द्र स्थापित करने का एक प्रस्ताव है ।

(ख) आर्वी स्थित भूमि-केन्द्र के निर्माण का कार्य अणु-ऊर्जा विभाग को सौंपा गया है जो पूरा होने के बाद विदेश संचार सेवा द्वारा परिचालित होगा । इसकी कुल लागत 786 लाख रुपये रहने का अनुमान है । दूसरे प्रस्तावित भूमि-केन्द्र के ठीक स्थान, लागत और उसे पूरा करने के ढंग के विषय में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

(ग) संचार उपग्रहों का स्वामित्व भारत सहित 75 सदस्य देशों वाले "अन्तर्राष्ट्रीय दूर-संचार उपग्रह संघ" (इण्टर नेशनल टेलीकम्यूनिकेशन्स सेटेलाइट कन्सोर्टियम) का है तथा किसी देश को कोई किराया नहीं दिया जाना है । अलबत्ता, सदस्य-देश अपने अंशों के अनुपात से इस संघ के व्यय में अंशदान देते हैं ।

श्री सु० कु० तापड़िया : क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आर्वी में स्थापित हो रहे उपग्रह संचार भूमि केन्द्र से हमें टेलिविजन सेवाओं के विस्तार, अधिक दूरी पर टेलीफोन करने तार शीघ्र तथा भेजने में क्या लाभ होगा ?

श्री शेर सिंह : आर्वी भूमि केन्द्र, विदेश संचार भवन से, जो कि आंतरिक प्रणाली तथा अन्य देशों से जिसमें विश्व का तीसरे भाग से अधिक आ जाएगा, सम्बन्धित होगा । हिन्द महासागर पर स्थापित यह उपग्रह विश्व के केवल 35 प्रतिशत भाग को ही दिखेगा । इसका प्रयोग टेलिफोन, टेलेक्स और टेलिविजन के लिए किया जाएगा ।

अल्प-सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTION

दिल्ली के बड़े डाकघर से जाली पोस्ट कार्ड, लिफाफों आदि की बिक्री

+

16. **श्रीमती इला पाल चौधरी** :
श्री वेणी शंकर शर्मा :
श्री मीठा लाल मीना :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :
श्री ओम प्रकाश त्यागी :

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कश्मीरी गेट स्थित दिल्ली के बड़े डाकघर में जाली पोस्ट कार्ड, लिफाफों आदि की कथित बिक्री की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि दिल्ली में डाक विभाग के प्राधिकारियों द्वारा दिल्ली स्थित एक

गैर-सरकारी आफ सैट प्रेस में पोस्ट कार्ड, लिफाफे आदि मुद्रित कराने के समाचार प्राप्त हुए हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि दिल्ली पुलिस ने जाली पोस्ट कार्ड तथा लिफाफों आदि को मुद्रित करने वाले एक अन्तर्राज्यीय गिरोह का पता लगाया है ;

(घ) यदि हां, तो जाली पोस्ट कार्ड, लिफाफों आदि की बिक्री और दिल्ली की एक गैर-सरकारी फर्म द्वारा पोस्ट कार्ड, लिफाफों आदि के मुद्रण को रोकने के लिये तथा दिल्ली में निष्क्रिय डाक प्राधिकारियों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ङ) जाली पोस्ट-कार्ड लिफाफों आदि की बिक्री के परिणामस्वरूप डाक-तार विभाग को अनुमानतः कितनी हानि हुई ?

सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : (क) जी हां । यह देखने में आया है कि जाली पोस्टकार्ड चल रहे हैं । लेकिन यह मालूम नहीं हुआ कि ये कश्मीरी गेट स्थित दिल्ली के बड़े डाकघर या किसी अन्य डाकघर द्वारा बेचे गए हैं ।

(ख) कमी को पूरा करने के लिए विभाग कभी-कभी देश में कुछ प्रेसों में, जिनमें दिल्ली का एक प्रेस भी शामिल है, कोरे अन्तर्देशीय पत्र-कार्ड (बिना डाक टिकट के छापे के) छपवाता है ।

(ग) दिल्ली पुलिस ने उत्तर प्रदेश के अमरोहा डाकघर के अतिरिक्त विभागीय डाक-टिकट विक्रेता की शिकायत पर मामला दर्ज किया है और डाक कर्मचारी द्वारा दी गई सूचना के आधार पर छानबीन कर रही है ।

(ग) निदेशक, डाक-सेवा, दिल्ली ने सभी डाकघरों को हिदायतें जारी कर दी है कि अपनी डाक स्टेशनरी के स्टाक की ध्यानपूर्वक जांच कर लें और जाली वस्तुओं का ध्यान रखें । इसी तरह की हिदायतें सभी सर्कलों को जारी कर दी गई हैं । दिल्ली पुलिस से रिपोर्ट प्राप्त होने पर इस प्रश्न पर सभी पहलुओं से विचार किया जाएगा । फिर भी यह उल्लेखनीय है कि डाक-तार निर्देशिका में दिये गए मौजूदा अनुदेशों के अनुसार लोग व्यक्तिगत रूप से भी कोरे अन्तर्देशीय पत्र-कार्ड फार्म और कोरे पोस्टकार्ड छपवा कर उन पर आवश्यक डाक-टिकट चिपका कर उन्हें डाक से भेज सकते हैं । इसलिए अन्तर्देशीय पत्र-कार्डों की कमी पूरी करने के लिए कोरे अन्तर्देशीय पत्र-कार्ड फार्म गैर-सरकारी प्रेसों से छपवाने में विभाग ने कोई गलती नहीं की थी । अब तक उपलब्ध सूचना के अनुसार जाली पोस्टकार्ड डाकघरों के जरिये नहीं बेचे गए हैं ।

(ङ) अब तक उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अनुमान है कि विभाग को लगभग 18,350 रुपये की हानि हुई है ।

श्रीमती इला पाल चौधरी : क्या यह सच है कि पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर छापा मारकर 8000 जाली पोस्टकार्ड पकड़े हैं और क्या यह भी सच है कि डाक तार विभाग के सतर्कता अनुभाग को इन जाली पोस्टकार्डों के बारे में पहले से ही जानकारी थी परन्तु पता होते हुए भी पिछले 9 महीनों तक इस विषय में कोई कार्रवाई नहीं की गई । कुछ डाकखानों में पोस्टकार्ड और अन्त-

देशीय पत्रों की सप्लाई रुकी हुई है और वहां ऐसे पत्र पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं। इसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ? नासिक प्रेस अधिक डाक सामग्री छाप सकता है। अपराध शाखा का कहना है कि यदि आप गैर-सरकारी प्रेसों को पोस्टकार्ड और अन्तर्देशीय पत्र छापने की अनुमति देते हैं तो उनके लिए जाली टिकट बना लेना भी कोई कठिन नहीं। जाली पोस्टकार्ड इस खूबी से बनाए गए हैं कि पहचाने नहीं जाते। सरकार इस विषय में क्या सतर्कता बरतेगी ?

श्री सत्यनारायण सिंह : पुलिस ने छापे मारकर 7000 नहीं अपितु 11,500 जाली पोस्टकार्ड पकड़े हैं और जब टिकट बेचने वाले को यह विश्वास हो गया कि ये जाली पोस्टकार्ड हैं तो उसने विभाग के प्राधिकारी को इसकी सूचना दी और साथ ही पुलिस को भी इतला दे दी गई और पुलिस ने जांच आरम्भ कर दी। 9 महीनों का तो यहां कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

जाली पोस्टकार्ड मैं सदन के सम्मुख प्रस्तुत कर सकता हूं। असली और नकली में भेद कर पाना वस्तुतः अत्यन्त कठिन है। मेरे मित्रों ने तो मजाक में यहां तक कह दिया है कि इतनी उत्तम छपाई के लिए पद्म श्री या पद्म भूषण की उपाधि दी जानी चाहिए। वस्तुतः इसमें कोई सन्देह भी नहीं। यहां तक कि नासिक प्रेस वाले भी पहले असली और नकली पोस्टकार्ड में भेद नहीं कर पाए। जब दुबारा उन्हें अधिक संख्या में कार्ड भेजे गए तब कहीं वह दोनों में भेद कर पाने में समर्थ हुए।

जहां तक अन्तर्देशीय पत्रों का सम्बन्ध है कोई भी प्राइवेट फार्म ऐसे पत्र छपा सकती है किन्तु डाक में भेजने से पूर्व उस पर डाक टिकट अवश्य लगानी पड़ती है। ऐसे अपने नाम के छपाए लिफाफों तथा अन्तर्देशीय पत्रों का देश के लगभग 90 प्रतिशत भद्रजन प्रयोग करते हैं। बिना टिकटों के अन्तर्देशीय पत्र छापने की अनुमति हम स्टाक कम पड़ जाने की अवस्था में कभी-कभी दे देते हैं।

श्रीमती इला पाल चौधरी : मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में बताया कि वह बिना टिकटों के अन्तर्देशीय पत्र तथा लिफाफे छापने की अनुमति प्रायः देते रहे हैं किन्तु यह जाली पोस्टकार्ड जो पकड़े गए हैं वह जाली डाक टिकट सहित पकड़े गए हैं नाकि बिना टिकट के।

श्री सत्यनारायण सिंह : इसलिए यह अपराध है और इसकी जांच की जा रही है और इस सम्बन्ध में आठ-नौ व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

Shri Meetha Lal Meena : Are there some postal employees also among the persons arrested ? It is said that there has been no raid on post offices and that only private printing presses have been raided. Had you raided the post offices you would have found such material there as well, as postal employees are also involved in it. You can take action in cities but what will happen to the innocent people in villages? What precautions are you taking to avoid such things ?

Shri Satya Narayan Sinha : There is no postal employee among those who have been arrested and these things have been recovered from their houses. As for the villages, we have advised the circle officers to inform their subordinates that such post cards are in circulation and that they should be vigilant and should make proper checking.

Shri Om Prakash Tyagi : The report of that branch of C.B. I. which has detected this has appeared in yesterday's issue of the Indian Express, but I am sorry to say that the Hon. Minister has not read it yet. He says that only 600 forged post cards have been recovered

while according to the statement of those who have been arrested, two lakh seventy five thousand forged post cards have been sold. I also want to know whether it has been mentioned in the C. B. I. report that after they had raided Sadar Bazar on 28th and had recovered forged post-cards, the postal authorities admitted that they had come to know of it earlier but they informed the police only after the C. B. I. arrested the culprits.

The Hon'ble Minister has stated that no such post card was sold by the post office but I want to point out that such post cards have been sold through the Government agencies who are paid commission at the rate of 1½ per cent.

I have to ask two questions, firstly, do the Government propose to suspend or dismiss those postal officials who did not give timely information to the police even when they had come to know of it and the Government propose to put an end to this commission agency system through whom this fraud has taken place and the government have suffered loss off lakhs of rupees ?

Shri Satya Narayan Sinha : I am unable to say anything about putting an end to this agency system but as I have stated police investigation has revealed that one lakh and ninety five thousand forged post cards were printed and about 11,500 cards could not be sold but there is no report as to the collusion, of our officials. If there is any information about their collusion, action will be taken.

Shri Om Prakash Tyagi : What has he to say about putting an end to the agency system ?

Shri Satya Narayan Sinha : There will be lot of difficulty if the agency system is abolished. Decision can be taken only after due consideration. Those commission agencies who have sold forged post cards will be dismissed after investigation, which is still being conducted by the police.

We shall consider what arrangements have to be made to stop this racket only after a detailed report is received from the police.

Shri Beni Shankar Sharma : May I know whether the paper of the forged post-cards is almost of the same quality as that of the genuine one. Do the government get post card paper from a particular factory or is it that these people get paper of the same quality from private factories ? The other thing I want to know is whether forged inland letters have also been recovered?

Shri Satya Narayan Sinha : So far as inland letters are concerned, any private individual can get blank inland letters printed but they must affix a stamp before posting. So far as the post cards are concerned both types are before me and there is difference between the quality of paper. If you look at each one separately you will not be able to find the difference. If you place them side by side you will find that the paper of one is thicker than the other.

Mr. Speaker : Please place both cards in the library so that members could see them.

Shri Yashwant Singh Kushwaha : Is it a fact that from top to bottom officials had a fixed share in this racket and the racket came to light only because disputes in sharing the booty ? Will the Hon. Minister hand over the case to C. B. I. to find out since how long the government is being duped ? What measures government proposes to adopt to avoid the recurrence of such things ?

Shri Satya Narayan Sinha : It is impossible to stop the evil altogether but efforts have always been made to adopt measures to stop such things.....(interruptions).

Shri Ram Sevak Yadav : Sir, I have to raise a point of order. If Hon. Minister

has taken it for granted that such thing can never be stopped then what is the fun in holding the portfolio ?

Shri Satya Narayan Sinha : I have pointed out the practical aspect of the matter. No government has been able to stop crime altogether.

Shri Rabi Ray : Sir, I have an objection. When he has no desire to check this racket how can this evil be eradicated ?

Mr. Speaker : You must appreciate his frankness. If he says that he will stop it for ever you will not believe and if says that it is impossible to stop it altogether, even then you are not satisfied.

Shri Satya Narayan Sinha : The fact is whatever we say you must raise hue and cry. The entire police force has been directed to trace out the culprits even if they be the government officials. On receipt of the police reports action will be taken against them.

Shri A. S. Saigal : May I know from the Hon. Minister as to what action is being taken against those who have been arrested in connection with the use of 1,95,000 forged post cards ?

Shri Satya Narayan Sinha : They have been arrested. The police have to prepare necessary reports and thereafter they will be prosecuted. Only nine persons have been arrested so far. It is possible that ten, twenty, twenty five other persons may also be arrested as the police is still investigating the matter.

Shri S. M. Banerjee : Mr. Speaker, Sir, first of all I wish to congratulate the Hon. Minister on his frank statement that the crime cannot be stopped for ever. Sir, my question is this. There is mixed economy in our country where both private sector and public sector exist. Since these post cards were found at a private press they were actually printing them and they were found responsible for that, why has this been given to a private press ? The contract given to a private press should be cancelled.

श्री सत्यनारायण सिंह : जाली पोस्टकार्ड बनाने की आज्ञा गैर-सरकारी क्षेत्र को नहीं दी गई । वे केवल बिना टिकट के खाली पोस्टकार्ड छपा सकते हैं । शायद यह भ्रांन्ति प्राईवेट प्रेसों को ऐसा आदेश देने के कारण उत्पन्न हो गई है ।

Shri Maharaj Singh Bharati : According to the department post card production is a losing business for the government. I wish to know when the private sector have sold such forged post cards in the market after having paid substantial bribe, will the government contact them and try to find out why their cost of production is less than then of the government.

Minister of state in the Ministry of Information and Broadcasting and Department of Communication (Shri Sher Singh) : The printing of post card does not cost much, but taking into account the cost of delivery etc. I said that there is loss, otherwise the cost price of post card is not much. The cost of production of post card is 3 paisa, but when this is added to the cost of delivery it results in loss to the Department. There is no loss in the cost price alone.

Shri Prem Chand Verma : Is it a fact that the press in which this stationery is printed is situated in Hauz Qazi area in Delhi and its partners are .....

Mr. Speaker : Please put a straight question why do you enter into argument?

Shri Prem Chand Verma : Has the owner or the partner of the press, in which this stationery was printed, been arrested? Has the block or the machinery been seized? Has the

design been recovered? Who is the person who has made it? Have you gone into such details?

Shri Sher Singh : We have gone into such details. The owner of the press and the design artist have been arrested. The names of eight persons who have been arrested are as follows :—

1. Shri Babu Lal Gupta,
2. Shri Parshotam Lal, Proprietor, Everest Press.
3. Shri Mohd. Yusuf, Proprietor, Sardar Printing Press.
4. Shri Zahir, Pressman, Naini Press.
5. Shri Abdul Azim, Design Artist.
6. Shri Sharafat Ali Quereshi of Amroha.
7. Shri Mangat Ram of Globe Press.
8. Shri Triloki Nath alias Bawe.

Shri Prakash Vir Shastri : Does the Hon. Minister know that a few days before pictures of forged postal stamps from Nagaland were published in the daily Hindustan and it was said in the said paper that these forged postal stamps which were in circulation of Nagaland were siezed while being sold in Connaught Place. He has said that it was the thickness in the paper that distinguished the genuine from the fake one. Will the Hon. Minister tell what measures are going to be adopted in case of postal stamps?

Shri Sher Singh : The postal stamps referred to by the Hon. Member were printed abroad. Some people have printed beautiful stamps in the name of Nagaland and have sold them. Some people have carried on business in such stamps and some stamps have been seized in our country. But those stamps have not been printed in our country. They are printed abroad and are largely sold outside India.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

मनीपुर प्रशासन द्वारा भारतीय खाद्य निगम को धान बेचना

*901. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर प्रशासन ने इस वर्ष भारतीय खाद्य निगम को धान बेचने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो कितना धान बेचा जायेगा तथा खाद्य निगम उसे किस दर पर खरीदेगा;

(ग) क्या मनीपुर प्रशासन भारतीय खाद्य निगम से प्रबन्ध कर रहा है जिससे भारतीय खाद्य निगम किसानों तथा भूमि मालिकों से, जो उचित मूल पर धान बेचना चाहते हैं, धान खरीदें ; और

(घ) यदि हां, तो क्या प्रबन्ध किया जा रहा है ?

खाद्य तथा कृषि और सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) मनीपुर प्रशासन ने भारतीय खाद्य निगम को स्थानीय रूप से वसूल किया गया 7000 टन धान देने का प्रस्ताव किया था । तथापि इस प्रशासन ने सिद्धान्त के रूप में धान का निर्यात करने का अपना पहला त्याग दिया है ।

(ग) और (घ) मनीपुर प्रशासन ने अगली फसल से धान की वसूली करने के लिये भारतीय खाद्य निगम को कहा है। भारतीय खाद्य निगम इस बारे में विचार कर रहा है।

Applications for Telephone Connections Under "Own Your Telephone" Pending in M. P.

* 902. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the number of applications under "Own Your Telephone" Scheme pending in Madhya Pradesh;

(b) the period for which these applications have been pending; and

(c) the time by which the applicants are likely to be given the telephone connections and the action being taken to expedite the work in this regard?

Minister of Information and Broadcasting and Communications (Shri Satya Narayan Sinha) : (a) Four as on 31 . 3 . 70.

(b) The earliest pending application is dated 16 . 1 . 68.

(c) These are long distance connections and could not be provided due to non-availability of essential stores which are in short supply. The connections are likely to be provided within next six months.

Correspondence with Members of Parliament

*906. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) The number of letters received from Members of Parliament from 1st January, 1969 to 28th February, 1970 and the points raised in them;

(b) The number of letters out of them finally replied to and the time taken in sending the said replies;

(c) The reasons for not sending any replies to the remaining letters and whether the Ministry is aware of the orders of the Prime Minister in this regard;

(d) Whether the replies to the letters from the Members of Parliament are delayed unnecessarily so that the points raised in the said letters lose their importance with the prssage of time;

(e) if not the approximate number of days taken in sending the said final replies; and

(f) Whether it is a fact that some points raised in the said letters were not replied to, if so, the reasons therefor ?

Minister of Labour & Rehabilitation (Shri D. Sanjivayya) : (a) to (f) The required information is being collected and will be laid on the Table of the House.

तीन योजनाओं के अन्तर्गत रोजगार की योजनाएं

*908. **श्री शशि भूषण :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय क्षेत्र में रोजगार की व्यवस्था करने के लिये प्रशिक्षण तथा रोजगार दफ्तरों के अतिरिक्त, तीन योजनाओं के अन्तर्गत जो योजनाएं सम्मिलित की गई हैं, वे सामान्यत: किस प्रकार की हैं और उसमें अब तक कितनी राशि खर्च की गई है; और

(ख) श्रम नीति के निर्धारण में वे योजनाएं किस प्रकार वास्तविक अर्थों में लाभप्रद सिद्ध हुई हैं ?

श्रम एवं पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) केन्द्रीय क्षेत्र में सम्मिलित विकास के सभी कार्यक्रमों द्वारा नियुक्ति अवसर जुटाये गए थे । पिछली तीन योजनाओं के दौरान इस क्षेत्र के खर्च का एक बड़ा भाग उद्योग व खान, परिवहन व संचार और सामाजिक सेवाओं का था । विनियोग का ब्यौरा संबंधित योजना प्रारूपों में दिया गया है ।

(ख) इन योजनाओं के द्वारा औद्योगीकरण की गति में तेजी आने और सरकारी क्षेत्र के विस्तार से निःसन्देह, श्रम नीति निर्धारण पर प्रभाव पड़ा है, परन्तु नीति निर्धारण में प्रत्येक योजना का प्रभाव कितना पड़ा है, इसके यथातथ्य आंकड़ों का अनुमान लगाना व्यवहार्य नहीं है । श्रम नीति का उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना की परिकल्पना के साथ-साथ श्रमिकों का कल्याण, उचित मजूरी औद्योगिक-सामंजस्य की अभिवृद्धि और तेजी से आर्थिक विकास व सभी वर्गों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए सेवा नियोजन अवसरों में विस्तार करना है ।

चीनी उद्योग सम्बन्धी दूसरे मजूरी बोर्ड का प्रतिवेदन

*910. **श्री राम किशन गुप्त** :
श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री उमानाथ :
श्री पी० राममूर्ति :
श्री सत्य नारायण सिंह :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चीनी उद्योग सम्बन्धी दूसरे मजूरी बोर्ड के प्रतिवेदन की जांच कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो उसको क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है, अथवा करने का विचार है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) यह रिपोर्ट अभी विचाराधीन है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

उर्वरकों की खपत में कमी

*911. **श्री वाल्मीकि चौधरी** :
श्री देविन्दर सिंह गार्चा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में उर्वरकों की खपत में कमी हो गई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि मार्च, 1970 में समाप्त होने वाले वर्ष में उर्वरक का आयात उससे कम हुआ है जितने आयात की योजना बनाई गई थी ;

(ग) क्या यह भी सच है कि कृषकों को इन उर्वरकों की खरीद के लिये पर्याप्त ऋण नहीं दिये जा रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (घ) सभा पटल पर एक विवरण रख दिया गया है ।

विवरण

(क) 1969-70 वर्ष के लिए राज्यों द्वारा लगाए गए उर्वरकों की खपत के अन्तिम अनुमानों से पता चलता है कि गत वर्ष की तुलना में 1969-70 के दौरान उर्वरकों की खपत में 14 प्रतिशत वृद्धि होने की सम्भावना है । परन्तु, उर्वरकों की खपत की यह वृद्धि-दर लक्ष्य से कम है ।

(ख) जी हां ।

(ग) कुछ राज्यों में उर्वरकों के अधिक प्रयोग के लिए ऋण की कमी की कठिनाई बताई गई है ।

(घ) उपचार सम्बन्धी उपाय किए गए हैं । हरियाणा जैसे कुछ राज्यों ने तकाबी ऋण देने की पद्धति को फिर से चालू कर दिया है । राष्ट्रीयकृत बैंकों को विपणन तथा उर्वरकों के वितरण सहित कृषि के लिए और अधिक सुविधायें प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है । उर्वरक विपणन के लिए वित्तीय जोखिम की गारंटी के लिए एक योजना भी विचाराधीन है । एक बड़ी संख्या में वितरण केन्द्रों के माध्यम से उर्वरकों के विक्रय को बढ़ाने के लिए वितरकों के लाइसेंस पद्धति के स्थान पर पंजीकरण पद्धति लागू की गई है ताकि विनिर्माताओं को और अधिक विक्रय केन्द्र मिल सकें । सरकार एक उर्वरक वृद्धि परिषद की स्थापना के प्रश्न पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है । यह परिषद विनिर्माताओं और सरकार का संयुक्त प्रयास होगा और यह संघन प्रदर्शन कार्यक्रमों तथा मृदा-परीक्षण सेवाओं और प्रचार तथा दृश्य-श्रव्य साधनों आदि के माध्यम से उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ाने का कार्य करेगा ।

परन्तु यहां यह भी बता दिया जाए कि तमिलनाडु और मैसूर जैसे उर्वरक की अधिक खपत करने वाले कुछ राज्यों में प्रारम्भ में वर्षा का न होना, आन्ध्र प्रदेश में बाढ़ें आना, जम्मू तथा काश्मीर में देरी से हिमपात होना, पश्चिम बंगाल में देरी से वर्षा होना आदि के कारण भी उर्वरकों की खपत की अनुमानित दर में कम वृद्धि हुई है ।

कृषि मूल्य आयोग का प्रतिवेदन

*912. **श्री अदिचन** : **श्री दे० अमात** :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह : **श्री वेदव्रत बरुआ** :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि मूल्य आयोग ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उस की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) विवरण सभा के पटल पर रखे जाते हैं ।

विवरण-1

कृषि मूल्य आयोग की मुख्य-मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं :–

(1) 1970-71 के रबी विपणन मौसम के लिए अधिप्राप्ति का लक्ष्य कम से कम 37 लाख मीटरी टन निर्धारित किया जाना चाहिये ।

(2) 1970-71 के लिए गेहूं का अधिप्राप्ति मूल्य सभी राज्यों के लिए देशी लाल किस्म का 66 रुपये और देशी साधारण सफेद किस्म और विभिन्न मेक्सिकन किस्मों का 72 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया जाना चाहिये ।

(3) राज्यों की बढ़िया फारम गेहूं की जरूरतें पूरी करने के लिए भारतीय खाद्य निगम खुले बाजार में अपेक्षित मात्रा खरीद सकता है ।

(4) भारतीय खाद्य निगम के कार्य का दायरा उन राज्यों में अधिप्राप्ति कर जहां राज्य स्वयं अधिप्राप्ति कर रहे हैं और बाद में अधिप्राप्त अनाज निगम को सौंप रहे हैं, बढ़ाया जाना चाहिये ।

(5) सफेद और लाल किस्मों के गेहूं के बीच उपयुक्त अन्तर होना चाहिये ।

विवरण -2

(1) कृषि मूल्य आयोग द्वारा अभिस्तावित गेहूं की 37 लाख मीटरी टन की अधिप्राप्ति के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सभी प्रयत्न किये जाएंगे ।

(2) 1969-70 के मौसम के लिए निर्धारित गेहूं की अधिप्राप्ति के मूल्य 1970-71 में भी बनाए रखे जाएंगे ।

(3) गेहूं की लाल (देशी और मेक्सिकन) और आयातित किस्मों का निर्गम मूल्य 78 रुपये प्रति क्विंटल के मौजूदा स्तर पर बनाए रखा जाएगा । अम्बर रंग की देशी किस्मों के गेहूं का निर्गम मूल्य 84 रुपये प्रति क्विंटल होगा । रोलर फ्लोर मिलों को दिए जाने वाले गेहूं का निर्गम मूल्य सभी किस्मों के लिए 78 रुपये प्रति क्विंटल बना रहेगा ।

(4) गेहूं के लिए सारा देश पश्चिमी बंगाल और महाराष्ट्र के राशन व्यवस्था वाले क्षेत्रों को छोड़कर, एक क्षेत्र बनाया जायेगा ।

(5) भारतीय खाद्य निगम को अपने वाणिज्यिक कार्यों के रूप में खुले बाजार में बढ़िया किस्म की गेहूं की खरीदारी करने के लिए इजाजत दी जा रही है ।

(6) राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों से पुनः अनुरोध किया गया है कि वे उत्पादकों से सीधे अधिप्राप्ति करने के लिए भारतीय खाद्य निगम को अनुमति प्रदान करें ।

दिल्ली टेलीविज़न के संचरण-क्षेत्र का विस्तार

*913. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** **श्री यमुना प्रसाद मंडल**
श्री हिम्मतसिंहका **डा० सुशीला नैयर**

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि 48 मील की दूरी वाले क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दिल्ली टेलीविज़न केन्द्र का विस्तार किया जायगा ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना को कब क्रियान्वित किया जायगा ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां । दिल्ली टेलीविज़न केन्द्र की रेन्ज 40 किलोमीटर से बढ़ाकर 60 किलोमीटर कर दी जायगी ।

(ख) इस योजना को दिसम्बर, 1970 तक पूरी हो जाने की सम्भावना है ।

केन्द्रीय सरकार के अधीन औद्योगिक उपक्रमों पर बोनस अधिनियम लागू करने की मांग

*914. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के अधीन औद्योगिक उपक्रमों ने बोनस अधिनियम को लागू करने की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रया है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) विभागीय प्रतिष्ठानों पर भी बोनस अधिनियम को लागू करने की मांगें समय-समय पर की गई हैं ।

(ख) बोनस अधिनियम को वर्जित प्रतिष्ठानों पर लागू करने का विचार नहीं है ।

श्रमिक अशांति में वृद्धि

*915. **श्री रा०कृ० बिड़ला** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इन दिनों श्रमिक अशान्ति में वृद्धि हो रही है ;

(ख) क्या यह बात सरकार के ध्यान में आई है कि कुछ राज्यों में राज्य सरकारों द्वारा श्रमिक अशांति को प्रोत्साहन दिया जाता है ;

(ग) क्या सरकार को देश में बढ़ रही श्रमिक अशान्ति के बारे में विभिन्न प्रकार के लोगों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस अशान्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : यदि सभी बातों को ध्यान में रख कर देखा जाय तो श्रम स्थिति में अशान्ति बढ़ने का कोई लक्षण नहीं दीखता है ।

(ख) सरकार को इसका ज्ञान नहीं है ।

(ग) और (घ) श्रम मामलों पर जो व्यक्ति कुछ विशिष्ट कार्यवाही करवाना चाहते हैं, वे समय-समय पर अपने अभ्यावेदन सरकार को भेजते रहते हैं और आवश्यकता अनुसार मध्यस्थता समझौते, पंच-निर्णय व न्याय-निर्णय सम्बन्धी प्रक्रियाओं के अन्तर्गत उन पर समुचित कार्यवाही की जाती है ।

विज्ञापनों में अश्लीलता

*916. **श्री एस० एम० कृष्णन** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञापन के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए तथा सरकार से वित्तीय सहायता अथवा संरक्षण पाने वाले औद्योगिक तथा अन्य संगठनों को शामिल न करने के बारे में एक समिति नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) क्या यह समिति विज्ञापन में अश्लीलता के प्रश्न पर भी विचार करेगी ;

(ग) यदि हां, तो समिति के निर्देश पद क्या हैं; और

(घ) समिति के सदस्यों के नाम तथा उनकी संख्या कितनी है और समिति अपना प्रतिवेदन सरकार को कब-तक प्रस्तुत कर देगी ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) 13 मार्च, 1970 के राज्य सभा के संकल्प में यह निर्धारित है कि रेलवे सांविधिक निगमों तथा सार्वजनिक उपक्रमों के विज्ञापनों समेत सरकारी विज्ञापनों के लिए केवल पूर्णरूपेण भारतीय स्वामित्व वाली तथा भारत के लोगों द्वारा नियंत्रित विज्ञापन एजेंसियों का ही प्रयोग किया जाए । सरकार से आर्थिक सहायता अथवा संरक्षण पाने वाले सभी औद्योगिक तथा अन्य संगठन इस संकल्प के अन्तर्गत नहीं आते ।

(ख) संकल्प में भारत में विज्ञापन एजेंसियों के संचालन की जांच करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति बनाने की व्यवस्था है ।

(ग) तथा (घ) समिति का गठन, उसके विचारार्थ विषय तथा समिति को कब तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा जाए, ये सब बातें सरकार के विचाराधीन हैं ।

पंजाब और हरयाना राज्यों में पुनर्वास विभाग का समाप्त किया जाना

*917. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पंजाब और हरयाना राज्यों में पुनर्वास विभाग को समाप्त करने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या अभी भी कुछ विचाराधीन मामलों का निबटारा किया जाना बाकी है ; यदि हां, तो ऐसे मामलों की संख्या कितनी है ; और

(ग) उक्त मामलों को निबटाने के लिए किन को सौंपा जायगा ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी, हां ; पंजाब और हरयाना में बन्दोबस्त संघठन को भिन्न-भिन्न चरणों में समाप्त करने का निश्चय किया गया है ।

(ख) जी, हां ; पहली अप्रैल, 1970 को 1721 मामलें निबटाने के लिए शेष थे ।

(ग) एक सहायक बन्दोबस्त आयुक्त, एक प्रबन्ध अधिकारी, एक सहायक बन्दोबस्त अधिकारी तथा एक लेखा अधिकारी, सहायता के लिए अन्य आवश्यक कर्मचारियों सहित, फ़िलहाल जालन्धर में ही अवशिष्ट कार्य को निबटाते रहेंगे ।

वनस्पति घी को रंग देना

*918. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वनस्पति घी को रंग देने की कोशिश की है; और

(ख) यदि हां, तो वनस्पति घी को रंग देने में क्या सफलता प्राप्त हुई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) और (ख) सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

वनस्पति में रंग मिलाने के लिए रंग ढूंढने हेतु अनुसन्धान कार्य तेज़ करने तथा उनका समन्वय करने के लिए नियुक्त विशेषज्ञ समिति ने यह सूचित किया कि यद्यपि रतनजोत और हल्दी सहित बहुत बड़ी संख्या में रंगों की जांच की गयी थी लेकिन इस प्रयोजन के लिए कोई भी रंग उपयुक्त नहीं पाया गया था । इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए और इस विषय पर आम वैज्ञानिक राय को देखते हुए समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि वनस्पति में रंग मिलाना न तो व्यवहार्य और न ही वांछनीय है और घी में वनस्पति के अपमिश्रण को रोकने अथवा कम से कम बहुत ही कम करने के लिए वैकल्पिक तरीकों का पता लगाया जाना चाहिये ।

सरकार ने खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय (खाद्य विभाग) के संकल्प संख्या 1-6/65 शुगर दिनांक 17 मई, 1969 के अनुसार वनस्पति के लिए उपयुक्त रंग सामग्री ढूंढने के प्रयत्न जारी रखने की आवश्कता विषयक समिति के निष्कर्ष और सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं । इस संकल्प की प्रति 24 जुलाई, 1969 को सभा के पटल पर रख दी गयी थी ।

इस निर्णय के अनुसरण में इन अधुसन्धानों में लगी हुई प्रयोगशालाओं तथा अन्य प्रयोगशालाओं से वनस्पति के लिए रंग ढूंढने हेतु अपने प्रयत्न जारी रखने का अनुरोध किया गया है ।

Measures to Improve Distribution System of Fertilisers

*919. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government propose to take measures for improving the distribution system of fertilisers; and

(b) if so, the details thereof?

Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development & Cooperation (Shri Anna Sahib Shinde) : (a) & (b) A statement is placed on the Table of the Sabha.

Statement

(a) Under the existing system of distribution of fertilisers, the manufacturers have complete freedom of marketing through the dealers of their choice. The system of licensing of dealers has been replaced by a liberal system of registration in order to enable opening of the largest possible number of outlets to serve the farmers. The Central Fertiliser Pool distributes fertilisers to the States at uniform All-India prices at railheads with 60 days credit. Private dealers can also take fertilisers from the Central Pool. This system is considered adequate to meet the requirements of distribution system for the time being and no major measure is under consideration of Government to revise the above mentioned system.

(b) Does not arise.

पूर्वी पाकिस्तान से दिल्ली स्टेशन पर आये मछुए परिवारों को फिर से बसाना

*920. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी पाकिस्तान के 100 से अधिक मछुए परिवार दिल्ली स्टेशन पर ठहरे हुए हैं ताकि उन्हें नदी या समुद्र के निकट फिर से बसाया जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी, नहीं । वहां केवल 29 परिवार हैं ।

(ख) चूंकि मछली पालन की कोई योजना नहीं थी जिसमें इन परिवारों को बसाया जा सकता और चूंकि लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व इन परिवारों ने स्वयं ही कृषि पर पुनर्व्यवस्थापन के लिये इच्छा प्रकट की थी, इसलिये उन्हें वापिस दण्डकारण्य परियोजना में, जहां कि उन्हें पुनर्व्यवस्थापन हेतु भेजा गया था, जाने का सुझाव दिया गया है । इन परिवारों को यह भी आश्वासन दिया गया है कि उन्हें सभी प्रकार की संभव सहायता प्रदान की जायेगी ताकि वे अपने आपको पूर्णतया पुनर्वासित कर लें ।

Steps to Increase Production of Telephone Cable for Extension of Telephone Services

†*921. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communication** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the production of telephone cables falls short of their demand as a result of which the further extension of telephone service has been impeded; and

(b) if so, the action being taken by Government to increase the production of telephone cables so as to meet their demand fully?

Minister of Information and Broadcasting and Communications (Shri Satya Narayan Sinha) : (a) Yes, Sir.

(b) The existing capacity of M/s Hindustan Cables Ltd. to manufacture telephone cables is being expanded. Further steps to increase the capacity in the public sector by expansion of the existing units and or by setting up an additional unit are under examination by the Government.

भारतीय और विदेशी फिल्मों के लिये सेंसर सम्बन्धी नीति

*922. **श्री हेम बरुआ** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में प्रदर्शित होने वाली विदेशी फिल्मों का सेंसर नहीं किया जाता या भारतीय और विदेशी फिल्मों को सेंसर करने के विभिन्न स्तर हैं ; और

(ख) यदि हां, तो देश में विद्यमान सेंसर सम्बन्धी नीति का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) और (ख) जी, नहीं । भारत में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिये भारतीय फिल्मों की तरह विदेशी फिल्में भी चलचित्र अधिनियम, 1952 के उपबन्धों तथा उनके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार सेंसर की जाती हैं ।

पिछड़े क्षेत्रों में प्रेस सूचना ब्यूरो के कार्यालय

*923. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चौथी पंचवर्षीय योजना में पिछड़े क्षेत्रों में प्रेस सूचना ब्यूरो के नये कार्यालय खोलने का है ;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार कहां-कहां; और

(ग) प्रेस सूचना ब्यूरो के कितने कार्यालय ऐसे क्षेत्रों में पहले से ही काम कर रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) तथा (ख) जी, हां । चतुर्थ पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान पत्र सूचना कार्यालय के निम्न-लिखित स्थानों पर नए कार्यालय खोलने का प्रस्ताव है :—

(1) अगरतला (त्रिपुरा), (2) इम्फाल (मणिपुर), (3) पणजी (गोआ), (4) रायपुर (मध्य प्रदेश), (5) राजकोट (गुजरात), (6) विजयवाड़ा (आन्ध्रप्रदेश), (7) कानपुर (उत्तर प्रदेश) तथा (8) शिलांग (आसाम) ।

(ग) (1) नई दिल्ली, (2) लखनऊ, (3) वाराणसी, (4) पटना, (5) जयपुर, (6) भोपाल, (7) जलंधर, (8) कलकत्ता, (9) बम्बई, (10) मद्रास, (11) श्रीनगर, (12) जम्मू, (13) पूना, (14) नागपुर, (15) अहमदाबाद, (16) हैदराबाद, (17) बंगलोर, (18) त्रिवेन्द्रम, (19) कोचीन, (20) गोहाटी तथा (21) कटक ।

खालों और चमड़े का निर्यात

*924. **श्री वीरेन्दर कुमार शाह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान खाद्य तथा कृषि संगठन द्वारा हाल में किये गये विश्व चर्म उद्योग के अध्ययन की ओर दिलाया गया है जिसके उद्धरण 28 जनवरी, 1970 के "टाइम्स आफ इंडिया" में प्रकाशित हुए थे ;

(ख) क्या यह सच है कि भारत में मृत ढोरों के केवल 10 प्रतिशत चमड़े का उपयोग किया जाता है जबकि अर्जेनटाइना में 30 प्रतिशत किया जाता है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस समय भारत से खाल तथा चमड़े का प्रति वर्ष लगभग 75 करोड़ रुपये का निर्यात किया जाता है और यह निर्यात दुगुना किया जा सकता है बशर्ते मृत ढोरों के चर्म का उसी अनुपात में उपयोग बढ़ाया जाये ; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस समस्या की विस्तृत जांच करने की आवश्यकता है और क्या सरकार इस मामले का, आवश्यक होने पर, विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों में ग्रामीण समाजशास्त्र विभागों की मदद से अध्ययन करेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

चलचित्र उद्योग में आर्थिक संकट

*925. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय चलचित्र उद्योग में विद्यमान आर्थिक संकट को दूर करने के लिए चलचित्र उद्योग से कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां ।

(ख) एक ज्ञापन दिसम्बर, 1969 में इण्डियन मोशन पिक्चर्स इण्डस्ट्री के प्रतिनिधियों द्वारा प्रधान मन्त्री को तथा दूसरा फरवरी, 1970 में इण्डियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन द्वारा वित्त मन्त्रालय के राज्य मन्त्री को दिया गया था जिनमें फिल्म उद्योग को प्राथमिक उद्योग के रूप में समझने, बैंक ऋण उपलब्ध करने, आवश्यक कच्चे माल के पर्याप्त आयात की व्यवस्था करने, सामान्य करेन्सी क्षेत्र से आयातित रंगीन कच्ची फिल्म को मुक्त रूप से रिलीज करने, भारत में रंगीन कच्ची फिल्म बनाने, थियेटरों के विकासार्थ सहायता देने के लिये ठोस कदम उठाने, विभिन्न करों की दरों को कम करने, उत्पादन शुल्क को समाप्त करने, निर्यात नीति को फिर से सुनिश्चित करने आदि जैसी मांगें थीं ।

ज्ञापन में निहित मांगें सरकार के विभिन्न मन्त्रालयों/विभागों से सम्बन्ध रखती हैं और वे सभी फिल्म उद्योग द्वारा उठाए गए मामलों से सजग हैं ।

केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा चलचित्रों का कथित अंधाधुंध अनुमोदन किया जाना

*926. **श्री काशीनाथ पाण्डेय** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बारे में जनता में व्याप्त रोष और समाचारपत्रों में आलोचना की ओर दिलाया गया है कि केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड में बहुत भ्रष्टाचार पाया जाता है जिसके कारण अश्लील चलचित्रों को अंधाधुंध अनुमोदित किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार फिल्म सेंसर बोर्ड के विरुद्ध जनता द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच करने के लिए कोई आयोग नियुक्त करने का है ;

(ग) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड का पुनर्गठन करने तथा इसके नियमों में संशोधन करने का है; और यदि हां, तो ऐसे प्रस्ताव का स्वरूप क्या है ; और

(घ) फिल्म सेंसर बोर्ड के लिए सदस्यों का चयन करने का मापदण्ड क्या है और वर्तमान बोर्ड के सदस्यों के नाम क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क), (ख) तथा (ग) केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा प्रमाणित कुछ फिल्मों के विरुद्ध शिकायतें मिली हैं तथा उन पर विचार किया जा रहा है। बोर्ड में भ्रष्टाचार होने के बारे में हाल ही में कोई शिकायत नहीं मिली है।

श्री जी० डी० खोसला की अध्यक्षता में बनी फिल्म सेंसर सम्बन्धी जांच समिति ने भारत में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों को प्रमाणित करने की वर्तमान प्रक्रिया की जांच करके अपनी रिपोर्ट दे दी है जो सरकार के विचाराधीन है।

(घ) एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

विवरण

फिल्म सेंसर बोर्ड के सदस्यों के चयन के लिए निम्नलिखित सिद्धान्त नियत किये गये हैं :—

देश के सार्वजनिक जीवन में विख्यात वे व्यक्ति जिन्होंने पत्रकारिता, शिक्षा, कला तथा संस्कृति, नारी-उत्थान, समाज सेवा तथा फिल्म-उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त की हो। 9 सदस्यों में से तीन फिल्म उद्योग के प्रतिनिधि हैं जिनमें एक-एक प्रतिनिधि बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास के हैं।

इस बोर्ड का वर्तमान गठन निम्न प्रकार से है :

श्री एम० वी० देसाई—अध्यक्ष

सदस्य गण

1. श्री वेद रतन मोहन
2. श्री बालमुकन्द आर० अग्रवाल
3. श्री प्रबोल रावल
4. कुमारी ए० एम० नादकर्णी
5. श्रीमती वीना दुग्गल
6. श्रीमती एम० नसरुल्लाह
7. श्री बी० आर० चौपड़ा
8. श्री बी० एन० सरकार
9. श्री ए० एल० श्रीनिवासन

केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड बम्बई को अन्यत्र ले जाना

*927. **श्री रा० बरुआ** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खोसला समिति की सिफारिश के अनुसार केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड को बंगलौर अथवा नागपुर ले जाने का विचार है ;

(ख) क्या भारतीय चलचित्र निर्माता संघ ने बोर्ड के अन्यत्र ले जाने का विरोध किया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस बीच कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है; और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) तथा (ग) मामला अभी सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) जी, हां ।

नई दिल्ली सहकारी बैंक, दिल्ली में कथित कुप्रबन्ध

*928. **श्री अचल सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली सहकारी बैंक ने जनता के लिए परिवार जमा योजना आरम्भ की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह योजना भारत के रक्षित बैंक के सांविधिक नियन्त्रण में है अथवा सहकार विभाग दिल्ली के पंजीयक के पास पंजीयत उपनियमों के अन्तर्गत चल रही है ;

(ग) क्या यह सच है कि बेचारे जमाकर्ताओं के लाखों रुपयों का बैंक के प्रबन्धकों द्वारा दुर्विनियोग, गबन, तथा दुरुपयोग किया गया है और मांगने पर तथा जमा राशियों की नियत अवधि पूरी हो जाने पर भी जमाकर्ताओं को राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है ;

(घ) क्या पंजीयक को इस मामले में जमाकर्ताओं से कोई नोटिस प्राप्त हुआ है ;

(ङ) यदि हां, तो पंजीयक द्वारा इस मामले में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(च) क्या इस बैंक में सेवा आदि के बारे में अधिकारियों का अभिलेख ठीक ढंग मे रखा जाता है और उनकी सेवा की शर्तें क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री डी० एरिंग) : (क) जी हां, तथापि, सूचना मिली है कि बैंक ने मार्च 1970 से इस योजना को स्थगित कर दिया है ।

(ख) इस योजना को शुरू करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्वीकृति आवश्यक नहीं थी, चूंकि इस योजना के अन्तर्गत की जमा-राशियां बैंक की जमा-राशियों का एक भाग हैं, अतः ये बैंकिंग रेगूलेशन एक्ट 1949 के उपबन्धों और इस एक्ट के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण के अधीन प्रशासित होंगी । इस बैंक की उप-विधियों के अन्तर्गत इस योजना के लिए कोई व्यवस्था नहीं है ।

(ग) पंजीयक, सहकारी समितियां, दिल्ली द्वारा इस बैंक के गठन, कार्यकरण और वित्तीय स्थिति के सम्बन्ध में जो जांच के आदेश दिए गए थे, उससे अन्य अनियमितताओं के साथ-साथ 1.45 लाख रुपए के दुर्विनियोग तथा गबन किए जाने का पता चला । आधुनिकतम स्थिति का पता उस लेखा-परीक्षा के पूरे होने पर चलेगा जिसके लिए सहकारी समितियों के पंजीयक द्वारा आदेश दिए जा चुके हैं ।

(घ) सहकारी समितियों के पंजीयक को अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ।

(ङ) सहकारी समितियों के पंजीयक को जो शिकायतें मिली थीं, उनके फलस्वरूप बैंक के गठन, कार्यकरण तथा वित्तीय स्थिति के सम्बन्ध में एक सांविधिक जांच की गई थी । उसके पश्चात् सहकारी समितियों के पंजीयक ने बैंक के परिसमापन के लिए आदेश जारी किए । इन आदेशों के विरुद्ध दायर की गई याचिका पर दिल्ली के उच्च न्यायालय ने सहकारी समितियों के पंजीयकों के आदेशों को अपास्त कर दिया । सहकारी समितियों के पंजीयक ने अब इस बैंक के लेखाओं की लेखा-परीक्षा करने के आदेश जारी किए हैं ।

(च) सूचना उपलब्ध नहीं है ।

गेहूं, सरसों और रबी की फसलों का अनुमानित उत्पादन

*929. **श्री बेणी शंकर शर्मा :** **श्री सीताराम केसरी :**
श्री आत्म दास : **श्री रामगोपाल शालवाले :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू मौसम में गेहूं, सरसों और रबी की अन्य मुख्य फसलों के उत्पादन का क्या अनुमान है ;

(ख) क्या यह सच है कि देश में मार्च, 1970 के पहले पखवाड़े में हुई वर्षा तथा ओला-वृष्टि के कारण खड़ी फसलों को हुई क्षति के फलस्वरूप अनुमानित लक्ष्य प्राप्त न किया जा सकेगा ;

(ग) यदि हां, तो उत्पादन में कितनी कमी होने का अनुमान है ; और

(घ) क्या उपभोक्ताओं के लिये खाद्यान्नों के मूल्यों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क), (ख) और (ग) गेहूं, सरसों के बीज और 1969-70 की अन्य मुख्य रबी-फसलों के निश्चित अनुमान चालू-कृषि वर्ष की समाप्ति अर्थात् किसी समय जुलाई, अगस्त में प्राप्त होंगे। यद्यपि कुछ क्षेत्रों में वर्षा और ओलों से फसलें प्रभावित हुई हैं, फिर भी आशा है कि इस वर्ष रबी की फसल गत वर्ष की तुलना में सामान्यत: अधिक होगी।

(घ) उपरोक्त स्थिति में प्रश्न ही नहीं होता।

राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में भूमिगत जल संसाधन

*930. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्पे** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्थान के रेगिस्तान में अनुमानित बड़े परिमाप में विद्यमान भूमि-गत जल संसाधनों का लाभ उठाने के लिए कोई प्रयत्न किये हैं ;

(ख) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई सम्भाव्यता सर्वेक्षण कराया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी हां। संघीय कृषि विभाग के अधीन समन्वेषी नलकूप संस्था ने राजस्थान के पश्चिमी रूक्ष जिलों में 354 समन्वेषी एवं उत्पादन छिद्र ड्रिल किए हैं। इनमें से लगभग 189 छिद्र सिंचाई तथा / या पीने के पानी के लिए सफल सिद्ध हुए। राजकीय भूमिगत जल मण्डल, प्रदेश में, पीने वाले जल के नलकूप बनाने का एक कार्यक्रम शुरू करने वाला है।

(ख) जी हां। राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र में चुने हुए प्रतिनिधि क्षेत्रों में भूमिगत जल के विकास की विकास-सीमा और सम्भाव्यता का अनुमान लगाने के लिए एक विशेष परियोजना संयुक्त राष्ट्र की तकनीकी तथा आर्थिक सहायता से समन्वेषी नलकूप संस्था द्वारा क्रियान्वित की जा रही है।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

मजदूर संघों में प्रतिद्वन्द्विता के कारण मजदूरों में संघर्ष

5686. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1968 और 1969 में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट दल, भारतीय साम्यवादी दल, संयुक्त समाजवादी दल, फारवर्ड ब्लाक, प्रजा समाजवादी दल, कांग्रेस (सत्तारूढ़) दलों द्वारा नियंत्रित मजदूर संघों में प्रतिद्वन्दिता के कारण हुए संघर्ष में राज्यवार कितने व्यक्तियों की हत्याएं हुईं;

(ख) उक्त संघर्षों में कुल कितने मजदूर मारे गए, जख्मी हुए और अपाहिज हुए;

(ग) संघर्षों के परिणामस्वरूप उक्त अवधि में काम के कितने घंटों की हानि हुई; और

(घ) क्या मजदूरों के बीच हुए अन्तर-संघीय प्रतिद्वन्दिता संघर्ष के कारण अन्य राज्यों को एक-सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भेजा जायेगा ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क), (ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है ।

(घ) इस प्रकार के शिष्टमण्डल (डेप्युटेशन) भेजने की कोई आवश्यकता या प्रस्ताव नहीं है ।

खांड का निर्यात

5687. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार खांड का निर्यात करने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो कब और किन देशों को, कितने मूल्य की कितनी खांड का निर्यात किस भाव पर किया जायेगा ; और

(ग) क्या इस निर्यात से भारत में चीनी की कृत्रिम कमी हो जायेगी और इसके फलस्वरूप मूल्य बढ़ जायेंगे ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) और (ख) जी हां । 1970 में अब तक लगभग 1.45 लाख मीटरी टन कच्ची चीनी का निर्यात करने के लिए प्रबन्ध किए गए हैं । देशवार निर्यात की जाने वाली मात्रा और जहाज पर चट्टे लगाने तक निष्प्रभार प्रति मीटरी टन कुल अनुमानित प्राप्ति इस प्रकार है :—

देश	मात्रा (मीटरी टन)	जहाज पर चट्टे लगाने तक निष्प्रभार-प्राप्ति (रु० प्रति मीटरी टन)	जहाज पर चट्टे लगाने तक निष्प्रभार कुल प्राप्ति (रुपये । करोड़)
अमेरिका	69,600	1150	8.00
ब्रिटेन (एन० पी० क्यू०)	25,400	855	2.17
कनाडा	50,300	572	2.88
जोड़	145,300		13.05

(ग) जी नहीं ।

टेलीविजन पर प्रदर्शन की उचित तकनीक की कमी

5688. **डा० करणी सिंह** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रविवार, 15 मार्च, 1970 को टेलीविजन पर मद्रास में हुए

सैनिक दीक्षान्त समारोह के दृश्यों को दिखाते समय चित्रों के बीच में टेलीविजन का लैंस दिखाई दे रहा था जो तकनीक की कमी का सूचक था ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने तकनीक में सुधार करने के उद्देश्य से क्या कार्यवाही की है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां।

(ख) सम्बन्धित कैमरामैन को यह कमी बता दी गई है तथा उसको भविष्य में और सावधान रहने के लिए कह दिया गया है।

डाकघरों में हिन्दी से भिन्न भाषाओं में तार फार्मों की उपलब्धता

5689. **श्री मुरासोली मारन** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकांश डाकघरों में केवल हिन्दी में ही तार फार्म उपलब्ध हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को पता है कि इससे अनेक लोगों को कठिनाई हो रही है ;

(ग) यदि हां, तो क्या अन्य भाषाओं में इन फार्मों को उपलब्ध कराने का कोई विचार है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी नहीं। तार फार्म हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं। मांग के अनुसार ही इन्हें सप्लाई किया जाता है।

(ख) ऊपर (क) के अन्तर्गत दिये गए उत्तर के अनुसार यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) व (घ) मौजूदा व्यवस्था के अनुसार, तार केवल रोमन और देवनागरी लिपियों में ही प्रेषण के लिए स्वीकार किये जाते हैं। हिन्दी और अंग्रेजी में अलग-अलग छापे गए फार्म जारी किए जाते हैं।

फिर भी, इस बात की जांच की जा रही है कि फार्म प्रादेशिक भाषाओं में भी जारी किए जाएं अथवा नहीं।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, पटना के क्षेत्रीय आयुक्त द्वारा कथित भ्रष्टाचार

5690. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, पटना के क्षेत्रीय आयुक्त, जिसकी सेवाएं किसी राज्य सरकार से उधार ली गई थीं, ने वहां उस पद पर तीन वर्ष का सेवाकाल पूरा

कर लिया है; और यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि सरकार को उस आयुक्त के विरुद्ध इस आशय की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि वह भ्रष्टाचार करता है और पूंजीपतियों की सहायता करता है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क), (ख) और (ग) कर्मचारी भविष्य निधि का प्रशासन केन्द्रीय न्यासी बोर्ड के हाथ में है । पटना में बिहार के प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त ने जिसकी सेवायें बिहार सरकार से प्राप्त की गई थीं, प्रतिनियुक्ति के तीन वर्ष पूरे कर लिये हैं । भविष्य निधि के अधिकारियों ने बताया है कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 और योजना की क्रियान्विति तथा अन्य सम्बन्धित मामलों में आयुक्त के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनकी जांच की जा रही है ।

लखनऊ स्थित पुनर्वास कार्यालय बन्द किया जाना

5691. **श्री सरजू पाण्डेय** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लखनऊ स्थित पुनर्वास कार्यालय को बन्द करने का विचार है ;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश के ऐसे सभीं मामलों में फैसला कर दिया गया है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि बड़ी संख्या में मामले अभी भी अनिर्णीत पड़े हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उक्त मामलों को कैसे निपटाया जायेगा ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी, हां; उत्तर प्रदेश में बन्दोबस्त संगठन को भिन्न-भिन्न चरणों में समाप्त करने का निश्चय किया गया है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) पहली अप्रैल, 1970 को 873 मामले निबटाने के लिये शेष थे ।

(घ) एक सहायक बन्दोबस्त आयुक्त, दो प्रबन्ध अधिकारी, एक सहायक बन्दोबस्त अधिकारी तथा एक लेखा अधिकारी, सहायता के लिये अन्य आवश्यक कर्मचारियों सहित फिलहाल लखनऊ में ही अवशिष्ट कार्य को निबटाते रहेंगे ।

तमिलनाडु में येनमार समुद्री इंजन निर्माण कारखाने की स्थापना

5692. **श्री मुरासोली मारन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या येनमार समुद्री इंजन निर्माण कारखाने को तमिलनाडु में स्थापित करने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो निर्णय करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी नही ।

(ख) भारत में येनमार समुद्री डीजल इंजनों के निर्माण के लिए जापान की येनमार इंजन कम्पनी द्वारा विचार किया गया था, परन्तु उन्हें स्वीकृति के लिये उपयुक्त नहीं समझा गया । तदनुसार इस मामले पर पुनर्विचार किया जा रहा है ।

राजस्थान में बिजली से चलने वाले नलकूप

5693. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में गत दो वर्षों में वर्षवार बिजली मे चलने वाले कितने नलकूप लगाये गये ;

(ख) इस समय राज्यों में राज्यवार कितने नलकूप हैं ; और

(ग) प्रत्येक राज्य में आगामी वर्ष और चौथी योजना की अवधि में वर्षवार कितने नलकूप लगाये जायेंगे ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) राजस्थान में 1968-69 में लगभग 5050 नलकूपों/पम्पसैटों को और 1969-70 (फरवरी 1970) में 5874 नलकूपों/पम्पसैटों को बिजली दी गई थी ।

(ख) सितम्बर, 1969 के अन्त में राज्य में लगभग 11.83 लाख ऐसे नलकूप/पम्पसैट थे जिन्हें बिजली प्राप्त थी । राज्यों के आधार पर स्थिति अनुबन्ध में दी गई है ।

(ग) चौथी योजना के दौरान सरकारी क्षेत्र की राशि से लगभग 7.42 लाख नलकूप पम्पसैटों को बिजली मिलने की सम्भावना है । उनका राज्य का विवरण अनुबन्ध में दिया गया है । इसके अतिरिक्त सस्थानीय परिव्यय की सहायता से 5 लाख नलकूपों पम्पसैटों को बिजली मिलने की सम्भावना है । राज्यवार आधार पर आंकडों का विवरण उपलब्ध नहीं है । 1970-71 के दौरान लगभग 2.4 लाख नलकूपों पम्पसैटों को बिजली मिलने की सम्भावना है । इनके राज्यवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

हरियाणा के किसानों की बाजरे के मिलावटी बीजों के बारे में शिकायत

5694. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय बीज निगम को हरियाणा के किसानों से बाजरे के संकर बीजों के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और यदि हां, तो शिकायतों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि राष्ट्रीय बीज निगम ने हरियाणा सहकारी सम्भरण और वितरण संघ को वर्ष 1967 में 10 लाख रुपये की कीमत के बीज सप्लाई किये थे और कृषि विभाग ने लगभग 150 क्विन्टल बीजों को अंकुरण के लिये अनुपयुक्त घोषित किया और उनमें भारी मिलावट पाई ;

(ग) यदि हां, तो निगम द्वारा जांच के सम्बन्ध में दिये गये वचन के क्या परिणाम निकले ; और

(घ) सरकार द्वारा उक्त घोटाले के बारे में जांच समिति नियुक्त न करने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी हां। खरीफ मौसम के दौरान वाणिज्यिक बुवाई के लिये राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा सप्लाई किये गये बाजरे के बीजों की क्वालिटी के बारे में हरियाणा सरकार से सितम्बर, 1967 में शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत में कहा गया था कि पौधों की वृद्धि समान नहीं थी, बीजों का जमाव अच्छा नही था तथा बीज शुद्ध नहीं था।

(ख) 'ए' ग्रेड तथा 'बी' ग्रेड के संकर बाजरे का बीज भंडार हरियाणा सहकारी सम्भरण तथा विपणन संघ को भेजे गये माल की कुल कीमत लगभग 10 लाख रुपये थी। बीजों का श्रेणीकरण किया गया था। जहां तक पराग झड़ने वाले पौधों का सम्बन्ध है, संकर बाजरे का कुछ बीज प्रमाणिक स्तर का नहीं था। 'बी' ग्रेड बीज का विक्रय मूल्य कम था।

यह सच है कि हरियाणा सरकार के कृषि विभाग ने 150 क्विन्टल बीज को अंकुरण के लिए अनुपयुक्त तथा मिलावटी घोषित किया था। निगम ने राज्य सरकार को (जिन्हें बीज सप्लाई किया गया था) बीजों की क्वालिटी के विषय में बतला दिया गया था। और राज्य सरकार ने 'ए' ग्रेड तथा 'बी' ग्रेड की सप्लाई का उत्तरदायित्व स्वीकार किया था।

(ग) निगम के एक विशेषज्ञ ने राज्य सरकार के उपनिदेशक (कृषि) के साथ बाजरे की खड़ी फसल तथा कुछ स्थानों पर बाकी बचे हुए बीजों का सर्वेक्षण किया था। खड़ी फसल का उत्पादन संतोषजनक पाया गया।

(घ) राष्ट्रीय बीज निगम तथा राज्य सरकार द्वारा किये गये संयुक्त सर्वेक्षण तथा इसके निर्णयों को दृष्टिगत रखते हुये सरकार ने औपचारिक जांच समिति को नियुक्त करना आवश्यक नहीं समझा।

सिंह संरक्षित पशु के रूप में

5695. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वन्य पशु बोर्ड ने सिफारिश की है कि सिंह को संरक्षित पशु घोषित किया जाना चाहिये ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) भारत में सिंहों की अनुमानित संख्या कितनी है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी हां। भारतीय वन्य प्राणी मण्डल ने 1952 में हुई अपनी प्रथम बैठक में ही सिंह को संरक्षित पशु घोषित करने की सिफारिश की थी।

(ख) सिंहों के संरक्षण के लिए, जो कि केवल राज्य के गिर वनों में मिलते हैं, गुजरात सरकार द्वारा निम्न कदम उठाये गये हैं :—

(1) 18 सितम्बर, 1965 से गिर वनों में 1265.01 वर्ग किलोमीटर (488.42 वर्ग मील) क्षेत्र को वन्य प्राणी आश्रय स्थल के रूप में गठित कर दिया गया है ।

(2) वन्य प्राणी आश्रय स्थल में सभी नस्लों के पशुओं के शिकार का निषेध कर दिया गया है, जिससे कि सिंहों को किसी प्रकार की परेशानी न हो ।

(3) पशु पालकों के पशुओं को जब सिंह मार देते हैं तो उन्हें प्रतिशोध के रूप में सिंहों को विष देने से निरुत्साहित करने के लिए, राज्य सरकारों ने नकद क्षतिपूर्ति की व्यवस्था की है ।

(4) राज्य सरकार द्वारा गिर वन्य प्राणी आश्रय स्थल के विकास के लिए सभी संभव प्रयत्न किये जाते हैं, जिसमें सिंहों सहित सभी पशुओं के कल्याण की व्यवस्था है ।

(5) हाल ही में भारत सरकार ने एक विशेषज्ञ समिति की स्थापना की है, जो अन्य बातों के अतिरिक्त गिर वन्य प्राणी आश्रय स्थल सहित वर्तमान वन्य प्राणी आश्रय स्थलों के प्रशासन के सुधार के सम्बन्ध में सुझाव देगी तथा इस नस्ल को देश में स्थायी बनाने की दृष्टि से सिंहों की देश के अन्य भागों में भी नस्ल वृद्धि की सम्भावनाओं का अध्ययन करेगी ।

(ग) 1968 में की गई गणना के अनुसार सिंहों की संख्या 177 है, जो कि गुजरात के गिर वन्य प्राणी आश्रय स्थल में ही सीमित हैं ।

आंध्र प्रदेश को स्वीडन के छिद्रण उपकरण एककों का आवंटन

5696. **श्री मि० सू० मूर्ति** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से स्वीडन के पांच छिद्रण एककों को आवंटित करने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय को इस बारे में वित्त मंत्रालय से अनुमति प्राप्त हो गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसे कब अनुमति प्राप्त होगी और आंध्र प्रदेश सरकार को कब एककों की सप्लाई की जायेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी, हां ।

(ख) अभी नहीं ।

(ग) इस समय कोई पक्की तारीख बताना सम्भव नहीं है ।

संसद् भवन में स्थित दिल्ली दुग्ध योजना के बिक्री काउन्टर पर उसके उत्पादों की बिक्री

5698. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संसद् भवन में स्थित दिल्ली दुग्ध योजना के दुग्ध केन्द्र/बार में विभिन्न प्रकार के दुग्ध और उससे बने अन्य उत्पादों जैसे दही, मक्खन, घी और आइसक्रीम प्रतिदिन औसतन कितनी-कितनी मात्रा में तथा कितने-कितने मूल्य की लाई और बेची जाती हैं ;

(ख) प्रत्येक दिन के अन्त में कुल कितना और कितने मूल्य का दूध और उससे बने बिभिन्न उत्पाद दिल्ली दुग्ध योजना को प्रत्येक दिन वापिस भेजे जाते हैं ;

(ग) क्या जनवरी, 1969 से फरवरी, 1970 तक (महीनेवार) अर्थात् गत 14 महीनों का एक विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा जिसमें संसद् भवन में उपर्युक्त दुग्ध केन्द्र बार द्वारा लाये गये, बेचे गये और वापिस किये गये (वस्तुवार) पदार्थों का ब्यौरा हो ;

(घ) क्या किसी वस्तु की सप्लाई की अधिकता/कमी का पता लगाने के लिये इन दुग्ध केन्द्र/बार की वास्तविक आवश्यकताओं का कोई सामयिक मूल्यांकन किया जाता है ; और

(ङ) यदि हां, तो कब; और वास्तव में इनको व्यवहार में कैसे क्रियान्वित किया जाता है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) संसद् भवन में स्थित दुग्ध केन्द्र/बार को जारी की गई दुग्ध तथा दुग्ध-उत्पादों की औसतन दैनिक मात्रा, बेची गई मात्रा और उनके मूल्य के विषय में मार्च, 1969 से फरवरी, 1970 तक की अवधि की जानकारी संलग्न विवरण (अनुबन्ध 1) में दी गई है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए एल० टी० 3139/70]

(ख) दुग्ध केन्द्र/बार दोनों में बिना बिके उत्पादों के भण्डारण के लिए उपयुक्त भण्डारण सुविधाएं प्रदान की गई हैं। इस प्रकार बिना बिके उत्पाद दुग्ध केन्द्र/बार में उपयुक्त तरीके से रखे जाते हैं और उन्हें अगले दिन बेचा जाता है। केवल विक्रय के लिए अनुपयुक्त पाई गई मात्रा ही केन्द्रीय डेरी को खराब हुए स्टाक के रूप में वापिस की जाती है। मार्च, 1969 से फरवरी, 1970 के दौरान केन्द्रीय डेरी को वापिस किए गए दुग्ध उत्पादों की कुल मात्रा और उनका मूल्य संलग्न विवरण (अनुबन्ध 1) में दिया गया है। प्रतिदिन वापिस किए गए दुग्ध उत्पादों की औसत मात्रा नहीं के बराबर है।

(ग) जनवरी, 1969 से फरवरी, 1970 (महीनेवार) के दौरान केन्द्रीय डेरी द्वारा दुग्ध केन्द्र/बार को भेजे गए विभिन्न प्रकार के दुग्ध/दुग्ध-उत्पादों की मात्रा, बेची गई मात्रा, दुग्ध-केन्द्र तथा दुग्ध-बार के लिए अलग-अलग रूप से संलग्न विवरणों (अनुबन्ध 2 तथा 3) में दी गई है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए एल० टी० 3139/70]

(घ) और (ङ) विभिन्न प्रकार के दुग्ध तथा दुग्ध-उत्पादों की वास्तविक मांग का निर्धारण दुग्ध केन्द्र/बार प्रबन्धक दिन-प्रतिदिन की मांग से करता है और कभी-कभार ही जबकि किसी कारणवश स्टाक अस्थायी रूप से उपलब्ध नहीं होते, को छोड़ कर, उनकी मांग के अनुसार ही सप्लाई की जाती है।

संसद् भवन में दिल्ली दुग्ध योजना केन्द्र का कार्यकरण

5699. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद् भवन में दिल्ली दुग्ध योजना के दुग्ध केन्द्र / 'बार' के खुलने और बन्द करने का समय सत्रावधि में संसद की दोनों सभाओं की बैठकों के अनुसार है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या हाल ही में दिल्ली दुग्ध योजना को इस प्रकार की कई शिकायतें मिली हैं कि सत्र के दौरान उपयुक्त केन्द्रों पर कार्य करने वाले कर्मचारियों द्वारा मध्याह्न पूर्व ही इस प्रकार की घोषणा कर दी गयी कि विभिन्न प्रकार का दूध और दही, घी, मक्खन आदि दुग्ध पदार्थ 'बिक चुके हैं' और 'भण्डार में नहीं हैं' ;

(घ) यदि हां, तो क्या उच्च अधिकारियों ने इस बात का पता लगाने के लिये उपर्युक्त केन्द्रों का बिना पूर्व सूचना के निरीक्षण किया है कि क्या दुग्ध केन्द्र के कर्मचारियों की सांठगांठ से दुग्ध-पदार्थों को संसद् भवन के बाहर ले जाया जाता है अथवा कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों को प्रसन्न करने के लिये उन्हें छिपा दिया जाता है ; और

(ङ) यदि हां, तो कब (तिथि सहित); और उस पर क्या कार्यवाही की गई है और उसके क्या ठोस परिणाम निकले हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक बिकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) संसद् भवन में स्थित (1) दुग्ध स्टाल और (2) दुग्ध 'बार' का साधारण कार्यकाल 9.30 बजे प्रातः से 6.00 बजे सायं तक है। फिर भी वर्तमान व्यवस्था के अनुसार दुग्ध स्टाल छुट्टी वाले दिनों में भी खुला रखा जाता है यदि ऐसे दिनों में संसद् या संसदीय समिति की बैठक हो। यथा आवश्यक संसद् के दोनों सदनों के समय के अनुसार दुग्ध स्टाल भी खुले रखे जाते हैं।

(ख) प्रश्न नहीं होता।

(ग) वर्ष 1969-70 के दौरान दिल्ली दुग्ध योजना को गरम दूध और दही / लस्सी की अनुपलब्धि के बारे में संसद् सदस्यों से दो लिखित शिकायतें प्राप्त हुईं और एक शिकायत एक किलोग्राम के घी का डिब्बा न देने के बारे में प्राप्त हुई। 1-3-1970 से 12-3-1970 के दौरान मक्खन की अनुपलब्धि के बारे में कुछ मौखिक शिकायतें भी प्राप्त हुईं।

(घ) दुग्ध स्टाल और दुग्ध 'बार' का निरन्तर निरीक्षण किया जाता है और ऐसा कोई कदाचार का मामला ज्ञात नहीं हुआ है। फिर भी यह कहा जा सकता है कि दिल्ली दुग्ध योजना, अपनी गुण नियन्त्रण प्रयोगशाला में केवल संसद् भवन में सप्लाई करने के लिये ही थोड़ी मात्रा में दही बनाती है। लगभग पिछले दो मास से एक किलोग्राम घी के टिन योजना के स्टाक में नहीं हैं। 1-3-1970 से 12-3-1970 की अवधि में मक्खन पर उत्पादन कर लगने के कारण और उससे सम्बन्धित औपचारिकताओं को अन्तिम रूप देने के लिए, सप्लाई बंद कर दी थी।

(ङ) प्रश्न नहीं होता।

नासिक, महाराष्ट्र में सहकारी चीनी कारखाने

5700. **श्री ज० मं० काहानडोल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र के नासिक जिले में कुछ नये सहकारी चीनी कारखाने स्थापित करने के लिये सरकार से आवेदन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त आवेदन किसने किया है और कितने कारखानों को स्थापित करने के लिये किया गया है ; और

(ग) सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क), (ख) और (ग) महाराष्ट्र के नासिक जिले के खेदगांव और पलसे नामक स्थान में दो नये सहकारी चीनी कारखाने लगाने हेतु लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अगस्त / सितम्बर, 1969 में दो अवेदन-पत्र मिले हैं ।

दोनों आवेदन-पत्रों पर विचार किया जा रहा है ।

गुड़ के मूल्यों का निर्धारण

5701 . **श्री ज० मं० काहानडोल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष गुड़ के मूल्यों में अत्यधिक गिरावट आने के कारण महाराष्ट्र के कृषकों को भारी हानि हुई है ;

(ख) क्या गुड़ के मूल्यों को गिराने से रोकना सरकार के लिये संभव नहीं है ;

(ग) क्या कृषि जन्य उत्पादों के मूल्यों को गिराने से रोकना सरकार की नीति नहीं है ; और

(घ) यदि हां, तो गुड़ के मूल्यों को गिरने से न रोके जाने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी हां । महाराष्ट्र में इस वर्ष 1968-69 की अपेक्षा गुड़ के मूल्यों में काफी गिरावट आयी है ।

(ख), (ग) और (घ) गुड़ के मूल्य को गिरने से रोकने के लिए भारत सरकार ने गुड़ के वायदा व्यापार से प्रतिबन्ध उठाने के अतिरिक्त, निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए गुड़ के प्रयोग की अनुमति देने का अधिकार भी प्राप्त कर लिया है :—

(1) तम्बाकू उद्योग में प्रयोग ;

(2) चमड़ा कमाई उद्योग में प्रयोग ;

(3) कैमिकल उद्योग में प्रयोग ;

(4) अन्य किसी औद्योगिक प्रयोग के लिए ।

इन उपायों के परिणाम स्वरूप, कुछ राज्यों में गुड़ के मूल्यों में सुधार हुआ है । चीनी कारखानों द्वारा अधिक से अधिक गन्ना पेरा जाए, इसलिए भारत सरकार ने चीनी कारखानों को 1969-70 में उत्पादित चीनी पर उनके 1968-69 के मौसम के 105 प्रतिशत के उत्पादन से अधिक उत्पादन पर उत्पादन शुल्क में 8 रुपये प्रति क्विंटल की छूट देने का निश्चय किया है । इसके अलावा, राज्य

सरकार ने चीनी फैक्ट्रियों को पिराई मौसम बढ़ाने के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान की हैं और कृषि पैदावार के लिए लाभकारी मूल्य देने की समस्या का अध्ययन करने के लिए कृषि मन्त्री की अध्यक्षता में एक समिति भी नियुक्त की है।

महाराष्ट्र में नासिक जिले की टेलीफोन लाइनों की मरम्मत

5702. **श्री ज० मं० काहानडोल** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र के नासिक जिले के सरगाना, दिनदोर सताना, देओला और कल्याण क्षेत्रों में टेलीफोन लाइनें प्राय: खराब रहती हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त क्षेत्र की जनता काफी समय से टेलीफोन लाइनों की मरम्मत और/या इन लाइनों और उपकरणों के बदले जाने की मांग कर रही है ; और

(ग) सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी नहीं, आमतौर पर ऐसा नहीं होता। फिर भी फरवरी और मार्च, 1970 के महीनों में प्रत्येक सार्वजनिक टेलीफोन घर के लिये एक ही साझे तार युग्म के स्थान पर स्वतन्त्र लाइनों की व्यवस्था करने के लिए लाइनों के पुनर्निर्माण के कारण इन परिपथों में खराबी रही है। किन्तु इससे इन परिपथों के कार्य पर गम्भीर रूप से कोई असर नहीं पड़ा।

(ख) जी हां, जैसा कि ऊपर भाग (क) के उत्तर में बताया गया है, कार्य चल रहा है।

(ग) (i) जैसा कि ऊपर भाग (क) के उत्तर में बताया गया है, सार्वजनिक टेलीफोन घर जो कि एक ही साझे तार युग्म से आगे-पीछे काम चला रहे थे, उन्हें अलग-अलग करने के लिए कदम उठाये गए हैं।

(ii) दिनदोरी में (25 लाइनों के स्वचल) और देओला तथा कल्याण (प्रत्येक में 50 लाइनों के स्वचल) टेलीफोन एक्सचेंज लगाने और सताना तथा मालेगांव के बीच अतिरिक्त ट्रंक लाइनें लगाने के लिए प्राक्कलन तैयार किये जा रहे हैं।

खानों में दुर्घटनाएं

5703. **श्री जगेश्वर यादव** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में किन-किन विभिन्न खानों में दुर्घटनायें हुईं और इसके परिणामस्वरूप जान और माल की कितनी हानि हुई; और

(ख) उक्त दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने क्या उपचारात्मक कार्यवाही की या करने का विचार है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन की मेज पर रख दी जायगी।

सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों को परेशान करना

5704. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की सेवा में व्यवधान समाप्त किये जाने के बारे में 2 मार्च,1970 को की गई घोषणा के बाद भी हड़ताल में भाग लेने वाले वरिष्ठ कर्मचारियों के स्थान पर कुछ जूनियर कर्मचारी पदोन्नत कर दिये गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो इस अन्याय को समाप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना तथा प्रसारण और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) तथा (ख) जी हां, कुछ कर्मचारी जिनको वरिष्ठ कर्मचारियों पर, जिन्होंने हड़ताल में भाग लिया था, तरजीह देकर 3 मार्च, 1970 से पहले पदोन्नति देने का अनुमोदन किया गया था, पदोन्नत किए जा चुके हैं । जिन कर्मचारियों ने हड़ताल में भाग लिया था, उनके चयन के मामलों पर भविष्य में विभागीय पदोन्नति समिति विचार करेगी ।

अहमदाबाद के लिये टेलीविजन

5705. **श्री सोमचंद सोलंकी** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सभी राज्यों की राजधानियों में टेलीविजन केन्द्र स्थापित करने का निर्णय किया है;

(ख) क्या सरकार को इस बात का पता है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में उनके मन्त्रालय के 10 जुलाई, 1969 के पत्र के अनुसार हैदराबाद और बंगलौर से पहले अहमदाबाद में टेलीविजन केन्द्र स्थापित किया जायेगा; और

(ग) यदि हां, तो इसको क्रियान्वित करने में कितना समय लगेगा और विलम्ब के क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) अहमदाबाद में एक टेलीविजन केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव सूचना और प्रसारण मन्त्रालय की चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल नहीं किया गया है ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

पलना कोयला खान में छंटनी के कथित गैर-कानूनी नोटिसों का जारी किया जाना

5706. **श्री पन्नालाल बारूपाल** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पलना कोयला खान के श्रमिकों को दिए गए छंटनी के नोटिसों के गैर-कानूनी पहलू को छिपाने के लिए कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर 24 दिसम्बर, 1969 को एक शुद्धि-पत्र चिपका दिया गया था और उसकी प्रतियां संबंधित श्रमिकों में परिचालित नहीं की गई थीं ।

(ख) क्या यह भी सच है कि पलना कोयला खान से श्रमिकों की छंटनी किये जाने के बाद भी उन्हें 24 नवम्बर, 1969 को श्रमिक-पूंजी में दिखाया गया था;

(ग) क्या यह भी सच है कि उक्त शुद्धि-पत्र पर किसी अधिकृत प्राधिकारी के हस्ताक्षर नहीं थे और इससे श्रमिकों में बहुत रोष है; और

(घ) क्या राज्य के इस क्षेत्र में व्यापक अकाल और उसके परिणाम स्वरूप बेरोजगारी को ध्यान में रखते हुए सरकार पलना कोयला खान के प्रबन्धकों द्वारा अपनाई गई छंटनी की नीति से किस प्रकार सहमत है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर छंटनी की सही तारीख को, जो कि 25–11–1969 नहीं बल्कि 25–12–1969 थी, बताने के लिए एक शुद्धि-पत्र 22–12–1969 को लगाया गया था । इसे संबंधित श्रमिकों में परिचालित नहीं किया गया था ।

(ख) चूंकि छंटनी केवल 25–12–1969 से ही की गई थी, इसलिये श्रमिकों को 24–11–1969 को रजिस्टर में उपस्थित दिखाया गया ।

(ग) शुद्धि-पत्र पर राजस्थान सरकार के खान तथा भूगर्भशास्त्र निदेशक, उदयपुर के, जो कि कोयला खान के अधिकर्ता हैं, प्राधिकार के अन्तर्गत खान प्रबन्धक ने हस्ताक्षर किये थे ।

(घ) चूंकि भूमि के नीचे की आग के कारण कोयला खान को बंद करना आवश्यक था, इसलिये श्रमिकों की छंटनी की गई । उन्हें राजस्थान सरकार द्वारा आरम्भ किये गये अकाल पीड़ित सहायता कार्यों में रोजगार प्राप्त करने के लिये सलाह दी गई थी ।

दिल्ली में आवारा और दुधारू पशुओं के लिये 'गोसदन' की स्थापना

5707. **श्री आत्म दास :** **श्री शिवकुमार शास्त्री :**

क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार आवारा गायों की देखभाल के लिए राजधानी में 'गोसदन' स्थापित करने का है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली प्रशासन ने 'गोसदन' के लिये कुछ प्लाट आरक्षित किये हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उक्त 'गोसदन' न केवल आवारा गायों को संरक्षण प्रदान करेगा बल्कि छोटी दुधारू गायों का पालन-पोषण करने में भी समर्थ होगा जिससे वह दिल्ली की दूध की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक होगा ; और

(घ) यदि हां, तो उक्त गोसदनों की स्थापना कब तक की जायेगी और इस पर होने वाले खर्च को किस साधन से पूरा किया जायेगा ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) से (घ) दिल्ली प्रशासन से जानकारी एकत्र की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

Centres For Training In Tractor Driving

5708. **Shri Yashwant Singh Kushwah :** Will the Minister of **Food And Agriculture** be pleased to state :

(a) the arrangements made to impart training to farmers, especially young farmers of the country, in tractor-driving; and

(b) the names of the places where such training centres have been opened the duration of the course in this connection and the qualifications prescribed for the trainees for getting admission in this course ?

Minister of State In The Ministry of Food, Agrieulture, Community Development & Coopration (Shri Anna Saheb Shinde) : (a) & (b) A scheme for imparting training in servicing and maintenance of agricultural machinery including tractor driving has been finalised and Introduced in the Tractor Training Centres run by the Government of India at Budni and Hissar. The training courses conducted for maintenance and operation of tractors to farmers are of 3 months' duration and no minimum educational qualifications have been prescribed for admission to this course. The trainees are, however, expected to have working knowledge of Hindi and English. The State Governments have also been requested to set up two training centres in each State for providing short duration training courses to agriculturists etc., on the operation and repair of tractors, pumps, etc.

सरकार द्वारा हाल में घोषित रियायत के बाद कोचीन क्षेत्र में डाक व तार कर्मचारियों की बहाली

5709. **श्रीमती सुशीला गोपालन :** **श्री सी० के० चक्रपाणि :**
श्री विश्वनाथ मेनन : **श्री पी० पी० एस्थोस :**

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 19 सितम्बर, 1968 को एक दिन की सांकेतिक हड़ताल के परिणामस्वरूप उत्पीड़ित केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में सरकार द्वारा हाल में घोषित रियायतों के अनुसरण में कोचीन क्षेत्र में डाक व तार विभाग में नौकरी से निकाले गये कितने कर्मचारी बहाल किये गये हैं और कितने निलम्बन आदेश रद्द किये गये हैं ;

(ख) क्या कोचीन क्षेत्र में अभी ऐसे कोई कर्मचारी हैं जिनके विरुद्ध कोई आपराधिक मामले विचाराधीन नहीं हैं अथवा डराने-धमकाने या हिंसा का कोई आरोप जांचाधीन नहीं है फिर भी जिन्हें निलम्बित रखा गया है; और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) कोचीन क्षेत्र में डाक व तार विभाग में अब भी कितने कर्मचारी निलम्बित हैं ?

सूचना तथा प्रसारण और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) हड़ताल के परिणामस्वरूप कोचीन निगम क्षेत्र के सभी 15 अस्थायी कर्मचारी जिनकी संवाएं समाप्त कर दी गई थीं और सभी 14 स्थायी / अर्ध स्थायी कर्मचारी जिन्हें मुअत्तल किया गया था, हाल ही में घोषित रियायतों के अनुसार सेवा पर वापिस ले लिये गए हैं ।

(ख) ऐसा कोई मामला नहीं है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली में अनाज के व्यापारियों के विरुद्ध मामले

5710. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1964-65 में दिल्ली के अनाज के कुछ बड़े व्यापारियों के विरुद्ध बिना लाइसेंस गोदाम रखने, मूल्य सूचियां प्रदर्शित न करने तथा रजिस्टर में स्टाक दर्ज न करने के लिये मामले चलाये गये थे; और यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या उपरोक्त सभी मामले वर्ष 1967 में वापिस लिए गये थे; और यदि हां, तो उसके क्या कारण थे ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) 1964 में पुलिस के पास दर्ज कराये गये 50 मामलों में से 47 मामलों को दिल्ली प्रशासन ने 1965-66 में वापिस ले लिया था क्योंकि अनाज के व्यापारियों द्वारा की गई अनियमितताएं गौण और तकनीकी समझी गई थीं । बाकी मामलों में से तीन के सम्बन्ध में न्यायालय में कार्यवाही की गई थी जिसमें से दो मामले में दोष सिद्ध हुआ था ।

विवरण

1964 में दिल्ली में अनाज के व्यापारियों के विरुद्ध पकड़े गये अपराधों का स्वरूप और उनकी संख्या बतलाने वाला विवरण

अपराध का स्वरूप	जिन मामलों में आरोप लगाये गये थे उनकी संख्या
1—अस्वीकृत गोदामों का प्रयोग	28
2—कैशमेमों ठीक से नहीं काटा गया था	26
3—स्टाक/बिक्री रजिस्टर में हिसाब ठीक तरह से नहीं रखा गया था ।	38
4—हिसाब-किताब ठीक तरह से नहीं रखा गया था ।	9
5—स्टाक बोर्ड पर स्टाक ठीक तरह से नहीं दिखाया गया था ।	8
6—अन्य विविध अपराध	17
	126*

* ये आंकड़े आरोप की संख्या के सूचक हैं ।
इसके अंतर्गत 69 पार्टी हैं ।

नोट :—1964 में पकड़े गये 69 मामलों में से 19 मामले विभागीय जांच के बाद समाप्त कर दिये गये थे और बाकी 50 मामले पुलिस के पास दर्ज करा दिये गये थे। 1965 में कोई भी मामला पकड़ा नहीं गया था।

औद्योगिक श्रमिकों के लिये पेंशन योजना

5712. **श्री स०मो० बनर्जी :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक श्रमिकों के परिवार के सदस्यों के लिये इस बीच पेंशन योजना तैयार की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) यह योजना संभवत: कुल कितने परिवारों पर लागू होगी ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क), (ख) और (ग) ऐसे औद्योगिक श्रमिकों के लिए, जो कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत आते हैं और जो मजूरी के 8 प्रतिशत की दर पर भविष्य निधि अंशदान देते हैं, परिवार पेंशन-व-जीवन बीमा योजना शुरू करने का विचार है। इस योजना की रूपरेखा " टुवर्ड्स ग्रोथ विद सोशल जस्टिस " शीर्षक पुस्तिका में दी गई है, जो कि बजट सम्बन्धी कागजात के साथ संसद के सामने रख दी गई है।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में विक्रय सहायकों की नियुक्ति

5713. **श्री प० गोपालन :** **श्री अ० कु० गोपालन :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, 1969 में खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में विक्रय सहायकों (अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आरक्षित) की नियुक्ति के लिये आवेदन पत्र मांगे गये थे ;

(ख) यदि हां, तो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कुल कितने अभ्यर्थियों का इन पदों के लिये साक्षात्कार किया गया था ;

(ग) क्या इन पदों पर नियुक्तियां कर दी गई हैं ;

(घ) यदि हां, तो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कुल कितने अभ्यर्थियों को नियुक्त किया गया है ; और

(ङ) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों से भिन्न किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति की गई है ; और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) से (ङ) अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथासम्भव सभा पटल पर रख दी जाएगी।

वनस्पति घी का उत्पादन तथा मूल्य

5714. **श्री मधु लिमये :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वनस्पति एककों के बन्द हो जाने या उनसे उत्पादन के बन्द हो जाने के कारण उत्पादन में कितनी कमी होने की संभावना है ;

(ख) क्या निर्माता पाक्षिक समीक्षा तथा मूल्यों में वृद्धि के लिये दबाव डाल रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इन निर्माताओं के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्रों में वनस्पति के उत्पादन मे प्रायः कोई भी कमी नहीं हुई थी । उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों में यह कमी, सामान्य उत्पादन से क्रमशः लगभग 15 प्रतिशत तथा 25 प्रतिशत तक थी । समूचे देश में यह कुल कमी लगभग 15 प्रतिशत थी ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बंगाल की खाड़ी में मत्स्य क्षेत्र के विकास के लिये रूसी अनुसन्धान जहाज

5715. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि रूसी अनुसंधान जहाज हाल में बंगाल की खाड़ी में मत्स्य क्षेत्र के विकास में सहायता देने के लिये गहन जांच करने में व्यस्त थे और वे पाकिस्तानी वैज्ञानिकों की सहायता से जांच कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य सन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) भारत सरकार को पाकिस्तान रेडियो समाचारों पर आधारित उस प्रेस रिपोर्ट का पता है जिसमें कहा गया है कि एक रूसी अनुसंधान जहाज़ बंगाल की खाड़ी में मत्स्य क्षेत्र के विकास में सहायता देने के लिये गहन जांच करने में व्यस्त है और रूस के अनुसन्धान कार्यकर्त्ता पाकिस्तानी वैज्ञानिकों की सहायता से यह जांच कर रहे हैं ।

(ख) विदेशी जहाज़ अन्तर्राष्ट्रीय जल में बिना रोक-टोक के आ-जा सकते हैं । हिन्द महासागर के अन्तर्राष्ट्रीय जल में मात्स्यकी सर्वेक्षण तथा मत्स्य प्रचालन का कार्य अनेक राष्ट्र के जहाज़ करते रहते हैं । भारत ने अपने सर्वेक्षण बेड़े के विकास और काफी गहरे समुद्र में मत्स्य हरण के कार्य हेतु अवस्थापन प्रदान करने के लिये उपाय किये हैं ।

Direct Telephone Line between Swai Madhopur-Jaipur and Gangapur-Jaipur

5716. **Shri Meetha Lal Meena** : Will the Minister of **Information and Broadcasring and Communications** be pleased to state : (a) Whether it is a fact that Gangapur city, Swai Madhopur, Hindon in Bharatpur Division (Rajasthan) have telephone links with other cities in Rajasthan and other parts of the country generally through Agra where loss to the tune of thousands of rupees is suffered every year as a result of snapping of the lines, thefts etc., and the telephone service is also dislocated;

(b) If so, whether Government are formulating a scheme to connect Swai Madhopur and Gangapur direct with Jaipur instead of via Agra;

(c) If so, the details thereof ; and

(d) If not, the reasons therefor?

Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) The presumption is not generally correct. Out of 7 different trunk routes from Gangapur City Exchange only one, that to Bharatpur, passes via Agra. Swai Madhopur has 8 trunk routes none of which passes via Agra. Hindon Exchange has 6 direct trunk routes none passing via Agra. Trunk traffic from these stations to stations via Agra is very few and in case of snapping of wires arround Agra, the traffic flows via alternate route and is not appreciably affected.

(b) Both Swai Madhopur and Gangapur have direct trunk outlets to Jaipur. No fresh scheme is, therefore, necessary at this stage.

(c) Does not arise.

(d) Does not arise.

मनीपुर में अनारक्षित मत्स्य पालन भूमि का बन्दोबस्त

5718. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर में अनारक्षित मत्स्यपालन भूमि के बड़े क्षेत्रों में लोगों को बसाने की मंजूरी देने में विलम्ब हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो अनारक्षित मत्स्यपालन क्षेत्र के अन्तर्गत कुल कितनी एकड़ भूमि है और ऐसे मत्स्यपालन क्षेत्रों की सूची क्या है जिन्हें भूमिहीन लोगों को जमीन देने के प्रयोजन से अनारक्षित किया गया है और अभी तक उन्हें बसाया नहीं गया है ; और

(ग) वास्तविक भूमिहीनों तथा गरीब किसानों को शीघ्र बसाने के लिये मनीपुर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क), (ख) और (ग) मणिपुर प्रशासन से जानकारी मांगी जा रही है और इस विषय पर एक टिप्पणी सभा पटल पर रख दी जायगी ।

पहाड़ी क्षेत्रों में शीतकाल तथा अन्य भत्ते देने के सम्बन्ध में मनीपुर के डाक व तार कर्मचारियों से ज्ञापन

5719. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इम्फाल तथा मनीपुर के अन्य स्थानों में नियुक्त डाक व तार कर्मचारियों ने पोस्ट मास्टर जनरल तथा आसाम डाक सेवा, आसाम सर्कल के निर्देशक को, जब वे पिछली बार इम्फाल आये थे, अपने संघों के माध्यम से ज्ञापन दिया था और बाद में उपरोक्त निदेशक को कई भत्तों की, जिसमें पहाड़ी क्षेत्र तथा शीतकाल भत्ते, तदर्थ भत्ते जो कि मनीपुर के सरकार के कर्मचारियों को मिलते हैं, मंजूरी के लिये ज्ञापन भेजा था;

(ख) यदि हां, तो आसाम सर्कल के डाक अधिकारियों ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) क्या उपरोक्त भत्तों की आवश्यक मंजूरी के सम्बन्ध में मनीपुर के डाक कर्मचारियों की शिकायतों के बारे में मन्त्रालय से परामर्श किया गया है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग) संघों द्वारा की गयी मांगें इस मन्त्रालय में प्राप्त हुई थीं और उन पर वित्त मन्त्रालय के परामर्श से विचार किया गया था । वित्त मन्त्रालय अब केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये निर्धारित दरों पर दिये जाने वाले पहाड़ी क्षेत्र, शीतकाल और मकान किराया भत्ते मणिपुर सरकार के कर्मचारियों के लिए निर्धारित दरों के आधार पर मंजूर करने के लिए सहमत नहीं हुआ ।

क्षेत्रीय प्रचार अनुभाग के कर्मचारियों की नियुक्ति

5720.**श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस आशय का कोई नियम बनाया और लागू किया गया है कि क्षेत्रीय प्रचार अनुभाग में कर्मचारियों को उनके सामान्य निवास स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर नियुक्त किया जायेगा और उनको उनके सामान्य निवास स्थान पर स्थानान्तरित नहीं किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) यदि भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है तो क्षेत्रीय प्रचार अनुभाग में कर्मचारियों का तबादला करने सम्बन्धी नियम क्या हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) और (ख) यद्यपि इस विषय पर कोई नियम नहीं है, तथापि नीति के अनुसार, क्षेत्रीय प्रचार अधिकारियों तथा क्षेत्रीय प्रचार सहायकों को प्रायः उनके स्थायी निवास स्थानों में तैनात नहीं किया जाता । यह नीति इसलिए बनाई गई है कि सम्बन्धित अधिकारी अपने कर्तव्य पालन में निष्पक्ष रहें ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

मनीपुर की एलंगखांगपोकपी फार्मिग सोसायटी को भूमि का आवंटन

5721. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर प्रशासन मनीपुर की एलंगखांगपोकपी फार्मिंग सोसायटी को 1620 एकड़ भूमि अलाट कर रहा है ;

(ख) क्या सोसायटी के सदस्य भूमिहीन अथवा गरीब किसान हैं ;

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार अलाट की गई भूमि के लिये मनीपुर प्रशासन द्वारा प्रीमियम लिये जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या मनीपुर प्रशासन प्रीमियम मांगे बिना भूमि देने पर विचार कर रहा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक बिकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ) सोसायटी के सदस्य भूमिहीन व्यक्ति हैं । मनीपुर भू-राजस्व तथा भूमि सुधार अधिनियम, 1960 के अंतर्गत सक्षम अधिकारी ने भूमि के लिये प्रीमियम लगाया है । मणिपुर प्रशासन ने बिना प्रीमियम के भूमि आवंटित करने के विषय में किसी प्रस्ताव के बारे में सूचना नहीं भेजी है ।

Central Assistance For Setting Up Agricultural Industrial Corporation In Madhya Pradesh.

5722. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an Agricultural Industrial Corporation has been set up in Madhya Pradesh; and

(b) if so, the assistance provided by Central Government in this regard ?

Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development & Co-operation (Shri Anna Saheb Shinde) : (a) & (b) Presumably, the Hon. Member is referring to the Madhya Pradesh State Agro-Industries Development Corporation. This Corporation was set up on 21. 3. 1969 with an authorised capital of Rs. 250.00 lakhs. The State Government and the Central Government are joint share holders in the ratio of 50 : 50. The paid up capital of the Corporation at present is Rs. 60.00 lakhs.

Circulation of M. P. Weeklies Registered with Central Government

5723. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Information And Broadcasting And Communications** be pleased to state :

(a) the number of weeklies of Madlya Pradesh registered with the Central Government;

(b) the circulation of the said weeklies;

(c) whether Government have at any time looked into the circulation number given of the said weeklies; and

(d) if not, the reasons therefor and the quota of newsprint allotted to them and the amount charged therefor?

The Minister of State in the Ministry of Information & Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) One hundred and thirty-four.

(b) Of these, the Registrar of Newspapers received information in regard to circulation for the year 1968 only from 78 weeklies as per details given in the attached statement. [Placed in the Library see L T — 3140 — 70]

(c) The circulation claims of newspapers are verified by the office of the Registrar of Newspapers according to a phased programme. The claims of 13 weeklies in 1966 and of 4 weeklies in 1968, published from Madhya Pradesh, were checked.

(d) Applications were received from 16 weeklies published from Madhya Pradesh for newsprint. The quantity allocated to each is given in the attached statement. The contracted price of imported newsprint for the year 1969-70 was Rs. 1190 — per metric tonne.

Employees Provident Fund Contributions by Companies in Madhya Pradesh.

5724. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the names and other details of the companies in Madhya Pradesh which have not contributed their portion towards the provident fund of their workers and employees;

(b) the amount yet to be contributed by each of the said companies; and

(c) in case any action has been taken against them for not contributing their portions, the nature thereof ?

Minister of Labour & Rehabilitation (Shri D. Sanjivayya) : (a), (b) and (c) The administration of the Employees' Provident Fund is the concern of the Central Board of Trustees, an autonomous organisation under the Employees' Provident Funds Act, 1952, and is not the direct concern of the Government of India. A statement showing the names of the unexempted establishments in Madhya Pradesh which were in arrears of the Provident Fund dues of Rupees one lakh and more as on 31. 1. 1970 together with the amount in default and particulars of action taken to recover the amount as furnished by the Provident Fund authorities is attached. [Placed in Library see L T — 3141 — 70]

खाद्यान्नों का उत्पादन लक्ष्य तथा आत्मनिर्भरता

5726. **श्री नि० रं० लास्कर** :
श्री मायावन :
श्रीदण्डपाणि :
श्री रवि राय :
श्री सामीनाथन :
श्री चेंगलराया नायडू :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विशेषज्ञों के अनुसार इस वर्ष भारत की कुल उपज 9.9 करोड़ टन से अधिक नहीं होगी ;

(ख) यदि हां, तो 10 करोड़ टन के लक्ष्य की प्राप्ति न करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इन विशेषज्ञों ने यह भी कहा है कि आगामी वर्ष में खाद्य के मामले में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के अवसर बहुत कम हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क), (ख) तथा (ग) विशेषज्ञों ने ऐसे किसी विश्लेषण के बारे में सरकार को नहीं बताया है, किन्तु इस सम्बन्ध में कुछ समय पहले प्रेस रिपोर्टों में प्रकाशित हुआ था कि 1969-70 में सम्भव है देश में खाद्यान्नों का उत्पादन उतना न हो जितने की आशा की गई थी । कुछ भी हो ये प्रेस रिपोर्टें सरकारी अनुमान पर आधारित नहीं हैं । 1969-70 के दौरान खाद्यान फसलों के उत्पादन के पक्के अनुमान कृषि वर्ष की समाप्ति के बाद अर्थात जुलाई-अगस्त, 1970 में किसी समय उपलब्ध होंगे । मौसम तथा फसल की परिस्थितियों के बारे में प्राप्त सही रिपोर्टों के आधार पर आशा की जाती है कि 1969-70 के दौरान खाद्यान्नों का कुल उत्पादन 1000 लाख मीटरी टनों के आसपास होगा । 1970-71 के दौरान वास्तव में जो उत्पादन उपलब्ध होगा उसके बारे में अभी नहीं बाताया जा सकता क्योंकि कृषि विकास की नई नीति के अन्तर्गत अपनाए गए विभिन्न विकास उपायों के प्रभाव के अतिरिक्त वास्तविक उत्पादन वर्ष के दौरान मौसम तथा वर्षा की परिस्थितियों से भी प्रभावित होगा । सरकार का उद्देश्य 1970-71 के बाद खाद्यान्नों के रियायती आयात को रोकना है ।

पश्चिम बंगाला में पूर्व पाकिस्तान से आये शरणार्थियों के पुनर्वास के प्रश्न पर विचार

†5727. **श्री नि० रं० लास्कर** :
श्री सामीनाथन :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री मायावन :
श्री दण्डपाणि :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने पूर्व पाकिस्तान से पश्चिम बंगाल में आये लगभग 50 लाख शरणार्थियों के पुनर्वास के समूचे प्रश्न पर विचार करने का राज्य सरकार की मांग को अस्वीकृत कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मांग को अस्वीकृत करने के क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख) नई दिल्ली में दिसम्बर, 1969 में हुई एक बैठक में पश्चिम बंगाल के शरणार्थी राहत तथा पुनर्वास मंत्री ने कहा था कि राज्य में पूर्व पकिस्तान से आये नये पुराने दोनों प्रकार के ही लगभग 50 लाख विस्थापितों में से लगभग 5 लाख परिवारों के प्राय: 25 लाख लोगों को पुनर्वास के लाभ दिये जाने अभी शेष हैं ।

यह स्पष्ट किया गया कि पश्चिम बंगाल में पुराने आव्रजकों के पुनर्वास का कार्य उन कुछ शेष बची समस्याओं के सिवाय प्राय: पूरा हो चुका है जिनका मूल्यांकन वर्ष 1960-61 में पश्चिम बंगाल सरकार को परामर्श से लगाया गया था । अवशिष्ट मूल्यांकन के पश्चात् पश्चिम बंगाल में पुनर्वास उपायों की क्रियान्वित तथा उसके परिणाम के मूल्यांकन के बारे में और वर्तमान परियोजनाओं में सुधार तथा उनके पुर्नानिरूपण के प्रश्न पर संसद सदस्य श्री एम० सी० चैटर्जी की अध्यक्षता में गठित पुनरावलोकन समिति द्वारा विचार किया जा रहा है । इस पुनरावलोकन समिति को पश्चिम बंगाल में रह गये आव्रजकों द्वारा उत्पन्न की गई समस्या का स्वरूप तथा उसकी गहनता का मूल्यांकन करने तथा उन लोगों को तकनीक प्रशिक्षण, रोजगार शिक्षा तथा चिकित्सा सुविधाएं देने हेतु किसी सीमा तक वित्तीय सहायता की सिफारिश करने को भी कहा गया है । इस पृष्ठभूमि में पश्चिम बंगाल सरकार को सूचित किया गया था कि इस स्थिति में केवल उन मामलों को छोड़कर जिन्हें पहले ही अवशिष्टि-करार में शामिल कर लिया गया था या जिनके बारे में पुनरावलोकन समिति द्वारा सिफारिश की जाये और सरकार उन सिफारिशों को स्वीकार कर ले, पश्चिम बंगाल के विस्थापितों के पुनर्वास सम्बन्धी समस्त प्रश्न पर पुन: विचार करना कठिन है ।

आन्ध्र प्रदेश के अर्ध शुष्क खण्डों (जोन्स) के विकास के लिये फ्रांस के साथ करार

5728. **श्री नि०रं० लास्कर :**
श्री सीताराम केसरी :
श्री दण्डपाणि :
श्री मयावन :
श्री सामिनाथन :
श्री चेंगलराया नायडू :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश के अर्धशुष्क खण्डों की कृषि योजना तथा विकास के सम्बन्ध में भारत सरकार तथा फ्रांस की सरकार के बीच एक करार किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है ; और

(घ) इस करार के अन्तर्गत फ्रांस ने किन शर्तों पर सहायता देना स्वीकार किया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) आन्ध्र प्रदेश के अमस्त खण्डों के लिये नहीं, बल्कि केवल अनन्तपुर जिले के अर्ध-शुष्क क्षेत्र में कृषि विकास के सम्बन्ध में एक छोटी-सी भारत-फ्रांस परियोजना पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(ख), (ग) और (घ) इस परियोजना में कृषि के परीक्षण तथा उन्नत तकनीकों के प्रदर्शन करने, सुधरे हुए औजारों के प्रचलन और परीक्षण, छोटे बान्धों और जल मार्गों के निर्माण, कुओं को गहरा करना आदि से मौजूदा सिंचाई सुविधाओं का अच्छा उपयोग करने, कृषकों के प्रशिक्षण, अर्ल्स मेरिनो भेड़ के प्रचलन तथा भूगत जल का पता लगाने हेतु एक जल-विज्ञान सम्बन्धी सर्वेक्षण करने के लिए अनन्तपुर जिले में एक मार्गदर्शी परियोजना शुरू करने का विचार है।

करार के अनुसार फ्रांस सरकार शुष्क भूमि में खेती करने के लिए विशेषज्ञ, शुष्क खेती की तकनीकों और जल-विज्ञान विषयक सर्वेक्षण के लिए विशेष तौर पर उपस्कर तथा कुछ मेरिनो भेड़ें प्रदान करने और परियोजना में लगे हुए भारतीय कार्मिकों को प्रशिक्षण देने के लिए भी व्यवस्था करेगी। इस समस्त सहायता पर परियोजना की अवधि अर्थात् तीन वर्षों के लिए लगभग 37 लाख रुपये की लागत का अनुमान है।

करार के अनुबद्ध के अन्तर्गत आन्ध्र सरकार इसकी लागत, प्रतिक्रम कार्मिक, फ्रांस के विशेषज्ञों के कार्यालय और निवास स्थान तथा भारत में उनकी यात्रा का व्यय, और उपस्कर, परिवहन आदि के प्रचालन और अनुरक्षण की लागत के अतिरिक्त अन्य फुटकर व्यय भी देगी।

साम्प्रदायिक तनाव रोकने के लिए आकाशवाणी के सिलीगुड़ी केन्द्र द्वारा प्रसारण

5729. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के सिलिगुड़ी केन्द्र ने मुर्शिदाबाद जिले में हरिहरपुर में हाल ही में साम्प्रदायिक तनाव को फैलाने वाली अफवाहों को समाप्त करने के लिये कोई संदेश प्रसारित किये थे;

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रसारणों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नही उठता।

(ग) बकरईद के बारे में साम्प्रदायिक झगड़ा मुर्शिदाबाद जिले में हरिहरपुर तक ही सीमित रहा था। राज्य के शेष भाग मे स्थित शान्तिपूर्ण थी, अतः हरिहरपुर में हुई घटनाओं पर विशेष रूप से ध्यान देना जरूरी नहीं समझा गया था।

सुपर बाजार, दिल्ली द्वारा इमारत के भागों को आगे किराये पर दिया जाना

†5730. **श्री जय सिंह :** **श्री यज्ञदत्त शर्मा :**
श्री हरदयाल देवगुण :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली स्थित सुपर बाजारों ने अपनी इमारतों के कुछ अंशों को गैर सरकारी पार्टियों को आगे किराये पर दे दिया है ताकि वे पार्टियां वहां पर अपना व्यापार कर सकें ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसका उद्देश्य सुपर बाजारों को हुए उन भारी घाटों को पूरा करने का है जो उनके अकार्य कुशल ढंग से चलने के कारण हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सुपर बाजारों को बन्द करने का है और इस प्रकार उनको स्थायी रूप से बोझ बनने से रोकना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री डी० एरिंग) : (क) सुपर बाजार के कुछ अनुभाग और सेवाएं सुपर बाजार स्तर, मूल्य विक्रय तथा सेवा-खर्च नियंत्रण की शर्तों पर एजन्सी अथवा कमीशन के आधार पर कुछ सप्लाई कर्त्ताओं तथा अन्य संस्थाओं के विशेष सहयोग से चल रहे हैं ।

(ख) ये प्रबन्ध उन अनुभागों के लिये किये गये हैं जो सीधे विभागीय प्रबन्धाधीन अलाभकारी पाये गये हैं या जिनके लिये वाणिज्यक अनुभव तथा विशेषज्ञ ज्ञान की आवश्यकता है जो कि सुपर बाजार में उपलन्ध नहीं है , अथवा ऐसे अनुभागों के लिये जहां विशेषज्ञ तथा तकनीकी सेवा की आवश्यकता होती है ।

(ग) जी नहीं, तथापि उनकी कार्य प्रणाली में सुधार करने तथा लाभ देने की क्षमता बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे हैं ।

आकाशवाणी विज्ञापन प्रसारणों में अशिष्ट भाषा का प्रयोग

5731. **श्री जय सिंह :** **श्री यज्ञदत्त शर्मा :**

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी से एक विज्ञापन (आई० एन ० टी० स्टार्टर्स का विज्ञापन) के प्रसारण में "ससुरी" शब्द का प्रयोग किया जाता है ;

(ख) क्या आकाशवाणी जैसे जन सम्पर्क साधन में इस अशिष्ट शब्द के प्रयोग से स्त्रियों के शील पर प्रहार नहीं होता ;

(ग) यदि हां, तो क्या इस अशिष्ट शब्द को उपरोक्त विज्ञापन से हटा दिया जायगा; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और इस अशिष्टता को आकाशवाणी के विज्ञापन प्रसारण में लाने के लिये जिम्मेदार व्यक्ति के विरुद्ध क्या कारवाई की गई है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्नास्पद विज्ञापन 1–4–1970 से बन्द किया जा चुका है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

Corrupt Practices Indulged in Disbursing Money Orders in Rural Areas

†5732. **Shri Jageshwar Yadav**: Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the amounts of Money Orders are not disbursed to payees by Post Offices in rural areas for months together and the Post Masters enter false reports on the Money Orders forms that the payee was not available and the money is utilized by them for their personal purposes so much so that the money is lent by them on interest; and

(b) if so, the action being taken against those Post Masters in rural areas who are indulging in such corrupt practices and are committing irregularities ?

Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh): (a) Complaints of this nature are received some time but the number is extremely few. For instance, only 8 complaints of this nature are reported to have been received in the Uttar Pradesh Circle during the year 1969-70.

(b) Enquiries are conducted whenever such allegations are made and necessary action taken. Of the 8 cases reported in the Uttar Pradesh Circle, 4 were not proved. In two cases the allegations were proved. One of these Branch Postmasters left the service and the services of the other were terminated. The other two cases are still under enquiry.

दण्डकारण्य परियोजना में कर्मचारियों की पदावनति तथा छंटनी

† 5733. **श्री श्रीगोपाल साबू : श्री हुकम चन्द कछवाय : श्री ओंकार लाल बेरवा ;**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967-68 से 1969-70 में दण्डकारण्य परियोजना में वर्ग-वार कितने कर्मचारियों को पदावनत किया गया तथा कितने कर्मचारियों की छंटनी की गई और क्या पदावनति से सम्बन्धित शक्तियों से विकल्प लिया गया था और छंटनी किए गये व्यक्तियों को वैकल्पिक रोजगार दिया गया था; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या दण्डकारण्य विकास प्राधिकार द्वारा किये गये वर्गीकरण के आधार पर परियोजना को बन्द करने की दृष्टि से दण्डकारण्य से और अधिक व्यक्तियों की छंटनी करने का निर्णय किया है; और यदि हां, तो कार्यभारित तथा नियमित कर्मचारियों में से कितने कर्मचारियों की छंटनी की जायेगी और यह छंटनी कब की जायेगी;

(ग) क्या दण्डकारण्य परियोजना के तीनों बांधों के मासिक दरों पर भुगतान वाले मजदूरों को छंटनी से पूर्व की स्थिति पर वापस ले लिया गया है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और क्या उनको स्थायी रूप से नौकरी पर ले लेने के लिए कोई अन्य प्रबन्ध किये गये हैं; और

(घ) क्या 1967-68 से 1969-70 में छंटनी किये गये सभी मजदूरों को छंटनी सम्बन्धी मुआवजा दिया गया है; और यदि हां, तो जिनको यह मुआवजा दिया गया है उनके नाम, पदनाम क्या हैं और उनको कितनी राशि दी गई है और भुगतान किस तारीख को किया गया; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

मत्स्य नौकाओं की कमी तथा उनका निर्माण

5734. **श्री वि० कु० मोडक** : **श्री के० रमानी** :
श्री गणेश घोष : **श्री पी० राममूर्ति** :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिये भारत में कुल कितनी मत्स्य नौकाएं काम कर रही हैं ;

(ख) गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के कार्य का विकास करने के लिये कितनी अतिरिक्त मत्स्य-नौकाओं की आवश्यकता है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार मत्स्य नौकाओं के निर्माण के लिये 25 प्रतिशत राज-सहायता दे रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) इस समय गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिये भारत में 30 मछवा जहाज कार्य कर रहे हैं ।

(ख) 10 से 40 फादम गहराई के क्षेत्र में सर्वेक्षण किये गये संसाधनों से पता चलता है कि 600 से 700 ट्रालरों की आवश्यकता है, परन्तु इस क्षेत्र में और इससे बाहर संसाधनों का पूरा ज्ञान होने पर इस संख्या के और अधिक बढ़ जाने की आशा है । मछली पकड़ने की बन्दरगाहों की व्यवस्था करने की उपयुक्तता, प्रशिक्षित मानव शक्ति और जहाज, मछली पकड़ने के क्षेत्र में पूंजी नियोजन की सम्भाव्यता और अन्य तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये चौथी योजना की तैयारी में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले 300 जहाज चालू करने का प्रस्ताव है ।

(ग) विदेशों में बने जहाजों के मूल्य (लागत बीमा भाड़ा सहित) के 27 भाग की सीमा तक देश में निर्मित जहाजों के लिये उपदान देने के विषय में भारत सरकार ने एक योजना मंजूर की है ।

Setting up of A Commission for Allotment of Land to Landless Persons

5735. **Shri Yashwant Singh Kushwah** : **Shri D. N. Patodia** :
Shri Janeshwar Misra :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government propose to consider the question of setting up a Commission for allotting land to landless persons in the country; and

(b) if so, the details thereof?

Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development & Co-operation (Shri Anna Saheb Shinde): (a) and (b) "Land" is a State subject under the constitution. It is for the State Governments to make arrangements for allotment of land to landless persons within the frame work of land allotment rules in vogue in different States. Government of India has no proposal under consideration to set up a Commission for allotting land to landless persons in the country.

पंजाब में भूमि पर दोहरी फसल उगाने का प्रभाव

5736. **श्री रवि राय** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब में दोहरी फसल उगाने का काम सिंचाई की अधिकतम सीमा तक पहुंच गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे भूमि में अत्यावश्यक उपजाऊ तत्व कम होते जा रहे हैं ; और

(ग) स्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है और उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) उचित फार्म प्रबन्ध पद्धतियों के अभाव के कारण राज्य में कुछ स्थानों पर उपजाऊ तत्वों की कमी के लक्षण देखने में आये हैं ।

(ग) मृदा परीक्षण प्रयोगशालायें स्थापित की जा रही हैं और कृषकों को सलाह दी गई है कि वे मृदा परीक्षण परिणामों के आधार पर संतुलित मात्रा में उर्वरकों का उपयोग करें ।

धान उगाने वाले क्षेत्रों में अधिक उपज देने वाली फसलों की खेती करना

5737. **श्री रवि राय** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाद्योत्पादन में वृद्धि केवल गेहूं तथा सकल प्रकार के मोटे अनाजों में ही हुई है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने चावल पैदा करने वाले क्षेत्रों में अधिक उपज देने वाली किस्मों की कारगर रूप से खेती करवाने के लिये क्या कार्यवाही की है और उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी नहीं । गेहूं तथा कुछ संकर मोटे अनाजों के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है, धान को भी अधिक उत्पादनशील किस्मों के कार्यक्रम में सम्मिलित किया है और धान के उत्पादन को उन्नत करने के लिए लगातार अनुसंधान किया जा रहा है ।

(ख) धान की अधिक उत्पादनशील किस्मों को, जिनको रोग और कीड़ा नहीं लगता और जिन्हें उपभोक्ता पसन्द करते हैं, विकसित करने के लिए अनुसन्धान को तीव्र करने के अतिरिक्त अन्य उपाय भी किए हैं, जो ये हैं : (1) आदानों की काफी मात्रा में तथा सामयिक सप्लाई और

जल का बेहतर प्रबन्ध (2) उर्वरकों की सिफारिश की गई मात्रा के प्रयोग पर बल (3) प्रभावशाली पौद संरक्षण उपाय (4) किसानों के खेतों में प्रभावशाली तथा उपयोगी प्रदर्शनों का आयोजन (5) राष्ट्रीय प्रदर्शन कार्यक्रम आदि के साथ किसानों का प्रशिक्षण ।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का विस्तार

5738. **श्री शशि भूषण** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछली तीन पंचवर्षीय योजनाओं में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का प्रसार बहुत अधिक हुआ है जिसमें इस बात पर यथोचित ध्यान नहीं दिया गया कि ऐसे कर्मचारियों की मांग कितनी होगी ;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में औद्योगिक परीक्षण संस्थाओं के कितने प्रशिक्षित लड़के इस समय बेरोजगार हैं और पिछले तीन वर्षों में इस क्षेत्र में क्या मूल प्रवृत्ति रही है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो तो सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम पर अतिरिक्त खर्च न करने तथा उसके बजाय चालू कार्य को अधिक सुदृढ़ करने पर विचार किया है ?

श्रम एवं पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) जी नहीं। पिछली तीन पंचवर्षीय योजनाओं में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण स्थानों की क्षमता योजना आयोग द्वारा स्थापित सेवा नियोजन और प्रशिक्षण के कार्यकारी दल की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित की गई थी ।

(ख) इंजीनियरिंग उद्योग में मंदी से पूर्व औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षित अधिकतर व्यक्ति लाभप्रद कामों में लगे थे। दस्तकारों समेत तकनीकी लोगों की बहुतायत तो आर्थिक मंदी के बाद ही हुई । औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं का प्रमाण-पत्र रखने वाले की नियुक्ति की स्थिति का पता लगाने के लिए हाल ही में एक सर्वेक्षण किया गया था । इससे मालूम हुआ कि सर्वेक्षण के समय लगभग 61 प्रतिशत लोग काम पर लगे थे ।

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के और विस्तार के प्रश्न पर सावधानी से विचार किया गया है । यह निर्णय किया गया है कि नए व्यवसायों को शामिल करने की दृष्टि से चौथी योजना में केवल आंशिक विस्तार ही किया जाएगा और वर्तमान प्रशिक्षण सुविधाओं का आवश्यकता के अनुसार समेकन व विस्तार किया जाएगा। इस निर्णय की सूचना राज्य सरकारों को दे दी गई है ।

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा पिछड़े वर्गों द्वारा प्रशिक्षण अवसरों का लाभ उठाना

5739. **श्री शशि भूषण** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों द्वारा अवसरों का

राज्य-वार आधार पर, वास्तव में कितना लाभ उठाया जा रहा है और उनमें से कितने व्यक्ति आर्थिक रूप से लाभप्रद धन्धों में लगाये गये; और

(ख) स्थान (सीट) आरक्षक व्यवस्था कहां तक कारगर रूप से काम कर रही है ?

श्रम एवं पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) जैसा कि संलग्न विवरण में दिखाया गया है, 31.1.70 को हाजिरी रजिस्टर में दर्ज 1,03,897 प्रशिक्षणार्थियों में 13,641 अनुसूचित जाति के और 2,402 अनुसूचित आदिम जाति के प्रशिक्षणार्थी थे। पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित जानकारी उपलब्ध नहीं है। जहां तक अनुसूचित जाति अनुसूचित आदिम जाति के प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण के बाद लाभप्रद धन्धों में लगाये जाने का प्रश्न है, जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ख) 31-1-70 को हाजिरी रजिस्टर में दर्ज कुल प्रशिक्षणार्थियों की संख्या में अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के प्रशिक्षणार्थियों का प्रतिशत 15,44 है।

विवरण

दस्तकार प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत हाजिरी रजिस्टर में दर्ज प्रशिक्षणार्थियों की संख्या और उनमें अनुसूचित जाति व अनुसूचित आदिम जाति के उम्मीदवारों की संख्या का राज्यवार व्यौरा।

स्थिति जैसी कि 3.1.1970 को थी

राज्य/केन्द्र प्रशासित प्रदेश	हाजिरी रजिस्टर पर प्रशिक्षणार्थियों की कुल संख्या	स्तम्भ 2 में सम्मिलित अनुसूचित जाति के प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	स्तम्भ 2 में सम्मिलित आदिम जाति के प्रशिक्षणार्थियों की संख्या
1	2	3	4
1. आंध्र प्रदेश	7,452	1,019	55
2. असम	1,797	119	125
3. बिहार	9,197	470	505
4. गुजरात	3,946	270	181
5. हरियाणा	3,901	698	10
6. जम्मू व कश्मीर	702	43	2
7. केरल	5,170	559	2
8. मध्य प्रदेश	5,001	705	806
9. महाराष्ट्र	13,283	1,137	218
10. मैसूर	4,210	566	31
11. उड़ीसा	1,987	267	189
12. पंजाब	7,518	1,452	31

13. राजस्थान	1,838	409	31
14. तमिलनाडु	11,238	2,933	11
15. उत्तर प्रदेश	14,984	1,887	36
16. पश्चिम बंगाल	6,021	592	49
17. चण्डीगढ़	527	40	16
18. दिल्ली	3,583	260	—
19. गोवा	88	1	—
20. हिमाचल प्रदेश	1,063	196	53
21. मणिपुर	264	1	51
22. पांडिचेरी	119	16	—
23. त्रिपुरा	18	1	—
अखिल भारतीय योग	1,03,897	13,641	2,402

गत तीन वर्षों में जारी किये गये स्मृति डाक टिकट

5740. **श्री रा० रा० सिंह देव** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक तथा तार विभाग ने गत तीन वर्षों में नेताओं तथा गुरुओं के सम्मान में तथा अन्य अवसरों पर कितने स्मृति डाक टिकट जारी किये; और

(ख) किन-किन नेताओं और गुरुओं के नाम पर और किन तिथियों पर टिकट जारी किये गये ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जारी किये गये टिकटों की संख्या का ब्यौरा ।

वर्ष	संख्या
1967	17
1968	23
1969	24
कुल	64

(ख) वर्ष 1967, 1968 तथा 1969 के दौरान नेताओं, गुरुओं की स्मृति में तथा अन्य अवसरों पर जारी किये गये टिकटों का ब्यौरा सभा पटल पर रखा गया ।

[ग्रंथागार में रखा गया । देखिये एल० टी० संख्या 3142/70]

गेहूं के अधिक मूल्य निर्धारित किये जाने पर राजस्थान सरकार द्वारा आपत्ति

†5741. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्थान सरकार से कहा है कि वह राज्य द्वारा अनाज का व्यापार आरम्भ करे; और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कहा है कि वह गेहूं का अधिक मूल्य निश्चित न करे क्योंकि इससे वसूली के कार्य में कठिनाई हो सकती है; और यदि हां, तो इस संबध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) भारतीय खाद्य निगम पहले से ही राज्य सरकार की ओर से खाद्यानों की वसूली और उनका वितरण कर रहा है ।

(ख) वसूली व्यवस्था बनाये रखने के लिये राजस्थान सरकार चाहती थी कि वर्ष 1970-71 के लिये गेहूं की वसूली मूल्य वही हों जो गत ऋतु में थे । वर्ष 1969-70 में गेहूं के जो मूल्य निर्धारित किये गये थे वही मूल्य वर्ष 1970-71 की ऋतु में भी जारी रखे गये हैं ।

आकाशवाणी के कर्मचारियों का ज्ञापन

5742. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी के 250 से अधिक आन्दोलनकारी कर्मचारियों ने अपने रक्त से एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये थे जिसमें और अच्छी सेवा शर्तों की मांग की गई है और इस ज्ञापन की सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री को दिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) हाल ही में आकाशवाणी के कर्मचारियों की फेडरेशन से लाल धब्बों से युक्त एक ज्ञापन मिला था । इसमें कुछ मांगें थीं और साथ में भूख हड़ताल तथा स्ट्राइक की धमकी भी थी ।

(ख) एसोसियेशन ने आकाशवाणी तथा टेलीविजन को सार्वजनिक निगमों में परिवर्तित करने की मांग के अतिरिक्त आकाशवाणी के कर्मचारियों के लिये रेडियो के नि:शुल्क लाइसेंस देने, आकाशवाणी कार्यक्रम पत्रिकाओं की प्रतियां नि:शुल्क देने, बोनस देने, आकाशवाणी के कुछ नियमित कार्यक्रम संवर्गों को समाप्त करने, मकान उनके कार्य स्थान के निकट अलाट करने, किराया/खरीद आधार पर अपने मकान बनाने की सुविधा देने, कुछ श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए कार्य करने के घण्टों में कमी करने, तथा पदोन्नति के चैनल उपलब्ध करने आदि की मांगें की थीं । इनमें से कुछ मांगें अस्वीकार्य हैं जबकि अन्य केवल आकाशवाणी के कर्मचारियों के लिये ही विशेष रूप

से नहीं हैं । कर्मचारियों की उचित मांगों पर हमेशा सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाता है परन्तु सरकार ज्ञापन में दी गई धमकियों की ठीक नहीं समझती ।

भूमि अर्जन समिति का प्रतिवेदन

5743. **श्री हेमराज** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमि अर्जन समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं और इनमें से किन सिफारिशों को स्वीकार किया गया है ; और

(ग) क्या प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखीं जायेगी और सदन को इस पर चर्चा करने का अवसर दिया जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) मुख्य सिफारिशों का ब्यौरा देने वाला एक विवरण संलग्न है । सिफारिशों की सरकार द्वारा जांच की जा रही है । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए एल० टी० 3143/70]

(ग) भूमि अर्जन पुनर्विलोकन समिति के प्रतिवेदन की आवश्यक प्रतियां 18 मार्च, 1970 को पहले ही सभा पटल पर रखी जा चुकी हैं ।

पंजाब में खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए नल-कूपों, उर्वरकों और ट्रैक्टरों की सप्लाई

5744. **श्री बाल्मीकी चौधरी** : **श्री देविन्द्र सिंह गारचा** :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970-71 में किसानों को नल-कूप, उर्वरक और ट्रैक्टर दे कर पंजाब में खाद्य उत्पादन बढ़ाने की कोई योजना बनाई गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उस पर कितनी राशि खर्च होने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदयिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) कोई विशेष योजना नहीं बनाई गई है । 1970-71 के दौरान आदानों की सप्लाई की वर्तमान योजना जारी रखी जायेगी ।

(ख) और (ग) कृषकों को भूमि बंधक बैंकों, सहकारी संस्थाओं और वाणिज्यक बैंकों द्वारा ऋण देने के प्रबन्ध किये गये हैं । 18.00 करोड़ रुपये की राशि के ऋण, जिसमें कृषि पुनर्वित्त निगम द्वारा दी जाने वाली 16.00 करोड़ रुपये की राशि भी शामिल है, लघु सिंचाई योजनाओं के लिये दिये जायेंगे । इसके अतिरिक्त कृषकों को उर्वरक खरीदने के लिये 36.00 करोड़ रुपये के अल्पकालीन ऋण दिये जायेंगे ।

श्रीनगर में टेलीविजन केन्द्र पर व्यय

5745. **श्री बाल्मीकी चौधरी :** **श्री देविन्द्र सिंह गारचा :**

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्रीनगर में प्रस्तावित टेलीविजन केन्द्र पर कितनी राशि खर्च किये जाने की सम्भावना है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : लगभग 300 लाख रुपये ।

स्थापित किये जाने वाले नये टेलीविजन केन्द्रों पर व्यय

5746. **श्री बाल्मीकी चौधरी :** **श्री देविन्द्र सिंह गारचा :**

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन स्थानों पर नये प्रसारण केन्द्र खोले जायेंगे और 1970-71 में उन पर कितनी राशि खर्च की जाने की सम्भावना है ;

(ख) क्या किसी राज्य ने विशिन्ट स्थानों पर ऐसे केन्द्र खोलने के बारे में सरकार से निवेदन किया है ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) वर्तमान प्रसारण केन्द्रों के विस्तार के लिए बनाई गई योजना का ब्यौरा क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) एलेप्पी त्रिचुर ; 60 लाख रुपये ।

(ख) जी, हां ।

(ग) (1) आन्ध्र प्रदेश — श्रीकाकुलन, करीमनगर, तिरुपति

(2) हरियाणा — राज्य में एक उपर्युक्त स्थान

(3) महाराष्ट्र — औरंगाबाद

(4) मैसूर — मंगलौर

(5) पंजाब — अमृतसर

(6) उत्तर प्रदेश — झांसी, देहरादून नैनीताल

(घ) एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है जिसमें वे योजनाएं दी गयी हैं जो चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल की गई हैं । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए एल० टी० 3144/70]

उद्योगों में स्वचालित मशीनों के प्रयोग से अतिरिक्त लाभ

5747. **श्री अदिचन :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न उद्योगों में स्वचालित मशीनों के प्रयोग से कोई अतिरिक्त लाभ प्राप्त नहीं हुआ है जबकि इससे बेरोजगारी में वृद्धि अवश्य होती है; यदि हां, तो जहां तक ऐसे आंकड़े सरकार के पास उपलब्ध हैं, स्वचालित मशीनों का प्रयोग करने वाले विभिन्न उद्योगों के संबंध में तथ्य तथा आंकड़े क्या हैं ; और

(ख) क्या सरकार विगत अनुभव के आधार पर सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में नीति के रूप में स्वचालित मशीनों के प्रयोग को हतोत्साहित करेगी; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) इस प्रकार के आंकड़ों का संकलन नहीं किया जाता । फिर भी, जांच करने की एक प्रक्रिया बनी है, जिसके अन्तर्गत संगठनों के आयात की अनुमति विशेष रूप से इस बात को ध्यान में रखकर दी जाती है कि उनको लगाने से वर्तमान कर्मचारियों के रोजगार पर हानिकर प्रभाव न पड़े ।

(ख) ऐसा कोई निर्णय नहीं है कि स्वचालित मशीनें बिल्कुल लगाई ही नहीं जायेंगी । नीति यह रही है कि अभिनवीकरण के सम्बन्ध में परिकल्पित, और भारतीय श्रम सम्मेलन (1957) के 15वें अधिवेशन में स्वीकृत आदर्श समझौते के अनुसार प्रोद्योगिकी प्रगति तथा समाजिक हित की आवश्यकता को दृष्टि में रखकर स्वचालित मशीनें चयनात्मक आधार पर लगाई जाएं । इसी बीच सरकार ने एक समिति स्थापित की है जो अन्य बातों के साथ इस प्रश्न पर विचार करेगी कि संबंधित बातों को ध्यान में रखकर स्वचालित मशीनों पर किस सीमा तक रोक लगानी चाहिए और किस सीमा तक उनको लगाने की अनुमति दी जानी चाहिए ।

फसल बीमा चालू करना

5748. **श्री अदिचन** : **श्री रमेश चन्द्र व्यास** :
श्री महाराज सिंह भारती :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सूखा, अकाल, बाढ़ तथा ऐसे ही दैवी प्रकोपों से कृषकों को सुरक्षा देने के लिये फसल-बीमा को लोकप्रिय बनाने के लिये विभिन्न राज्यों में क्या कार्यवाही की गई है ; और कृषकों को यह विचार कहां तक अच्छा लगा है ; और

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में राज्यों को क्या निदेश दिये गये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) तथा (ख) 'फसल बीमा' की योजना अभी सरकार के विचाराधीन है ।

सुपर बाजार दिल्ली द्वारा खुले में एक रेस्तरां खोलना

5749. **श्री बलराज मधोक** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली स्थित सुपर बाजार नई दिल्ली नगरपालिका से किराये पर ली हुई इमारत की छत पर खुले में एक रेस्तरां खोलने जा रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि यह सुपर बाजार पहले ही काफी घाटे पर चल रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस नई योजना का क्या औचित्य है जिससे और अधिक घाटा होने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री डी० एरिंग) : (क) जी नहीं, इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) जी हां, इसने अपने कार्यकरण के प्रथम तीन वर्षों में हानि उठाई ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

लेह में आकाशवाणी केन्द्र

5751. **श्री बलराज मधोक** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी ने लेह में एक नया प्रसारण केन्द्र स्थापित करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो आकाशवाणी के नये केन्द्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम तथा अन्य प्रसारणों में लद्दाखी कलाकारों की बोधी भाषा को उचित स्थान देने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां ।

(ख) लेह केन्द्र के चालू हो जाने पर वहां से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों में लद्दाख के लेह क्षेत्र में बोली जाने वाली बोधी बोली का पर्याप्त रूप से प्रयोग किया जायेगा ।

खाद्य क्षेत्रों में परिवर्तन

5752. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन में देश के खाद्य क्षेत्रों में परिवर्तन करने के विषय में विचार किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या सुझाव दिये गये थे; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा-साहेब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) इस बात में मतैक्य था कि गेहूं के संचलन पर क्षेत्रीय प्रतिबन्ध समाप्त कर दिए जाएं । इस सिफारिश के आधार पर सरकार ने 4 अप्रैल, 1969 से अन्तर-क्षेत्रीय गेहूं और गेहूं उत्पाद (संचलन नियन्त्रण) आदेश, 1969 विखंडित कर दिया है । पश्चिमी बंगाल और

महाराष्ट्र के सांविधिक राशन-व्यवस्था वाले क्षेत्रों को छोड़कर, गेहूं के संचलन के लिए अब सारे देश को एक क्षेत्र समझा जायेगा ।

आकाशवाणी के अस्थायी स्टाफ आर्टिस्टों का स्थायीकरण

5753. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी में काम कर रहे कुछ स्टाफ आर्टिस्ट अभी भी अस्थायी हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उनको स्थायी घोषित करने के बारे में इस बीच अन्तिम निर्णय कर लिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क), (ख) तथा (ग) आकाशवाणी में स्टाफ आर्टिस्ट निर्धारित अवधि के लिए ठेके पर रखे जाते हैं, अतः उन्हें स्थायी करने का प्रश्न नहीं उठता ।

नेफा और आसाम, मनीपुर और त्रिपुरा के पहाड़ी क्षेत्रों में भेड़ पालन का विकास

5754. **श्री वे० कृ० दासचौधरी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नेफा और आसाम, मनीपुर तथा त्रिपुरा के पहाड़ी क्षेत्रों में भेड़-पालन तथा अन्य पशुधन का विकास करने के लिये कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णा साहेब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में कार्यान्विति के लिए बनाये गये पशु धन विकास के कार्यक्रम को प्रदर्शित करने वाला विवरण संलग्न है । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए एल० टी० 3145/70]

(ग) प्रश्न ही नहीं होता ।

New Radio Stations iu Chattisgarh Region of Madhya Pradesh

5755. **Shri T. P. Shah** : **Shri Hukam Chand Kachwai** :
Shri Jagannath Rao Joshi : **Shri Bharat Singh Chauhan** :

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the number of Radio Stations in Chattisgarh region in Madhya Pradesh from where regional news bulletins and local programmes are broadcast:

(b) whether in view of the development which has taken place there and as also to educate the Harijan Adivasis of the region, it is proposed to set up new Radio Stations there during the Fourth Five Year Plan period;

(c) if so, the time by which they would be set up as also the time by which onstruction work is likely to commence; and

(d) if not, the reasons therefor ?

Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of communications (Shri I. K. Gujral): (a) One, namely, Raipur.

(b) Chattisgarh area is adequately served by Raipur Station. No new radio station is proposed to be set up in this region during the Fourth Plan. However, Raipur station will be upgraded from an auxiliary centre to a full fledged programme originating station.

(c) Raipur Station will be upgraded to a full fledged programme originating station during the Fourth Plan.

(d) As stated in (b) above.

Grant to Madhya Pradesh and Delhi Administration due to Damage to crops as a Result of Hailstorm in March, 1970.

5756. **Shri T. P. Shah :** **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Jagannath Rao Joshi : **Shri Nathu Ram Ahirwar :**
Shri Bharat Singh Chauhan :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the estimated loss to the crops as a result of hail-storm in Delhi and Madhya-Pradesh in March, 1970;

(b) whether Government propose to direct the State Governments to exempt the farmers of the areas which have been affected by hail-storm from payment of land-revenue;

(c) the grant given by the Central Government to the Delhi Administration and the Government of Madhya Pradesh to meet the situation arising out of the said natural clamity; and

(d) the additional quantity of foodgrains supplied to the said areas as assistance ?

Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation) (Shri Anna Sahib P. Shinde) : (a) Standing crops worth about Rs. 2.5 crores have been destroyed in hailstorms in March, 1970 in Delhi. The required information has not been received from Madhya Pradesh Government yet.

(b) Delhi Administration has reported that they propose to give such exemption to farmers. No information about Madhya Pradesh is available.

(c) A sum of Rs. 5 lakhs has been given to Delhi Administration for disbursement as distress taccavi to persons who have suffered more than 50% loss to their crops and another Rs. 15 lakhs is expected to be given this month. No request for assistance has so far been received from the Government of Madhya Pradesh.

(d) A quantity of 20 tonnes gift wheat has been allotted to Delhi Administration for free distribution to persons affected by hailstorm. The Government of Madhya Pradesh demanded the following quantities of coarse-grains on account of hailstorm :

Milo	5,000 tonnes
Jowar	6,500 tonnes
Maize	3,000 to 4,000 tonnes

Due to non-availability of coarse grains with the Centre, the Madhya Pradesh Government have been advised to utilise 3,000 tonnes milo which was earlier surrendered by them. Their demand for wheat is being met in full.

Protection of Forests in Ladakh

5757. **Shri Kushok Bakula** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state the measures being adopted to protect the forests, plant new trees and increase forest wealth in Ladakh?

Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development & Co-opertion (Shri anna Sahib Shinde) : The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha in due course.

भारत तथा पाकिस्तान टेलीविजन विकास के बारे में तुलनात्मक अध्ययन

5758. **श्री हिम्मत सिंहका** : **श्री न० रा० देवघरे** :

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत तथा पाकिस्तान में तुलनात्मक दृष्टि से टेलीविजन का कितना-कितना प्रसारण होता है;

(ख) क्या यह सच है कि भारत की तुलना में पाकिस्तान टेलीविजन का प्रसारण अधिक दूरी में देखा जा सकता है;

(ग) भारत तथा पाकिस्तान में कितने टेलीविजन प्रसारण केन्द्र हैं तथा इन केन्द्रों से लगभग कितनी जनता की आवश्यकता पूरी होती है;

(घ) भारत में टेलीविजन के विकास में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ङ) चौथी पंचवर्षीय योचना के अन्त तक भारत के पाकिस्तान के स्तर तक आने की कितनी सम्भावना है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) से (ग) भारत में एक टेलीविजन केन्द्र दिल्ली में है । उपलब्ध प्रकाशित सूचना के अनुसार पाकिस्तान में चार टेलीविजन केन्द्र हैं ।

दिल्ली के टेलीविजन केन्द्र से लगभग 5,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र के अन्दर कार्यक्रम देखे जा सकते हैं । 1961 की जनगणना के अनुसार इस क्षेत्र की जनसंख्या 36 लाख है । पाकिस्तान टेलीविजन केन्द्र के कार्यक्रम कितने क्षेत्र में तथा कितने लोग देख सकते हैं, यह सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(घ) साधनों की कमी ।

(ङ) चौथी पंचवर्षीय योजना में दिल्ली टेलीविजन केन्द्र के विस्तार करने के अतिरिक्त श्रीनगर, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास तथा कानपुर लखनऊ में टेलीविजन केन्द्र स्थापित करने की व्यवस्था है । आशा है इन केन्द्रों के कार्यक्रम 63,000 हजार वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में देखे जा सकेंगे जिसकी 1961 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 317 लाख है । पाकिस्तान में टेलीविजन के विस्तार कार्यक्रम के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है ।

वर्ष 1969-70 में लघु सिंचाई योजनाओं के लिये राजस्थान को वित्तीय सहायता

5759. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969-70 में लघु सिंचाई योजनाओं के लिये राजस्थान सरकार ने कुल कितनी वित्तीय सहायता की मांग की थी;

(ख) उपरोक्त अवधि में केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी वित्तीय सहायता दी गई थी; और

(ग) उपर्युक्त राज्य के लिये, विशेषकर सूखा ग्रस्त जिलों के लिये, चौथी योजना में कुल कितनी राशि नियत की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क), (ख) और (ग) चालू पद्धति के अनुसार, केन्द्रीय सहायता किसी एक कार्यक्रम / योजना के लिये नहीं ही जाती परन्तु यह समस्त वार्षिक योजना के लिये केन्द्र द्वारा एकमुश्त ऋण और अनुदान के रूप में दी जाती है ।

राजस्थान सरकार ने पहले लघु सिंचाई योजनाओं के लिये 1969-70 के दौरान 204.50 लाख रुपये के परिव्यय की प्रस्तावना की थी परन्तु अन्तिम रूप से 1969-70 के लिये बजट में 158.50 लाख रुपये की व्यवस्था की । भारत सरकार ने दिसम्बर 1969 में लघु सिंचाई योजनाओं के लिये 50 लाख रुपये का अतिरिक्त परिव्यय नियत किया जो 1969-70 में केन्द्रीय ऋण की अदायगी में राहत के रूप में प्रदान किया ।

चौथी पंचवर्षीय योजना में लघु सिंचाई कार्यक्रमों के लिये 13.00 करोड़ रुपये का कुल परिव्यय निर्धारित किया । राशि के क्षेत्रीय आबंटन में, जिसमें सूखाग्रस्त जिलों के लिए राशि नियत करना भी सम्मिलित है, राज्य सरकारों को स्वतन्त्रता है ।

राजस्थान में रेगिस्तानी क्षेत्र के विकास के लिए योजना

5760. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेगिस्तानी क्षेत्र के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा राजस्थान राज्य सरकार के साथ परामर्श करके कोई विस्तृत योजना बनाई गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) तथा (ख) भारत सरकार कुछ समय से राजस्थान, गुजरात तथा हरियाणा के शुष्क तथा अर्थ-शुष्क क्षेत्रों के विकास के प्रश्न पर विचार कर रही हैं । केन्द्रीय रुक्ष क्षेत्र अनुसन्धान संस्था, जोधपुर 1959 से शुष्क तथा अर्द्ध-शुष्क क्षेत्रों के विकास के सम्बन्ध में मूल तथा व्यावहारिक अनुसन्धान कर रही है । रेगिस्तान तथा शुष्क क्षेत्रों में पानी की कमी, कम आर्द्रता की क्षमता के साथ

बालूमय मृदा, लवणीय मृदा परिस्थिति, लवणीय भूगर्म-जल, हवा से अधिक भूक्षरण, कछारों की गहराई में कठोर कंकरी सतह आदि ऐसे अन्तर्निहित प्राकृतिक संकट हैं जो भूमि की उत्पादकता को कम कर देते हैं। भूमि की कृषि उत्पादन क्षमता में सुधार करने के लिये मृदा, भूक्षेत्र, जल तथा वनस्पति आदि विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों की क्षमता के मूल्यांकन हेतु एक समेकित सर्वेक्षण की आवश्यकता है जिससे कि यह पता लगाया जा सके कि उन्नत फसल, चरागाह तथा वन-उद्योग के इन संसाधनों को उत्तमोत्तम रूप से किस प्रकार उपयोग में लाया जा सकता है । इसके आधार पर फसल, घास तथा पेड़ों के उगने की क्षमता के अनुसार भूमि का वर्गीकरण किया जाता है । संस्था द्वारा ऐसे समेकित सर्वेक्षण किये जा रहे हैं। विभिन्न मृदा तथा जलवायु की परिस्थितियों के अंतर्गत क्षेत्र प्रयोग भी किये जा रहे हैं, और ऐसे अनुसन्धानों के परिणामों पर अधारित सिफारिशें, किसानों तथा विकास एजेन्सियों को भेजी जाती हैं।

2. सिंचाई तथा बिजली, खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय और केन्द्रीय जल एवं विद्युत आयोग के प्रतिनिधियों की समिति ने रेगिस्तान क्षेत्र के विकास के सम्बन्ध में विचार किया और 1964 में सिफारिश की, कि केन्द्रीय रुक्ष क्षेत्र अनुसन्धान संस्था, जोधपुर तथा राज्य सरकारों के तत्वावधान में किये गये अनुसन्धान के परिणामों को क्षेत्र की परिस्थितियों में लागू करने की दृष्टि से, शुरू में चुने हुए रेगिस्तानी क्षेत्रों के विकास के लिये मार्गदर्शी प्रायोजनायें तैयार की जानी चाहियें। समिति का विचार था कि जब तक शुरू में कुछ मार्गदर्शी प्रायोजनायें कार्यान्वित नहीं की जाती हैं। तब तक विशेष कर सीमित संसाधनों तथा उन संसाधनों का अन्य रेगिस्तानी क्षेत्रों की तुलना में काफी जल्दी प्रतिफल देने वाली भूमि पर विस्तार करने की दृष्टि से रेगिस्तानी विकास के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम तैयार करना अनुचित होगा। इस उद्देश्य को दृष्टि में रखते हुये समिति ने रेगिस्तानी विकास मण्डल की स्थापना करने की भी सिफारिश की है। तदनुसार योजनाओं की तैयारी का पुनरीक्षण करने तथा योजना की प्रगति में बाधा डालने वाली प्रशासनिक अड़चनों को दूर करने के लिये राज्य सरकारों की एजेन्सियों के माध्यम से उनकी कार्यान्विति, आदि के लिये एक रेगिस्तानी विकास मण्डल की स्थापना की गई। मण्डल की दो बैठकें हुई हैं और राजस्थान गुजरात तथा हरियाणा के रेगिस्तानी क्षेत्रों में चरागाह विकास, भूमि संरक्षण, वन रोपण, कृषि विकास आदि के लिये 10.00 करोड़ रुपये की लागत का एक कार्यक्रम चौथी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने की सिफारिश की है। संसाधनों की कमी के कारण चौथी पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम के लिये केवल 2.00 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है । संहत तथा सुनिश्चित क्षेत्रों में चुने हुये क्षेत्र की उपयुक्तता के आधार पर योजना अवधि में कार्य की विशिष्ट मदों को शुरू करने का विचार है।

3. पश्चिमी राजस्थान में भूगर्म-जल मूल्यांकन अध्ययन के लिये संयुक्त राष्ट्र की वित्तीय तथा तकनीकी सहायता से राजस्थान के जैलोर, जोधपुर, जैसलमेर, तथा बाडमेर जिलों में लगभग 60,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में भूगर्म जल सर्वेक्षण के लिग दिसम्बर, 1966 से एक परियोजना शुरू की गई है। इस परियोजना को दिसम्बर, 1970 के अन्त तक पूरा करने का विचार है । क्रमबद्ध भूगर्म जल अन्वेषण के लिए जलौर, चूने का पत्थर तथा रेत के टीलों को जल-विज्ञान तथा भू-विज्ञान को अलग-अलग वर्णित करके पश्चिम राजस्थान की परियोजना को तीन क्षेत्रों, अर्थात् क्रमशः जैलोर बरुन्दा तथा लाठी बेसिन में बांटा गया है । जैलोर क्षेत्रों मे क्षेत्र अन्वेषण तथा अध्ययन पूरे कर

लिए गए हैं और क्षेत्रों की तकनीकी रिपोर्ट तैयार की गई है। बरुन्दा क्षेत्र तथा लाठी बेसिन में क्षेत्र अन्वेषण जारी हैं और उन्हें जून, 1970 तक पूर्ण करने का विचार है।

4. देश के विभिन्न भागों में बार-बार सूखे का पड़ना तथा राहत उपायों के लिए काफी व्यय होने का कारण अत्यधिक दुर्भिक्ष। सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में स्थायी राहत कार्यों को शुरू करने की आवश्यकता पड़ी जिससे कि ऐसे क्षेत्रों में राहत सम्बन्धी व्यय को धीरे-धीरे कम किया जा सके और ग्रामीण श्रमिकों को लाभकारी रोजगार मिलें। विभिन्न राज्यों (राजस्थान सहित) के कुछ चुने हुए जिलों में प्रतिवर्ष 25 करोड़ रुपये (गैर-योजना व्यय के रूप में चौथी पंचवर्षीय योजना के शेष चार वर्षों के लिये 100.00 करोड़ रुपये) तक के कार्यों को शुरू करने के लिये एक योजना विचाराधीन है और अभी ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं।

कोयला खनन के बारे में औद्योगिक समिति की बैठक

5761. **श्री एस०एम० कृष्ण** :
श्री यमुना प्रसाद मंडल :
डा० सुशीला नैयर :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कोयला खनन सम्बन्धी औद्योगिक समिति के 6 नवम्बर, 1969 को हुए 11वें अधिवेशन में किये कये निष्कर्षों पर, जो 4 दिसम्बर, 1969 को सभा पटल पर रखे गये थे सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : कोयला खनन सम्बन्ध औद्योगिक समिति के 11 वें अधिवेशन के निष्कर्षों के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही संलग्न विवरण में दिखाई गई है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए एल० टी०-3146/70]

Rate of Procurement and Selling of Wheat.

5762. **Shri Kanwar Lal Gupta** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the average rate of wheat procured by Government last year and the price at which Government are selling the same ; and

(b) the reasons for which the Food Corporation did not sell wheat in the open market when the price of wheat was rising ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Anna Saheb Shinde) : (a) A statement is attached.

(b) Open market sales of red wheat are being effected by the Food Corporation of India in Bihar and Eastern U. P. in addition to supplies through public distribution system.

Statement

All varieties of wheat except indigenous red were procured at the rate of Rs. 76/— per quintal FAQ subject to quality cuts. The rate for indigenous red varieties varied from State to State and ranged between Rs. 66/—and Rs. 74/—per quintal. These prices were for the naked grain and exclusive of taxes. All varieties of wheat are being issued at a uniform price of Rs. 78/—per quintal ex-godown or F. O. R. destination station as the case may be.

Memorandum by Government Cheap Foodgrains Dealers Association, Patna.

5763. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government Cheap Foodgrains Dealers Association, Patna, had submitted a memorandum during January last to the Zonal Manager, Eastern Zone, Food Corporation of India, Calcutta ;

(b) whether it is also a fact that a copy of the said memorandum was also sent to him ;

(c) if so, the details thereof ;

(d) whether Government have taken any action thereon ; and

(e) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Minisrty of Food, Agriculture, Community Development & Cooperation (Shri Anna Saheb Shinde) : (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) The Memorandum contained the following allegations against the Food Corporation of India Employees at Digha and Golghar godowns :—

(i) bad behaviour, (ii) supply of poor quality wheat and rice ; and (iii) delivery of short weight.

It also contained allegations against the employees of handling and transport contractor.

(d) & (e) The matter was enquired into by the Food Corporation of India. It was found that there was no conclusive evidence of bad behaviour. Only A & B categories of wheat and F. A. Q. variety of rice were issued to the Fair Price Shops. The Weights and Measures Department of the State checked the weights and scales used in the godowns and found them to be quite correct. The enquiry by the FCI also showed that the allegations against the employees of the contractors were not substantiated. It may however be stated that in 1968, based on a test check, the weights and Measures Department of Bihar Government had filed a case against the FCI for delivery of short weight and the case is **sub judice.**

Agreement Between Officers and Workers of Central Potato Research Institute, Patna.

5764. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4446 on the 18th December, 1969 regarding the recruitment of workers in the Central Potato Research Institute, Patna, and state :

(a) whether it is a fact that the officers of the Institute are appointing new workers instead of reinstating the old dismissed workers, if so, the nature of action proposed to be taken by Government against the officers responsible for this ;

(b) whether it is also a fact that some workers have been reinstated for being engaged as Beldars, if so, the number of the old workers so reinstated ; and

(c) whether Government propose to reinstate all the old workers for this purpose and if so, the time by which it is likely to be done and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development & Cooperation (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) A discussion was held in the office of the Agronomist, C. P. R. I., Patna on 10th June, 1969 between him and a representative of the casual labourers of the Research Station in the presence of the Labour Enforcement Officer, Patna. A copy of the note of discussion is enclosed as Appendix. [Placed in Library, see LT-3147-70]

As per the note of discussion, casual workers who turned up on the fixed date of recruitment were to be engaged. The work in the Research Station is purely of seasonal nature and the workers are engaged whenever the need arises.

All the old workers who had turned up were engaged.

The question of taking action against the officers does not, therefore, arise.

(b) No, Sir.

(c) Since, as stated above, the casual workers are employed according to the needs of the season, the number that can be employed in the following season cannot be determined before hand. However, in view of the decision taken on 10.6.69 referred to above, old workers who turn up in time in the following seasons will be engaged in preference to the new workers.

पटना में रेलवे डाक सेवा के लिये नया भवन

5765. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे प्रशासन द्वारा पटना जंकशन पर पटना रेलवे डाक सेवा के लिए एक नया भवन बनाया जा रहा है; और यदि हां, तो उस नये भवन में पटना रेलवे डाक सेवा के लिये कितनी जगह उपलब्ध की जायेगी ;

(ख) क्या उस नये भवन में पटना रेलवे डाक सेवा के लिये खाने पीने के कमरे, कैन्टीन तथा विश्राम गृह की व्यवस्था की गई है ;

(ग) क्या प्रस्तावित भवन में रेलवे डाक सेवा के अधीक्षक के कार्यालय के लिये भी स्थान की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है ; और

(घ) क्या प्रस्तावित भवन में साइकिल शैड एच० आर० सी० तथा एम० आर० सी० कार्यालयों के लिये भी स्थान की व्यवस्था होगी ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां, 11,000 वर्गफुट से अधिक ।

(ख) प्रस्तावित भवन में खाने-पीने के कमरे और कैंटीन के लिए व्यवस्था करने का प्रस्ताव है । क्योंकि विश्राम गृह स्वीकार्य नहीं है, इसलिए इसकी व्यवस्था नहीं की गई है ।

(ग) जी हां ।

(घ) प्रस्तावित भवन में प्रधान रिकार्ड कार्यालय के लिए स्थान की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है और उप-रिकार्ड कार्यालय को प्रधान रिकार्ड कार्यालय में मिला दिया जाएगा । साइकिल शैड के लिए स्थान की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव नहीं किया गया है क्योंकि रेल-डाक व्यवस्था के प्रस्तावित भवन के निकट ही एक सार्वजनिक साइकिल स्टैंड मौजूद है ।

Regional Offices of the Employees Provident Fund Organisation

5766. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the total number of Regional Offices of the Employees Provident Fund and their locations ;

(b) whether it is a fact that in some of the said offices deputationists are working as Regional Commissioners and the places where such offices are situated ; and

(c) the period for which each of these Regional Commissioners have been granted extension and the reasons for doing so ?

Minister of Labour and Rehabilitation (Shri D. Sanjivayya) : The administration of the Employees' Provident Fund is the concern of the Central Board of Trustees. The Provident Fund Authorities have reported as under :—

(a) There are fifteen Regional Offices, located at Hyderabad, Patna, Ahmedabad, Chandigarh, Shillong, New Delhi, Trivandrum, Indore, Bombay, Bangalore, Bhubaneshwar, Jaipur, Madras, Kanpur & Calcutta.

(b) Yes. At Hyderabad, Patna, Ahmedabad, Chandigarh, Jaipur and Calcutta.

(c) The normal period of deputation of these officers is three years. Only in the case of one officer, stationed at Patna, has an extension by one year beyond the period of three years been agreed to in the interest of the efficient functioning of the office.

Need for Periodical Training of Officials of Community Development

5767. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the article published in the publication "Community Development and Panchayati Raj Digest, Vol.—I, No.3, January, 1970" under the heading 'Leadership for Development' which emphasises the need for periodical training of officials and non-officials ;

(b) if so, whether Government agree to this contention ;

(c) if so, the nature of the scheme formulated for keeping the Mukhias and Community Development Officials informed from time to time about the latest achievements in agricultural and developmental knowledge and techniques ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri D. Ering) : (a) to (d) The Government is already aware of the need, emphasised in the article in question, for orientation of the functionaries, both officials and non-officials, connected with Community Development and Punchayati Raj institutions. Facilities for training are available in the States through a range of institutions like Composite Training Centres, Pahchayati Raj Training Centres, Gram Sevak/Sevika Training Centres, etc. The National Institute of Community Development regularly conducts orientation courses for Panchayati Raj and Community Development functionaries, both officials and non-officials, working at the policy making levels. Besides, there are General sector schemes like the Training of Youth Workers and Leaders in rural areas as also the scheme of Sammelans which are respectively concerned principally with leadership development and meetings at various levels of officials and non-officials for exchanging experiences and ideas.

Suggestion from Centre to States Regarding Fixing of Land Ceiling of 20 Standard Acres

5768. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government of Tamilnadu have set up an example in the country by fixing a ceiling of 20 standard acres and showed that only by reducing the present ceiling of land it would help landless persons to get land ;

(b) if so, whether Central Government propose to give such suggestions to other States also ;

(c) the number of States to whom Central Government have given such suggestions and whether Bihar is one of them ; and

(d) in case Bihar is not included, the reasons therefor ?

Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development & Cooperation (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) The Government of Tamil Nadu has undertaken legislation for imposition of ceiling at 15 standard acres (12 to 60 acres depending upon the class of land) in respect of land held by a person or a family on the 26th February, 1970. This measure is in addition to the provisions of the Madras Land Reforms (Fixation of Ceiling on Land) Act 1961 fixing ceiling at 30 standard acres (24 to 120 acres depending on class of land) in respect of lands held on the 6th April, 1960.

(b) & (c) A suggestion was made at the Chief Ministers' Conference on Land Reforms held on November 28–29, 1969 that the State Governments should review the ceiling provisions having regard to the technological developments and social requirements.

(d) The Government of Bihar has also been requested to review the ceiling provisions.

खाद्यान्नों के लाभ मूल्य तथा मूल्य स्थिरीकरण के लिए पंजाब सरकार द्वारा निवेदन

5769. **श्री नरसिम्हा राव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने खाद्यान्नों के वास्तविक तथा लाभकर मूल्य निर्धारित करने के लिये तथा तीन से पांच वर्ष तक के लिये सामान्य मूल्य स्थिरीकरण की घोषणा करने के बारे में केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) 22 मार्च, 1970 को हुए मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन में पंजाब के मुख्य मंत्री ने 1970-71 के विपणन मौसम के लिए गेहूं के अधिप्राप्ति मूल्य में पिछले मौसम के मूल्य की तुलना में बढ़ोतरी करने की वकालत की। उन्होंने यह भी सुझाव दिया था कि ये मूल्य पांच वर्षों के लिये निर्धारित किए जाने चाहियें और प्रत्येक वर्ष इनमें परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिये।

(ख) मुख्य मन्त्रियों के विचारों पर विचार करने के बाद सरकार ने 1970-71 के मौसम के लिए गेहूं के वही मूल्य निर्धारित किए हैं जोकि 1969-70 के मौसम निर्धारित किये गये थे।

Manufacture of Teleprinters

5770. **Shri Nageshwar Dwivedi** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the total number of Teleprinters manufactured in the country till the end of 1969 and the number of those out of them sold and the number remained unsold because of defects ; and

(b) if so, the nature of defects ?

Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) The requisite information is given below :—

Number of teleprinters manufactured in the country by the Hindustan Teleprinters Ltd. upto 31.12.1969	Number of those out of them sold upto 31.12.1969	Number remained unsold because of defects
(In units)	(in units)	(in units)
20,099	19,172	No machines remained unsold because of defects.

(b) Does not arise.

दण्डकारण्य परियोजना के अधिकारियों के कर्त्तव्य, कार्य तथा दौरे आदि

5771. **श्री हुकम चन्द कछवाय :** **श्री जगन्नाथ राव जोशी :**
श्री रामगोपाल शालवाले :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दण्डकारण्य परियोजना के उप मुख्य प्रशासक, क्षेत्रीय प्रशासकों, कार्यकारी अधिकारियों तथा अन्य कार्यालय-अध्यक्षों के कर्त्तव्य तथा कार्य क्या हैं ;

(ख) तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणियों के कर्मचारियों के लिये अन्तर-क्षेत्र स्थानान्तरण का आदेश देने का प्राधिकार किसे प्राप्त है ;

(ग) उक्त अधिकारी कितने दिन प्रधान कार्यालय से बाहर रहे, प्रत्येक अधिकारी परियोजना-गाड़ी में कुल कितने किलोमीटर दूरी का दौरा किया गया, प्रत्येक को निजी कारों द्वारा यात्रा सहित, कितना यात्रा भत्ता दिया गया, 1967 से लेकर अब तक परियोजना के भीतर तथा बाहर विभिन्न स्थानों में प्रतिवर्ष किन-किन तिथियों को उन्होंने बैठकें कीं ;

(घ) क्या 1967 से लेकर 1969 तक की अवधि में परियोजना-गाड़ी चलाते समय किसी अधिकारी से दुर्घटना हुई थी और क्या अधिकारियों तथा चालकों को यह अधिकार है कि वे किसी को भी परियोजना-गाड़ी में ले जा सकते हैं ; और

(ङ) क्या कार्यालय प्रधान, क्षेत्रीय प्रशासकों तथा मुख्य प्रशासक के बीच कोई समन्वय नहीं है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) (क), (ख) और (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायेगी ।

(ग) इस जानकारी को एत्रित करने में जो समय तथा श्रम लगेगा, वह सम्भवत: प्राप्त होने वाले परिणामों के अनुरूप नहीं होगा ।

(ङ) दण्डकारण्य विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में, मुख्य प्रशासक कार्यालय के प्रधानों तथा क्षेत्रीय प्रशासकों के क्रियाकलापों का समन्वय करते हैं ।

पंजाब में पंचायत समितियों का समाप्त किया जाना

5772. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब राज्य का विचार पंचायत समितियों को खत्म करने का है; और यदि हां, तो क्या उन्होंने इसके लिये सरकार से सलाह की है ;

(ख) क्या सरकार ने ग्रामीण विकास के लिये तीन प्रथम प्रणाली के कार्य-संचालन के बारे में कोई अनुमान लगवाया है ;

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या निर्णय किया गया है ; और

(घ) क्या सरकार तीन प्रथम प्रणाली को बनाये रखने के पक्ष में है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री डी० एरिंग) : (क) पंजाब सरकार से ऐसा कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख), (ग) व (घ) पंचायतीराज संस्थाओं के कार्यकरण की समय-समय पर जांच की गई है । मुख्य मंत्री और सामुदायिक विकास तथा पंचायतीराज के राज्य मंत्री जब पिछली बार 1968 में मद्रास में हुए सम्मेलन में मिले थे तब उन्होंने अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की थी कि पंचायतीराज लोकतंत्रीय विकेन्द्रीकरण के उपकरण के रूप में चालू रहना चाहिए और तीन स्तरीय अथवा दो स्तरीय ढांचे से सम्बन्धित प्रश्न राज्यों की मर्जी पर छोण दिया जाना चाहिए । हाल ही में सरकार ने एक उच्चाधिकार आयोग स्थापित करने का निर्णय किया है जो सामुदायिक विकास कार्यक्रमों तथा पंचायतीराज संस्थाओं के कार्यकरण के विभिन्न पक्षों की जांच करेगा ।

पंजाब और हरियाणा में टेलीफोन कनेक्शनों के लिये अनिर्णीत पड़े आवेदन पत्र

5773. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब और हरियाणा राज्यों में टेलीफोन कनेक्शनों के लिये कितने आवेदन पत्र अभी तक अनिर्णीत पड़े हैं ; और

(ख) लोगों की टेलीफोन कनेक्शनों सम्बन्धी मांग को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) 28-2-1970 को बकाया अर्जियों की संख्या निम्नलिखित थी :

पंजाब	13439
हरियाणा	4279

(ख) उपलब्ध साधनों के आधार पर टेलीफोन की मांगों को पूरा करने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं । यह बता दिया जाय कि एक्सचेंज उपस्कर और भूगर्भ केबलों की सामान्य कमी है ।

M. Ps. Letters not Replied to Promptly by Information and Broadcasting Ministry

5774, **Shri Bansh Narain Singh**: Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the number of letters received from the Members of Parliament from the 1st January, 1969, to the 28th February, 1970 and the points raised in them ;

(b) the number of letters out of them finally replied to and the time taken in sending the said replies ;

(c) the reasons for not sending any replies to the remaining letters and whether his Ministry is aware of the orders of the Prime Minister in this regard ;

(d) whether the replies to the letters from the Members of Parliament are delayed unnecessarily so that the points raised in the said letters lose their importance with the passage of time ;

(e) if not, the approximate number of days taken on sending the said final replies ; and

(f) whether it is a fact that some points raised in the said letters were not replied to, if so, the reasons therefor ?

Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) to (f) The information pertaining to this Ministry is being collected and will be laid on the Table of the House.

Disposal of Letters Received from M. Ps.

5775. **Shri Bansh Narain Singh** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of letters received from the Members of Parliament from 1st January, 1969 to 28th February, 1970 and the points raised in them ;

(b) the number of letters out of them finally replied to and the time taken in sending the said replies ;

(c) the reasons for not sending any replies to the remaining letters and whether the Ministry is aware of the orders of the Prime Minister in this regard ;

(d) whether the replies to the letters from the Members of Parliament are delayed unnecessarily so that the points raised in the said letters lose their importance with the passage of time ;

(e) if not, the approximate number of days taken in sending the said final replies ; and

(f) whether it is a fact that some points raised in the said letters were not replied to, if so, the reasons therefor ?

Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development & Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) to (f) The information referred to in parts (a), (b), (e) and (f) is being collected and will be placed on the Table of the Lok Sabha as early as possible.

Ministry is aware of the orders of the Prime Minister in this regard. No replies are unnecessarily delayed. Some of the letters received from the Members of Parliament have to be examined in detail in consultation with various Heads of Departments and also at times with ihe State Governments and such consultations may take time.

अक्तूबर-नवम्बर, 1969 के फिल्म समारोह में फिल्मों का वर्गीकरण

5776. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अक्तूबर-नवम्बर, 1969 के फिल्म समारोह में कितनी फिल्मों को "सब के लिये" तथा कितनी फिल्मों को "केवल वयस्कों के लिये" प्रदर्शन हेतु घोषित किया गया था ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) : अक्टूबर-नवम्बर, 1969 में सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के तत्वावधान में कोई फिल्म समारोह नहीं हुआ था । तथापि, 5 दिसम्बर से 18 दिसम्बर, 1969 तक चौथा अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह हुआ था । इस समारोह में दिखाई गई 51 फीचर फिल्मों में से 27 फिल्में 'यू' तथा 24 'केवल वयस्कों के लिये' वर्गीकृत की गई थीं ।

Supply of Foodgrains to Tikamgarh and Chhatarpur Districts of Madhya Pradesh by World Food Organisation

5777. **Shri Nathu Ram Ahirwar :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the World Food Organisation has sanctioned monetary help and foodgrains to the Tikamgarh and Chhatarpur districts in Madhya Pradesh ; and

(b) if so, the details in this regard and the time by which the said allocation would be received ?

Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development & Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) The World Food Programme, which was established under the joint auspices of the United Nations and the Food and Agriculture Organisation, has agreed to provide commodity assistance for the rehabilitation of minor irrigation works in Tikamgarh and Chhatarpur districts of Madhya Pradesh.

(b) The World Food Programme has agreed to supply 4,200 metric tons of wheat over a seriod of 3 years which will be supplied to labourers engaged in the project as part payment of wages. The assistance will start coming as soon as the State Government is ready for the commencement of the Project.

TO BE ANSWERED ON THE 9TH APRIL, 1970

Cultivation of Soyabean During Kharif Season (1970)

5778. **Shri Nathu Ram Ahirwar :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the state wise details of soya been cultivation during the kharif season in this year ; and

(b) the quantity of soyabean purchased by the Food Corporation of India and the National Seeds Corporation and the rates at which it was purchased ;

Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development & Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) The information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha.

(b) Food Corporation of India has not purchased Soyabean so far. The details are being worked out. National Seeds Corporation is expecting to procure about 2635 quintals of soyabean from the production of Khari , 1969-70 at the following rates for seed purposes.

'Certified Seed'	Rs. 175/—per quintal.
'Truthfully labelled seed'	Rs. 160/—per quintal.

Fixation of Prices of Wheat

5779. **Shri Nathu Ram Ahirwar :** **Shri Deorao Patil :**

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state -

(a) whether the prices of wheat fixed by the National Agricultural Prices Commission this year are less than those fixed in the previous year and if so, the amount by which they are less this year ;

(b) the reasons therefor ;

(c) whether it is a fact that the prices of agricultural implements made of steel and those of the chemical fertilizers have gone up this year ; and

(d) whether these factors were not taken into consideration at the time of fixing the prices of the wheat ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) Yes, Sir. The Agricultural Prices Commission recommended for 1970-71 season a uniform price of Rs. 66.00 for the indigenous red and Rs, 72·00 per quintal for the indigenous common white aginst the prices of Rs, 66·00—Rs. 74·00 for indigenous red and Rs. 76.00 for other indigenous varieties fixed for 1969–70 season.

(b) A statement is attached.

(c) The prices of agricultural implements made of steel have gone up while the prices of imported chemical fertilizers have been reduced.

(d) Considering all relevant factors the procurement prices of wheat for 1970–71 marketing season have been maintained at the previous year's level.

Statement

The Commission has argued that during 1970–71 marketing season, with the larger output of the kharif and good prospects for the rabi foodgrains, there is a possibility that the prices of wheat might soften compared to the levels of last year. The international prices of wheat bave also been showing a downward trend. With the decrease in the proportion of low priced imported wheat in the public distribution system, if procurement prices of wheat are not reduced, the issue price of wheat will have to be raised substantially unless it is decided to subsidise heavily the distribution of wheat.

The Commission also felt that with the continued spread of high yielding varieties and the consequent increase in production of marketable surpluses and in view of the higher yield associated with new technology, the producer had the capacity to share in the downward adjustment in procurement prices.

वनस्पति तेलों के उत्पादन में वृद्धि

5781. **श्री यशपाल सिंह : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने उत्पादन में वृद्धि करने के प्रश्न पर वनस्पति तेल उद्योग के प्रतिनिधियों से विचार विमर्श किया है ;

(ख) किन-किन विशिष्ट प्रस्तावों पर विचार विमर्श किया गया ; और

(ग) उसके क्या परिणाम निकले ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) से (ग) जी हां। वनस्पति का उत्पादन बढ़ाने और उसके मूल्य स्थिर करने के प्रश्न पर चर्चा हुई थी। उसमें यह तय हुआ कि इसके मूल्य में परिवर्तन प्रत्येक दो महीने के बाद ही किया जाय बशर्ते कि किसी पखवाड़े में कच्चे तेल के मूल्यों में कोई भारी वृद्धि न हो गई हो।

Direct Linking of Meerut Telephone Exchange with Delhi Telephone Exchange

5782. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the work in respect of connecting the Meerut Exchange

automatically with the Delhi Exchange was to be completed according to the plan in 1965 itself bu the said work has not so far been completed ; and

(b) if so, the time by which the said work is likely to be completed now ?

Minister in the Ministry of Information and Broadcasting and Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) The work of connecting Meerut Exchange automatically with the Delhi Telephone System had been completed in early 1966 resulting in the introduction of Subscriber Trunk Dialling (STD) service between Meerut and Delhi from 5.2.66.

(b) Does not arise

Increase in Gur Price

5783. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the extent of increase registered in the gur prices since the forward trading in gur has been allowed ; and

(b) whether the gur prices have reached the level at which farmers could get the minimum price of sugarcane as fixed by Government ; and if not, the steps being taken by Government to increase the gur prices ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development & Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) Since the withdrawal of ban on forward trading of gur, the wholesale prices in certain States such as Andhra Pradesh, Haryana, Maharashtra, Rajasthan, Tamil Nadu and Delhi have registered increases ranging from Rs. 0.20 to Rs. 10.00 per quintal. In the States of Bihar, Kerala, Madhya Pradesh and Punjab, the prices have remained steady while in Gujarat, Uttar Pradesh, Orissa and West Bengal gur prices have receded a little, the range being between Rs. 2/—to Rs. 7.50 per quintal.

(b) The Government of India have not fixed minimum price of sugarcane supplied to gur menufacturers nor has it controlled the price of gur as it is a cottage industry. Apart from the withdrawal of ban on forward trading of gur, the Government have also acquired powers to permit the use of gur for the following purposes :

(i) use in tobacco industry ;

(ii) use in leather tanning industry ;

(iii) use in chemical industry ;

(iv) any other industrial use.

Procurement of Soyabeans and its use

5784. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government propose to procure Soyabeans for purposes of seeds only or for extracting oil also, according to the recent announcement nade by Government in this regard ; and

(b) the price of procurement ?

Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development & Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) and (b) Yes, Sir, for extracting oil also, The details are being worked out.

Communication facilities in dacoit infested areas contiguous to M. P., Rajasthan and U. P.

†5785. **Shri Meetha Lal Meena** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that such special facilities as are given to backward areas for the development of communications system are not being provided by the Department in those dacoit-infested areas which are contiguous to Rajasthan, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh.

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) in case Government propose to provide those facilities in the said areas, the date from which these would be provided ?

Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and Department of Communications (Shri Sher Singh) : Postal facilities : (a) & (b) No. Normally areas where on account of difficult terrain, sparse population or lack of literacy and long lines of communications, post offices cannot be opened under the departmental standards applicable to normal areas, are eligible for treatment as "Very Backward" for the purpose of extension of postal facilities on the merits of each case. Comparable postal facilities of the area in relation to the adjoining areas of the State and the State as a whole are also taken into account. Post offices are opened in such areas in consultation with the local authorities irrespective of the conditions of distance (limit of 3 miles) and population (limit of 2000) at an enhanced limit of loss upto Rs. 1000/—per annum per post office against Rs. 750/—or Rs. 500/—prescribed in other areas under the powers of the Postmaster-General and at a further enhanced limit of loss upto Rs. 2,500/—in exceptional cases under the powers of the Director-General, Posts and Telegraphs according to targets fixed for opening of post offices in such areas. No special consideration is given to areas where dacoities are more frequent, and this is not taken as a relevant factor while determining whether an area should be declared a very backward for the point of view of postal facilities. In the particular areas referred to, only the districts of Tikamgarh, Chhatarpur, Panna and Datia in Madhya Pradesh have been declared as "Very Backward Areas" for the purpose of extension of postal facilities.

Telecommunications facilities : Telegraph and telephone facilities are normally provided at a place if the scheme works out to be remunerative. In case of loss, some interested party has to indemnify the loss to the Department. However, in order to extend these facilities to under developed areas, a policy has been evolved to provide these facilities even on loss basis at certain categories of stations based on their administrative importance, population and remoteness from the general telecommunication net work. Limited number of pilgrim centres, tourist centres, agriculture and irrigation project sites and townships are also considered for provision of telegraph and telephone facilities on loss basis. Backward areas and dacoit—infested areas are considered for provision of these facilities on loss basis along with other under-developed areas in accordance with the above policy.

(c) Does not arise in view of (a) and (b) above.

Post-Office and Telephone facilities in Sawai Madhopur as backward area

†5786. **Shri Meetha Lal Meena** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the reasons for which the Department of Communications is not providing the

Post-Office and telephone facilities to District Sawai Madhopur as are provided to a backward district in view of the fact that the Central Government had declared the said district backward in 1967 ;

(b) in case the Post-Office and telephone facilities are likely to be made available the date from which they would be provided ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) **Post Office facilities** : Normally areas, where on account of difficult terrain, sparse population or lack of literacy and long lines of communications, post offices cannot be opened under the Departmental standards applicable to normal areas, are eligible for treatment as "Very Backward Areas" for the purpose of extension of postal facilities on the merits of each case. Comparable postal facilities of the area in relation to the adjoining areas of the State and the State as a whole are also taken into account. The fact that certain areas have been treated as backward by another department of Central Government for their own schemes constitutes one of the factors but not the sole factor for declaring such areas as "Very Backward Areas" for extension of postal facilities.

(b) **Post Office facilities** : As on 31-3-70, there are 331 Post Offices in Sawai Madhopur District. At present, a post office in Sawai Madhopur district serves an average area of 10 Sq miles and an average population of 3290 compared to 21 Sq. miles and 3194 in Rajasthan State and 11.24 Sq. miles and 4185 in the entire country respectively. The number of post offices likely to be opened in the district in future has not yet been finalised.

Telephone facilities : In Sawai Madhopur district, telephone exchanges are working at 11 places and Long Distance Public Call offices at 19 places. Proposal to open a Public Call Office at Karanour has been sanctioned. This will be provided on receipt of stores. Proposals for opening Public Call Offices at 6 more places have been examined. As they are unremunerative, rent and guarantee terms have been quoted to the parties concerned. On acceptance of the guarantee terms, action to open Public Call Offices at these places will be taken. No discrimination is being shown to Sawai Madhopur district in respect of provision of telephone facilities.

(c) Does not arise in view of (b) above.

District Telephone Advisory Committees in Rajasthan

†5787. **Shri Meethn Lal Meena** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there are no District Telephone Advisory Committees in Rajasthan on the lines of such Committees functioning in other States in the country ;

(b) if so, whether there is any proposal for setting up such committees in the near future ;

(c) if not, the reasons therefor ; and

(d) if so, by what time such committees would be set up ?

Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) No ; The Telephone Advisory Committees are not set up at the District level. They are set up for specific stations where such Committees are considered necessary. In Rajasthan, Telephone Advisory Committees have been set up for Jodhpur and Jaipur Telephone systems.

(b), (c) and (d) Does not arise.

Construction of Post Office Buildings in Rajasthan During Fourth Five Year Plan

†5788, **Shri Meetha Lal Meena :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the number of Government Post Office buildings proposed to be constructed in Rajasthan during the Fourth Five-Year Plan ; and

(b) the names of places in Sawai Madhopur and Jaipur districts in Rajasthan where the said buildings would be constructed and the estimated outlay involved in each of them ?

Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) It is proposed to construct 48 buildings in Rajasthan during the Fourth Five Year Plan out of which 7 buildings have already been constructed and work is in progress in respect of 11 buildings.

(b) Departmental buildings are proposed to be constructed at the following places in Sawai Madhopur and Jaipur Districts in Rajasthan. The estimated outlay on each of these works is indicated against their names.

1. **Sawai Madhopur District :**

	Estimated out-lay (Rs. in lakhs)
(a) Sawai Madhopur HPO	2.83
(b) Gangapur PO	1.80

2. **Jaipur District :**

(a) Jaipur City	5.40
(b) Adarshnagar (Jaipur)	5.40
(c) Paota	0.80
(d) Phagi	0.80
(e) Jamwaramgarh	0.80
(f) Lalsot	0.80
(g) Kotputli	1.80

अखबारी कागज का नियतन

5789. **श्री हेम बरुआ** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मार्च, 1970 के पश्चात समाचार पत्रों को अखबारी कागज के नियतन की नीति में परिवर्तन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस परिवर्तन का स्वरूप क्या है तथा ऐसा करने के क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) लाइसेंसिंग वर्ष अप्रैल 1970 मार्च 1971 के लिए अखबारी कागज वितरण नीति, जिसको एक प्रति 7 अप्रैल, 1970 को सदन की मेज पर रख दी गई थी, में निम्नलिखित मुख्य परिवर्तन किए गए हैं :

(1) 1970-71 में किसी समाचार-पत्र का मूल कोटा 1969-70 में उसके बुनियादी कोटे जिसमें वृद्धि भी शामिल है, या उस वर्ष के दौरान उसकी वास्तविक खपत, इनमें जो भी कम हो, के अनुसार होगा ।

(2) दैनिक समाचार-पत्रों को अपनी परिचालन संख्या निम्न प्रकार बढ़ाने की अनुमति की गई है :

(क) 15,000 प्रतियों तक की परिचालन संख्या वाले	20 प्रतिशत
(ख) 15,000 प्रतियों से अधिक तथा 30,000 प्रतियों तक की परिचालन संख्या वाले	17½ प्रतिशत
(ग) 30,000 प्रतियों से अधिक तथा 50,000 प्रतियों तक की परिचालन संख्या वाले	15 प्रतिशत
(घ) 50,000 प्रतियों से अधिक तथा 1,00,000 प्रतियों तक की परिचालन संख्या वाले	10 प्रतिशत
(ङ) 1,00,000 प्रतियों से अधिक की परिचालन संख्या वाले	5 प्रतिशत

1969-70 में दैनिक समाचार-पत्रों की अधिकतम 12 पृष्ठों तक केवल दो पृष्ठ बढ़ाने को अनुमति दी गई थी ।

(3) साप्ताहिक समाचार-पत्रों को मानक आकार के अधिक से अधिक 16 पृष्ठों तक, 2 पृष्ठ बढ़ाने को अनुमति दी गई है । 1969-70 में उन्हें एक भी पृष्ठ बढ़ाने की अनुमति नहीं दी गई थी परन्तु उन्हें केवल अपनी परिचालन संख्या बढ़ाने की ही अनुमति दी गई थी ।

(4) नए साप्ताहिक समाचार-पत्रों को अखबारी कागज प्रकाशन के पहले तीन महीनों के लिए भी दिया जाएगा । 1969-70 से वे तीन महीने की अवधि के बाद ही अखबारी कागज के कोटे के पात्र थे ।

(5) जो समाचार-पत्र 300 टन तक के वार्षिक कोटे के हकदार हैं, उन्हें छपाई तथा लिखने का कागज अलाट नहीं किया जाएगा । 1969-70 में छपाई तथा लिखने का कागज 100 टन से अधिक कोटे के हकदार दैनिक समाचार-पत्रों को दिया गया था ।

(6) समाचार-पत्रों को उनके कोटे पर अतिरिक्त 5 प्रतिशत नेपा और छपाई एवं लिखने का कागज दिया जा रहा है ।

(7) उन पत्रिकाओं, जिन्हें 1969-70 तक चमकीला अखबारी कागज नहीं दिया जा रहा था, चार पृष्ठों के लिए राटोग्रेव्योर अखबारी कागज दिया जाएगा ।

(ख) ये परिवर्तन अखबारी कागज को 1970-71 के दौरान उपलब्ध होने की अनुमति मात्रा तथा विभिन्न क्षेणियों के समाचार-पत्रों के विकास को सहायता देने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं ।

वर्षा पर निर्भर क्षेत्रों को खाद्य उत्पादन के लिये सहायता

5790. **श्री बेदब्रत बरुआ** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खेती के लिये वर्षा पर निर्भर रहने वाले क्षेत्रों को, उनकी समस्याओं का व्यापक अध्ययन करके, खाद्य उत्पादन के लिये सहायता देने के बारे में कोई कार्यवाही की गई है; और

(ख) इस प्रयोजन के लिये सरकार ने किन-किन केन्द्रीय निकायों का गठन किया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहेब शिन्दे) : (क) जी हां । समस्या पर अनुसंधान करके वर्षा पोषित परिस्थितियों में खाद्य उत्पादन को सहायता देने के लिये कदम उठाए गए हैं ।

(ख) इस समस्या के महत्व को ध्यान में रखते हुए, योजना आयोग ने शुष्क भूमि की समस्याओं पर विस्तृत रूप मे विचार करने के बाद उपायों की सिफारिश करने के लिए शुष्क फार्मिंग सम्बन्धी एक पैनल स्थापित किया । उसकी सिफारिश के अनुसार भारतीय कृषि, अनुसंधान परिषद् ने, जो देश में सबसे बड़ी कृषि सम्बन्धी अनुसंधान संस्था है, चौथी योजना में अनुसंधान कार्य को तीव्र करने के लिए शुष्क भूमि फार्मिंग सम्बन्धी अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना तैयार की है, जिसके लिए सम्भवत: कैनेडा से सहायता मिलेगी । इसके अतिरिक्त, कृषि अनुसंधान कार्यक्रम, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के विभिन्न केन्द्रों में विशेषत: परिषद के अधीन केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसधान संस्था, जोधपुर और भूमि संरक्षण अनुसंधान केन्द्रों में शुरू किए जा रहे हैं, शुष्क फार्मिंग की समस्याओं को भी सम्मिलित करेंगे ।

जेनेवा में हुए अन्तर्राष्ट्रीय करार के अन्तर्गत चीनी की बिक्री के कारण विदेशी मुद्रा की हानि

5791. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीनी के पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने के कारण सरकार पिछले वर्ष जेनेवा में हुए अन्तर्राष्ट्रीय करार के अन्तर्गत चीनी की बिक्री की अनुमति दे रही है और इस प्रकार विदेशी मुद्रा की हानि हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस प्रकार कितनी विदेशी मुद्रा की हानि हुई ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहेब शिन्दे) : (क) अनुमान है कि चालू मौसम 1969-70 (अक्तूबर-सितम्बर के आधार पर) में चीनी का उत्पादन 40 लाख मीटरी टन से अधिक होगा । अन्तर्राष्ट्रीय चीनी करार के उपबंधों के अधीन, 1970 में भारत लगभग 3.20 लाख मीटरी टन चीनी निर्यात कर सकता है । लगभग 1.45 लाख मीटरी टन चीनी निर्यात करने की व्यवस्था की जा चुकी है और अधिक निर्यात करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बालासोर, उड़ीसा में मछली पकड़ने की बंदरगाह

5792. **श्री स० कुण्डू** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बालासोर, उड़ीसा में तथा स्वर्णरेखा नदी के मुहाने पर मछली पकड़ने की बन्दरगाह बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो यह कब बनाई जायेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) उड़ीसा सरकार द्वारा स्वर्ण रेखा नदी के मुहाने पर चांदीपुर, अधुआन, चांदीपाल और किरतानिया में मछली पकड़ने की बन्दरगाहें स्थापित करने का प्रस्ताव है । प्रत्येक राज्य में व्यापारिक तथा मछली विषयक आवश्यकताओं के लिए एक समाकलित लघु बन्दरगाह के सघन विकास की परिवहन मन्त्रालय की एक योजना के अन्तर्गत चांदवाली बन्दरगाह के विषय में विचार किया जा रहा है ।

(ख) चांदीपुर में एक मछली पकड़ने की बन्दरगाह स्थापित करने के विषय में पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है और उसका निर्माण हो रहा है । राज्य में समाकलित विकास के लिए एक छोटे पत्तन के चुनाव के प्रश्न पर एक समिति विचार कर रही है । अन्य बन्दरगाहों के बारे में प्रस्तावों को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के मछली पकड़ने की बन्दरगाह के निवेशपूर्व सर्वेक्षण विषयक परियोजना को भेज दिया गया है और परियोजना द्वारा अध्ययन पूरा करने के पश्चात् इनकी स्वीकृति पर विचार किया जाएगा ।

महाराष्ट्र के एक कृषक द्वारा गन्ने के अधिकतम उत्पादन के तरीकों को लोकप्रिय बनाने के लिये कार्यवाही

5793. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान गन्ने का अधिकतम उत्पादन करने संबंधी प्रचार की आवश्यकता के बारे में 9 मार्च 1970 के "इण्डियन एक्सप्रेस" में एक अच्छा उदाहरण शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित टिप्पणियों की ओर दिलाया गया है ;

(घ) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र का एक कृषक अपनी भूमि में गन्ने के उत्पादन को जो वर्ष 1968 में प्रति हेक्टर 288.71 मीटरी टन था, वर्ष 1969 में बढ़ा कर 366.11 मीटर टन प्रति हेक्टर करने में सफल हो गया है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि महाराष्ट्र के उस किसान के क्षेत्र में सिंचाई तथा अन्य सुविधायें बहुत अच्छी नहीं हैं ; और

(घ) यदि हां, तो महाराष्ट्र के किसान द्वारा अपनाये गये तरीकों को लोकप्रिय बनाने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ताकि अधिक किसान खेती के सुधरे हुए तरीकों का लाभ उठा सकें ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां । महाराष्ट्र के कोलहापुर और अहमदनगर जिलों में दो भिन्न कृषकों ने 1966-

67 में प्रति हेक्टार 288.71 मीटरी टन उपज और 1967-68 में 366.11 मीटरी टन उपज प्रति हेक्टार एक साली फसल में प्राप्त की ।

(ग) उपरोक्त इलाके क्रमशः कोलहापुर क्षेत्र की उठाऊ सिंचाई योजनाओं और दक्षिण नगर क्षेत्रों के अधीन आते हैं । फसल की प्रतियोगिताओं में फसलों के लिये सिंचाई और अन्य आदानों की सुविधाओं का साधारणतः अभाव नहीं होता है ।

(घ) इनाम जीतने वाली फसल उगाने के लिये, फसल प्रतियोगिताओं का संगठन और अपनाये गये काश्त के तरीकों का प्रचार करने के अतिरिक्त, गन्ना विकास निदेशालय, गन्ना उत्पादकों के लिये प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों और अन्तर्राज्यीय भ्रमणों का भी प्रबन्ध करता है ताकि उत्पादन सुधरे तरीकों का खेतों में स्वयं अवलोकन कर सकें ।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के लिए अधिक धनराशि का नियतन

5794. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली के अतिथि प्राध्यापक सुब्रमनियास्वामी द्वारा व्यक्त इस मत की ओर दिलाया गया है कि भारत में सूचना तथा प्रसारण के परिव्यय में वृद्धि की आवश्यकता है (जैसा कि 10 मार्च, 1970 के 'फाइनेंशल एक्सप्रेस' में 'सूचना मन्त्रालय के लिए अधिक धन जरूरी' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित हुआ है);

(ख) क्या वह इस बात से सहमत हैं कि यदि सूचना के प्रसारण पर एक करोड़ रुपए खर्च करने से राष्ट्रीय आय में 48 करोड़ रुपए की वृद्धि होती है, जैसा कि प्राध्यापक द्वारा हिसाब लगाया गया है, तो चौथी पंचवर्षीय योजना में सूचना मन्त्रालय के नियतन में वृद्धि करने का महत्वपूर्ण आधार है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने अनुदानों की मांगें तैयार करने से पहले इस प्रश्न का उक्त दृष्टि से अध्ययन किया था; और

(घ) यदि उपर्युक्त भाग (ग) का उत्तर नकारात्मक है तो क्या वह इस मामले की जांच करायेंगे और अपने मंत्रालय के लिए अधिक अनुदान प्राप्त करने के लिए उपयुक्त कार्यवाही करेंगे ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां । प्रोफेसर सुब्रमनियास्वामी ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के निवेदन पर 'रिलेशनशिप बिटवीन इनफारमेशन डिस्सैमीनेशन एण्ड एकोनामिक ग्रोथ' पर एक लेख तैयार किया है ।

(ख) वह इस अध्ययन से इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं । इस लेख पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित एक गोष्ठी में चर्चा की गई थी । अभी तक कोई अन्तिम निष्कर्ष नहीं निकला है । विषय पर और विचार जरूरी है ।

(ग) तथा (घ) यह स्थिति अभी तक नहीं आई है ।

मोहन सिंह प्लेस मार्किट, नई दिल्ली में दुकानों का किराया

5795. **श्री देवेन सेन** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जून, 1969 में मोहन सिंह प्लेस, नई दिल्ली में लगभग 114 शरणार्थी व्यापारियों को दुकानें आवंटित की गई थीं ;

(ख) क्या यह सच है कि उनसे प्रतिमास लगभग 250 रुपये किराया वसूल किया जाता है ; और

(ग) क्या यह सच है कि शरणार्थी व्यापारियों से, अन्य बाजारों में दुकानों की उससे अच्छी स्थिति होने पर तथा इन दुकानों से बड़ी दुकानें होने पर भी जो किराया लिया जाता है, वह भी 44 रुपये प्रति मास से अधिक नहीं है ; और

(घ) क्या इस किराये को घटा कर अन्य बाजारों के वर्तमान किराये के समान करने के लिये वह न हानि न लाभ आधार पर मोहनसिंह प्लेस का किराया निर्धारित करेंगे ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क), (ख), (ग) और (घ) : जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायेगी ।

औषध निर्माण फर्मों के औषधीय प्रतिनिधियों को श्रमजीवी कर्मचारी की श्रेणी में शामिल करने के लिये औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन

5796. **श्री देवेन सेन** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में औषध निर्माण तथा वितरण कम्पनियों द्वारा रखे गये बहुत से औषधीय प्रतिनिधियों को औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत क्षमजीवी कर्मचारी नहीं समझा जाता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इन प्रतिनिधियों को इसके अन्तर्गत लाने के लिये सरकार औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन करेगी ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) जी हां, मेसर्स में एण्ड बेकर (इण्डिया) लि० के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार (श्रम कानून पत्रिका, 1961 खण्ड11-पृष्ठ 94)

(ख) इससे भी बड़े प्रश्न पर कि 'श्रमिक' की परिभाषा में जैसी कि औद्योगिक विवाद अधिनियम में दी गई है, संशोधन किया जाना चाहिये या नहीं, सरकार की अन्य बातों के साथ राष्ट्रीय क्षम आयोग की सिफारिशों से प्रकाश में उसके गुण-दोषों को ध्यान में रखकर विचार करना है ।

भारतीय फसलों का विकास

5797. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार भारतीय फसलों के विकास के लिये हर प्रयास कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए एल० टी०-3148/70]

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

दरभंगा (बिहार) के बेलहावाड़ डाकघर का कार्यकरण

5798. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बेलहावाड़ डाकघर को बार-बार एन० आर० सी० डिपोजिट जमा करने को कहा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस डाकघर के गत वर्ष के खर्च और आय को देखते हुए ऐसा किये जाने के क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) तथा (ख) बेलहावाड़ गांव नजदीक के शीवी पट्टी के डाकघर से केवल डेढ़ मील की दूरी पर है। स्वीकृत सीमा तक घाटा उठाकर देहाती डाकघर केवल उस स्थिति में खोला जा सकता है जब कि तीन मील की दूरी के अन्दर कोई दूसरा डाकघर न हो। इसलिए, किन्हीं इच्छुक पार्टियों द्वारा अनुमानित घाटे की पूर्ति करने पर ही बेलहावाड़ में डाकघर खोला जा सकता था।

गैर-वापसी अंशदान की अदायगी करने पर ही बेलहावाड़ में 15-2-68 को मूल रूप में डाकघर खोला गया। बाद के वर्षों में डाकघर कायम रखने के लिए आगे हर एक वर्ष तब तक गैर-वापसी अंशदान की अदायगी करना जरूरी है जब तक कि वहां कारोबार न बढ़ जाए और कोई घाटा न हो।

लोक सभा में सामान्य आय-व्ययक पर हुई चर्चा का आकाशवाणी द्वारा पर्याप्त प्रसारण न किया जाना

5799. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामान्य आय-व्ययक पर लोक सभा में हुई चर्चा का 17 मार्च, 1970 को "टु डे इन पार्लियामेंट" और "संसद समीक्षा" कार्यक्रम में तथा 17 मार्च के 8.45 और 9.00 बजे के सायंकालीन समाचारों में एवं 18 मार्च, 1970 के 8.00 और 8.15 बजे के प्रातःकालीन समाचारों में, पर्याप्त प्रसारण नहीं किया गया था ;

(ख) क्या इस दिनों चर्चा में भाग लेने वाले सदस्यों के नामों का उल्लेख भी नहीं किया गया था, जब कि इससे पूर्व के दो-तीन दिनों की चर्चा में भाग लेने वाले सदस्यों के नामों का क्रमशः उन दिनों के समाचारों में उल्लेख किया गया था;

(ग) क्या 17 मार्च, 1970 के 8.45 तथा 9.00 बजे के सायंकालीन समाचारों तथा 18 मार्च, 1970 के 8.00 तथा 8.15 बजे के प्रातःकालीन समाचारों में जनसंघ दल के नाम का उल्लेख किया गया था जबकि इन दिनों में अन्य दलों के नामों का भी (सदस्यों के नामों को तो छोड़ दीजिये) उल्लेख नहीं किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) इस विषय को पर्याप्त रूप से प्रसारित किया गया था ।

(ख) जिन दो दिनों का हवाला दिया गया है उन दिनों के समाचार बुलेटिनों आदि में बहस में भाग लेने वाले सदस्यों के नामों का उल्लेख नहीं किया गया था । समाचार बुलेटिनों तथा संसदीय समीक्षाओं में नामों का उल्लेख करना विचारणीय विषय के सामाचारिक महत्व तथा समय की उपलब्धि पर निर्भर करता है ।

(ग) तथा (घ) : जी, हां । यह दिये हुए वक्तव्य की प्रकृति के कारण था ।

नगरीय तथा देहाती क्षेत्रों में रेडियो सेटों का अनुपात

5800. **श्री रामावतार शर्मा** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में नगरीय तथा देहाती क्षेत्रों में किस अनुपात में रेडियो सेट हैं ; और

(ख) क्या सरकार का विचार देहाती क्षेत्रों में रेडियों सेटों की संख्या को बढ़ाने के लिए कार्यवाही करने का है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के कितने-कितने रेडियो सेट हैं, इसके बारे में अलग से आंकड़े नहीं रखे जाते ।

(ख) रेडियो सेटों, विशेष कर सस्ते दामों वाले रेडियो सेटों तथा ट्रांजिस्टरों के निर्माण को बढ़ाने के बारे में कदम उठाये गये हैं । आशा है कि कम दामों वाले सेट पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने पर ग्रामीण क्षेत्रों में रेडियो सेटों की संख्या में भी पर्याप्त वृद्धि हो जायेगी ।

मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी के पर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्रों में बोने के लिये गेहूं, चना और तिलहन की अधिक उपज वाली किस्में

5801. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी के पर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्रों में बुआई के लिये गेहूं, चना तथा तिलहन की किन-किन अधिक उपज वाली नई किस्मों को उपयुक्त पाया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहेब शिन्दे) : राज्य सरकारों से जानकारी मांगी गई है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

सहकारी बैंकों द्वारा किसानों को वित्तीय सहायता

5802. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किसानों को कम ब्याज दर पर धन देने के परिणामस्वरूप सहकारी बैंकों का क्या भविष्य होगा ; और

(ख) क्या सरकार का विचार जिला मुख्यालय स्थित कोआपरेटिव बैंकों को वाणिज्यिक बैंकों का धन देने के लिये प्रमुख (लीड) बैंकों का रूप देने का है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री डी० एरिंग) : (क) बहु-अभिकरण पहुंच, जिसमें कृषि ऋण उपलब्ध करने के लिए वाणिज्य बैंक भी एक अभिकरण के रूप में सम्मिलित हैं, एक राष्ट्रीय नीति के रूप में स्वीकृत की गई है, क्योंकि सहकारी ऋण संस्थाएं अकेले कृषि ऋण की अधिक मांग को पूरा नहीं कर सकेंगी । वाणिज्य बैंक सहकारी बैंकों के पूरक के रूप में कार्य करेंगे । ब्याज की दरों के अन्तर को केवल सीमान्त समझा जाता है; वाणिज्य बैंक आम तौर पर 8 से 9 प्रतिशत तक ब्याज लेते हैं, जबकि सहकारी बैंक 7½ से 10 प्रतिशत तक लेते हैं । रिजर्व बैंक विभिन्न अभिकरणों के कार्यों पर सूक्ष्मता से ध्यान रख रहा है; ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वाणिज्य बैंकों के प्रवेश से सहकारी ऋण ढांचे के अनुशासन का उल्लंघन न हो अथवा उसे हानि न पहुंचे ।

(ख) जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों को वाणिज्यिक बैंकों का धन प्रदान करने के लिए प्रमुख (लीड) बैंक नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

मध्य प्रदेश में लघु सिंचाई परियोजनाएं

5803. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में मध्य प्रदेश के लिये कितनी लघु सिंचाई परियोजनायें मंजूर की गई हैं तथा उनके नाम क्या हैं तथा वे किन-किन जिलों में हैं; और

(ख) मध्य प्रदेश की कितनी लघु सिंचाई परियोजनायें उनके मन्त्रालय में अनिर्णीत हैं तथा उनके नाम क्या हैं और वे किन-किन जिलों में हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) मध्य प्रदेश में लघु सिंचाई कार्यक्रम में खुदाई के कूओं का निर्माण, खुदाई के कूओं की बोरिंग, कूओं को गहरा करना, कम गहरे नलकूप लगाना, पम्पसैट, रहट तथा राजकीय नलकूप और भण्डारण तथा दिशा परिवर्तन के कार्य शामिल हैं । इन कार्यों के लिये स्वीकृति देना राज्य सरकार का काम है । प्रादेशिक तकनीकी-आर्थिक सम्भाव्यताओं के अनुसार यह कार्य लगभग सभी जिलों में किया जा रहा है ।

इन परियोजनाओं के नाम तथा उनकी जिलेवार स्थिति के बारे में अभी जानकारी उपलब्ध नहीं है और इस जानकारी को एकत्रित करने में बहुत समय तथा परिश्रम लगने पर भी कोई ठोस परिणाम नहीं निकलेगा ।

(ख) कोई लघु सिंचाई परियोजना मन्त्रालय के पास अनिर्णीत नहीं है ।

मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर तथा होशंगाबाद जिलों में डाकघर

5804. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर तथा होशंगाबाद जिलों में 1 अप्रैल, 1967 से अब तक सब श्रेणियों के कितने नये डाकघर खोले गये हैं; और

(ख) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर तथा होशंगाबाद जिलों के सब पुलिस थानों में टेलीफोन लगा दिये जायेंगे; और यदि हां, तो कब तक ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क)

जिला नरसिंहपुर

डाकघर का वर्ग	खोले गये डाकघरों की संख्या	उन स्थानों का नाम जहां डाकघर खोले गए
विभागीय उप डाकघर	1	नरसिंहपुर आर० एस०
अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	11	देवनगर पुराना, झमनीर, अथैरा, देवनगर, बघवार, गढ़ा, सेहावान, देवरी, देगुवान, मैशापाला, हराई ।

जिला होशंगाबाद

विभागीय उप डाकघर	1	पोलीटेक्नीक हरदा
अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	8	घिसियोनीकलां इटारसी, न्यू यार्ड कालोनी, जवादिया भू, राजगांव, पामली, देवगांव, मोहारी, पडरिया ।

(ख) जिला नरसिंहपुर के 10 और जिला होशंगाबाद के 16 पुलिस थानों में से नरसिंहपुर जिले के 5 पुलिस थानों और होशंगाबाद जिले के 9 पुलिस थानों में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध है । मांग प्राप्त होने पर इन दो जिलों के बाकी पुलिस थानों में टेलीफोन सुविधा देने के प्रस्ताव पर, हर एक मामले के गुण-दोष के आधार पर मौजूदा नीति के अनुसार जांच की जाएगी ।

उर्वरक और बीजों के मूल्यों और कृषि मजदूरों की मजदूरी में वृद्धि

5805. **श्री देवराज पाटिल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने कों कृपा क रेंगे कि क्या यह सच है कि इस वर्ष उर्वरक और बीजों के मूल्यों तथा कृषि मजदूरों की मजदूरी में वृद्धि हुई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : 1970 वर्ष के दौरान उर्वरकों के मूल्यों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। इसके विपरीत 16 मार्च, 1970 से अमोनियम सल्फेट (रंगीन या चूर्ण) के मूल्यों में 50 रुपये प्रति मीटरी टन की कमी की गई है।

प्रायः समस्त मामलों में (मूंगफली और धान को छोड़कर) बीजों के मूल्यों में या तो किसी हद तक कमी आई है या वैसे के वैसे रहे हैं। मूल्य नियत करते समय उत्पादन लागत, किसी विशेष उत्पाद की विक्रेयता तथा बाजार की प्रतियोगिता जैसी कुछ बातों को दृष्टिगत रखा जाता है और किसी विशेष रियासत का प्रीमियम पर मूल्यों में संशोधन करना होता है।

फूलगोभी, बन्द गोभी, टमाटर आदि शाक बीजों के मूल्यों के बारे में, विशेषकर जहां बीजों की प्रति एकड़ मांग बहुत कम और उनकी उत्पादन लागत बहुत अधिक है, इस वर्ष थोड़ी सी वृद्धि की गई है। वह वृद्धि पैकिंग की लागत और समय पर बीजों की मांग को पूरा करने के लिए वर्ष पूर्व ही उपज प्राप्त करने के लिए की गई है।

लोमिया, फ्रैन्चबीन आदि अन्य शाक फसलों के लिए स्टैंडर्ड आकार के पैकटों में गत वर्ष की तुलना में कोई वृद्धि नहीं की गई है। परन्तु छोटे आकार के पैकटों के मूल्यों में पैकिंग मूल्यों की पूर्ति के लिए वृद्धि की गई है। भिण्डी के मामले में फसल की अधिप्राप्ति मूल्य में वृद्धि के कारण 1-4-70 से मूल्यों में संशोधन कर दिया गया है।

जहां तक कृषि श्रमिकों का प्रश्न है मन्त्रालय में 1969-70 के उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि त्रिपुरा को छोड़कर जहां कि औसत दरें गत वर्ष की दरों पर ही स्थिर रहीं, प्रायः समस्त राज्यों में कृषि श्रमिकों की मजदूरी में सामान्य वृद्धि हुई है।

प्रोग्राम स्टाफ संवर्ग (नियमित) के लिए पदोन्नति

5806. **श्री ई० के० नायनार** : **श्री भगवान दास** :
श्री नम्बियार : **श्री सी० के० चक्रपाणि** :

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्तूबर, 1966 से दिसम्बर, 1969 तक की अवधि में प्रोग्राम स्टाफ संवर्ग (नियमित) के कितने सदस्यों को एक श्रेणी से ऊंची श्रेणी में पदोन्नति दी गई; और

(ख) प्रोग्राम पोड्यूसर संवर्ग के कितने सदस्यों को इसी अवधि में पदोन्नत किया गया है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) : 155

(ख) : 33

डाक तथा तार निदेशालय सिविल विंग में ड्राफ्ट्समैन ग्रेड दो और तीन की अनुभाग अधिकारियों के पद पर पदोन्नति

5807. **श्री ई० के० नायनार** : **श्री गणेश घोष** :
श्री विश्वनाथ मेनन : **श्री सी० के० चक्रपाणि** :

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक तथा तार निदेशालय के एक मुख्य वरिष्ठ ड्राफ्ट्समैन और एक वरिष्ठ ड्राफ्ट्समैन का चयन सहायक इंजीनियर (सिविल) के पद के लिए किया गया है तथा उनकी नियुक्ति डाक तथा तार विभाग के सिविल विंग में की गई है, जिन्होंने प्रारंभिक लेखा परीक्षा भी पास नहीं की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार डाक तथा तार विंग में अनुभाग अधिकारी के पद के लिए अर्हक परीक्षा के द्वारा डाक तथा तार सिविल विंग के श्रेणी दो तथा तीन के ड्राफ्ट्समैन के लिए पदोन्नति का मार्ग खोलने का विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो भाग (क) में वर्णित डाक तथा तार निदेशालय के ड्राफ्ट्समैन के राजपत्रित पद श्रेणी 2 में चयन को ध्यान में रखते हुए इसके क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां । डाक-तार विभाग में सहायक इंजीनियर (सिविल) की भर्ती के नियमों में यह निर्धारित नहीं है कि ड्राफ्ट्समैन आदि को सहायक इंजीनियरों के पदों पर पदोन्नति पाने के पात्र बनने के लिए लेखा परीक्षा में अर्हता प्राप्त करनी चाहिए । फिर भी, ऐसे आदेश मौजूद हैं कि सहायक इंजीनियर के वेतनमान में पहली वेतनवृद्धि पाने से पहले उन्हे लेखा परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर लेनी चाहिए ।

(ख) जी हां । परन्तु अर्हक परीक्षा के जरिये नहीं । विभाग ने हाल ही में भर्ती के जिन नियमों को अन्तिम रूप दिया है, उनमें ड्राफ्ट्समैन की अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नति के लिए कोई अर्हक परीक्षा निर्धारित नहीं की गई । जैसा कि (ग) तथा (घ) में नीचे उत्तर दिया गया है, चयन समिति उपयुक्त कर्मचारियों का चुनाव कर लेगी ।

(ग) तथा (घ) सिविल विंग में अनुभाग अधिकारी के वर्ग के भर्ती के नियमों के अनुसार रिक्त स्थानों में 50 प्रतिशत स्थान विभागीय उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध हैं । इस प्रतिशतता के लिए वर्ग III व II के वे ड्राफ्ट्समैन भी विभागीय उम्मीदवार के रूप में विचारे जाने के पात्र हैं जो कम से कम जरूरी योग्यता रखते हैं । इसके अतिरिक्त, वर्ग II के ड्राफ्ट्समैनों के लिए वर्ग I ड्राफ्ट्समैन के पद पर पदोन्नति पाने के भी सामान्य अवसर हैं । इस वर्ग का भी वही वेतन मान है जो अनुभाग अधिकारियों का है ।

डाक तथा तार विभाग के सिविल विंग के अराजपत्रित कर्मचारियों को वेतन वृद्धि न दी जाना

5808. **श्री के० एम० अब्राहम** : **श्री उमानाथ** :
श्री के० रमानी : **श्री वी० कु० मोडक** :

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक तथा तार विभाग के सिविल विंग के स्थापत्य कार्यालयों के अराजपत्रित कर्मचारियों को कई वर्षों से वेतन वृद्धि नहीं दी गई है और न ही उसका भुगतान किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और कितने वर्षों की बकाया वेतन वृद्धि वस्तुतः जमा हो गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार इसे अब यह राशि देने का है; और

(घ) इसका भुगतान कब तक किया जायेगा ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) सितम्बर, 1968 से काम बकाया पड़ा हैं ।

(ख) सितम्बर, 1968 में एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में कार्य के स्थानान्तरण की वजह से प्रशासनिक परिवर्तनों और सितम्बर, 1968 की हड़ताल के परिणामस्वरूप कठिनाइयों के कारण ऐसा हुआ है ।

(ग) जी हां ।

(घ) पुराने मामलों को निपटाने में कार्यविधियां पूरी की जानी होती हैं, इसलिए कोई निश्चित समय बता सकना संभव नहीं है । फिर भी बकाया मामलों को यथाशीघ्र निपटाने के लिए हर तरह से प्रयत्न किये जाएंगे ।

देश में वर्ष 1969 में औद्योगिक विवाद

5809. **श्रीमती सुशीला गोपालन** : **श्री मुहम्मद इस्माइल** :
श्री के० रमानी : **श्री पी० पी० एस्थोस** :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में वर्ष 1969 में कुल कितने औद्योगिक विवाद हुए और उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है ;

(ख) इन विवादों में कितने कर्मचारियों ने भाग लिया;

(ग) इन विवादों के कारण कितने जन-दिनों की हानि हुई; और

(घ) वर्ष 1969 में कितनी तालाबन्दी हुई ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क), (ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है ।

(घ) 254 (कच्चे) ।

विवरण

वर्ष 1969 में हुए विवादों, उनसे प्रभावित श्रमिकों व नष्ट हुए श्रम दिनों की संख्या (क)

(राज्यवार)

राज्य/संघीय क्षेत्र	विवादों की संख्या	प्रभावित श्रमिकों की संख्या	नष्ट हुए श्रम दिनों की संख्या
आंध्र प्रदेश	97	37,339	306,217
असम	21	14,055	63,118
बिहार	155	45,752	576,409
गुजरात	62	17,218	129,984
हरियाणा	37	13,847	177,872
जम्मु व कश्मीर	उ० न०	उ० न०	उ० न०
केरल	195	155,902	1,458,605
मध्य प्रदेश	97	136,588	466,588
महाराष्ट्र	647	206,619	1,272,070
मैसूर	169	54,293	615,493
उड़ीसा	उ०न०	उ०न०	उ०न०
पंजाब	23	5,360	102,978
राजस्थान	62	12,014	67,253
तमिलनाडु	148	54,506	602,242
उत्तर प्रदेश	148	26,2 9	252,042
पश्चिम बंगाल	392	781,295	10,273,294
अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह		398	398
चण्डीगढ़	—	—	—
दिल्ली	7	464	21,697
गोवा, दमन व दीव	3	719	13,356
हिमाचल प्रदेश	1	16,000	256,000
मणिपुर	—	—	—
पांडिचेरी	—	—	—
त्रिपुरा	5	1,468	23,098
कुल	2,270	1,580,056	16,678,714

(क)—कच्चे

उ० न० उपलब्ध नहीं ।

फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा पास की गई 'प्रेम पुजारी' फिल्म में आपत्तिजनक दृश्य

5810. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** **श्री न० रा० देवघरे :**

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि श्री देव आनन्द द्वारा निर्मित फिल्म 'प्रेम पुजारी' में नग्न कैबरे नृत्य अथवा नग्न लड़कियां बार-बार दिखाई गई हैं ; और

(ख) क्या सरकार को इस फिल्म के बारे में कुछ शिकायतें मिली हैं; और यदि हां, तो फिल्म सेंसर बोर्ड ने इसे किन परिस्थितियों में पास किया और सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) 'प्रेम पुजारी' फिल्म में नग्न कैबरे, नृत्य अथवा नग्न लड़कियां नहीं दिखाई गई हैं ।

(ख) सरकार को कोई शिकायत नहीं मिली है, कोई कार्रवाई करने का प्रश्न नहीं उठता ।

चलचित्र वित्त निगम के आय साधन

5811. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968-69 और 1969-70 में चलचित्र वित्त निगम को कितना धन दिया गया ;

(ख) क्या इस निगम को कोई विदेशी सहायता प्राप्त हुई है ; और

(ग) इस निगम की आय के अन्य साधन क्या हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) सरकार ने 1968-69 तथा 1969-70 के दौरान फिल्म वित्त निगम को कोई धन नहीं दिया ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) निगम की आय के स्रोत हैं :— निर्माताओं को ऋण पर दिये गये धन पर ब्याज, बैंकों में जमा पूंजी पर ब्याज, ऋण आवेदन-पत्र फीस, सेवा प्रभार, आवेदन पत्रों की बिक्री तथा फिल्मों के वितरण पर वितरण कमीशन ।

डाक तथा तार विभाग के सिविल विंग के स्थापत्य कार्यालयों के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का सामान्य भविष्य निधि की पास-बुक जारी करना

5812. **श्री विश्वनाथ मेनन :** **श्री नम्बियार :**
श्री क० अनिरुद्धन : **श्री भगवान दास :**

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक तथा तार विभाग के सिविल विंग के स्थापत्य कार्यालयों के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को सामान्य भविष्य निधि की पास-बुक 1966 से अब तक की प्रविष्टियों सहित नहीं दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) अब तक की गई प्रविष्टियों सहित इन पास-बुकों को देने के लिए अब क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(घ) इन पास-बुकों को अब तक की प्रविष्टियों सहित कब दिया जायेगा ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) मार्च, 1966 के बाद भर्ती किये गये कर्मचारियों से सम्बन्धित काम बकाया है, क्योंकि उनके मामले में नियमों के अनुसार कटौती एक वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद शुरू की जाती है ।

(ख) सितम्बर, 1968 में काम के एक कार्यालय से दूसरे में स्थानान्तरण की वजह से प्रशासनिक परिवर्तनों के कारण ऐसा हुआ है ।

(ग) लेखों को अद्यतन करने का काम पहले ही हाथ में ले लिया गया है । अद्यतन प्रविष्टियों के साथ पास बुकें तैयार करने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था करने के भी आदेश दे दिए गए हैं ।

(घ) कोई समय-सीमा निश्चित कर सकना सम्भव नहीं है । फिर भी यथाशीघ्र पास बुकें जारी करने के लिये हर सम्भव प्रयत्न किया जायेगा ।

Fast Threat by Leader of Jammu Rehabilitation Association

5813. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the leader of Rehabilitation Association of Jammu has threatened to undertake fast as Government have not provided them all the facilities in connection with their rehabilitation ; and

(b) if so, the action taken by Government in view of the fact that displaced persons of that place have not so far been rehabilitated and no facilities provided to them so far ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) The Government of Jammu and Kashmir have reported that they had received a threat of fast by the leaders of the Rehabilitation Association of Jammu.

(b) The Association had withdrawn the threat on certain assurances given by the State Government. The Central Government have already provided necessary rehabilitation facilities to the migrants from Pak-held areas of Jammu and Kashmir State and it is not correct to say that no rehabilitation facilities had been provided to them.

Demand for Mobile Post offices in Trans-Jamuna colonies of Delhi

†5814. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the number of mobile post Offices has been increased in the Capital ;

(b) if so, whether it is also a fact that no such arrangements have been made for the trans-Jamuna Colonies ; and

(c) if so, the reasons for this discrimination ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and inthe Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) Yes. A Mobile Post Office was

first introduced in the capital on 17-6-51. Since then two more mobile Post Offices have been introduced on 18-6-57 and 11-2-66.

(b) Yes ; the existing Mobile Post Offices which serve Delhi and New Delhi do not serve the trans-Jamuna colonies.

(c) Mobile Post Offices are normally introduced to serve important localities where there is an inadequate number of Post Offices. These are also utilised to cater to the needs of the areas where business and commercial interests require facilities for postal transaction at late hours. There are 15 post offices in various Trans–Yamuna colonies. At present this number appears to be adequate. The names of these Post Offices with their relative distance from each other are indicated below :—

1.	Kailash Nagar	3 Km from Delhi GPO 1 Km from Yamuna Bridge.
2.	Gandhinagar Bazar	500 meters from Kailashnagar
3.	Gandhinagar So	250 meters from Gandhinagar Bazar
4.	Gita Colony	1.5 Km from Gandhinagar and Krishannagar.
5.	Krishan Nagar	1.5 Km from Gandhinagar
6.	Ram Nagar	1 Km from Krishan Nagar
7.	Gobindpura	1.5 Km from Gita Colony 2 Km from Krishan Nagar
8.	Bhola Nath Bazar	2 Km from Krishan Nagar and 1 Km from Shahdara.
9.	Shahdara Mandi	750 meters from Bholanath Nagar and 1 Km from Shahdara.
10.	Shahdara	1.300 Km from Bholanath Nagar 1 Km from Shahdara Mandi
11.	Biswas Nagar	1 Km from Shahdara Mandi and 2 Km from Shahdara
12.	G. T. Road	1/2 Km from Shahdara
13.	Dilshad Garden	3 Km from Shahdara and 2.4 Km from G. T. Road.
14.	Teliwara	1/2 Km from Bholanath Nagar and 1/2 Km from Shahdara.
15.	Rohtas Nagar	1 Km from Shahdara and 3.250 Km from Krishan Nagar.

Patriotic Songs Over A. I. R,

5815. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that broadcasting of patriotic and marshal songs, which were used to be broadcast on A. I. R. at the time of Pakistani attack on India, has now been stopped ; and

(b) if so, the reasons therefor specially when the said songs are very essential to create feelings of patriotism in the youths ?

Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) No Sir.

(b) Does not arise.

केरल में कृषि विकास पर व्यय

5818. **श्री मंगलाथुमाडम :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार वार्षिक योजना के अन्तर्गत केरल में कृषि कार्यक्रम के विकास पर कितना धन व्यय कर रही है ;

(ख) राज्य सरकार उस पर वास्तव में कितना धन व्यय कर रही है ;

(ग) क्या राज्य सरकार ने केरल में भविष्य में कृषि विकास के लिए और अधिक धन नियत करने की मांग की है ; और

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) और (ख) केरल में 1969-70 के लिये सब विकास शीर्षकों के अधीन कुल मंजूर किय गया योजना परिव्यय 34.20 करोड़ रुपये का था । इसमें से कृषि कार्यक्रमों के लिये 7.40 करोड़ा रुपये का परिव्यय था । 1969-70 से राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता निर्मुक्त करने की पद्धति में तबदीली कर दी गई है । परिवर्तित पद्धति के अधीन, केन्द्रीय सहायता किसी एक कार्यक्रम या विकास शीर्षक मे सम्बन्धित नहीं होगी परन्तु यह एकमुश्त ऋण और अनुदान के रूप में दी जायेगी । 34.20 करोड़ रुपये के वार्षिक योजना परिव्यय के विरुद्ध 31.10 करोड़ रुपए की एकमुश्त सहायता राज्य सरकार को दी गई और शेष को राज्य सरकार को अपने साधनों से जुटाना था । पहले 9 महीनों में किये गये वास्तविक व्यय और शेष 3 महीनों के प्रत्याशित व्यय के आधार पर राज्य सरकार केवल 30.81 करोड़ रुपयों की सहायता की हकदार थी जो उसे निर्मुक्त कर दी गयी ।

(ग) ऐसी कोई प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई है ।

(घ) प्रश्न नहीं होता ।

सिंगिया दरभंगा (बिहार) में सार्वजनिक टेलीफोन

5820. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिंगिया (पुलिस थाना) दरभंगा जिला, बिहार के निवासी वहां पर सार्वजनिक टेलीफोन लगाने का अनुरोध कर रहे हैं ; यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ख) यदि इस मामले पर अभी तक विचार नहीं किया गया है तो क्या सरकार का विचार सिंगिया में एक सार्वजनिक टेलीफोन लगाने का है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) और (ख) जी नहीं । सिंगिया, जिला दरभंगा, बिहार में एक सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने के लिये अभी तक कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है ।

(ग) सिंगिया में सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने के प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

गेहूं का वसूली मूल्य बढ़ाने के लिए गेहूं पैदा करने वाले राज्यों की मांग

5821. **श्री अदिचन :** **श्री रवि राय :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब, हरियाणा तथा गेहूं उत्पादक अन्य राज्यों की सरकारों ने कृषि मूल्य आयोग द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार कृषि-लागत में होने वाली वृद्धि के अनुपात में इसका वसूली मूल्य बढ़ाने का अनुरोध सरकार से किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सही मांग क्या की गई है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या पंजाब किसान पंचायत और किसानों की अन्य प्रतिनिधि संस्थाओं ने भी इसी आशय की अभ्यावेदन दिया है ; यदि हां, तो इन अभ्यावेदनों का ठीक-ठीक तात्पर्य तथा सारांश क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) और (ख) गेहूं पैदा करने वाले राज्यों के मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन में मुख्य मन्त्रियों द्वारा अभिव्यक्त विचारों में ये सुझाव थे कि गेहूं के अधिप्राप्ति मूल्यों में 2 से 4 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोत्तरी होनी चाहिये और अधिप्राप्ति मूल्यों में पिछले वर्ष के स्तर से कमी नहीं की जानी चाहिये। तथापि, सामान्य मतैक्य इस बात में था कि अधिप्राप्ति मूल्य पिछले वर्ष के स्तर पर बनाये रखे जाने चाहियें और सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया है।

(ग) केन्द्रीय सरकार को कोई ऐसा अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

टेलीग्राफ सहायक इंजीनियर के रूप में पदोन्नति के लिए इंजीनियरिंग सुपरवाइजरों का नया चयन

5822. **श्री रामावतार शर्मा** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1968 में जब विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा सहायक इंजीनियरों के पदों के लिये चयन किया गया था तो कुछ इंजीनियरिंग सुपरवाइजरों की गोपनीय रिपोर्ट पूरी तरह नहीं भरी हुई थी ;

(ख) क्या यह सच है कि बाद में बनी विभागीय पदोन्नति समिति के विचार के लिये इन गोपनीय रिपोर्ट को अब पूरा किया जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार 1968 में बनी पुरानी तालिका को अनियमित तथा अवैध घोषित करने का और 1968 की तालिका से भरे गये सभी पदों के लिये नया चयन करने का है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क)

जी नहीं। जरूरत के मुताबिक रिपोर्टें उपलब्ध थीं। फिर भी, सामान्यतया कुछ मामलों में 3 से 4 महीने तक के थोड़े समय की रिपोर्टें उपलब्ध नहीं थीं।

(ख) जी हां। यह कार्य रिकार्ड को अद्यतन बनाने के लिए किया जा रहा है।

(ग) जी नहीं, क्योंकि जरूरत के मुताबिक रिपोर्टें उपलब्ध थीं।

दक्षिण अफ्रीका तथा आस्ट्रेलिया के बीच क्रिकेट मैच का रेडियो से प्रसारण

5823. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण अफ्रीका तथा आस्ट्रेलिया के बीच क्रिकेट मैच के ब्यौरे को आकाशवाणी से प्रसारित किया जा रहा है;

(ख) क्या इस तथ्य की ओर उनका ध्यान दिलाया गया है कि दक्षिण अफ्रीका के साथ हमारे कूटनीतिक सम्बन्ध नहीं हैं; और

(ग) यदि हां, तो आकाशवाणी द्वारा उस क्रिकेट मैच का प्रसारण किये जाने के क्या कारण हैं, जिसमें दक्षिण अफ्रीका शामिल है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां। आकाशवाणी आस्ट्रेलिया तथा दक्षिण अफ्रीका के बीच अब तक खेले गए टैस्ट मैचों के रोज के स्कोर प्रसारित कर रहा है।

(ख) तथा (ग) राजनीतिक पहलू का विचार किए बिना आकाशवाणी महत्वपूर्ण खेलों के बारे में प्रसारण कर रहा है।

फरीदाबाद द जूता फैक्टरी कर्मचारियों की प्रधान मंत्री से भेंट

5824. **श्री बाल्मीकि चौधरी** : **श्री मणिभाई जे० पटेल** :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरीदाबाद जूता फैक्ट्री के कर्मचारियों ने फरीदाबाद स्थित अपनी फैक्ट्री के फरवरी, 1970 में बन्द होने के मामले में, हाल ही में प्रधान मंत्री से मुलाकात की थी;

(ख) यदि हां, तो उनकी उचित मांगों को पूरा करने और फैक्ट्री को पुनः चालू करने के लिये क्या कोई कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० सजीवैया) : (क) बाटा शू कम्पनी, फरीदाबाद के कर्मचारी बड़ी संख्या में 21.3.70 को प्रधान मंत्री के निवास स्थान पर आये और उनमें से कुछ उनसे मिले तथा उनकी शिकायतों के विषय में एक ज्ञापन दिया जिसमें कम्पनी के बन्द होने का मामला नहीं था।

(ख) और (ग) मामला राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है और यह हरयाना सरकार को भेज दिया गया है।

नई दिल्ली कोआपरेटिव लिमिटेड, दिल्ली

†5825. **श्री अचल सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई कोआपरेटिव रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1925 के अन्तर्गत नई दिल्ली कोआपरेटिव लिमिटेड, दिल्ली को कोआपरेटिव डिपार्टमेंट, नई दिल्ली द्वारा पंजीकृत किया गया था;

(ख) क्या यह एक रजिस्टर्ड सोसायटी है अथवा बैंक है; और यदि हां, तो दिल्ली और नई दिल्ली क्षेत्र में इसकी इस समय कितनी शाखाएं काम कर रही हैं ;

(ग) क्या कोआपरेटिव डिपार्टमेंट, दिल्ली के रजिस्ट्रार अथवा भारत के रिजर्व बैंक द्वारा नियमों के अन्तर्गत सभी शाखाओं को काम करने की अनुमति दी गई थी; और यदि नहीं, तो वे किस प्रकार काम कर रही हैं ;

(घ) क्या कोआपरेटिव डिपार्टमेंट द्वारा इस बैंक के लेखों की 1966 से लेकर आज तक कभी लेखा परीक्षा और निरीक्षण किया गया है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) बैंक के चेयरमैन, सेक्रेटरी तथा निदेशकों के नाम क्या हैं और क्या शेयरों में लगी पूंजी को बैंक के लेखों में दिखाया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री डी० एरिंग) : (क) नई दिल्ली कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड को बम्बई सहकारी संस्था अधिनियम, 1925 के अधीन दिल्ली के सहकारिता विभाग द्वारा एक संस्था के रूप में पंजीकृत किया गया था ।

(ख) यह एक नगरीय प्राथमिक सहकारी बैंक है तथा इसकी पांच शाखायें तथा एक मुख्य कार्यालय है ।

(ग) दिनांक 1-3-1966 के बाद शाखायें खोलने के लिये भारत के रिजर्व बैंक की अनुमति लेना आवश्यक है । भारत के रिजर्व बैंक से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 1-3-1966 के बाद केवल एक शाखा खोली गई थी और इस शाखा को खोलने का भारत के रिजर्व बैंक द्वारा विरोध किया गया था । परन्तु दिल्ली के सहकारी संस्थाओं के पंजीकार द्वारा इस बैंक के परिसमापन के लिये की जाने वाली कार्यवाही तथा पंजीकार के इस निर्णय को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिये जाने के कारण बैंकिग विनियमन अधिनियम के अधीन रिजर्व बैंक द्वारा और आगे कार्यवाही आरम्भ न की जा सकी ।

(घ) जी नहीं । दिल्ली के सहकारी संस्थाओं के पंजीकार ने नई दिल्ली कोआपरेटिव बैंक का परिसमापन करने के आदेश दिनांक 22-1-1968 को दिये थे तथा उन आदेशों के विरुद्ध याचिका दिये जाने पर, दिल्ली उच्च न्यायालय ने सहकारी संस्थाओं के पंजीकार के इन आदेशों को नवम्बर, 1969 में रद्द कर दिया गया था । अब सहकारी संस्थाओं के पंजीकार ने नई दिल्ली कोआपरेटिव बैंक के लेखों की लेखा-परीक्षण का आदेश दिया है ।

(ङ) इस बैंक के विदेशक मंडल का गठन निम्न प्रकार है :

1. श्री बाल गोविन्द वर्मा	:	प्रधान
2. श्री राम बाबू माहेश्वरी	:	उप-प्रधान
3. श्री आर० जी० चौधरी	:	सचिव
4. श्री रवि दत्त	:	सदस्य
5. श्री जय नारायण खाण्डवाल	:	,,
6. श्री जी० पी० कौशल	:	,,
7. श्री सादी लाल कपूर	:	,,
8. मदन लाल खाण्डवाल	:	,,
9. श्री पी० एल० सेठी	:	,,
10. श्री प्रकाश नारायण	:	,,
11. श्री वीरेन्द्र सिंह	:	,,
12. श्री एच० एल० सेठी	:	,,
13. श्री वी० पी० बजाज	:	,,
14. श्री एस० पी० अरोड़ा	:	,,
15. श्री बी० पी० जैन	:	,,
16. श्री रामकनसारामणि	:	,,

इस बैंक की शेयर-धनराशि के बारे में नवीनतम जानकारी उपलब्ध नहीं है। दिनांक 19-10-1965 को जिस सांविधिक जांच के आदेश दिये गये थे उसके प्रतिवेदन के अनुसार, सदस्यों से शेयर-धन के 174 में 5,98,612.50 रुपये एकत्रित किये गये थे परन्तु बैंक में केवल 5,55,006.30 रुपये जमा कराये गये थे।

दिल्ली में छविगृहों द्वारा मनोरंजन कर दिया जाना

5826. **श्री जुगल मंडल :** **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :**

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में मार्च, 1970 के गत तीन वर्षों में प्रत्येक छविगृह ने मनोरंजन कर के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया;

(ख) उन चलचित्र समवायों, कम्पनियों के नाम क्या हैं जिनके नियंत्रण में यह छविगृह चल रहे हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि कुछ छविगृह मनोरंजन कर अधिकारियों के साथ सांठ-गांठ करके मनोरंजन कर के भुगतान का अपवंचन करते रहे हैं; और यदि हां, तो उन अधिकारियों के नाम क्या हैं जिनके विरुद्ध शिकायतें मिली हैं और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) कर अपवंचन के आरोप में किन-किन छविगृहों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) और (ख) एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। [ग्रन्थालय में रखा गया, देखिए एल० टी०—314-9/70]

(ग) इस प्रकार की कोई शिकायत पिछले तीन वर्षों में प्राप्त नहीं हुई है। अतः अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का प्रश्न नहीं उठता।

(घ) मनोरंजन कर अदा न करने वाले निम्नलिखित सिनेमाघरों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है :

1. अल्पना सिनेमा
2. डिफेंस सर्विसिज सिनेमा, दिल्ली छावनी
3. सुदर्शन सिनेमा
4. शोला सिनेमा।

Steps to avoid delay in Transmission of dak to Mauritius

†5827. **Shri Ram Avtar Sharma** : Will the Minister of Information and Broadcasting and Communications be pleased to state :

(a) whether it is a fact that it takes about three months for the articles/letters/mail to reach Mauritius from India ;

(b) whether Government are aware that persons of Indian origin living in Mauritius procure magazines from India but they become stale on account of this delay and many of them even stop their procurement for this reason which results in loss of foreign exchange to the country ; and

(c) if so, the steps being taken in this regard ?

Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) Surface mail from India to Mauritius usually takes between 30 to 80 days to reach its destination.

(b) We are not aware that persons of Indian origin living in Mauritius stopped procuremeut of Indian magazines because of delay to mails.

(c) Surface mail Routeings with foreign countries are constantly under review. All these days we had no better arrangement than the present one for despatching mail to Mauritius which is Via Mombasa in Kenya. The Shipping Corporation of India have recently announced introduction of a new service from the West Coast and East Coast of India to Mauritius. The details of the sailings are being ascertained and early decision will be taken to revise the routeing if advantageous.

औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत रेलवे कर्मचारियों के मामलों के बारे में श्रम आयुक्त को गोपनीय आदेश

5828. **श्री रा० रा० सिंह देव** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने श्रम आयुक्तों को गोपनीय अनुदेश दिये हैं कि वे औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत रेलवे कर्मचारियों के मामले स्वीकार न करें अथवा श्रम न्यायालयों को न भेजें;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 10 के अन्तर्गत रेलवे कर्मचारी विवादों को सीधे अथवा श्रम आयुक्तों के माध्यम से श्रम न्यायालयों को भेज सकते हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) कानून के अन्तर्गत, केवल सम्बन्धित सरकार ही विवादों को न्याय निर्णय के लिये भेज सकती है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

आसाम में नक्सलपंथियों की कथित गतिविधियां

श्री हेम बरुआ (मङ्गलदायी) : श्रीमान्, मैं गृह-कार्य मन्त्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर ध्यान दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

"आसाम में नक्सलपंथियों की कथित गतिविधियां, जिनका रहस्योद्घाटन राजस्व मन्त्री ने विधान सभा में किया।"

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) : मुझे यह सूचना मिली है कि आसाम में उग्र-पंथियों की गतिविधियों पर, राज्य विधान-सभा में राजस्व मन्त्री ने वक्तव्य देते हुये सभा को यह आश्वासन दिया कि राज्य सरकार ऐसी गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रख रही है । श्री सईद हुसैन नामक व्यक्ति जो कुछ दिनों से फरार था, 17 मार्च 1970 को गिरफ्तार कर लिया गया और आगे जांच चल रही है।

एक बार पहले भी मैंने सभा को बताया था कि केन्द्रीय सरकार को यह सूचना मिली है कि उग्रपंथियों को छिपे नागाओं से कुछ चीनी शस्त्रास्त्र प्राप्त हुए हैं। केन्द्रीय सरकार आसाम में उग्र-पंथियों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रख रही है और राज्य सरकार को जिस सहायता की भी आवश्यकता होगी, केन्द्र सरकार उसे देगी।

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : आसाम में भी नक्सलवादियों की गतिविधियां आरम्भ हो गई हैं और तोड़फोड़ करने वाले नक्सलवादी नेफा, नागालैण्ड, भूटान, नार्थ कामरूप, नार्थ ग्वालपाड़ा और कन्धार तथा मिजो पहाड़ी जिलों में सक्रिय हो गये हैं । इन तत्वों को नेपाल तथा पश्चिम बंगाल के माध्यम से चीन से हथियार प्राप्त हो रहे हैं। 26 जनवरी 1968 को घटी घटना के लिए भी यही लोग जिम्मेदार हैं। ये न केवल माओ समर्थक नारे ही लगा रहे हैं बल्कि वे प्रादेशिकतावादी नारे भी लगा रहे हैं। इसके लिए केन्द्रीय सरकार जिम्मेदार है क्योंकि उसने सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दिया। नक्सलवादी आसाम के वन तथा पहाड़ों में अपने आपको भली-भांति छिपा सकते हैं।

आसाम में नक्सलवादियों की गतिविधियों के पीछे जिस व्यक्ति की बुद्धि काम पर रही थी उसको अर्थात् सईद हुसैन को गिरफ्तार कर लिया गया है। पेकिंग से माओ समर्थक साहित्य भी चोरी छिपे लाया जाता है और उसको आसाम के लोगों में बांटा जाता है। गोहाटी तथा लुमडिंग में माओं की मूर्तियां भी लगी देखी गई हैं। नक्सलवादियों ने ग्वालपाड़ा में दो व्यक्तियों की हत्या भी की है।

हिंसात्मक गतिविधियां करने वालों तथा संविधान का उल्लंघन करने वालो के साथ कठोरता से निपटा जाना चाहिए। चाहे ऐसे व्यक्ति किसी भी दल के हों। क्या सईद हुसैन से कोई पूछताछ की गई है और क्या उससे इस बात का पता लगता है कि नक्सलवादियों का चीन अथवा किसी अन्य देश से कोई सम्बन्ध है ?

मैंने सुना है कि नक्सलवादियों ने अपनी गतिविधियों का केन्द्र पश्चिम बंगाल से आसाम में तबदील कर दिया है और वे इस सीमावर्ती क्षेत्र में बहुत सक्रिय हैं। क्या इस हिंसात्मक आन्दोलन को प्रारम्भ में ही दबाने के लिए कोई ठोस कार्यवाही की गई है ताकि उक्त मे क्षेत्र में हिंसा न फैल सके ?

श्री प० गोपालन (तेल्लीचेरी) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। गृह-कार्य मंत्री ने कहा है कि आसाम में नक्सलवादियों को चीनी हथियार प्राप्त हो रहे हैं और वे हथियार पश्चिम बंगाल में भी जा रहे हैं परन्तु वहां के तत्कालीन गृह मंत्री श्री ज्योति बसु ने...

अध्यक्ष महोदय : इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। यदि दोनों वक्तव्यों में कोई विभेद है तो उसके लिए एक पृथक प्रक्रिया है।

श्री प० गोपालन : गृह-कार्य मंत्री जानबूझकर सभा को गुमराह कर रहे हैं। श्री ज्योति बसु ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ऐसी किसी घटना की ओर राज्य सरकार का ध्यान नहीं दिलाया गया है।

अध्यक्ष महोदय : इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : श्री हेम बरुआ ने कुछ विस्तृत जानकारी की ओर ध्यान दिलाया है। राजस्व मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य के अनुसार यह सच है कि बंगला में मुद्रित कुछ सामग्री जो कि चीन में छपी मालूम होती है, नेपाल होतो हुई आसाम में पहुंची है। उसका वितरण किया जा रहा है।

श्री हेम बरुआ : कुछ पर्चे कलकत्ता में भी छपे हैं।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं राजस्व मंत्री द्वारा बताये गये तथ्यों का ही उल्लेख कर रहा हूं। यह सच है कि उनकी गतिविधियां नागालैण्ड और मिजो जिले में सीमावर्ती क्षेत्रों में भी फैल गई हैं नक्सलवादियों ने अपनी गतिविधियां आसाम तक बढ़ा दी हैं। आसाम सरकार इस स्थिति से अवगत है। और यही कारण कि सईद हुसैन को बन्दी बना लिया गया है, इस मामले की जांच पड़ताल हो रही है। मैं नहीं जानता कि पूछताछ के क्या परिणाम निकले हैं और उनको यहां बताना उचित भी नहीं है।

Shri Rabi Ray (Puri) : May I know whether some negotiations are going on with Nepal in this connection as it has been said that arms are coming to this area through Nepal.

श्री हेम बरुआ : क्या सईद हुसैन से जो पूछताछ की गई है इससे इस बात का पता लगता है कि नक्सलवादियों के चीन अथवा किसी अन्य देश से सम्बन्ध हैं ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री इनका उत्तर दे चुके हैं ।

Shri Janeshwar Mishra (Phulpur) : I did not receive the copy of the List of Business till 10' O' clock today. Similar was the case with Shri Ram Sewak Yadav. I would request you to enquire into this matter. Secondly, the name of Shri Madhu Limiaye is also there on the calling attention notice but he is ill. Will the Hon. Minister send his man and inquire about his views or questions on this matter ?

Mr. Speaker : The Hon. member can see me in my chamber in this connection and now he should ask his question.

Shri Janeshwar Mishra : May I know whether the Hon. Minister has lodged any protest with the Government of China or with the Chinese Embassy here in New Delhi about the recovery of China-made arms here and there in our country ?

Secondly, May I know whether Naxalite tendency has increased due to the fact that employment and socio economic situation in the country has deteriorated ? I want to know whether some firm steps have been taken to curb the Naxalite activities and to remedy unemp loyment ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : यह सच है कि देश में सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के कारण भी ऐसे उग्रवादी तत्व उत्पन्न हुए हैं । प्रशासनिक कार्यवाही के अतिरिक्त कुछ अन्य सामाजिक एवं आर्थिक कार्यक्रम भी चालू करने होंगे ।

श्री रा० बरुआ (जोरहाट) : नक्सलवादियों की गतिविधियां न केवल आसाम बल्कि त्रिपुरा से लेकर नेफा के सभी सामरिक महत्व के क्षेत्रों में फैल गई हैं । अतः आशा है कि माननीय गृह-कार्य मंत्री इस समस्या पर गम्भीरतापूर्वक विचार करेंगे । पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने कहा है कि इनमें पढ़े लिखे व्यक्ति भी शामिल हैं । अतः इनको केवल हिंसात्मक गतिविधियां कह कर ही नहीं छोड़ दिया जाना चाहिए । क्या यह सच है कि इस क्षेत्र में राजनैतिक अस्थिरता से भी इन हिंसात्मक गतिविधियों पर गहरा प्रभाव पड़ेगा ?

चीन द्वारा पूर्वी पाकिस्तान में एक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया जा रहा है जिसका आसाम की सीमाओं में नक्सलवादियों से सीधा सम्पर्क है । इन समाचारों के बारे में मैं गृह-कार्य मंत्री से स्पष्ट उत्तर चाहता हूं ।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैंने केवल राजस्व मंत्री के वक्तव्य का ही उल्लेख किया है । उनका यह वक्तव्य समाचारपत्रों में भी प्रकाशित हुआ है ।

यह कहना ठीक नहीं है कि मैंने इस मामले को गम्भीरता से नहीं लिया है । मुझे खुशी है कि इस मामले में आसाम की सरकार पूरी तरह जागरूक है और उन्होंने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है ।

यह सच है कि पश्चिम बंगाल में राजनैतिक अस्थिरता है । हमारा यह प्रयास है कि वहां पर स्थिरता लायी जाये और राष्ट्रपति शासन के दौरान हम वहां पर स्थिरता लाने का प्रयास करेंगे ।

श्री रा० बरुआ : क्या वह आश्वासन देंगे कि आसाम में राजनैतिक अस्थिरता नहीं फैल जायेगी ।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : इस बारे में कुछ नहीं कह सकता ।

Shri Om Prakash Tyagi (Moradabad) : After seeing the statement of Revenue Minister of Assam I feel that it has been proved that this problem is not only restricted to Assam but it has now spread to Nagaland and North-Eastern region, and it is dangerous for the security of the country. It has been stated by the Revenue Minister that two hundred trained persons have gone to villages and are making anti-India propaganda and they are inciting the poor people for raising slogans of independent Assam. I want to know whether the Government will put ban on the movement as has been suggested by the Chief Minister of Tamil Nadu ? I also want to know whether the Government will provide some special assistance to the concerned states to deal with the problem of Naxalites.

श्री यशवन्तराव चह्वाण : सम्बन्धित राज्य जो भी सहायता मांगेंगे सरकार द्वारा उनको वह सहायता दी जायेगी । पिछले दो वर्षों में मिजो जिले तथा मनीपुर क्षेत्र में कुछ सड़कें बनाई गई हैं और संचार आदि की व्यवस्था करने पर जोर दिया जा रहा है । जहां तक पार्टी पर रोक लगाने का प्रश्न है मैं इस बारे में अपनी कठिनाइयां बता चुका हूं । किसी दल पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया जा सकता । कानून के अनुसार उनकी हिंसात्मक और गैर-कानूनी गतिविधियों को रोका जा सकता है और हम ऐसा कर रहे हैं ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री स० कु० जमीर) : मैं शिशिक्षु अधिनियम, 1961 की धारा 37 की उपधारा (3) के अन्तर्गत, शिशिक्षुता (संशोधन) नियम, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखेंगे, जो दिनांक 21 मार्च, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 469 में प्रकाशित हुए थे । [ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए एल० टी० संख्या 3136/70]

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : मैं भारतीय सिविल सेवा के अधिकारियों की सेवा सम्बन्धी शर्तों के संरक्षण तथा उनके साथ किये गए करारों के बारे में अल्प सूचना प्रश्न संख्या 12 पर एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में 3 अप्रैल 1970 को गृह-कार्य मंत्री द्वारा दिये गए आश्वासन के अनुसरण में निम्नलिखित पत्रों सहित एक विवरण सभापटल पर रखता हूं :—

(एक) भारतीय सिविल सेवा के अधिकारियों तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की मुख्य सेवा सम्बन्धी शर्तों के बारे में तुलनात्मक विवरण ।

(दो) भारतीय सिविल सेवा तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के वेतनमानों के बारे में तुलनात्मक विवरण ।

(तीन) भारतीय पुलिस तथा भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की सेवा सम्बन्धी मुख्य शर्तों के बारे में तुलनात्मक विवरण ।

(चार) भारतीय पुलिस तथा भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के वेतनमानों के बारे में तुलनात्मक विवरण ।

(पांच) वाइसराय की दिनांक 30 अप्रैल, 1947 की घोषणा की एक प्रति ।

(छ) सेक्रेटरी आफ स्टेट की सेवाओं के सभी अधिकारियों को सम्बोधित गृह विभाग के दिनांक 18 जून, 1947 के पत्र संख्या 160/47—आर० आर० की एक प्रति ।

(सात) सभी प्रान्तीय सरकारों के मुख्य सचिवों को सम्बोधित गृह विभाग के दिनांक 18 जून, 1947 के पत्र संख्या 160/47—आर० आर० की करार के प्रपत्रों सहित एक प्रति ।

[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए एल० टी० संख्या 3137/70]

राज्य सभा से सदेश
MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित सन्देश की सूचना देनी है :—

" कि राज्य सभा ने अपनी 4 अप्रैल 1970 की बैठक में पश्चिमी बंगाल राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक, 1970 पास किया । "

पश्चिम बंगाल राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधयक राज्य सभा द्वारा पारित रूप में
WEST BENGAL STATE LEGISLATURE (DELEGATION OF POWERS) BILL AS PASSED BY RAJYA SABHA

सचिव : मैं राज्य सभा द्वारा पारित रूप में पश्चिमी बंगाल राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक, 1970 की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

Shri Malahu Prashad (Bansgaon) : I want to raise a point of order on item 4.

Mr. Speaker : We have already passed on to the next item. You please now take your seat.

सदस्य द्वारा त्यागपत्र
RESIGRATION OF MEMBER

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा को सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर निर्वाचन-क्षेत्र

से निर्वाचित सदस्य श्री श्रीपति मिश्र ने 7 अप्रैल, 1970 से लोक सभा की अपनी सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है ।

अब आप बताइए आप का व्यवस्था का क्या प्रश्न है ?

सभा पटल पर रखे गये पत्रों के बारे में

RE : PAPERS LAID ON THE TABLE

Shri Molahu Prasad : We are not getting from the Scretariat the papers which are placed on the Table of the House and which are also not confidential. Those papers should be made available to us.

Mr. Speaker : There is no point of order. This is only a request.

Shri Ram Sewak Yadav (Bara Banki) : I have given notice of a motion regarding breach of privilege. It has not been taken up.

Mr. Speaker : Let me study it first.

लोक लेखा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

99वां प्रतिवेदन

श्रीमती सुशीला रोहतगी (बिल्हौर) : मैं विनियोग लेखे (प्रतिरक्षा सेवाएं) 1966-67 और लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (प्रतिरक्षा सेवाएं), 1968 से सम्बद्ध लोक लेखा समिति के 69 वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति का 99 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हूं ।

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

60वां प्रतिवेदन

श्री एम० बी० राणा (बड़ौच) : मैं हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड से सम्बन्धित सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के 8वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति का 60वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

समिति के लिए निर्वाचन
ELECTION TO COMMITTEE

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति

श्री बसुमारी (कोक राझार) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 254 के उप-नियम (3) द्वारा अपेक्षित रीति से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति में श्री जयपाल सिंह के स्थान पर जिनका स्वर्गवास हो गया है, समिति की शेष कार्यावधि के लिये समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य चुनें ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 254 के उप-नियम (3) द्वारा अपेक्षित रीति से, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति में श्री जयपाल सिंह के स्थान पर जिनका स्वर्गवास हो गया है, समिति की शेष कार्यावधि के लिए समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य चुनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The Motion was Adopted.

श्री बसुमारी : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा राज्य-सभा से सिफारिश करती है कि राज्य-सभा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति में, सर्वश्री दयालदास कुर्रे और श्री ई० एम० संगम के राज्य-सभा से निवृत्त हो जाने के कारण रिक्त हुए स्थानों पर, एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति के अनुसार, राज्य-सभा के दो सदस्य निर्वाचित करें और राज्य-सभा द्वारा समिति में इस प्रकार निर्वाचित किये गए सदस्यों के नाम इस सभा को बतायें ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि यह सभा राज्य-सभा से सिफारिश करती है कि राज्य-सभा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति में, सर्वश्री दयालदास कुर्रे और श्री ई० एम० संगम के राज्य-सभा से निवृत्त हो जाने के कारण रिक्त हुए स्थानों पर, एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति के अनुसार, राज्य-सभा के दो सदस्य निर्वाचित करें और राज्य-सभा द्वारा समिति में इस प्रकार निर्वाचित किए गए सदस्यों के नाम इस सभा को बतायें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The Motion was Adopted.

अनुदानों की मांगें—1970-71
DEMANDS FOR GRANTS—1970-71

सिंचाई तथा विद्युत् मन्त्रालय

अध्यक्ष महोदय : अब यह सभा सिंचाई तथा विद्युत् मन्त्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों पर चर्चा करेगी । श्री सेझियान ।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : सौभाग्यवश सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त डा० के० एल० राव के अधीन है । अतएव यदि कहीं कोई त्रुटि रहती है तो वह बात योजना आयोग और सरकार पर आती है क्योंकि उसने विभिन्न योजनाओं के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था नहीं की है ।

यह मंत्रालय हमारे खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भरता करने के प्रयत्न में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है । खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता तब तक प्राप्त नहीं की जा सकती जब तक पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध नहीं की जाती हैं । यदि आप अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन को सफल बनाना चाहते हैं तो सिंचाई के क्षेत्र में बिजली उपलब्ध कराने की अत्यन्त महत्वपूर्ण आवश्यकता है । सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भरता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है ।

तंजौर डेल्टा में जहां, से मैं आया हूं, कुछ बातें ऐसी हुई हैं जिनसे उस क्षेत्र में हजारों वर्ष के सिंचाई कार्य को खतरा पहुंचा है । मैं एस० एम० कृष्ण से इस बात पर सहमत हूं कि कावेरी जल विवाद का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए । जिन विवादों को मन्त्री स्तर पर सुलझाया जा सकता है उनको यहीं सुलझाना चाहिए । इसको विधान सभाओं तक नहीं ले जाना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना वक्तव्य मध्याह्न भोजन के पश्चात जारी रखें ।

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then Adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा दो बजकर सात मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Seven Minutes past Fourteen of the Clock.

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

Mr. Deputy Speaker in the Chair

Shri Ram Sewak Yaday (Bara Banki) : The people of Manipur have been squatting before the residence of Prime Minister. We want that the Home Minister may give a statement on this situation.

श्री सेफियान : कावेरी नदी के जल के उपयोग की व्यवस्था वर्ष 1892 और 1924 के समझौते के अंतर्गत की गई है । 1892 का समझौता तमिलनाडु द्वारा कावेरी नदी के जल के उपयोग के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए हुआ है । 1924 का समझौता 1892 के समझौते का अनुपूरक है क्योंकि यह मैसूर द्वारा कृष्णाराजासागर जलाशय के निर्माण की अनुमति लेने से

संबंधित है। 1924 के समझौते में स्पष्ट कहा गया है कि 1892 के समझौते के अन्तर्गत तमिलनाडु ने कृष्णाराजासागर जलाशय बनाने की अनुमति दे दी है।

अब यह आरोप लगाया गया है कि तमिलनाडु ने लोअर भवानी परियोजना और अन्य छोटी परियोजनाओं के निर्माण के संबंध में मैसूर सरकार से सहमति नहीं ली है।

लोअर तटीय क्षेत्र से जो जल लिया जाता है उससे अपर तटीय क्षेत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लोअर भवानी में जो कुछ किया गया है, उससे मैसूर के अपर कावेरी पर प्रभाव नहीं पड़ता है। शर्त के अनुसार तमिलनाडु भवानी जल के अवरोध के कारण हुई जल की कमी को पूरा करने के लिए अतिरिक्त जल की मांग नहीं कर सकता है और तमिलनाडु ने कोई मांग नहीं की है।

जब 1953 में लक्ष्मण तीर्थ परियोजना पर कार्य आरम्भ हुआ था तब तत्कालीन मैसूर सरकार ने यह स्वीकार किया था कि यह परियोजना तमिलनाडु और मैसूर पर विपरीत प्रभाव डालेगी। वे ऐसी योजना बनाना चाहते थे जिससे जलाशय की देखभाल हो सके। मेरा यही अनुरोध है कि कावेरी नदी के जल के साथ छेड़ाखानी न की जाये।

मैं तंजौर डेल्टा का हूं जो कि बहुत पुराना है और जहां सिंचाई का जाल बिछा हुआ है। नई सिंचाई योजनाओं का वर्तमान मापदंड चार वर्ष में तीन बार तथा छः वर्ष में चार वर्ष पानी दिया जाता है। प्राचीन तंजौर डेल्टा में जल की आवश्यकता प्रत्येक वर्ष रहती है, तंजौर दक्षिण के लिए खलिहान है और यदि इसे सूखा बना दिया तो न केवल तमिलनाडु अपितु राष्ट्र को हानि होगी। अतएव हमें वर्तमान व्यवस्था को बनाए रखना चाहिए।

मैं डा० के० एल० राव से अनुरोध करूंगा कि चेन्नार परियोजना और होसूर की परियोजना को सरकार द्वारा शीघ्र स्वीकृति मिलनी चाहिए जिससे काम आरम्भ किया जा सके।

विद्युत परियोजनाओं के बारे में मेरा यह कहना है कि तमिलनाडु को बिजली की बहुत आवश्यकता है। कृषि कार्यों में बिजली की निरन्तर वृद्धि हो रही है और द्रमुक सरकार ने वर्ष 1971-72 तक सभी ग्रामों में बिजली देने की व्यवस्था करनी है।

अब तमिलनाडु अपने पनबिजली साधनों का उपयोग कर चुका है। हमें मैसूर और केरल से बिजली क्रय करनी पड़ती है। इस बात की संभावना है कि कुछ अवधि उपरान्त यह बिजली भी मिलनी बन्द हो जाएगी और तब स्थिति बिगड़ जायेगी। हमारा तमिलनाडु में पम्पसेट लगाने, ग्रामों का विद्युतिकरण करने का एक वृहत् कार्यक्रम है। उद्योग से भी बिजली की भारी मांग है। अतएव न केवल एन्नोर थरमल केन्द्र और प्रस्तावित नई पनबिजली परियोजना का निर्माण शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए बल्कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कलपकम अणु शक्ति केन्द्र के पहले एकक को पूरा करने के लिए भी कदम उठाए जाने चाहिएं। लाल फीताशाही को समाप्त कर दिया जाना चाहिए, ताकि कार्य शीघ्र आरम्भ हो।

योजना आयोग को चाहिए कि वह कलपकम के दूसरे एकक को अन्तिम रूप दे दे, नीवेली में दूसरा खनन कार्य आरम्भ कर दिया जाना चाहिए। दक्षिणी राज्यों में सभी ग्रिड आपस में सम्बन्धित हैं। इससे कम लागत पर बिजली पैदा करने तथा उसका वितरण करने में सुविधा

होगी । यदि इस ओर गम्भीर रूप से ध्यान न दिया गया तो दक्षिण में 1974 या 1975 में बिजली का अकाल पड़ जायेगा ।

डा० राव ने गंगा नदी को कावेरी नदी के साथ मिलाने की बात कही है । यदि एक राज्य की नदी को अन्य राज्य की नदी से मिलाया जाये तो एकता को बल मिलेगा । परन्तु सर्वप्रथम हमें आस-पास की नदियों को मिलाना चाहिए । आज कावेरी नदी के 99 प्रतिशत जल का उपयोग होता है परन्तु अन्य कई नदियां ऐसी हैं जिनके जल का कोई उपयोग नहीं होता है । यदि हम इन सबको आपस में मिला दें तो इससे देश में पनबिजली काफी मात्रा में पैदा होगी और इससे भारत आत्मनिर्भरता की दिशा में अग्रसर होगा ।

श्री नि० रं० लास्कर (करीमगंज) : इस मन्त्रालय के कार्य की महत्ता को देखते हुए हमारी यह मांग है कि इसके लिए और अधिक धन की व्यवस्था की जाये ।

यह मन्त्रालय बिजली के विकास और सिंचाई सुविधाओं के लिए उत्तरदायी है । इसका कार्य बाढ़ों को रोकना है जिससे देश के बहुत से भागों में काफी हानि होती है । गत तीन वर्षों में बहुत सी बड़ी तथा मध्यम श्रेणी की परियोजनाओं पर कार्य किया गया । उनमें से कुछ पूरी हो गई हैं और कुछ को अभी पूरा होना है । उन राज्यों में इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जानी चाहिए जहां अब तक कुछ नहीं किया गया है ।

बाढ़ संबंधी विशेषज्ञ समिति ने सुझाव दिया है कि इस कार्य के लिए 1000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जाये ताकि हम देश में बाढ़ नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय योजना बना सकें । चौथी योजना में जो 107 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है वह पर्याप्त नहीं है । मैं नहीं समझता कि वे इससे देश की समस्याओं को सुलझा सकेंगे ।

यह सभा आसाम की बाढ़ के बारे में जानती है, ब्रह्मपुत्र एक बड़ी उपद्रवी नदी है । प्रति वर्ष उसमें बाढ़ आती है । केन्द्र सरकार इस समस्या को दूर से ही देख रही है और इसके लिए कुछ नहीं कर रही है । इस बाढ़ से बहुत से सुन्दर और समृद्धिशाली शहर नष्ट होते जा रहे हैं । अब तक ब्रह्मपुत्र नदी के बाढ़ से बचाव के लिए जो उपाय किये गये हैं, वे पूर्णतया अपर्याप्त हैं । वहां केवल तटबन्ध बनाने से काम नहीं चलेगा । आपको समस्या का स्थायी समाधान खोजना पड़ेगा ।

हाल ही में प्रधान मंत्री ने घोषणा की थी कि ब्रह्मपुत्र नदी के लिए एक बाढ़ नियंत्रण आयोग का निर्माण किया जायेगा । मैंने मंत्रालय का प्रतिवेदन देखा था परन्तु इस सम्बन्ध में में उसमें कोई ब्यौरा नहीं है कि किस प्रकार उस योजना के लिए धन दिया जायेगा तथा कौन उसका अध्यक्ष होगा । मैं चाहता हूं कि मन्त्रालय इसका स्पष्ट उल्लेख करें ।

मैं वर्ष 1962 से कछार, आसाम, में बारक परियोजना के बारे में प्रश्न उठा रहा हूं । मंत्री महोदय ने इस बारे में कई बार आश्वासन दिया है कि इस पर जांच कार्यवाही समाप्त होने के पश्चात् कार्य आरम्भ हो जायेगा । इस पर जांच दो वर्ष पूर्व पूरी हो गयी थी, परन्तु अब तक कुछ नहीं किया गया है । हमें यह कहा गया है कि इस पर मनीपुर सरकार को आपत्ति है । जांच कार्य के दौरान यह सर्वविदित था कि मनीपुर का कुछ क्षेत्र इस परियोजना के कारण जलमग्न हो जायेगा । इस पर भी यह जांच की गई और इस परियोजना को क्रियान्वित करना ही शेष रह गया

है । मंत्री महोदय का कहना है कि यदि इस पर विलम्ब किया गया तो काफी लागत आयेगी । यह परियोजना इतनी महत्वपूर्ण है कि लोग इससे प्रभावित व्यक्तियों का पुनर्वास करने तक को तैयार हैं । इस तथ्य के होते हुए भी केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार की ओर से कोई प्रगति नहीं हुई है । मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि राज्य तथा केन्द्रीय सरकारें इस ओर कोई ध्यान नहीं देना चाहती हैं । मंत्री महोदय ने कहा था कि मनीपुर और आसाम राज्य सरकारों की संयुक्त बैठक बुलायी जायेगी परन्तु दुर्भाग्यवश कोई बैठक नहीं बुलायी गयी । मंत्री महोदय को चाहिए कि वे मनीपुर राज्य सरकार को इस बात के लिए तैयार करें ।

एक अन्य बहुउद्देशीय कापिल्लि नदी घाटी परियोजना भी विचाराधीन है । इसके लिए स्थान भी निश्चित कर दिया गया है और अब इस पर कार्य आरम्भ कर दिया जाना चाहिए । एक बार बाढ़ों पर नियंत्रण कर लिया गया तो सिंचाई संबंधी समस्याएं सुलझायी जा सकती है ।

देश में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पनबिजली पैदा करने की पर्याप्त संभावनाएं हैं परन्तु इसका उपयोग नहीं हो सका है । मंत्री महोदय ने कहा था कि यदि हम काश्मीर में पनबिजली का विकास करें तो इससे समूचे उत्तर भारत को लाभ पहुंचेगा । इसी प्रकार आसाम में पर्याप्त पनबिजली पैदा करने की संभावनाएं हैं परन्तु केवल 0.5 प्रतिशत का ही उपयोग हुआ है । सरकार को आसाम में उपलब्ध पर्याप्त संसाधनों का उपयोग करना चाहिए । ग्राम विद्युतिकरण के बारे में बहुत असमानता है । आसाम में बहुत ही कम ग्रामों में बिजली लगाई गई है । सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए ।

अन्त में मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि बाढ़ों पर नियंत्रण के लिए कार्यवाही की जानी चाहिए ताकि लोगों को इनके प्रकोप से बचाया जा सके ।

Shri K. M. Madhukar (Kesaria) : Mr. Deputy Speaker, Sir, in the Congress Session held in Bombay, slogan of socialism was raised and it was hoped that the Ministry of Irrigation and Power would do effective work, but it is a matter of regret that problems which are being faced by the country now-a-days have not been considered seriously by the Ministry.

The reports received after the completion of three Five Year Plans reveal that only one fifth of the agricultural land has been brought under irrigation. There are certain areas where no arrangement has been made to cultivate more than two per cent of the agricultural land. Five lakh 55 thousand crore cubic feet water flows in our country out of which only 36 per cent has been utilised. Available water resources are not fully utilised because of which famine, floods and similar other calamities occur in one or the other part of the country.

The wheat crops in Ara district of Bihar were ruined owing to non-availability of water from Sone canal in summer. Farmers are in a difficult position and want the Government to make arrangements for irrigation, setting up of industries and for employment opportunities. But nothing has been done in this connection.

The two objectives mentioned in the report are :—Self-sufficiency and increase in the production of export oriented crops. But the actual position is quite the reverse in this respect.

Out of 545 projects only 300 projects have been completed. Nagarjunsagar project and Tungabhadra project have a capacity to irrigate 8.3 lakh and 5 lakh 12

thousand hectares of land respectively, but only 2.33 lakh and 4 lakh 3 thousand hectares of land, respectively, has been brought under irrigation. Bihar could have been in a position to export foodgrains provided financial aid had been given to it. It was demanded in the House that Gandak Project may be included as a central project but nothing has been done. Work is not done on priority basis and that is why it is progressing at a very low speed.

The canals constructed in Champaran district are constructed in such a way that all the water courses are useless. These water courses have a capacity to carry two cusecs water. But for feeding the fields water courses with capacity of one cusec water are needed. So water courses with capactiy of one cusec water should be constructed.

Regarding Western Kosi canal project, Government could not reach any agreement with Nepal Government. If Government are not able to do this work let an all party delegation be sent to Nepal.

It has been revealed by the reports that Assam, Bihar, Bengal, Rajasthan, Andhra Pradesh and Kerala are flooded every year. Government should set up Flood Information Centres.

Regarding rural electrification I would like to say that out of 5 lakh 67 thousand villages, 13 per cent have been provided electricity. North Bihar has not been provided sufficient electricity. Government should take steps to provide more electricity and set up thermal station in North Bihar.

Power Department is such a Department where bureaucracy dominates. Malpractices are going on in Damodar Valley Project. There should be high level enquiry and persons found guilty should be penalised. So far as Farakka Project is concerned, contracts are given to private contractors, and therefore work is going on at a very low speed. Enquiry should be made in this matter. There should be a separate budget for Flood Control Scheme and Irrigation and Power scheme. Specific funds should be allocated to backward states in the form of grant and aid so that they may produce more.

Government should call a conference of the State Ministers of Irrigation and Power to understand the needs of the states. Rajasthan, Bihar and Uttar Pradesh have no funds for implementation of schemes. Government should pay heed to them.

Shri B. N. Bhargava (Ajmer) : Indian economy mainly depends upon agriculture. Water supply is an important factor of irrigation. Since rain is not regular in India, Government should give priority to the development of irrigation facilities.

In the beginning of First Five Year Plan, agricultural land was 3870 lakh acres, out of which irrigation facilities were available for 560 lakh acres only. After first year of Fourth Five Year Plan Govt. could provide irrigation facilities to one fifth of the agricultural land. Government should give priority to the areas where irrigation facilities are not available.

There are certain areas in Rajasthan which are suffering from floods for the last seven or eight years. Rains are not regular there. It would be in the interest of the country if we utilise the water available in other States for the drought and famine affected areas. Rajasthan is continuously suffering from famine and 33 percent of the total fund for development scheme is spent for this purpose. Sindhu Water Treaty has come to an end and from 1st April, 1970, we can fully utilise the water which was previously flowing to Pakistan. In such a situation Government should have implemented the Rajasthan Canal Project. But it is a matter of regret that no priority has been given by the Government to this work. If sufficient water supply is ensured in Rajasthan, it can produce 30 lakh

tons of wheat and there can be increase of 150 crore rupees in the national income. Owing to water shortage, drought and other natural calamities the situation of Rajasthan has been deteriorating.

Area of 250 miles of Rajasthan canal is uninhabited. In case it is completed people can live there and there can be increase in our production.

****श्री पी० पी० एस्थोस** (मुवत्तुपुजा) : 1951-70 में प्रारम्भ की गई 545 परियोजनाओं में से 325 परियोजनाओं को पूरा किया जा चुका है। सिंचाई योजनाओं पर 1928 करोड़ रुपया व्यय किया गया। गत 19 वर्षों में सरकार ने खाद्यान्नों के आयात पर 300 करोड़ से अधिक रुपये व्यय किए हैं। यदि यही धनराशि सावधानीपूर्वक सिंचाई परियोजनाओं में लगाई जाती तो लाखों एकड़ भूमि को सिंचित किया जा सकता था और बड़ी मात्रा में खाद्यान्न के उत्पादन को बढ़ाया जा सकता था।

हमारी वर्तमान कठिनाइयां सरकार द्वारा पिछले 19 वर्षों में अपनाई गई गलत आर्थिक नीतियों के कारण हैं।

पिछले 15 वर्षों से केरल में थानेरमुक्कम बांध बनाने की योजना चली आ रही है ताकि समुद्र के पानी को कुट्टानाड क्षेत्र में जाने से रोका जा सके और हजारों एकड़ भूमि में दोहरी फसलें उगायी जा सकें। मन्त्री महोदय से जब कहा जाता है तो वह उत्तर देते हैं कि यह विषय राज्य सरकार के अधीन है। हालांकि राज्य सरकार इस परियोजना को क्रियान्वित कर रही है परन्तु उसे वित्तीय तथा तकनीकी सहायता नहीं दी गई। इसी प्रकार परियर घाटी योजना भी पूरी नहीं हुई है।

मैसूर और मद्रास के बीच कावेरी नदी के पानी पर झगड़ा चल रहा है। इस नदी की दो या तीन सहायक नदियां केरल से होकर गुजरती हैं। जब मालावार मद्रास का अंग था तब कावेरी नदी के जल के उपयोग के बारे में मद्रास और मैसूर सरकार में एक समझौता हुआ था। 27 एवं 28 फरवरी, 1970 को नई दिल्ली में एक सम्मेलन हुआ था जिसमें सचिवों, मुख्य इन्जीनियरों और राज्यों के तकनीकी सलाहकारों ने भाग लिया था। 9 फरवरी, 1970 को सिंचाई एवं विद्युत मंत्री ने तमिलनाडु और मैसूर के मन्त्रियों से बातचीत की थी। जो प्रस्ताव रखे गए थे, उन्हें राज्य सरकारों को विचार हेतु भेज दिया गया है।

सरकार को काबीनी और भवानी जैसी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए तत्काल वित्तीय सहायता देनी चाहिए। इसकी सहायता से मालाबार क्षेत्र की 37,000 एकड़ भूमि को सिंचित किया जा सकेगा।

केरल में 350 मील से अधिक तट हैं। प्रत्येक वर्ष समुद्र कटाव के कारण भूमि का बहुत बड़ा भाग समुद्र में समा जाता है। समुद्र कटाव को रोकने के लिए पिछली तीन पंचवर्षीय योजनाओं में 40 मील लम्बा बांध बनाया गया था और पिछले दो वर्षों में इसे बढ़ाकर 44 मील कर दिया गया है। परन्तु समुद्र कटाव को रोकने के लिए यह बांध पर्याप्त नहीं है। एरणाकुलम, क्युलिन,

**मलयालम में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

Summarised translated version based on English translation of speech delivered in Malyalam.

कन्नानोर आदि स्थानों में भी समुद्र कटाव होता है और लाखों लोग बेघर हो जाते हैं। केरल सरकार के पास समुद्र कटाव को रोकने के पर्याप्त साधन नहीं हैं। जब तक केन्द्रीय सरकार वित्तीय सहायता न दे लोगों को बचाना सम्भव नहीं हो सकता।

दक्षिणी भारत में इद्दीक्की परियोजना एक महत्त्वपूर्ण परियोजना है।

कुद्दीदी, इद्दीक्की आदि परियोजनाओं के लिए बहुत कम धनराशि आवंटित की गई है। साथ ही इनको पूरा करने में विलम्ब किया जा रहा है। विलम्ब का कारण श्रम समस्या बताया गया है। परन्तु सरकार द्वारा अपनायी गई नीति ही इसकी जिम्मेदार है। सरकार ने प्रवरण समिति द्वारा प्रस्तुत श्रम सम्बन्धी कानून को पारित नहीं किया है।

गांवों में विद्युतीकरण करने के लिए एक निगम की स्थापना की गई है। निगम द्वारा बिजली बोर्ड को दी गई धनराशि का दुरुपयोग किया जाता है। सरकार को इस सम्बन्ध में आवश्यक कदम उठाने चाहिएं।

श्री नीतिराज सिंह चौधरी (होशंगाबाद) : सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय की मांगों का मैं समर्थन करता हूं। गत तीन वर्षों से मुझे ऐसा अनुभव हुआ है कि इस मंत्रालय ने भारत को तीन भागों में विभाजित किया है—वे राज्य जहां से नदियां निकलती हैं, वे राज्य जहां वे बाद में बहती हैं और तीसरे बाकी के राज्य। इस समय मंत्रालय ने दूसरे भाग के राज्यों के सम्बन्ध में व्यवहार किया है अर्थात् वे राज्य जहां से नदियां बाद में बहती हैं और जहां उनके पानी का योग बहुत कम मात्रा में है।

मध्य प्रदेश में देश के जल का 1/5 वां भाग और राष्ट्रीय कोयला धन 50% से ऊपर है। फिर भी मेरे राज्य में कोई मुख्य सिंचाई-परियोजना नहीं है। डा० के० एल० राव ने अपनी पुस्तक, जिसका शीर्षक है 'रेपिड फिल्लिंग आफ फूड बास्केट फार मेश्यर्ज' में कहा है कि राज्य में अधिकांश योजनाओं को धन की कमी के कारण पूरा नहीं किया जा रहा है। मध्य प्रदेश देश का बहुत उपजाऊ प्रदेश है जहां अच्छी वर्षा होने पर भी सिंचाई के साधनों की कमी के कारण पैदावार कम होती है। मध्य प्रदेश में सिंचाई की सुविधाएं देने से केवल वहां अनाज की समस्या ही नहीं सुलझेगी अपितु देश को भी लाभ होगा। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग द्वारा सिंचाई योजना बनाई जाए और उसे शीघ्र ही क्रियान्वित किया जाए। नर्मदा घाटी में नल कूपों के लगाने से पर्याप्त राहत मिलेगी और जब मुख्य सिंचाई योजनाएं चालू हो जाएगी तो क्षेत्र में बहु फसलों को उगाने से पर्याप्त लाभ होगा।

मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि कहां तक उक्त बातों को ध्यान में रखा गया है। मध्य प्रदेश से निकलने वाली नदियां, आन्ध्र प्रदेश में 11.11 लाख एकड़ भूमि, बिहार में 8.58 लाख एकड़ भूमि, गुजरात में 2.2 लाख एकड़ भूमि, महाराष्ट्र में .62 लाख एकड़ भूमि, उड़ीसा में 12.85 लाख एकड़ भूमि, राजस्थान में 2.46 लाख एकड़ भूमि, और उत्तर प्रदेश में 10.15 लाख एकड़ भूमि और दूसरे राज्यों में 47.79 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई कर रही है। मध्य प्रदेश में केवल 22,12,000 एकड़ भूमि के लिए सिंचाई की सुविधाएं मिली हुई हैं; जबकि 4,52,90,000 एकड़ कुल मिलाकर कृषि योग्य क्षेत्र है। यह हमारा अनुभव रहा है कि जहां दूसरे राज्य मध्य प्रदेश से कुछ भी जल का दावा करने के लिए सोचते तक नहीं है, वहां भी सिंचाई मन्त्रालय

ने ऐसा करने का सुझाव दिया है और जहां थोड़ा सा भी आवश्यक हो, तो दूसरे राज्यों को मध्य प्रदेश से अधिक जल का दावा करने के लिए उकसाती भी है।

जहां तक नर्मदा परियोजना का सम्बन्ध है, आरम्भ में जब इस योजना पर विचार किया गया था, 90 लाख एकड़ फुट पानी का दावा किया गया था। खोसला आयोग ने 90·90 लाख एकड़ फुट जल की सिफारिश की थी। बाद में सिंचाई और बिजली मंत्री ने 80 लाख एकड़ फुट पानी दिये जाने का सुझाव दिया। तब यह दावा बढ़ाकर 160 लाख एकड़ फुट पानी के लिये हो गया और आज यह 220 लाख फुट पानी के लिये हो गया है।

मैं यह बात मानता हूं कि यदि किसी विशेष राज्य में राष्ट्रीय संसाधन हैं, तो ये संसाधन केवल उस राज्य के न होकर सारे राष्ट्र की सम्पत्ति के रूप में होते हैं। लेकिन यह नियम केवल मध्य प्रदेश पर लागू नहीं होना चाहिये। यदि किसी राज्य में तेल प्राप्त होता है, तो इसका लाभ समस्त देश को मिलना चाहिए, केवल उसी विशेष राज्य को नहीं। प्रारम्भ में गुजरात ने परियोजना पर बांध बनाने के लिए 162 फुट ऊंचाई को उचित समझा गया लेकिन बाद में डा० के० एल० राव के सुझाव पर नावागाम जगह को चुना गया और बांध को 530 फुट तक ऊंचा बनाने का विचार किया गया। इस तथ्य को भूलकर कि इतना ऊंचा बांध होने से मध्य प्रदेश की भूमि को मिलाना पड़ेगा। लेकिन दुर्भाग्यवश उस प्रदेश में भूकंप आते रहते हैं। अतः इस मामले पर सिंचाई और विद्युत मंत्रालय ने क्या विचार किया है।

दूसरा उदाहरण योजनाओं को बेकार करने का यह है कि सिन्धु नदी परियोजना के भाग्य से मध्य प्रदेश को लाभ पहुंचता था। इस योजना पर स्वर्गीय श्री एम० विश्वेश्वरैया, प्रसिद्ध इंजीनियर द्वारा विचार किया गया था। इससे जल की प्यासी भूमियों के सिंचन के लिये सोचा गया था। लेकिन, बाद में इस परियोजना को डा० राव ने दो भागों में बांटने का सुझाव दिया। अब इस योजना की लागत बढ़ गई है और इस सारे मामले को समाप्त कर दिया गया है।

दूसरी परियोजना देम्बा अथवा बन सागर परियोजना के नाम से प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश सरकार चाहती है कि इस योजना को प्रारम्भ किया जाये और बार्गी परियोजना को भी प्रारम्भ किया जाए। लेकिन सिंचाई और विद्युत मंत्रालय का यह सुझाव है कि उत्तर प्रदेश को पानी देम्बा परियोजना से दिया जाना चाहिए। जिसका मध्य प्रदेश विरोध नहीं करता है क्योंकि सम्पूर्ण देश को इससे लाभ मिलना चाहिए। अतः इस परियोजना को आरम्भ करने के लिए शीघ्र ही आदेश दिये जायें।

राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम की वर्तमान प्रदत पूंजी 255 लाख रुपया है जबकि 1967-68 और 1968-69 के वर्षों में निगम को 134 लाख रुपये की हानि हुई जो कि वर्तमान प्रदत पूंजी के आधे से अधिक है।

विभिन्न राज्यों को 1967-68 के वर्ष से आगे नदी घाटी परियोजना, बाढ़ नियंत्रण योजना, विद्युत परियोजना जिसमें ग्रामीण विद्युतीकरण भी शामिल है, केन्द्रीय सहायता की राशि निम्न रूप से दी गई है :

आंध्र प्रदेश	55.14 करोड़
आसाम	6.55 "
केरल	27.40 "
मध्य प्रदेश	25.92 "
महाराष्ट्र	36.79 "
मैसूर	25.17 "
उड़ीसा	19.09 "

मध्य प्रदेश बारगी और देम्बा की परियोजना लेने के लिये तैयार था लेकिन उसको इसकी अनुमति नहीं दी गई। तब न्यायाधिकरण का प्रश्न भी लाया जायेगा। लेकिन आन्ध्र प्रदेश में परियोजनाओं पर कार्य हो रहा है, यद्यपि यह मामला निर्णयाधीन है।

मंत्रालय के प्रतिवेदन के परिशिष्ट II में इस देश में पैदा की गई बिजली के सम्बन्ध में विवरण दिये गए हैं। वह यह बतायेगा कि मध्य प्रदेश में आन्ध्र प्रदेश में पैदा की जाने वाली बिजली से आधी बिजली पैदा हो रही है। उससे यह भी मालूम होता है कि मध्य प्रदेश से किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है।

Shri Maharaj Singh Bharati (Meerut) : Japan has made much progress due to cheap rate of electricity. There are three ways to generate electricity, i.e, Hydro-power, Atomie power and steam-power. In other countries of the world, Turbo Generators of ten lakh K. W.capacity are produced whereas our generators do not have the capacity of more than two lakh K. W. Now we are trying to produce a generator with a capacity of 4 lakh K. W. But there are no resources with any State to invest funds. Therefore, Central Government should make investment so that electricity could be supplied at cheaper rates. It is a matter of pleasure that Government has undertaken a programme to set up 15 lakh pumping sets. But this programme is not adequate to meet the requirements of the country. Government should set up more pumping sets for the farmers.

[श्री वासु देवेन नायर पीठासीन हुए]

Shri Vasudevan Nair in the Chair

Electricity is made available at different rates to the farmers in different States. For example, in Punjab different rates are charged from the big and small farmers. But in Uttar Pradesh a farmer has to deposit a sum of Rs. 110 to have power connection. These rates are higher than that of Punjab. This inequality should be removed so that the farmers of Uttar Pradesh and Punjab could have power connection at uniform rates. In Uttar Pradesh it is a rule that the farmer getting power connection is also responsible for the safety of the transformer. If a transformer is stolen then he has to pay Rs. 3,000 as its cost. This is a very rigid rule and if this has to be continued the transformer should be installed either near the residence of the farmer or in the village, and this should be safely attached with the Electric pole by welding it with the pole.

A new slogan of dry farming raised by the Prime Minister is not practicable in India. The farming without irrigation is called dry farming. But the climatic condition of India is such that this is not suitable and no useful purpose will be served by it. Therefore, a long term planning of irrigation will be essential. If we want to adopt dry farming, it should only be a temporary measure.

There should be a scheme for utilisation of rain water. It is also necessary to have small dams in every village so that the land will have increased the power of sipping water,

Flood is common in this country and huge amount is spent to build dams. There are so many benefits in building dams i.e. it generates electricity and fishes are also available to us. Government is not putting in any special efforts in controlling the rivers of India. Therefore, this programme should be taken up by the Government on a large scale.

The canal of East Jumna is very old and heavy expenditure is incurred on it, but the quantity of water is quite less in comparison with other canals. When is the scheme of Jumna Canal likely to be completed and when are the farmers likely to get water from it ? The farmers are being charged money without getting water from canal and they are irrigating their fields from their wells. When you are going to abolish this wrong method ?

Shri Chandrika Prasad (Ballia) : Mr. Chairman, Sir, the situation of East Uttar Pradesh is very miserable and this part is still ignored. The Prime Minister had given an assurance that due attention would be paid to such backward areas. In this connection Patel Commission was appointed but in vain. The only reason is that this Ministry is not being granted sufficient funds required for the uplift of these areas. So, I want that adequate funds be given to the Ministry for solving the problems of East Uttar Pradesh.

I would like to say that Bramhaputra Project should be taken up as a central project. It is not proper to name it as a state subject. The Govt. provides tractors, electricity, tubewells and other irrigation facilities to big farms but nothing is done for the farmers who have got one to three acres of land. At least Government could provide wells for the small farmers so that they are in a position to irrigate their land. The Co-operative tractors and cooperative tubewells should be provided for the fields having area upto 100 acres. The Government always think of big farmers and business concerns. That is why small farmers produce less: Their production can be increased provided the facilities of tube wells and tractors are made available to the farmers who are having one or one and a half acres of land. The literate youngmen of the villages are unemployed. If the Government do not pay any heed to the problem of unemployment, it will not survive long.

Free electricity should be given to small farmers, which will help them in increasing production. East U. P. is running short of water. There are about ten thousand applications pending with the Government for private tube-wells and pumping sets for Ballia alone. Government will have to consider this problem seriously.

We are having some regional problems also. There are Beria Ballia and Beria Sansar toll whose work is held up for the last ten years. I suggest that the level of the land between the village and Ghaghra river should be raised and Beria Ballia and Baria Sansar Band should be linked with it. Maximum grants should be given for the purpose.

Shri Mohan Swaroop (Pilibhit). Out of 56.64 million hectares of land which India has got, only 31.2 million hectares are irrigated and the remaining land is not irrigated. How much irrigation resources our country has is clear from this fact. The food availability in 1965 was 475.9 grams which declined to 452.92 grams in 1968. That means there is shortage of foodgrains. We require more food grains for which more irrigation resources are required.

Since 1950 India formulated about 1234 plans but most of them have not been completed so far, because sufficient technicians were not available. We should open more training centres for the purpose. At the same time, the water disputes should also be settled. India gets about three thousand million acre feet of rain water. It is not properly utilized. It should be properly stored. There is enough under-ground water in the basins of Ganges

and Jamuna. This water can also be utilized through tube-wells for increasing food-grain production.

Even the small irrigation plans have got their worth but no attention has been given to them in Fourth Five Year Plan. The amount utilized on these schemes in Second and Third Five Year Plans was also insufficient. From small plans fairly we get immediate dividends, secondly, local resources can be utilized, thirdly, the project can immediately be implemented and fourthly, the people take interest and show more zeal towards local efforts.

The problem of floods is also connected with this. Nothing concrete has been done to overcome this problem. More flood warning stations should be opened.

Cracks were seen in Sharda Dam and Nanak Sagar Dam of my constituency immediately after their construction. Their repair was not undertaken well in time. I wish that repair and maintenance should be made a permanent job and repairs should continue throughout the year.

The power has got its own importance whether it is irrigation or industry. During Fourth Five Year Plan the requirement of 25 million kilowatts is to be met. India has got the capability to generate 41 million kilowatts of Hydro electric power but out of this only ten percent is developed. Necessary steps should be taken to develop the remaining Hydro-electric power.

I want there should be a power grid for the whole country. The rate of agricultural power has been raised from 12 paise to 15 paise per unit. Similarly, the minimum charge has been gradually raised from Rs. 90 to Rs. 120.

In these conditions the poor agriculturists do not get any encouragement for tube-wells etc. They should be given some concessions.

I think Agriculture and Irrigation Ministries are closely related to each other. It will be more beneficial if these two Ministries are co-ordinated into one Ministry for the sake of efficiency.

श्री अ० श्री० कस्तूरे (खामगांव) : यह अच्छी बात है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के आरम्भ से अब तक 545 बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं में से 325 को पूरा किया जा चुका है। महाराष्ट्र में बहुत सी नदियां हैं परन्तु इनसे महाराष्ट्र में कुल मिलाकर 40 मध्यम और बड़ी परियोजनायें हैं। ये सभी परियोजनाएँ 368.8 करोड़ रुपये लागत की हैं। परन्तु इस सम्बन्ध में मुझे खेद से कहना पड़ता है कि इनमें से बहुत सी परियोजनाओं को अभी तक केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई। महाराष्ट्र सरकार केन्द्रीय सरकार पर निरन्तर जोर दे रही है परन्तु केन्द्रीय सरकार ने छः वर्षों से कई परियोजनाओं को रोक रखा है। किसानों को पूर्ण सुविधायें नहीं दी जाती हैं। इन परिस्थितियों में हम कृषि क्रान्ति की आशा कैसे कर सकते हैं।

मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि वह दूध गंगा, अपर पेनगंगा, अपर वर्धा, पेंच सिंचाई, अपर तापी, प्रथम चरण दरस और भोजपुर आदि महत्त्वपूर्ण परियोजनाओं पर शीघ्र निर्णय ले, क्योंकि ये गत 6 वर्षों से उनके विचाराधीन हैं। इसके साथ ही चरशील, हरनबारी, अम्बा घाटी, गिरोली, चुलवंन्द, परदितकमोर, चारगांव, ताकली, डोंगरगांव आदि सम्बन्धी ऐसे प्रस्ताव हैं जिनके सम्बन्ध में निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है। इन सभी प्रस्तावों की शीघ्र स्वीकृति प्रदान की जानी चाहिए ताकि विदर्भ तथा मराठवाड़ क्षेत्रों सहित महाराष्ट्र में सिंचाई की सुविधाएं बढ़ें।

Shri Ram Charan (Khurja). Eighty percent people of India are living in villages and according to Government figures only 13 percent villages were electrified till 1969. It has benefited only 31 per cent of village population. The progress of village electrification is thus not satisfactory.

Out of total generated power only 7.30 per cent is being used for irrigation purposes, whereas 69.88 per cent is being utilized for industries. Besides the farmers have to pay more than industrialists for power. It is a clear policy of discrimination against poor farmers and village areas.

During the last eighteen years, our Government has succeeded in providing irrigation facilities for 120 lakh hectares of land. This progress is also not satisfactory. If this is the pace of progress, how India could be self-sufficient ? There should be uniformity in the power rates in all the States, and it should be supplied at subsidised rates.

During the last three Five Year Plans, Government planned 525 major projects out of which only 325 could be completed. The wrong planning of the Ministry is apparent from it. The initial cost of schemes is always less but there is abnormal increase in cost when the scheme is implemented. For instance, the est imated cost of Farakka Dam was 7 crores, then its estimate increased to 150 crores and I think by the time it is completed its cost will come to Rs. 200 crores. It is the utter failure of our planning.

The farmers are the worst victims of floods. Government must compensate these poor farmers. But it is a pity that the money which is ear-marked for flood relief is misused by the authorities concerned. Government should take necessary steps to check this misuse of money. A Tube-well Corporation should be established for providing more tube-wells to village areas and farmers.

An automatic plant for supply of cheap power supply was proposed by the Government. Will the Minister be pleased to state whether this plant will be installed durfng Fourth Five Year Plan ?

At the same time, I would like to stress that there are so many scheduled caste officers in this Department. These officers are not treated properly. Their seniority has not been fixed properly and no heed is being paid to their promotions and confirmations. I want that the Minister should look into it personally.

Shri N. P. Yadav (Sitamarhi) : I am grateful to the Hon. Minister for according sanction to Bagmati Project in North Bihar. But I am sorry to say that the Government of Bihar has not started its implementntion for the last two years. I will request the Hon. Minister to take up this matter with the State Goverament. I would also request the Hon-Minister to pay attention to Adhwara Project in respect of which he had set up a Committee of five engineers which had observed that the said project would irrigate one lakh acres of land in North Bihar. The foundation of Western Kosi Canal was laid by Late Lal Bahadur Shastri in 1964, but no progress has been made so far in this respect. I, therefore, request that a delegation should be sent to Nepal and it should have discussions regarding that scheme with the Nepal Government. The construction work on Western Kosi Canal should be completed as early as possible. This canal will irrigate nearly 6 lakh acres of land of this area.

No progress has been made in the construction work of Gandak Project. If the Bihar Government is not able to make any progress in its construction work, the Central Government should take over its responsibility.

There is a great difficulty of electricity in North Bihar. I request that a Thermal Power Station should be set up at Sitamarhi so that about 2 crore people of North Bihar may be benefited by it.

Although electricity has been provided in some villages of Uttar Bihar, yet the farmers keep lanterns with them because the electricity goes off for weeks. The electricity goes off at the time of operation and as a result of it several patients die.

The high level Parliamentary Committee should be appointed to study the whole situation and the persons responsible in this matter should be punished.

The Electric Engineer in Bihar charges rupees five hundred, six hundred from every farmer for providing electricity. Those who are not able to pay Rs. 500-Rs. 600 do not get electricity. The persons responsible for it should also be punished. I have written several times to the high officials regarding this corruption, but no action has been taken.

Development of Sitamarhi, in Uttar Bihar has not been done. Development work should be done upto border in that region.

Neither the Bihar Governnment nor the Central Governnment has paid attention towards the development of that region. Special grant should be given by the Central Governnment for the development of that region.

Shri P. G. Sen. (Purnea) : Mine is a Jute cultivation area. Cultivation of Jute requires slow flowing water. Slow flowing tanks should be constructed in that area so that there may be good cultivation of Jute. But nothing has been done in this regard. Good quality of jute requires slow flowing water. Jute is the greatest foreign exchange earner on your list.

The Government is not looking into the difficulties of the farmers in this connection. The extra water of the Kosi canal flows through Nallahs etc. to low lying areas as a result of which the whole paddy crops are submerged. A committee was also set up for this purpose, but no report has been submitted by that Committee.

Every farmer who comes in Command Area is taxed. It is not necessary whether his land comes under that area or not. They are being harassed by issuing notices. Special instructions should be given in this regard. Taxation notices should not be issued regarding the lands not falling in that area.

There is a great misuse of electricity in rural areas. There should be uniformity policy for supply of electricity.

Shri G. S. Mishra (Chhindwara): There should be a separate institution for supplying electricity to villages. Similarly, a corporation should be formed for River Valley Projects. Rural eilectrification is subsidised in all the conntries. It is never economically viable. Therefore if it is stipulated that rural electrification programmes would be implemented only in respect of the schemes which were economically viable, backward areas would suffer.

The rules of the Corporation have been framed in such a way that the backward villages could not have its benefits. The scheme of the Government should not be such that the poor people are discouraged from obtaining the irrigation and electricity facilities and thus they may remain poor.

Government will be self-sufficient in the matter of foodgrains in case more electricity and irrigation facilities are provided to Madhya Pradesh.

There is no doubt that Government have done some praiseworthy work like construction of Nagarjun Project. Only 800 megawatt electricty is being generated in Madhya Pradesh. In the absence of transmission lines it is not possible for it to supply electricity to farmers, though lakhs of applications for electrification are pending, I, therefore, request you to kindly make your policy liberal in this matter.

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : सरकार द्वारा प्रकाशित अन्तर्राष्ट्रीय आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल भूमि के 16.1 प्रतिशत भाग से सिंचाई होती है जबकि मिस्र में शतप्रतिशत क्षेत्र में जापान में 55.6 प्रतिशत क्षेत्र में, पाकिस्तान में 44.45 प्रतिशत क्षेत्र में और श्रीलंका में 22.5 प्रतिशत क्षेत्र में सिंचाई होती है। इस मामले में हमारी स्थिति बहुत खराब है। बिजली की खपत हमारे देश में 176 यूनिट है जबकि संयुक्त साज्य अमरीका की 10,000 यूनिट, ब्रिटेन की 5,000 यूनिट और रूस की खपत 4,000 यूनिट है। इस बारे में भी हमारी स्थिति बहुत खराब है।

हम अपनी पन-बिजली की क्षमता के केवल एक तिहाई हिस्से का ही प्रयोग कर रहे हैं। भूमिगत सप्लाई के मामले में तो इसका अनुपात और भी कम है। यह ध्यान देने वाली बात है कि हमारे केवल 13 प्रतिशत गांवों में बिजली सप्लाई की जा सकती है इन परिस्थितियों में सरकार क्या कर रही है? 856 करोड़ रुपये में की अल्पराशि सिंचाई के लिये निर्धारित की गई है और इसमें से केवल 97.5 प्रतिशत धनराशि नई परियोजनाओं के लिये निर्धारित की गई है। खादी विकास के लिये की गई निर्धारित धनराशि कम है। बिजली के मामले में अधिक धनराशि की समस्या की गई है। देश की अधिकांश जनसंख्या, जो गांवों में रहती है, के लिए बिजली और सिंचाई के लिये सरकार को अधिक धन की व्यवस्था करनी चाहिये।

सरकार ने नर्बदा और गोदावरी के विवादों पर 5 वर्ष बरबाद किये हैं। कावेरी विवाद पर अब और अधिक समय नहीं लगाया जाना चाहिये। यदि इस मामले पर सहमति नहीं होती तो इस विवाद को तुरन्त न्यायाधिकरण को सौंप दिया जाना चाहिये और इस समस्या को हल किया जाना चाहिये।

केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग अच्छी योग्यता वाले तकनीकी व्यक्तियों का उच्च शक्ति प्राप्त एक निकाय है। योजना आयोग में भी लगभग इतने ही कर्मचारी हैं। इस कर्मचारी वर्ग को रखने का क्या लाभ है जबकि मंत्रालय से किसी राज्य में सिंचाई कार्य के गारे में पूछताछ की जाती है तो यह कहा जाता है कि इस मामले का सम्बन्ध मुख्यरूप से राज्य से है। यदि मंत्रालय प्रत्येक बात को राज्य पर छोड़ देता है तो ये सब निकाय बेकार हैं।

भूतपूर्व मद्रास सरकार ने 14 वर्ष पहले दक्षिण कनारा जिले में तीन परियोजनाएं अपूर्ण छोड़ी थीं। पहली परियोजना गुरुपूर मैसूर सरकार की एक हास्यास्पद सफलता थी।

बिगूर परियोजना पर 7 लाख रुपया खर्च किया गया है। इस पर 64 लाख रुपये खर्च आने का अनुमान लगाया गया था अब वह बढ़कर 1.31 करोड़ रुपया हो गया।

तीसरी हल्दिया परियोजना सबसे सस्ती परियोजना है। इस पर केवल 3.4 करोड़ लागत आने का अनुमान है। उक्त परियोजना को पूरा किया जाना जाहिये। इसके पूरा किये जाने के परिणामस्वरूप बाढ़ों से होने वाली क्षति में कमी हो जायेगी। सरकार ने सिंचाई के लिये बहुत कुछ किया है लेकिन इस बारे में उसे और बहुत कुछ करना बाकी है।

सरकार ने सिंध जल सन्धि के बारे मे अच्छा किया है। यही बात पूर्व की ओर बहने वाली नदियों, ब्रह्मपुत्र, गंगा, पद्मा, भागीरथी और नीसता के बारे में भी की जानी चाहिये। इस सारी बात का सम्बन्ध फरक्का बांध से नहीं जोड़ा जाना चाहिये।

देश में बिजली की दरें बहुत ऊंची हैं। स्वतन्त्रता के बाद बिजली की दरों में पांच गुना वृद्धि हो गई है। बिजली न केवल कृषि बल्कि उद्योगों के लिये भी आवश्यक है। अत: बिजली की दरों में कमी की जानी चाहिये।

मैसूर राज्य में बिजली की दरें बहुत अधिक हैं। वहां पर एक अनोखी बात है और वह यह कि वर्षा के दिनों में पम्प सेटों का प्रयोग करने पर भी न्यूनतम दरें देनी पड़ती हैं। इस बारे में एक आन्दोलन भी किया गया था लेकिन मैसूर बिजली बोर्ड इस कठिनाई को दूर नहीं करेगा।

उच्च शक्ति आयोग और विशेषण निकायों को बिजली निकायों के बारे में रुचि लेनी चाहिये और उन्हें इस बात की ओर ध्यान देना चाहिये कि केवल कर्मचारियों पर ही धन की बरबादी न की जाये। इस बारे में उपयुक्त कार्यवाही की जानी चाहिये।

Shri Mudrika Singh (Aurangabad): Mr. Speaker, Sir, I support the demands of Irrigation and Power Ministry but I regret to say that work is not being done according to the plan. It should be the object of the plan to remove regional imbalances. So far as per capita income is concerned, Bihar was fourth but the last, but now she is in the last. Government have never paid heed to the problem of South Bihar. Attention of Government has been drawn so many times. This area is always in the grip of famine. Government have to spend crores of rupees for relief work. If Kutka Dam Project is completed Government can save that amount and raise the standard of life in the region. There is a scarcity of water in some canal. But nothing has been done in this connection.

Per Capita consumption of electricity in India in 1960-61 was 38 kilowatts per hour whereas in Bihar it was 42 kilowatts. In 1965-66 consumption of India went to 61 kilowatts and consumption of Bihar went to 51 kilowatts. In the end of Fourth Five Year Plan the consumption of India would be 121 and consumption of Bihar would be 93. Funds allotted to Bihar for power generation are less compared to other States. Socialism means upliftment of the backward section of the society but here those who are developed already are allowed to be developed abnormally. This is against the accepted policy of socialism.

I have given sufficient data regarding the stand taken by Government in respect of Bihar. Plans of rural electrification are being carried out. I do not know why Government are hesitant to provide electricity to Bihar villages.

श्री छ० म० केदरिया (मांडवी) : इस मंत्रालय ने जो सराहनीय कार्य किया है उसके लिए सिंचाई तथा विद्युत मंत्री श्री कु० ल० राव सराहना के पात्र हैं।

मैंने माननीय मन्त्री के साथ अपने निर्वाचन क्षेत्र में बन रहे एक बांध का दौरा किया था। उन्होंने बांध के निर्माण कार्य में बहुत रुचि ली और मुझे यह देखकर प्रसन्नता हुई कि इससे वहां पर काम कर रहें इन्जीनियरों को प्रोत्साहन मिला। परन्तु इसके साथ-साथ एक बात को नहीं भुलाया जा सकता कि इकाई परियोजना के पूरा होने में बहुत विलम्ब हो रहा है। इससे परियोजना की लागत में वृद्धि हो जाती है। सिंचाई परियोजनाओं को निर्धारित समय के अन्तर्गत ही पूरा किया जाना चाहिए। यदि मन्त्रालय के पास किसी परियोजना विशेष के लिए पर्याप्त निधि न हो तो मन्त्रालय को सरकार तथा योजना आयोग से अधिक धन की मांग करनी चाहिए।

अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम के अन्तर्गत नर्मदा परियोजना का मामला न्यायाधिकरण को सौंप दिया गया है। परन्तु मेरा निवेदन है कि इस परियोजना का नींव पत्थर

पंडित जवाहर लाल नेहरू ने रखा था। अतः खोसला आयोग के निष्कर्षों को देखते हुए नींव का निर्माण कार्य जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए।

अहमदाबाद में गांधी नगर की जल सप्लाई योजना अधिकांशतः धरोई परियोजना पर निर्भर है। अतः इस परियोजना को तुरन्त आरम्भ किया जाना चाहिए। अतः गुजरात की नई राजधानी गांधी नगर में जल सप्लाई की बड़ी कठिनाई होगी।

ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना के अन्तर्गत आदिवासी गांवों को बिजली दी गई है परन्तु गांवों के पिछले भागों को छोड़ दिया गया है। मेरा निवेदन है कि उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत समूचे गांव में बिजली दी जानी चाहिए।

अधिकांश सिंचाई परियोजनाओं को जंगलों का तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बनाया जाता है जिनमें आदिवासी तथा आदिमजात लोग रहते हैं। मेरा निवेदन है कि इन लोगों के पुनर्वास पर भरने वाली लागत को परियोजना की लागत में शामिल किया जाये। अन्यथा इन लोगों के पुनर्वास की कोई परवाह नहीं करेगा।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : मैं सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यदि माननीय मन्त्री अपने मन्त्रालय के लिए कुछ और धन जुटा सकें तो मुझे प्रसन्नता होगी।

पिछले पन्द्रह अथवा बीस वर्षों के दौरान देश में 2000 करोड़ रुपये की लागत जो सिंचाई क्षमता स्थापित की गई है उसके प्रयोग में जो वृद्धि हो रही है उसकी प्रतिशतता धीरे-धीरे कम हो रही है। पहली पंचवर्षीय योजना के अन्त में इसका 50 प्रतिशत प्रयोग होता था जो दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त में बढ़कर 74 प्रतिशत हो गया परन्तु तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त में इसमें केवल 6 प्रतिशत हुई और गैर-परियोजना अवधि में यह कम होकर 3 प्रतिशत रह गई। माननीय मन्त्री को इस समस्या पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

यदि आप विभिन्न राज्यों में सिंचित क्षेत्र की प्रतिशतता को देखें तो आप को पता लगेगा कि इसमें बहुत विभेद है। इस विभेद को दूर किया जाना चाहिए। इसी प्रकार पम्पिंग सेटों तथा नलकूपों को भी बिजली देने में विभेद किया गया है। जहां तक गांवों को बिजली देने का सम्बन्ध है तमिलनाडु ने सब से अधिक प्रगति की है। कुल 14129 गांवों में से 9181 गांवों को बिजली सप्लाई की जा चुकी है। हरियाणा में भी लगभग सभी गांवों को बिजली सप्लाई करने का प्रयास किया जा रहा है। परन्तु उड़ीसा की स्थिति दूसरी है। वहां पर कुल 46966 गांवों में से केवल 847 गांवों को ही बिजली दी गई है। मैं नहीं जानता कि इसका कारण क्या है क्योंकि उड़ीसा के पास बिजली फालतू है।

पिछले तीन वर्षों में राज्य बिजली बोर्डों को कुल 77 करोड़ रुपये की हानि हुई है। वे सम्बन्धित राज्यों को ब्याज के रूप में 204 करोड़ रुपये दे रहे हैं। यह एक गम्भीर समस्या है और इस ओर माननीय मन्त्री को ध्यान देना चाहिए। जब तक बिजली बोर्डों के कार्य संचालन में सुधार नहीं किया जाता तब तक वे अन्य किसी कार्यक्रम को क्रियान्वित नहीं कर सकते।

यह वचन दिया गया था कि गांधी शताब्दी वर्ष के अन्त तक एक लाख गांवों को बिजली दे दी जायेगी । 6 महीने के पश्चात् एक समिति नियुक्त की गई और उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता । मेरा निवेदन यह है कि यदि वचनों को पूरा नहीं किया जा सकता तो वचन नहीं दिये जाने चाहिए ।

भारत सरकार द्वारा नियुक्त किये गये सिंचाई आयोग के साथ राज्य सरकारें सहयोग नहीं कर रही हैं । अत: माननीय मन्त्री को राज्य सरकारों को कहना चाहिए कि वे आयोग को सम्बन्धित आंकड़े आदि सप्लाई कर उसके साथ सहयोग करें ।

मुझे प्रसन्नता है कि माननीय मन्त्री सभी परियोजनाओं में रुचि ले रहे हैं और वह उनका दौरा भी करते रहते हैं । उनको विद्युत विकास कार्यक्रम को भी अपने हाथ में लेना चाहिए । समूचे देश में विद्युत ग्रिड बनाये जाने चाहिए । केन्द्र द्वारा फालतू बिजली को कमी वाले राज्यों को सप्लाई करना चाहिए । कम से कम दस वर्ष के लिए विद्युत कार्यक्रम को केन्द्र द्वारा अपने हाथ में लिया जाना चाहिए ।

विद्युत के प्रेषण तथा वितरण में प्रतिवर्ष 160 करोड़ रुपये का घाटा हो रहा है । अन्य देशों की तुलना में यह हानि बहुत अधिक है । अत: इस हानि को कम करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए । परियोजना के निर्माण के लिए लगभग 5000 मशीनें देश में उपलब्ध हैं जिनमें से 2000 मशीनें खराब हैं । इस कारण परियोजना को समय पर पूरा करना असम्भव है ।

मैं माननीय मन्त्री से निवेदन करूंगा कि वह उड़ीसा में सूखग्रास्त मेरे निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करें । इस क्षेत्र में महान्दी में उठाऊ सिंचाई योजना आरम्भ की जा सकती है । मुझे आशा है कि माननीय मन्त्री इस ओर ध्यान देंगे ।

सिंचाई तथा विद्युत् मन्त्री (डा० कु० ल० राव) : मुझे यह देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई है कि अनेक सदस्यों ने इस वाद-विवाद में भाग लिया है । उन्होंने बहुत मूल्यवान सुझाव दिये हैं ।

यह सच है कि सिंचाई के मामलों में हमें जो लक्ष्य प्राप्त करने चाहिए थे हम उन्हें प्राप्त नहीं कर सके हैं ।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात से हमने अतिरिक्त 46 लाख एकड़ भूमि में सिंचाई करने की क्षमता उत्पन्न की है । हम अब तक 1940 करोड़ रुपये व्यय कर चुके हैं परन्तु हम निर्धारित लक्ष्य का पचास प्रतिशत ही प्राप्त कर सके हैं । इसमें हम केवल 24 लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि के लिए सिंचाई क्षमता उत्पन्न कर सके हैं । इसका कारण यह है कि हमारी परियोजनाएं अधिक लम्बी अवधि तक चलती हैं । अत: उन्हें पूरा होने में अधिक समय लगता है । इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए हमें अधिक धन की व्यवस्था करनी चाहिए थी । धन के अभाव के कारण हमें जितनी क्षमता उत्पन्न करनी चाहिए थी हम उतनी क्षमता उत्पन्न नहीं कर सके हैं । अत: इस मामले पर गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है ।

श्री चेंगलरा या नायडू ने यह सुझाव दिया है कि कुछ परियोजनाओं के लिए हमें तेजी से सहायता देनी चाहिए । हमने वास्तव में उन परियोजनाओं को इस प्रकार सहायता दी है जो अग्रिम

अवस्था में हैं। पिछले वर्ष हमने इस प्रकार से 15 करोड़ रुपये की सहायता दी थी। मुझे आशा है कि हम आगे भी उन परियोजनाओं को जो अग्रिम अवस्था में हैं, इस प्रकार सहायता देते रहेंगे।

यह सच है कि तंगराबदरा नहर को कई वर्ष पूर्व आरम्भ किया गया था। इससे सूखाग्रस्त क्षेत्रों को पानी मिलेगा। मैसूर और आंध्र प्रदेश में निचली सतह (लो लेवल नहर) तथा ऊंची सतह की हाई लेवल नहरों। पर अभी पन्द्रह-पन्द्रह करोड़ रुपये व्यय किये जाने हैं। सम्बन्धित राज्यों द्वारा चौथी पंचवर्षीय योजना में इस धन की व्यवस्था कर दी गई है। हमें आशा है कि चौथी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति से पूर्व हम इन्हें पूरा कर लेंगे।

राजस्थान नहर को मरुस्थल की लगभग 30 लाख एकड़ भूमि को खेती योग्य बनाने के के लिए शुरू किया गया था। यह परियोजना अन्य परियोजनाओं से बिल्कुल भिन्न है। हमने सर्वप्रथम 70 मील की दूरी पूरी कर ली है और अब इस नहर को 120 मील तक बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है।

डा० कर्णी सिंह तथा श्री बृजराज सिंह कोटा ने कहा है कि जब तक इस नहर को और 100 मील तक नहीं बढ़ाया जाता तब तक भूमि को खेती योग्य बनाने के लिए इसके पानी को उपयोग नहीं किया जा सकता। इसके बिना राजस्थान राज्य को अनावश्यक रूप से ब्याज देना पड़ेगा तथा लागत वहन करनी पड़ेगी। इस तर्क में काफी वजन है और यह राष्ट्रीय हित में भी है। अतः हम दूसरी अवस्था को शीघ्र पूरा करने का प्रयत्न करेंगे। परन्तु हमारे पास सीमित धन है और उसी से काम करना है। हमारा प्रयास है कि यह कार्य इसी योजना अवधि में पूरा हो जाये अथवा आगामी योजना के पहले एक अथवा दो वर्षों में पूरा हो जाये। इस बारे में मैंने कुछ बातचीत की है और आशा है कि हमें शायद धन ग्रामीण निर्माण कार्यों के लिए रखे गये धन में से मिल जाये।

डा० कर्णी सिंह जी ने यह शिकायत भी की है कि सिन्धु जल करार के समाप्त हो जाने के पश्चात् भी उनको केवल 1200 क्यूसैक्स पानी मिल रहा है, हालांकि उनको 2700 क्यूसैक्स पानी मिलना चाहिए था। माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा वह ठीक है। इसका कारण यह है कि इस वर्ष व्यास नदी में पिछले वर्ष की अपेक्षा आधा पानी है। यदि पाकिस्तान को पानी की सप्लाई बन्द न की जाती तो एक गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो सकती थी। जुलाई, अगस्त और सितम्बर के महीनों को छोड़कर जबकि नदी में बाढ़ आती है, हम पूरे पानी का लाभ उठा सकेंगे। इस अतिरिक्त पानी उठाने के लिए व्यास नदी पर पोंग बांध बनाया जा रहा है। अतः मैं चाहता हूं कि पोंग बांध तथा राजस्थान नहर को एक साथ पूरा किया जाये। पोंग बांध के लिए हमने चौथी पंचवर्षीय योजना में पर्याप्त धन की व्यवस्था की है। मुझे आशा है कि यह बांध समय पर अर्थात 1973-74 में पूरा हो जायेगा।

कुछ माननीय सदस्यों में अन्तरराज्यीय विवादों को उल्लेख किया है और कहा है कि उनको न्यायाधिकरण को न सौंपे जाने के कारण क्या हैं। इस देश में लगभग 20 नदियां ऐसी हैं जो एक से अधिक राज्यों में बहती हैं। इनमें तीन के मामलों को न्यायाधिकरण को सौंपा गया है। हम एक अन्य मामले में यह प्रयास कर रहे हैं कि उसको न्यायाधिकरण को न सौंपा जाये।

श्री लोबो प्रभु ने कहा है कि कावेरी विवाद को न्यायाधिकरण को सौंपा जाये। परन्तु

मैसूर सरकार इसके पक्ष में नहीं है। अतः हम ऐसे विवादों को यथासम्भव बातचीत द्वारा ही हल करने का प्रयास कर रहे हैं। 13 अप्रैल को मैं दक्षिण राज्यों के तीन मुख्य मन्त्रियों से मिल रहा हूं और मुझे आशा है कि कोई न कोई समझौता अवश्य हो जायेगा।

तंजौर के माननीय सदय ने ग्रांड फीडर नहर का उल्लेख किया है। यह एक नवीनतम अध्ययन है जो कि समूचे विश्व में किया जा रहा है। उदाहरणतया रूस में भी उत्तर की नदियों से जिनमें पानी अधिक है दक्षिण में पानी लाने का प्रयत्न किया जा रहा है। हम भी कुछ इसी प्रकार कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। यह एक समेकित तथा बहुत अच्छी परियोजना है जिस पर हम कार्य कर रहे हैं। इससे भेद-भाव आदि करने की शिकायतें भी दूर हो जायेंगी। परन्तु सर्व-प्रथम हमें इस बारे में अध्ययन करना है। कृष्णा और गोदावरी के मामले में भी ऐसा ही किया जायेगा। परन्तु हमें पहले पूर्ण योजना तैयार करनी है।

श्री केदारिया तथा श्री अमीन ने गुजरात की दरोई परियोजना का उल्लेख किया था। यह एक महत्वपूर्ण परियोजना है और इससे अहमदाबाद में सिंचाई तथा जल सप्लाई की स्थिति में सुधार होगा। यह एक अन्तर्राज्यीय परियोजना है। दोनों राज्यों के मन्त्रियों से बातचीत कर हमने कुछ प्रस्ताव बनाये हैं और उन पर विचार किया जा रहा है। जैसे ही उन पर सहमति हो जायेगी इस परियोजना पर कार्य आरम्भ हो जायेगा।

दरोई परियोजना से उत्तर गुजरात की समस्या पूरी तरह हल नहीं होगी क्योंकि इससे केवल एक लाख एकड़ अथवा 80,000 एकड़ भूमि पर ही सिंचाई की जा सकेगी। शेष भूमि के लिए नलकूप लगाने होंगे। गुजरात सरकार पहले ही इस ओर कार्य कर रही है और मैं भी उनका ध्यान इस ओर दिलाऊंगा।

माननीय सदस्य श्री बृजराज सिंह ने चम्बल परियोजना का उल्लेख किया है। यह सच है कि कुछ क्षेत्र में पानी जमा हो जाता है परन्तु यह क्षेत्र केवल 40 हजार एकड़ है न कि तीन लाख एकड़। इसका कारण वहां पर नालियों आदि की व्यवस्था का अभाव है। अतः कुछ प्रायोगिक परियोजनाएं मंजूर की गईं और पूरी हो गईं तथा अब वहां जलरोध नहीं होता। उस क्षेत्र से पानी निकालने के लिए एक योजना बनाई गई है जिस पर 10 करोड़ रुपया व्यय होगा। चम्बल नहर के दाएं किनारे में उतना पानी नहीं बहता जितना कि बहना चाहिए। इसमें कुछ कमी है, जिनकी जांच करने के लिए वरिष्ट इंजीनियरों की एक समिति नियुक्ति की गई है।

भींमसार परियोजना में कुछ निर्माण कार्य 1961 में हुआ था जिससे लगभग 12000 एकड़ की सिंचाई होती है। अब इसे सरकार अपने हाथ में लेने वाली है तथा वह चालू योजना अवधि में पूरी हो जाएगी। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से सिंचित भूमि में 400 लाख एकड़ की वृद्धि हुई है। परन्तु अभी हम आधे रास्ते में ही हैं, बाकी आधा पूरा करने के बाद हीं हम कह सकते हैं कि सिंचाई विकास कार्य में हमने कुछ किया है।

ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण की चर्चा यहां हुई। हमारा अनुमान इस पर 30 करोड़ रुपये खर्च करने का था, परन्तु राज्य की योजना में इतनी धनराशि उपलब्ध नहीं हो सकी। अतः विशेष सहायता दी गई है। भारत सरकार ने आसाम सरकार को अनुदान के रूप में बिना इसके बड़े ड्रेजर दिये हैं। पर आसाम सरकार यह जानना चाहती थी कि क्या यह अनुदान आसाम के पहाड़ी क्षेत्रों के

समान 90 प्रतिशत अनुमान के रूप में और 10 प्रतिशत कर्ज के रूप में दिया गया है। ब्रह्मपुत्र द्वारा कटाव की समस्या के प्रति हमें सहानुभूति है तथा उस पर हम विचार कर रहे हैं। इस बीच आसाम के मुख्य मन्त्री को यह सुझाव दिया गया है कि हम एक बाढ़ नियंत्रण आयोग बनाना चाहते हैं जिसमें सम्बन्धित मन्त्री और इंजीनियर होंगे। उनके पास हमने पूरी योजना भेजी है तथा उनका पूर्ण अनुमोदन मिलने पर उस पर कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। इसके लिए 6 से 8 करोड़ रुपये तक की आवश्यकता होगी।

बारक परियोजना का मामला बड़ा नाजुक है। इस परियोजना को व्यौरेवार तैयार कर लिया गया है, परन्तु मणिपुर में प्रतिनिधि सरकार न होने के कारण इसमें रुकावट पड़ गई। अतः हमने उपराज्यपाल से प्रार्थना की कि वे आसाम के मंत्री के साथ संयुक्त निरीक्षण की व्यवस्था करें तथा विचार विमर्श के बाद हम इस सम्बन्ध में भरसक प्रयत्न करेंगे।

गंडक परियोजना से उत्तर प्रदेश की साढ़े तीन लाख एकड़ भूमि तथा बिहार के बिना बाढ़ के क्षेत्र की सिंचाई होती है। बिहार का बहुत-सा क्षेत्र बाढ़ ग्रस्त है पर कुछ क्षेत्र उससे बचा हुआ है। उस क्षेत्र में नहरें बनाने के लिए चौथी योजना में 70 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है तथा यह परियोजना अगले तीन-चार साल में पूरी हो जायेगी।

पश्चिम कोसी नहर परियोजना के द्वारा हनुमान नगर बांध से लेकर 7 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होगी। पहला 22 मील का क्षेत्र नेपाल से होकर गुजरता है तथा उसके लिए हमें नेपाल नरेश से अनुमति लेनी होगी, जो आशा है मिल जायेगी। अनुमति न मिलने की दशा में हम अन्य दो वैकल्पिक उपायों पर विचार कर रहे हैं जिनमें से एक है डागमारा पर बांध बनाकर नहर निकालना। इससे सिंचाई के क्षेत्र में कमी तो अवश्य होगी, खर्चा भी अधिक आयेगा पर मजबूरी में करना ही पड़ेगा। दूसरे विकल्प के रूप में हम बिहार में भूगर्भ जल का उपयोग सिंचाई के लिए करेंगे, जो कि वहां काफी ऊंचाई पर है। इससे जलरोध की समस्या भी हल हो जायेगी। इसके सम्बन्ध में मलकानबाड़ी क्षेत्र में एक मार्गदर्शी योजना पहले ही से विचाराधीन है।

थन्निरमुखम परियोजना का जिक्र किया गया है। सत्यता यह है कि इस परियोजना पर बहुत ही ठीक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

केरल में समुद्र से होने वाले कटाव की समस्या बड़ी ही महत्वपूर्ण है। इसे रोकना हमारे राष्ट्र के हित के लिए बहुत ही आवश्यक है। इस समय हमारा 200 मील तटीय क्षेत्र है। 40 मील का प्रबन्ध हम कर चुके हैं। अभी भी बहुत क्षेत्र बाकी है। इसके लिए 5 करोड़ रुपया रखा गया है।

यह शिकायत की गई है कि मध्य प्रदेश को आन्ध्र प्रदेश की तुलना में बहुत कम बिजली दी गई है। यह गलत है क्योंकि मध्य प्रदेश में इस समय 772 मैगावाट बिजली है जबकि आन्ध्र प्रदेश के पास 625 मैगावाट। 772 में से मध्य प्रदेश पर 200 मैगावाट बिजली फालतू है। प्रति व्यक्ति बिजली की खपत भी मध्य प्रदेश में आन्ध्र प्रदेश की तुलना में 51.47 किलोवाट है।

यह भी कहा गया कि मध्य प्रदेश को नदी घाटी योजनाओं के लिए सहायता नहीं दी गई। केन्द्रीय सहायता पूरी योजना के लिए दी जाती है। बड़ी योजना के लिए अधिक राशि दी जाती है। राज्य सरकारों को धनराशि किसी सूत्र के आधार पर दी जाती है। वह किसी राज्य की इच्छा के अनुसार नहीं दी जाती। अतः इस प्रकार की शिकायत करना सर्वथा निराधार है।

मरजू परियोजना एक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है, जिसके पूरा होने पर पूरे उत्तर प्रदेश की काया ही पलट जायेगी। इस पर काम शुरू हो गया है। इस सम्बन्ध में हम उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री से बात कर रहे हैं कि वह इसके लिए और धन दें, जिससे यह परियोजना यथाशीघ्र पूरी हो जाये।

महाराष्ट्र की परियोजनाओं को मंजूरी देने की बात कही गई, अपर ताप्ती परियोजना को मंजूरी दे दी गई है तथा अपर वर्धा और अपर पेनगंगा परियोजनाओं को तकनीकी तौर पर मंजूरी दे दी गई है। मंजूर की गई इन परियोजनाओं के लिए 250 करोड़ रुपये की राशि दी गई है। इसमें से 120 करोड़ की राशि इस योजना में दी जायेगी। अतः ये परियोजनाएं दो योजनाओं में पूरी होंगी।

प्रत्येक राज्य ने 1000 करोड़ रुपये की परियोजना भेजी है तथा केन्द्रीय जाल विद्युत आयोग से इनकी मंजूरी का इन्तजार है। कठिनाई यह है कि योजना ने यह नियम बना रखा है कि जब तक परियोजनाओं सम्बन्धी संसाधन नहीं होंगे मंजूरी नहीं दी जायेगी। केवल मंजूरी से ही काम चलने वाला नहीं है उनके लिए राज्य द्वारा कुछ न कुछ किया जाना आवश्यक है।

कुछ लघु परियोजनाओं का भी उल्लेख किया गया है। परन्तु इन परियोजनाओं को मंजूरी राज्यों द्वारा दी जाती है। परियोजनाओं के सम्बन्ध में केन्द्र की अपेक्षा राज्यों में अधिक विवाद है। हम भरसक इन योजनाओं को पूरा करने का प्रयत्न करेंगे। जहां तक उत्तर प्रदेश की कोयला परियोजना का सवाल है, यह एक महत्वपूर्ण योजना है। पानी की कमी के कारण कुछ परियोजनाओं पर काम नहीं हो रहा है, इसलिए हमें उपनदियों पर बांध बनाकर कोयला में पानी की कमी को पूरा करना चाहिए। इसलिए हमने इसे दो अवस्थाओं में पूरा करने का सुझाव राज्य सरकार को दिया तथा बाद में वह उसमें नहर आदि बना कर 3 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई कर सकते हैं। इसमें पहली अवस्था में 10 करोड़ रुपये लगेंगे तथा और 10 करोड़ मिलने पर यह उत्तरी कोयला के बहुत अच्छा रहेगा।

भारत में बिजली की स्थापित क्षमता 150 लाख किलोवाट है जो बहुत ही अपर्याप्त है। देश की उन्नति के लिए प्रतिव्यक्ति 300 यूनिट बिजली होनी चाहिए जबकि हमारे यहां है केवल 80 यूनिट। इसके लिए हमें पुरस्थापित क्षमता तिगुनी करनी पड़ेगी। अतः हम अभी बहुत पीछे हैं और हमें उसे पाने का प्रयत्न करना चाहिए।

निस्सन्देह हमारे जैसे बड़े देश में केन्द्रीय उत्पादन आवश्यक है। हमने इस वर्ष तीन परियोजनाओं अर्थात जम्मू और कश्मीर में सलाल परियोजना, हिमाचल प्रदेश में सियूल परियोजना और मणिपुर में लोकतक परियोजना की मंजूरी के साथ केन्द्रीय उत्पादन प्रारम्भ कर दिया है। ये सभी परियोजनाएं पूरी होने वाली हैं।

उत्तरी गुजरात का बिजली-घर विवाद का विषय है और मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता। हमें देखना यह है कि गुजरात के लिये बिजली की आवश्यकता है क्योंकि यह उन राज्यों में से है जहाँ बिजली का उपयोग अधिक तेजी से किया जाता है।

एक शिकायत यह की गयी है कि गुजरात में किसानों को केवल रात्रि में बिजली दी जाती है, यह समस्या तभी तक थी जब तक कि संचारण उप-केन्द्र पूरा नहीं हुआ था। उत्तरी गुजरात में केवल एक उपकेन्द्र था, जिस पर बहुत भार था इसीलिये बिजली की सप्लाई अलग-अलग स्थानों पर

भिन्न-भिन्न समय पर दी । अब इसी कठिनाई को दूर कर दिया गया है और अब कोई प्रतिबन्ध नहीं है बात केवल यह है कि रात्रि में बिजली कम दरों पर दी जाती है, इसलिये कुछ किसान रात्रि में बिजली लेना चाहते हैं, यह नहीं कि किसी प्रतिबन्ध के कारण वे ऐसा करते हैं ।

कुछ सदस्यों ने यह शिकायत की है कि वोल्टेज नीचे जा रही है । इस विषय में उचित कार्य-वाही की जाय । मैं इस समस्या पर विचार कर रहा हूं । जैसे-जैसे हमारी बिजली की क्षमता बढ़ती है हमें उसकी ओर अधिकाधिक ध्यान देना होगा । हम विशेषज्ञों की एक समिति बनाने पर विचार कर रहे हैं ताकि वे विभिन्न विद्युत केन्द्र में जाकर उनके रख-रखाव, बिजली चालकों के प्रशिक्षण इत्यादि बातों पर विचार करें जिससे बिजली घरों में ब्रेक डाउन कम हो मैं ऐसा एक प्रस्ताव बिजली-बोर्ड तथा सम्बन्धित मंत्रियों के समक्ष रखने जा रहा हूं और उनकी सहमति से समिति नियुक्त की जायगी ।

विद्युत-केन्द्रों को बनाने के सम्बन्ध में कुछ विलम्ब हुआ है इसलिये हम यह चाहते हैं कि केन्द्रीय-जल और विद्युत-आयोग के सदस्यों को राज्यों के एक समूह लिये उत्तरदाई बनाया जाय ताकि विदेशी मुद्रा तथा कठिनाइयां सामने न आयें और केन्द्रों के बनाने में विलम्ब न हो ।

ग्रामीण-विद्युतीकरण का विस्तार हो रहा है । इसके फलस्वरूप कुल सेवा यूनिटों की अधिकाधिक आवश्यकता बढ़ रही है । मोटरों और पम्पों आदि की मरम्मत के लिये कुछ दस्ते होने चाहियें । मरम्मत के लिये दरें निर्धारित की जानी चाहिये । यदि ऐसा नहीं किया गया तो 3-4 रुपये के कार्य के लिये कोई 30 रुपये लेगा, तो कोई 40 रुपये लेगा । इसलिये हम राज्य विद्युत बोर्ड के सहयोग से इस कार्य को पूरा करने के लिये फ्लाइंग स्काड को व्यवस्था करने का प्रयास कर रहे हैं ।

जब तक सिंचाई तथा बिजली के क्षेत्र में विकास नहीं दिया जायगा, देश शक्तिशाली नहीं हो सकता । इन दोनों क्षेत्रों के विकास के साथ ही हमारे जीवन-स्तर में भी सुधार होगा ।

श्री एस० कन्डप्पन (मैटूर) : आप सभी कटौती प्रस्तावों को सदन के मतदान के लिये रख सकते हैं ।

सभापति महोदय : क्या सभी कटौती प्रस्ताव एक साथ रखे जायेंगे ?

श्री शिवचन्द्र झा (मधुबनी) : कटौती संख्या 30 को अलग से मतदान के लिए रखा जाय ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय" शीर्षक के अन्तर्गत मांग की घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय ।"

लोकसभा में मत-विभाजन हुआ :

पक्ष में	8	**विपक्ष में**	106
Ayes	8	Noes	106

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

The Motion was Negatived.

सभापति महोदय द्वारा अन्य सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुये ।

All the other cut motions were put and negatived.

सभापति महोदय द्वारा सिंचाई और बिजली-मन्त्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गयीं तथा स्वीकृत हुईं ।

The following demands in respect of the Ministry of Irrigation and Power were put and adopted.

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
64	सिंचाई और बिजली	37,39,000
65	बहुप्रयोजनी नदी योजनायें	2,65,56,000
66	सिंचाई और बिजली मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	8,49,88,000
125	बहुप्रयोजनी नदी योजनाओं पर पूंजी व्यय	16,71,43,000
126	सिंचाई और बिजली मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय	21,27,25,000

वैदेशिक-व्यापार मन्त्रालय

सभापति महोदय : अब सदन में वैदेशिक व्यापार मंत्रालय की मांग संख्या 34,35,36 और 117 चर्चा और मतदान के लिये ली जायेंगी ।

वर्ष 1970 71 के लिये वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गई :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
34	विदेश व्यापार मंत्रालय	44,17,000
35	विदेश व्यापार	70,65,55,000
36	विदेश व्यापार मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	6,39,70,000
117	विदेश मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	21,97,000

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
34	3.	**श्री पी० विश्वम्भरन**	: नारियल जटा तथा नारियल जटा से बनी वस्तुओं के निर्यात में कमी को रोकना ।	100 रुपये
34	4.	**श्री पी० विश्वम्भरन**	: केरल सरकार द्वारा उस राज्य में नारियल जटा के उद्योग के विकास के लिए पेश की गयी 15 करोड़ की योजना को केन्द्र द्वारा समर्पित योजना के रूप में स्वीकृत करने की आवश्यकता ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
34	5.	**श्री पी० विश्वम्भरन** :	नारियल की भूसी को मुलायम करने के लिए लाइसेंस फीस में कमी करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
34	6.	**श्री पी०विश्वम्भरन** :	नारियल जटा के धागे पर निर्यात शुल्क समाप्त करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
34	7.	**श्री पी० विश्वम्भरन** :	नारियल जटा से बनी वस्तुओं पर निर्यात शुल्क समाप्त करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
34	8.	**श्री पी० विश्वम्भरन** :	नारियल की जटा से बनी वस्तुओं के लिए नयी निर्यात प्रोत्साहन योजनाएं शुरू करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
34	9.	**श्री पी० विश्वरभरन** :	समुद्र से प्राप्त वस्तुओं के निर्यात के लिए निर्यात प्रोत्साहन योजनाएं शुरू करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
34	11.	**श्री यशवन्त सिंह कुशवाह** :	विदेश व्यापार मंत्रालय का अकुशल कार्यचालन ।	100 रुपये
35	12.	**श्री यशवन्त सिंह कुशवाह** :	इजराइल के साथ व्यापार सम्बन्ध न बढ़ाने पर जोर देना ।	100 रुपये
34	14.	**श्री यशपाल सिंह** :	गायों, भैंसों तथा बछड़ों के चमड़े के निर्यात पर रोक लगाने में असफलता ।	100 रुपये
34	21.	**श्री वेणी शंकर शर्मा** :	अपने निर्यात व्यापार को विकासशील अफ्रीकी तथा अन्य एशियाई देशों की ओर मोड़ने की आवश्यकता ।	100 रुपये
34	22.	**श्री वेणी शंकर शर्मा** :	विदेशों से रुई का आयात बन्द करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
34	23.	**श्री वेणी शंकर शर्मा** :	पाकिस्तान से प्रतियोगिता और शंश्लिष्ट किस्मों के बाहुल्य का मुकाबला करने के लिए पटसन के कालीन-तलों पर निर्यात-शुल्क समाप्त करने या उसे काफी कम करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
34	24.	**श्री वेणी शंकर शर्मा** :	पश्चिमी बंगाल की पटसन मिलों का आधुनिकीकरण न करना ।	100 रुपये

मांग संख्या	क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
34	25	**श्री वेणी शंकर शर्मा** :	निर्यात-मंडी में पटसन उद्योग के प्रमुख स्थान को बनाए रखने हेतु मार्गोपाय निकालने की आवश्यकता ।	100 रुपये
34	26	**श्री वेणी शंकर शर्मा** :	पूरा-पूरा उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए अलाभकारी मिलों को दूसरी मिलों के साथ मिलाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
34	27	**श्री वेणी शंकर शर्मा** :	चाय पर से निर्यात शुल्क हटाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
34	28	**श्री वेणी शंकर शर्मा** :	भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों का निर्यात न बढ़ाना जिनकी विदेशों में बिक्री की काफी सम्भावनाएं हैं ।	100 रुपये
34	29	**श्री वेणी शंकर शर्मा** :	रेशमी कपड़े का निर्यात बढ़ाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
35	30	**श्री वेणी शंकर शर्मा** :	रुपयों में भुगतान के आधार पर अभरक का निर्यात ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये
35	31	**श्री वेणी शंकर शर्मा** :	तांबे का आयात घटाने में असफलता ।	,,
35	32	**श्री वेणी शंकर शर्मा** :	तम्बाकू का निर्यात, विशेषकर आंध्र में पैदा होने वाली किस्म का, जिसका भंडार जमा हो रहा है, बढ़ाने में असफलता ।	100 रुपये
35	33	**श्री वेणी शंकर शर्मा** : :	इंजीनियरी सामान का निर्यात, विशेषकर अविकसित और विकासशील देशों को बढ़ाने और इसके लिए प्रोत्साहन देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
35	34	**श्री वेणी शंकर शर्मा** :	हमारी फालतू चीनी के लिए और विदेशी मंडियां ढूंढ़ने की आवश्यकता ।	100 रुपये
34	35	**श्री लखन लाल कपूर** :	जूट, चाय तम्बाकू, समुद्री उत्पादों तथा काजू के निर्यात में वृद्धि करने में असफलता ।	राशि घटा-कर 1 रुपया कर दी जाये
34	36	**श्री लखन लाल कपूर** :	विभिन्न निर्यात परिषदों और निर्यात संगठनों को मिलाकर एक बोर्ड न बनाना ।	,,

मांग संख्या	क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
34	37	**श्री लखन लाल कपूर** :	विभिन्न निगमों को सलाह देने के लिये केवल एक सलाहकार बोर्ड गठित करने में असफलता ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाय
34	38	**श्री पी० के० वासुदेवन नायर** :	मूल्यवान विदेशी मुद्रा बचाने के उद्देश्य से आयात प्रतिस्थापन की नीति अपनाने में असफलता ।	,,
34	39	**श्री पी० के० वासुदेवन नायर** :	कम मूल्य और अधिक मूल्य के बीजक बनाने की बुरी प्रथा को समाप्त करने के लिए प्रभावी कदम उठाने में असफलता ।	,,
34	40	**श्री पी० के० वासुदेवन नायर** :	व्यापार को परम्परागत क्षेत्रों में वास्तविक रूप से फैलाने में असफलता ।	,,
34	41	**श्री पी० के० वासुदेवन नायर** :	हाल ही में स्वतंत्र हुए एशियाई, अफ्रीकी तथा लैटिन अमरीकी देशों के साथ अच्छे व्यापार सम्बन्धों का विकास करने में असफलता ।	,,
34	42	**श्री पी० के० वासुदेवन नायर** :	सीमा शुल्क अवरोधों तथा अन्य भेद-भावपूर्ण प्रथाओं से कुछ विकसित देशों की चुनौती को स्वीकार करने के लिये सशक्त नीति का विकास करने में असफलता ।	,,
34	43	**श्री पी० के० वासुदेवन नायर** :	आयात निर्यात व्यापार के राष्ट्रीयकरण की नीति लागू करने में असफलता ।	,,
34	44	**श्री ओम प्रकाश त्यागी** :	राज्य व्यापार निगम द्वारा आयातित माल पर नियंत्रण का अभाव ।	100 रुपये
34	45	**श्री ओम प्रकाश त्यागी** :	गाय और गाय के बछड़ों के चमड़े के निर्यात पर रोक लगाने में असफलता ।	100 रुपये
34	46	**श्री ओम प्रकाश त्यागी** :	इस्राइल तथा ताइवान के साथ बढ़ते हुए व्यापार सम्बन्धों के प्रति उपेक्षा ।	100 रुपये

मांग संख्या	क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
34	47	**श्री ओम प्रकाश त्यागी**	: राज्य व्यापार निगम के अधिकारियों द्वारा किये जाने वाले अत्यधिक व्यय को रोकने में असफलता ।	100 रुपये
34	48	**श्री ओम प्रकाश त्यागी**	: दक्षिणी अमरीका तथा अफ्रीकी देशों में भारतीय खाद्य पदार्थ प्रचलित करने में असफलता ।	100 रुपये
34	49	**श्री ओम प्रकाश त्यागी**	: भारतीय निर्यात योग्य माल की किस्म को सुधारने तथा उसको विदेशों में लोकप्रिय बनाने में असफलता ।	100 रुपये
34	50	**श्री ओम प्रकाश त्यागी**	: विदेशों में भारतीय उत्पाद के विज्ञापन तथा प्रदर्शन के लिए व्यवस्था का अभाव ।	100 रुपये
34	51	**श्री ओम प्रकाश त्यागी**	: भारतीय निर्यात व्यापार को सोवियत संघ तथा कुछ अन्य देशों तक ही सीमित रखना ।	100 रुपये
34	52	**श्री लखन लाल कपूर**	: निर्यात को शीघ्र प्रोत्साहन देने में असफलता ।	100 रुपये
34	53	**श्री लखन लाल कपूर**	: निर्यात उत्पादन बढ़ाने के लिए पर्याप्त सुविधाएं न देना ।	100 रुपये
34	54	**श्री लखन लाल कपूर**	: निर्यात प्रोत्साहन सेवा का पुनरुद्धार करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
34	55	**श्री लखन लाल कपूर**	: आयात-निर्यात के मुख्य नियंत्रक के दिल्ली स्थित कार्यालय के कार्य-चालन में धीमी प्रगति और अयोग्यता ।	100 रुपये
34	56	**श्री लखन लाल कपूर**	: विदेश व्यापार मंत्रालय को और विभाजित करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
34	57	**श्री लखन लाल कपूर**	: अधिक वस्तु बोर्डों की स्थापना की आवश्यकता ।	100 रुपये
35	58	**श्री पी० के० वासुदेवन नायर**	: निर्मित नारियल जटा, माल के भाड़े दर को कम करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
35	59	**श्री पी० के० वासुदेवन नायर**	: यूरोपीयन आर्थिक समुदाय के देशों तथा ब्रिटेन द्वारा लगाए गए भेदभावपूर्ण	

मांग संख्या	क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
			सीमा शुल्क की सीमा को हटाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
35	60	**श्री पी० के० वासुदेवन नायर**	: निर्यात को बढ़ाने के लिए समुद्र खाद्य उत्पाद उद्योग को अधिक प्रोत्साहन देय की आवश्यकता ।	100 रुपये
35	61	**श्री पी० के० वासुदेवन नायर**	: नारियल जटा रेशे तथा नारियल के माल पर निर्यात शुल्क समाप्त करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
35	62	**श्री पी० के० वासुदेवन नायर**	: कुछ सरकारी अभिकरणों द्वारा ही कच्चे काजू का आयात करने की योजना सम्बन्धी निर्णय को शीघ्र कार्यान्वित करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
35	63	**श्री पी० के० वासुदवन नायर**	: केरल काजू विकास निगम को कच्चे काजू के वितरण तथा आयात के साथ सहयोजित करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
36	64	**श्री पी० के० वासुदेवन नायर**	: टैरिफ आयोग के प्रतिवेदन के आधार पर भारतीय प्राकृतिक रबड़ का लाभकारी मूल्य निर्धारित करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
36	65	**श्री पी० के० वासुदेवन नायर**	: रबड़ के आयात के सम्बन्ध में सही नीति का विकास करने की आवश्यकता ।	
36	66	**श्री पी० के० वासुदेवन नायर**	: चाय बोर्ड फिर से बागान लगाने के लिये प्रोत्साहन दिये जाने के बावजूद विदेशी बागानों द्वारा चाय बागानों की उपेक्षा ।	100 रुपये
36	67	**श्री पी० के० वासुदेवन नायर**	: केरल सरकार दारा प्रस्तावित नारियल जटा विकास योजना के क्रियान्वयन के लिए वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता ।	100 रुपये

श्री कमलनयन बजाज (वर्धा) : यह सम्भव है कि विदेश व्यापार मन्त्रालय का कार्य अन्य मन्त्रालयों की अपेक्षा कुछ अच्छा है, परन्तु निर्णय लेने तथा उनको क्रियान्वित करने में विलम्ब होता है जिसका परिणाम यह निकलता है कि अपेक्षित फल की प्राप्ति नहीं हो पाती है।

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री पीठासीन हुए ।]

Shri Prakash Vir Shastri in the Chair.

उदाहरणार्थ, विदेश में भारतीय विनियोजन को पूरा करने के लिये गारन्टी की योजना के सम्बन्ध में जो समिति नियुक्त की गयी थी उसने दिसम्बर 1967 में सर्वसम्मति से अपना एक प्रतिवेदन पेश किया था । दो वर्ष से अधिक हो गये हैं परन्तु इस प्रतिवेदन पर क्या निर्णय लिया गया उसके बारे में अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है । ऐसे महत्वपूर्ण कार्य में इस प्रकार के विलम्ब से विदेशी सहयोग नहीं मिल पाता है । जहां तक निर्यात क्षमता को बढ़ाने का प्रश्न है सरकार ने दन्त समिति के विषय में 18 फरवरी को अपना निर्णय घोषित किया था, और यह संकेत दिया गया था कि निर्यात उत्पादन को प्राथमिकता दी जायगी । 31 मार्च को आयात नीति की घोषणा की गयी और यह भी कहा गया कि इसके लिये नीति एवं प्रक्रिया निश्चित की जा रही है, परन्तु अभी तक कुछ नहीं हो पाया है । ऐसी बातों से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के उत्पादन में बाधा पड़ती है और जो व्यक्ति अपने माल का निर्यात करते हैं उन्हें इसके सम्बन्ध में नीति एवं प्रक्रिया का ज्ञान ही नहीं होता । ऐसे मामलों में देरी नहीं होनी चाहिये क्योंकि इससे बहुत हानि होती है ।

लगभग दो वर्ष पूर्व सरकार ने अपनी अच्छा प्रकट की थी कि निर्यात नीति के सम्बन्ध में भी एक संकल्प पेश किया जाय जिस प्रकार औद्योगिक नीति के सम्बन्ध में संकल्प बनाया गया है । परन्तु इस सम्बन्ध में भी अभी तक कुछ नहीं किया गया है । ये विलम्ब इस प्रकार के हैं कि न तो निर्णय लिये जाते हैं और न ही समय की ओर ध्यान दिया जाता है और हमें निर्यात में हानि होती है ।

अनेक प्रकार के अध्ययन करने के लिये अमरीकी सहायता संघ से हमें वित्तीय सहायता मिली है । ये अध्ययन किये गये हैं और इनके प्रतिवेदन मन्त्रालयों में पेश किये गये है । किन्तु इन समितियों की सिफारिशों या निष्कर्षों पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है । सरकार इस मामले की जांच कराये ।

निर्यात शुल्क के सम्बन्ध में सरकार की नीति स्पष्ट नहीं है । साधारणतया निर्यात शुल्क को राजस्व का साधन नहीं बनाना चाहिये क्योंकि यदि कम्पनियां या उद्योगों से अधिक निर्यात किया जाता है और इन्हें कुल लाभ होता है तो कम्पनियों के उस लाभ पर कर लगाया जाना चाहिये जिससे सरकार को आय होगी । यदि माल पर निर्यात शुल्क लगाया जाता है तो इससे निर्यात में अनावश्यक कम से बाधा पड़ेगी । इसलिये निर्यात शुल्क से आय के लालच को हटाना चाहिये । जो कच्चा माल निर्यात किया जाता है यदि उस पर संरक्षण शुल्क लगा दिया जाय तो यह हमारे देश में ही खपेगा और इससे देश के उपयोग तथा निर्यात के लिये उत्तम वस्तुओं का निर्माण किया जा सकेगा । इस प्रकार की वस्तुओं पर निर्यात शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिये क्योंकि हमें अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा की स्थिति का सामना करना है ।

इसके अतिरिक्त जब कम्पनियों पर कर लगाते हैं तो निर्यात शुल्क न लगाने के कारण जो हानि होती है, किसी सीमा तक उसकी पूर्ति की जा सकती है। इससे लाभ यह होगा कि लोगों को अधिक रोजगार दिया जा सकेगा, अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकेगी, माल में लागत कम आने से दरें सस्ती होंगी।

1961 से 1968 तक के विश्व निर्यात आंकड़ों को देखने से ज्ञात होता है कि जहां समस्त विश्व निर्यात में इस अवधि में 79.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, हमारे निर्यात में केवल 26.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। दूसरी ओर कुल विश्व निर्यात में हमारा शेयर 1.2 प्रतिशत से घटकर 0.8 प्रतिशत रह गया है। देश के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिये कदम उठाये जाने चाहिये क्योंकि हमारे निर्यात में इतनी वृद्धि नहीं हो रही है जितनी कि होनी चाहियें।

वित्तीय वर्ष 1969-70 तक में हमारे निर्यात में 1968-69 की अपेक्षा 60 करोड़ रुपये की वृद्धि हो सकती है, परन्तु यह सन्तोषजनक नहीं है।

1969-70 तक इसका 1420 करोड़ रुपये हो सकने का अनुमान है—इस प्रकार से यह वृद्धि दर प्रतिवर्ष 2 प्रतिशत से भी कम है।

श्री एस० आर० दामानी (शोलापुर) : क्या उन्होंने मन्दी और मानसून के नहीं आने पर कोई विचार किया है ?

श्री कमलनयन बजाज : परन्तु मन्दी कई वर्षों तक नहीं रहती है।

जब कि हमारा विस्तार का लक्ष्य 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष था हमने 2 प्रतिशत ही प्राप्त किया है।

स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व तथा बाद में हमारे लोकप्रिय नेता स्व० जवाहर लाल नेहरू तथा अन्य नेताओं ने महसूस किया कि बहुत से देश ऐसे हैं जो स्वतन्त्र नहीं हैं तथा दबाये हुये हैं और दूसरों पर आश्रित हैं। उन देशों का विकास करने के लिये उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जानी चाहिये जो आर्थिक विकास के क्षेत्र में उस स्तर तक नहीं पहुंचे हैं जिस स्तर तक हम पहुंच गये हैं। सौभाग्यवश हम आर्थिक क्षेत्र में विकसित तथा आगे बढ़े हुये हैं। अतः यह वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय का कार्य है कि वह वित्त एवं औद्योगिक विकास मन्त्रालयों के साथ मिल कर अफ्रीका, पश्चिम तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया में जहां आवश्यकता हो वहां पर उद्योग धन्धे प्रारम्भ करने की एक व्यापक योजना बनाये।

आज बड़े व्यापारियों को तो बहुत सी सुविधायें प्रदान की हुई हैं जो कि विदेशों में भी व्यापार कर सकते हैं। छोटे उद्योगपति विदेशों में व्यापार नहीं कर सकते हैं। वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय को उन अर्द्ध-विकसित देशों का सर्वेक्षण करके एक कार्यक्रम बनाना चाहिये जिसके अनुसार वे उद्योगपतियों को इस बात का आश्वासन दें कि वे उन देशों में एक दर्जन चीनी के कारखाने, सीमेंट के कारखाने तथा कपड़ा मिलें प्रारम्भ करेंगे तथा उन उद्योगों को प्रारम्भ करने के लिये उन्हें सुविधा दी जायेगी जो व्यक्ति इन सुविधाओं से लाभ उठाना चाहेंगे। इस सम्बन्ध में उन्हें गारन्टी दी जानी जाहिये कि किसी भी सैनिक अथवा राजनैतिक कारण से इनके द्वारा लगाई गई पूंजी खोई नहीं जायेगी।

यदि इस प्रकार की कोई व्यापक योजना हो तो उससे हमें काफी मदद मिल सकती है। हम उन देशों में कई कारखाने खोल सकते हैं। पूँजीगत सामान उत्पादित कर उसका निर्यात कर सकते हैं तथा विदेशों में अपनी साख कमा सकते हैं। अब तक हमारी जो योजनायें हैं वे पूरी क्षमता से कार्य नहीं कर रही हैं क्योंकि उनके लिये मण्डियां नहीं हैं। ऐसी योजना से हम पुर्जे बना कर अलग बाजार रख सकते हैं तथा तकनीकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

इस के साथ-साथ हम विदेशों में अपने व्यापारियों से वाणिज्य पर एक स्वतन्त्र गुप्तचर सेवा भी प्राप्त कर सकते हैं जिससे हमारी विदेश नीति निर्धारण में भी सहायता मिलेगी। ऐसा किये जाने पर हमें अब तक सरकारी एजेन्सियों से जो प्रतिवेदन प्राप्त होता है उस प्रतिवेदन को हमारे विदेशों में व्यापार कर रहे व्यापारियों द्वारा भेजे गये प्रतिवेदन से मिला सकते हैं तथा विदेशों में हमारे व्यापारियों एवं सामान्य लोगों की प्रतिक्रिया को ध्यान में रख कर विदेश नीति निर्धारित कर सकते हैं। दूतावासों से जो प्रतिवेदन प्राप्त होते हैं वे पर्याप्त नहीं होते हैं क्योंकि वहां के कर्मचारी व्यापार के आदी नहीं होते हैं। अतः सरकार को ऐसे व्यापारियों को इस सेवा के लिये जिसे राष्ट्रीय सेवा कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, तीन से पांच वर्ष तक की अवधि के लिये नियुक्ति करें। यदि ऐसे व्यापारियों को हमारे दूतावासों के साथ लगाया जाये तो निःसन्देह हमारा निर्यात बढ़ेगा। उसके लिये हमारे पास पर्याप्त संसाधन भी हैं।

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय के 1969-70 के प्रतिवेदन के पृष्ठ 29 पर बताया गया है कि दिसम्बर, 1969 के अन्त तक भारत सरकार ने 30 परियोजनाओं को अनुमोदित किया जिनमें से 6 परियोजना में पुनः विलोकन के वर्ष की भी हैं। यह बात तो विदेशों में परियोजनाओं के बारे में हुई। सरकार ने पूरे वर्ष में केवल 6 परियोजनाओं को अनुमोदित किया है। अब तक कुल 17 परियोजनाओं का कार्य पूरा हो चुका है। इससे स्पष्ट है कि विदेशों में हम किस गति से कार्य कर रहे हैं। इन 17 परियोजनाओं को आधा दर्जन से अधिक पक्षों ने ही पूरा किया। मैं उनके पक्षों के विरुद्ध कुछ नहीं कहता हूं बल्कि उनकी राष्ट्रीय सेवा के लिये प्रशंसा ही करता हूं। सरकार के मार्ग दर्शन में वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय को वैदेशिक कार्य मन्त्रालय के साथ मिल कर विदेशों में छोटे-बड़े कारखाने खोलने की नीति निर्धारित करनी चाहिये। जब तक ऐसी कोई नीति निर्धारित नही की जायेगी तब तक हम अपने पड़ोसी देशों की सद्भावना प्राप्त नहीं कर सकते हैं जो हमारे लिये महत्त्वपूर्ण है। मैं अर्ध-विकसित देशों को विकसित करने का सुझाव किसी शोषण करने की धारणा से नहीं दे रहा हूं बल्कि उससे हमें सामान तथा तकनीकी जानकारी का निर्यात करने में मदद मिलेगी।

साल डेढ़ साल पहले बाजार-वस्तुओं की कीमतों में भारी गिरावट आई थी परन्तु उनकी अन्तर्राष्ट्रीय कमी के कारण कीमतें बढ़ गईं। बहुत से उद्योगपति विदेशी बाजार में एक संविदे के अनुसार एक दूसरे के प्रति दायी हो गये परिणामस्वरूप कीमतें बढ़ गईं। जब उन्होंने संविदे के अनुसार दायित्व लिया था तो उन्हें भारत सरकार की यह अनुमति प्राप्त थी कि यदि कच्चे माल की आवश्यकता पड़ेगी तो सरकारी उपक्रमों से दे दिया जायेगा। दुर्भाग्य से जितना अधिक माल उत्पादन करने का उन्होंने अनुमान लगाया था उतना कच्चा माल सरकारी उपक्रम नहीं दे सके। जिसके कारण विदेशों में व्यक्तिगत व्यापारिक पक्षों ने संविदे के दायित्व को निरस्त कर दिया। यद्यपि ऐसा करने से प्रत्येक व्यापारी को लाभ अवश्य होना था क्योंकि वह अपना माल यदि बेचता

तो और अधिक कीमत मिलती परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में तो हमारा विश्वास और प्रसिद्धि समाप्त हो जाती है तथा बदनामी होती है। हमारे देश में गृह-सम्बन्धी चाहे कैसी भी कठिनाई आये परन्तु सरकार की अनुमति से किये गये संविदे के दायित्व को अवश्य निभाना चाहिये जिसके अनुसार उन्हें निर्यात करना था। हमारे बहुत सी संविदाओं में मात्रा में कमी कर दी गई अथवा मूल्य बढ़ा दिये गये। विदेशी लोग तो यह समझते हैं कि यदि उन्होंने उसे न माना तो इन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। अतः ऐसे संविदे किये जाने चाहियें ताकि हमारा सम्मान विदेशों में कायम रखा जा सके।

जब कोई प्रतिनिधि किसी उद्योग अथवा एसोशियेशन का प्रतिनिधित्व करने मन्त्रियों के पास आता है तो मन्त्रिगण उन्हें सब के सामने एक ही बात कहते हैं और निजी रूप में मिलने पर कोई अन्य बात कहते हैं। ऐसे व्यक्तियों की मन्त्री महोदय किसी बात को सुनने की अपेक्षा लिखित रूप में देने को कहें ताकि सबके सामने उनका भण्डा-फोड़ तो किया जा सके एवं एसोशियेशन उन्हें खारिज कर सके। यह बात राष्ट्रहित में नहीं है कि मन्त्री जी उसकी बात निजी तौर पर सुनते हैं।

मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि राज्य व्यापार निगम की व्यापार प्रणाली में कुछ सुधार हुआ है। जब सरकार द्वारा उद्योगों को चलाने के लिये आवश्यक वस्तुओं के आयात पर ही प्रतिबंध लगा दिया जाता है तो लाल फीताशाही तथा नौकरशाही जैसी समस्यायें उत्पन्न होती हैं। प्रायः सरकार ठीक प्रकार का जो सामान होता है उसे आयात करने में गलती कर देती है। परिणाम-स्वरूप जो उचित प्रकार का सामान हमें निर्यात के लिये तथा अपने स्वयं के बाजार के लिये चाहिये वह उत्पादित नहीं हो पाता है। इस सम्बन्ध में जो व्यक्ति किसी वस्तु का उत्पादन कर रहे हों उन्हें उनके उद्योग के लिये आवश्यक वस्तुओं का आयात करने के लिये छूट दी जानी चाहिये ताकि उद्योग ठीक प्रकार चलें।

रुई के आयात के सम्बन्ध में पहले यह प्रथा थी कि सूती कपड़ा मिलों के द्वारा जितना उत्पादन किया जाता था उस उत्पादन को आधार मान कर आयातित रुई वितरित की जाती थी परन्तु अब मिलों के तकुओं को आधार मान कर रुई वितरित की जाती है।

वित्त मन्त्रालय ने विदेशों में जाने वाले भारतीय पर्यटकों को कुछ छूट दी है। मन्त्रालय ने बताया है कि 100 डालर जो कि विदेशी मुद्रा में 750 रुपये के बराबर होता है तथा जो रकम ज्यादा भी नहीं है उस रकम से यदि कोई विदेश में चाहे कितने ही दिन रहे तो उसे स्वयं को प्रबंध करना पड़ता है, कोई पूछने वाला नहीं है। कई लोग यह काम कर भी रहे हैं। यदि कोई पकड़ा जाता है तो उसे ही सजा भुगतनी पड़ती है।

सरकार उन्हें काले बाजार में विदेशी मुद्रा खरीदने के लिये क्यों प्रोत्साहित करती है? सरकार को इस सम्बन्ध में दूसरे देशों की तरह एक नीति निर्धारित करनी चाहिये। मुद्रा की दो दरें रखी जा सकती हैं। यदि खुले बाजार में राज सहायता 12 रुपये दी जाती है तो सरकार 10 रुपये अथवा इससे कम अथवा अधिक में बेच सकती है। जो कुछ भी मंजूर किया जाये वह सरकारी दर पर मंजूर किया जाये। यदि रिजर्व बैंक उसे बेचेगा तो सारा धन सरकार के पास जमा होगा। अतः किसी व्यक्ति विशेष को यह गलत काम करने से रोकना चाहिये।

जो सूती कपड़ा मिलें आधुनिक साज-सामान की दृष्टि से बेकार हो गयी हैं, सरकार उनकी देखभाल करती है परन्तु आज जो मिलें काम कर रही हैं, उन्हें भी आधुनिक सामान मिलना चाहिये ताकि वे कल बेकार न हों। चूंकि सूती कपड़ा मिलें निर्यात करतीं हैं अतः उन्हें आपके मन्त्रालय के अधीन रखा जाता है। अतः उन्हें कार्यकुशल बनाने का प्रयास कीजिये अन्यथा जितना भी श्रम, ऋण आदि इन मिलों पर लगाया जाता है, कहीं ऐसा न हो कि मिलें चलाने में ऋण आदि से अधिक घाटा हो जाये।

श्री म० सुदर्शनम (नरसावपेट) : वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों ताईद करते हुये मैं मंत्री महोदय, उपमन्त्री तथा अन्य अधिकारियों को वर्ष भर में जो उपलब्धियां प्राप्त कीं, उसके लिये बधाई देता हूं। जो प्रतिवेदन प्रसारित किया गया है उसके अनुसार वर्ष भर में किये गये अच्छे कार्य प्रमाणित होते हैं। यद्यपि निर्यात विकास में परम्परागत तथा अन्य क्षेत्रों में आश्चर्य-जनक प्रगति हुई है फिर भी अन्य विकसित देशों के स्तर पर आने के लिये और अधिक अच्छी योजना के साथ कार्य करना है।

इस वर्ष निर्यात वृद्धि 4.5 प्रतिशत के हिसाब से हुई। परन्तु गत वर्ष 7 प्रतिशत का औसत रख कर निर्यात वृद्धि 10.5 प्रतिशत थी। योजना के अनुमान से यह सर्वथा उचित है तथा श्री बजाज की समझ के अनुसार यह प्रगति उतनी असंतोषजनक नहीं है। जनवरी, 1970 में अतिरिक्त व्यापार संतुलन था जो कि एक अद्भुत बात है। हमें अपने निर्यात में और अधिक सुधार के लिये बहुत कुछ करना है।

प्रतिवेदन से यह ज्ञात होता है कि मन्त्रालय में अन्य बातों के साथ वैदेशिक व्यापार विकास विंग भी सम्बन्धित हैं। मन्त्रालय के अन्तर्गत आने वाले उद्योगों की देखभाल करने के लिये एक निर्यात उद्योग प्रभाग भी है। वैदेशिक व्यापार नीति का मूलभूत प्रश्न निर्यात बढ़ाने के लिये लाइ-सैंस देने की नीति में पर्याप्त पुर्निर्धारण करने का था। जब यह सरकार एकाधिकारात्मक प्रवृत्ति को नहीं रोक सकती है तो कम से कम औद्योगिक लाइसैंस-नीति में कुछ छूट दी जानी चाहिये जिससे कि आंतरिक मांगों की पूर्ति के लिये अतिरिक्त क्षमता बनाई जा सके। इस तथ्य को पूर्णतया मान्यता दी जानी चाहिये ताकि निर्यात उत्पादन, उसका विस्तार, आधुनिकीकरण आदि को उच्चतम प्राथमिकता मिले। मेरा विचार है कि सरकार का विचार एक निर्यात व्यापार विकास एजेन्सी स्था-पित करने का है। मद्रास में इसी महीने 5 तारीख को हुये निर्यात करने वालों की क्लब की बैठक में श्री भगत ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। मेरे विचार से तो यह एक अच्छा प्रस्ताव है फिर भी मैं निश्चयपूर्वक नहीं कह सकता हूं कि इस वर्तमान अवस्था के अन्तर्गत निर्यात करने वालों को बाजार, शोध तथा विकास तथा वित्तीय परामर्श के सम्बन्ध में कोई सहायता मिलेगी। इस नयी एजेन्सी की स्थापना से शायद कार्य में क्रियाशीलता आ जाये। यदि इस एजेन्सी ने निर्यात वृद्धि के लिये बाजार तथा उत्पादन दोनों ही क्षेत्रों में अच्छा कार्य किया तो यह अपना कार्य और अधिक अच्छी तरह से पूरा करेगी।

अमरीकी सहायता से विभिन्न वस्तुओं पर नौ बार किये गये अध्ययन पूरे हो चुके हैं जो कि हमारे निर्यात के प्रयास में महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं। दुर्भाग्यवश इसे क्रियान्वित करने का कार्य इस प्रकार का नहीं है जैसा इसे होना चाहिये। इस बात का भी कोई उपयोग है कि बिना किसी

ठोस परिणाम निकाले ही लम्बे-लम्बे प्रतिवेदन तैयार किये जाते हैं तथा डेटा एकत्रित किये जाते हैं । मैं चाहूंगा कि इन अध्ययनों में जो सिफारिशें की गई हैं उन्हें क्रियान्वित करने के लिये निर्यात व्यापार विकास एजेन्सी द्वारा जांच लिया जाना चाहिये ।

व्यापार बोर्ड द्वारा कुछ वर्ष पूर्व निर्यात नीति संकल्प जारी करने पर चर्चा की गई थी । यह प्रश्न समय-समय पर सरकार के विचाराधीन था परन्तु मन्त्रालय द्वारा हाल ही में प्रसारित प्रतिवेदन में इस प्रकार की कोई बात नहीं कही गयी है । हमें राष्ट्र को निर्यात की महत्ता समझाने के लिये औद्योगिक नीति संकल्प की तरह निर्यात नीति संकल्प अपनाना चाहिये । यद्यपि देश में समृद्धि के लिये जितना उत्पादन होता है तो उसका उपयोग भी हो जाता है परन्तु निर्यात उत्पादन में वृद्धि के लिये निर्यात नीति संकल्प की आवश्यकता है जिससे उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता को समझा जा सके ।

इस प्रतिवेदन के सातवें अध्याय में अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के बारे में कहा गया है जिनका मन्त्रालय के साथ सीधा सम्बन्ध है । मैंने विदेशों में व्यापारियों से चर्चा के दौरान मालूम किया कि वे अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के समक्ष प्रस्तुत होने वाले विभिन्न वाणिज्य नीति के मामलों पर भारत सरकार का जो विचार है उसकी जानकारी रखते हैं । यह केवल भारत में ही नहीं है अपितु उसी सीमा तक अन्य देशों में भी है । यह जो भूल है जिसमें व्यापारी तथा संसद् सदस्य इन सम्मेलनों से सम्बद्ध हैं उसे दुरुस्त किया जाना चाहिये । इन सम्मेलनों के साथ संसद् सदस्यों तथा व्यापारिक संधियों के सम्बन्धों का गहरा होना महत्त्वपूर्ण विषय है । मुझे अंकटाड द्वितीय में भारतीय शिष्ट मण्डल की ओर से शामिल होने की सुविधा मिली । इससे मुझे अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक संधियों की पेचीदगी समझने में ही सहायता नहीं मिली बल्कि किस प्रकार वास्तविक अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार चलाया जाना चाहिये, उसकी भी जानकारी मिली । इस संदर्भ में मैं प्रतिवेदन में बताये गये अनुसार प्रादेशिक आर्थिक सहयोग के लिये समेकित सिद्धान्त प्रतिपादित करने के लिये जोर दूंगा जिसके अनुसार व्यापारियों पर विश्वास किया जाना चाहिये । वाणिज्य तथा उद्योग और व्यापार संघ मंडल के गहन अनुभव से मैंने पाया है कि बहुत प्रकार के संगठन एक ही समस्या को लेते हैं । भारतीय निर्यात संगठन संघ की तो बात ही क्या है । हमारे पास बहुत से केन्द्रीय संगठन हैं जैसे—वाणिज्य तथा उद्योग एसोशियेटेड मंडल, अखिल भारतीय निर्माता संगठन, नेशनल एलाइयेंस ऑफ यंग एन्टर-प्रेनियर्स ।

मुझे पश्चिमी जर्मनी के वाणिज्य मण्डल की जांच करने का अवसर प्राप्त हुआ । वहां पर प्रत्येक व्यापार गृह को इस मण्डल का अनिवार्यतः सदस्य होना पड़ता है तथा यह उनके लिये पर्याप्त आय सुनिश्चित करता है जिससे कि वे अपनी शक्तियों का अधिकांश भाग वास्तविक वृद्धि के कार्यों में लगा सकें । मेरा यह सुझाव है कि या तो भारत सरकार या किसी विशेष अधिकारी द्वारा कोई समिति गठित की जाकर इस मामले की जांच की जानी चाहिये ।

गत समय की अपेक्षा आजकल विदेशों में बहुत से वाणिज्य सचिव तथा व्यापार आयुक्त बहुत अधिक उत्तरदायी हो गये हैं । विदेशों में केवल वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय के अधिकारियों को ही सहायकों के रूप में चयनित किया जाना चाहिये ताकि निर्यात में वृद्धि हो सके ।

जनवरी 1970 में 145 करोड़ रुपये के क्रम में हमारा रिकार्ड था । जैसा कि श्री बजाज ने बताया है—निर्यात शुल्क अत्यधिक मात्रा में लगाया जाता है जिसके कारण निर्यात में बाधा पड़ती

है । यदि तम्बाकू पर से भारी निर्यात शुल्क नहीं हटाया गया तो विश्व-बाजार में हम आने वाले वर्षों में तम्बाकू को नहीं देख सकेंगे ।

श्री पी० एल० टण्डन के मार्ग दर्शन में राज्य व्यापार निगम ने कार्य करने की प्रणाली में काफी सुधार किया । अच्छे कार्य के लिए वे बधाई के पात्र हैं । राज्य व्यापार निगम को आयात की ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे आयातित वस्तुओं का न तो बाहुल्य हो और न ही कमी । मूल्य नीति ऐसी होनी चाहिए कि उद्योग एवं व्यापार वर्ग इसकी अनावश्यक आलोचना न करे ।

राज्य व्यापार निगम की कमीशन की अलग-अलग दरें हैं । इसमें कोई संदेह नहीं कि कमीशन की दरें वस्तु की किस्म पर आधारित होती हैं । फिर भी कमीशन की दरें दी गई सेवाओं की लागत के अनुपात में होनी चाहिएं । दूसरे, निगम को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे व्यापारी को, जिसकी ओर से वस्तुएं आयात की जाती हैं, अतिरिक्त कर न देना पड़े ।

भारत के ओसाका मेले में भाग लेने के सम्बन्ध में मुझे कुछ जानकारी मिली है । दुर्भाग्यवश, हमने उसमें भारत के नवीन औद्योगिक चित्र को प्रस्तुत करने के लिए प्रयत्न नहीं किए और हम केवल पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था का चित्र ही प्रस्तुत कर पाए हैं ।

श्री सु० कु० तापड़िया (पाली) : मैं वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय की मांगों का विरोध करता हूं । पटसन, सूती कपड़ा और चाय उद्योग इसी मन्त्रालय के प्रभार में हैं और ये तीनों उद्योग संकट-कालीन अवस्था से गुजर रहे हैं । इस मन्त्रालय के मन्त्री अयोग्य हैं । मैंने तारांकित प्रश्न संख्या 897 में पूछा था कि क्या सरकार अल्युमीनियम के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने का विचार कर रही है ? इसका उत्तर देते हुए मन्त्री महोदय ने कहा था कि मामला विचाराधीन है । 21 मार्च को सरकार ने एक अधिसूचना जारी करके अल्युमीनियम के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिया था । इसका अर्थ यह हुआ कि मन्त्री महोदय को भी इसका ज्ञान नहीं कि अल्युमीनियम का निर्यात किया जा सकता है कि नहीं ।

प्रतिवेदन में दिए गए आंकड़े स्पष्ट नहीं हैं । आंकड़ों को देखने से पता चलता है कि 1969 में निर्यात में 3.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई । परन्तु यह नहीं बताया गया कि यह वृद्धि 7 प्रतिशत वृद्धि के लक्ष्य की तुलना में कितनी हुई और 1668 में हुई 8.7 प्रतिशत वृद्धि का आधे से भी कम भाग है । इसी प्रकार विश्व-व्यापार में भारत के व्यापार का अंश 1961 में 1.2 प्रतिशत था जबकि 1969 में यह घटकर 0.7 प्रतिशत रह गया ।

मन्त्रालय के प्रतिवेदन में कहा गया है कि निर्यात के विकास की गति में कमी इसलिए हुई क्योंकि विश्व-निर्यात की हालत अच्छी नहीं थी । परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा दी गई अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय सांख्यिकी की नवीनतम जानकारी से पता चला है कि विश्व निर्यात में 1968 में 12 प्रतिशत से भी कम की तुलना में लगभग 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । इस प्रकार विश्व निर्यात बढ़ा ही है, कम नहीं हुआ । हांगकांग, मलयेशिया, कोरिया, सिंगापुर देशों में भी क्रमशः 25 करोड़, 24 जरोड़, 30 करोड़ और 22 करोड़ रुपयों के निर्यात की वृद्धि हुई । इस प्रकार यह कैसे माना जा सकता है कि विश्व-निर्यात से विकास की गति में कमी हुई है ।

मन्त्रालय के प्रतिवेदन में आगे कहा गया है कि व्यापार-बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर मन्त्रालय ने दिसम्बर, 1968 में निर्यात का जोरदार कार्यक्रम शुरू किया । इस काम में देरी क्यों

हुई ? हमने सरकार को जून, 1968 में ही चेतावनी दे दी थी और बाद में देते रहे थे कि देश में वस्तुओं की मांग बढ़ने के कारण निर्यात में कमी आ जाएगी और इसके लिए कुछ किया जाना चाहिए। इस्पात नियतन समिति कहां है ? क्या इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मन्त्रालय इस्पात के निर्यात में एकपक्षीय कार्यवाही करके निर्यात के कार्यों में खराबी उत्पन्न नहीं कर रहा है। क्या इस मन्त्रालय ने सरकार से बिना विचार विमर्श किये कई बार निर्यात प्रोत्साहनों को वापिस लेने और इस्पात की कुछ किस्मों एवं अन्य वस्तुओं पर प्रतिबन्ध लगाने का निर्णय नहीं लिया है ? यदि इस्पात नियतन समिति बनाई गई होती और सरकार ने निर्णय लिया होता तो अन्य मन्त्रालयों द्वारा दिए गए गलत निर्णयों का प्रतिरोध किया जा सकता था।

बिलटों के निर्यात का नियतन संयुक्त संयंत्र समिति करती है और यही समिति भ्रष्टाचार के बाजार को गर्म करती है। सरकार निर्यात-व्यापारियों को औसत माह्वार निर्यात के आधार पर बिलटों के निर्यात का नियतन करती है। ऐसी व्यापारियों की सूची देखने पर पता चला कि कुछ व्यापारियों के साथ पक्षपात किया जाता है और उनके लिए अधिष्ठापित क्षमता से भी अधिक निर्यात का नियतन किया जाता है। क्या यह चोरबाजारी नहीं है ? ऐसे कदाचारों को रोकने के लिए सरकार ने कौन-सी कार्यप्रणाली अपनाई है ? सरकार भाई-भतीजावाद और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्या कार्रवाही की है ?

सरकार कहती है कि हम निर्यात के मामले में जोरदार कार्यक्रम बना रही है। व्यापार बोर्ड 31 जनवरी को समाप्त हो चुका है। उसको फिर से चालू क्यों नहीं किया गया ? क्या इसी को जोरदार कार्यक्रम कहते हैं ?

निर्यात के कार्य को बढ़ाया जा सके, इसके लिए मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मेरा पहला सुझाव है कि निर्यात सम्बन्धी नीतियों में स्थायित्व होना चाहिए। दूसरे, निर्यात की जाने वाली वस्तुएं के निर्माण के लिए आयात किए जाने वाले कच्चे माल में वृद्धि की जानी चाहिए। तीसरे, नए उद्योगों की स्थापना एवं निर्यात पर आधारित उद्योगों के विस्तार करने की अनुमति दी जाए। क्षेत्रानुसार केन्द्रीकरण करने से लाभ हो सकता है। निर्बाध निर्यात की अनुमति देने के लिए वर्तमान सहयोग समझौतों का नवीकरण किया जाना चाहिए।

रिजर्व बैंक एवं दत्त समिति के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि लगभग 65 प्रतिशत वर्तमान विदेशी सहयोग समझौतों पर निर्यात करने के लिए कुछ न कुछ प्रतिबन्ध लगाए गए हैं। इन प्रतिबन्धों को हटाया जाना चाहिए। निर्यात पर लगाए जाने वाले शुल्क का सही निर्धारण किया जाना चाहिए और जहां यह शुल्क निर्यात कार्य में बाधक सिद्ध हो, उसे हटा लेना चाहिए। यदि सरकार उत्पादन में वृद्धि करने के लिए प्रोत्साहन दे, निर्यात शुल्क का सही निर्धारण करे और निर्यात प्रोत्साहनों के लिए नीतियों को स्थायित्व प्रदान करे तो निर्यात कार्य तीव्र गति में आगे बढ़ सकता है।

इसके बाद लोक सभा शुक्रवार, 10 अप्रैल, 1970/20 चैत्र, 1892 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Friday, April 10,1970/Chaitra 20, 1892 (Saka).

Printed at Eagle Offset Printers, Allahabad.